खण्ड–502, अंक–6
गुरुवार 30 अग्रहायण, शक संवत् 1939
(21 दिसम्बर, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2017)

(खण्ड 502 में 07 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति सदस्य	. .	1–6
प्रश्नोत्तर	. .	7–41
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	. .	41–42
जनपद बस्ती के ब्लाक कुदरहा में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	42–43
जनपद पीलीभीत के देवा नदी पर बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	43
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी अन्तर्गत नहरों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	43
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों की सरकारी सेवा आवश्यक करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	44
जनपद बहराइच के हुजूरपुर क्षेत्र में महिला राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	44–45
महराजगंज में वन क्षेत्र में कतिपय सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	45
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	45–46
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	46
ग्रेटर नोएडा के परिक्षेत्र में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के मोहल्लों का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	46–47
जनपद आगरा के सहकारी आवास समिति लिमिटेड, आगरा के सचिव को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	47
जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट में घाघरा नदी के मध्य बसे निवासियों को आवासीय पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	47
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के गागन नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	48
जनपद चन्दौली के कैथी टाण्डा घाट पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	48
जनपद बदायूं में नाधा बिनावर व दवथोरी को ब्लाक ना बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	48–49

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बस्ती के अमोढ़ा राज्य के ध्वस्त किले का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	49
जनपद मुजफ्फरनगर के नयी मण्डी में रामलीला मैदान एवं रेलवे रोड के नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	49
झांसी के गरौठा राठ भाग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	49–50
जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50
जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विधान सभा क्षेत्र भनवापुर ब्लाक में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50
जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग से अतिथि गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना. .	51
उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 (पारित) . .	51–137
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–751/ग्यारह–9(15)–17–उ0 प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (01)–2017, दि0 21 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	137
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–834/ग्यारह–9(15)–17–उ0 प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (05)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	137
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–838/ग्यारह–9(47)–17–उ0 प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (08)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	137
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–845/ग्यारह–9(47)–17–उ0 प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (12)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	138
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–846/ग्यारह–9(47)–17–उ0 प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (13)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	138
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–848/ग्यारह–9(47)–17–उ0 प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (15)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	138
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–849/ग्यारह–9(15)–17–उ0 प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (16)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	138

विषय	पृष्ठ–संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–851/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (18)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	138
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–854/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (21)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–856/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (23)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–857/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (24)–2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–865/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (26)–2017, दि0 02 जुलाई, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–927/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (27)–2017, दि0 12 जुलाई, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–928/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (28)–2017, दि0 12 जुलाई, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	140
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–929/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (29)–2017, दि0 26 जुलाई, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	140
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1014/ग्यारह–9(52)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (31)–2017, दि0 21 जुलाई, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	140
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1016/ग्यारह–9(53)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (33)–2017, दि0 21 जुलाई, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	140
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1110/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (36)–2017, दि0 11 अगस्त, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	140
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1158/ग्यारह–9(52)–17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश (38)–2017, दि0 18 अगस्त, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	141

विषय	पृष्ठ–संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1404/ग्यारह–9(109)–17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश (46)–2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	141
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1413/ग्यारह–9(114)–12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (47)–2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	141
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1415/ग्यारह–9(15)–17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश (49)–2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	141
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1424/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश (52)–2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	142
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1439/ग्यारह–9(47)–17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश (55)–2017, दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	142
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1531/ग्यारह–9(42)–17–उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम–2017–आदेश (62)–2017, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	142
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0–2–1679/ग्यारह–9(42)–17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश (77)–2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	142
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 2012–2013 (सदन के पटल पर रखा गया) . .	143
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 138वां (एक सौ अड़तीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत) . .	143
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 139वां (एक सौ उन्तालीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत) . .	143
जनपद बहराइच के भिनगा–तुलसीपुर मार्ग 4 लेन के निर्माण में हुई धांधली की जांच कराये जाने के संबंध में श्री पप्पू दूबे व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	144
जिला अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव के ग्राम पंचायत निमटिनी के अन्तर्गत दक्षिण डढ़वा माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के संबंध में श्री मोहित प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	144

विषय	पृष्ठ–संख्या
जिला अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत पन्थीपुर के अन्तर्गत मोहद्दीपुर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के संबंध में श्री नीतू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	144
जिला अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत जीवत के अन्तर्गत खुर्मल्लीपुर से सकरा ऐन्दलपुर को जोड़ने के लिए ऐन्दलपुर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के संबंध में श्री भागीरथी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	144
जिला अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत सिपाह के अन्तर्गत रामपुर कला दुधई से नगपुर कस्बे को जोड़ने के लिए पुल निर्माण कराने के संबंध में श्री दयाराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	145
जिला शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग पर ग्राम विरसिंहपुर के आगे गर्रा नदी में वर्ष 2011–2012 में आयी भीषण बाढ़ से सड़क कट कर एक बढ़ तालाब का रूप ले लेने के कारण वहां पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	145
जिला शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर–बीसलपुर स्टेट हाइवे पर ग्राम निगोही में स्थित केमुआ नाला पर बने पुराने जर्जर सकरा पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	145
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तपुर के अन्तर्गत बक्सर में अवस्थित चन्द्रिका देवी तथा रायबरेली–फतेहपुर–कानपुर की सीमा पर स्थित सेनानी राजा राव राम बक्श सिंह से जुड़े स्थलों पार्कों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	145
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तपुर के अन्तर्गत वीघापुर में 100 शैय्याओं वाले अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	146
जनपद कुशीनगर के दुधही धोबी घटवा से अमवाँ खास क्षेत्र में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	146

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत स्थित मोरावां पुरवा ब्रान्च से जनपद रायबरेली के अन्तर्गत हरचन्दपुर क्षेत्र में पानी न आने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	146
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	146–147
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का समन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) . .	147–148
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) . .	148
उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित).	148
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) . .	148–149
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें . .	149–159
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें . .	159–161
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् द्वारा जनपद शाहजहांपुर एवं सेवरही में वर्ष 1999 में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य . .	161–164
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में द्वारिकेश शुगर मिल को जाने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग रोके जाने के सम्बन्ध में डा0 श्याम बिहारी लाल द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य . .	164–165
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठां/सातवां वेतन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वित्त मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) . .	165
उत्तर प्रदेश की राजधानी में संचालित अवैध दुग्ध डेरियों को नगर निगम सीमा से बाहर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य . .	166–167
जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां के कतिपय राजस्व ग्रामों को आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित). .	167

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत शहर के बीचों बीच बहने वाले नाले को पक्का कराकर दोनों तरफ सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को दी गई सूचना पर, नियम 51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन . .	167
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार स्थित इसौर नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बाढ़ नियंत्रण एवं महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य.	167–168
जनपद श्रावस्ती स्थित सीताद्वार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम फेरन पाण्डेय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य. .	168
सदस्यों के भाषण के दौरान टोका–टाकी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न . .	169
नत्थियां . .	170–173

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–373

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
7. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
13. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
14. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
15. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
16. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
17. अनीता लोधी राजपूत, डा0 — बुलन्दशहर
18. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
19. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
20. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
23. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
24. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
25. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
26. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
27. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
28. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
29. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
30. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
34. अवतार सिंह भड़ाना, श्री — मुजफ्फरनगर
35. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
37. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
40. असलम अली, श्री — हापुड़
41. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
43. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
44. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई

47. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
48. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
49. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
50. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
51. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
52. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
53. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
54. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
55. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
56. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
57. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
58. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
59. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
60. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
61. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
62. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़
63. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
64. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
65. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
66. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
67. कारिन्दा सिंह, श्री — मथुरा
68. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
69. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
70. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
72. केसर सिंह, श्री — बरेली
73. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री — बलरामपुर
74. कैलाश नाथ सोनकर, श्री — वाराणसी
75. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
76. गंगा, श्री — कुशीनगर
77. गरिमा सिंह, श्रीमती — अमेठी
78. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
79. जी0 एस0 धर्मेश, डा0 — आगरा
80. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
81. गौरी शंकर, श्री — जालौन
82. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री — बांदा
83. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री — बस्ती
84. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री — चित्रकूट
85. चेतन चौहान, श्री — अमरोहा
86. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
87. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री — बरेली
88. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
89. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
90. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
91. जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
92. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 — इलाहाबाद
93. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री — फतेहपुर
94. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
95. जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
96. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
97. जयमंगल, श्री — महाराजगंज
98. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
99. जितेन्द्र वर्मा, श्री — आगरा
100. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
101. ज्ञानेन्द्र, श्री — महाराजगंज
102. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
103. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम–निर्देशित
104. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
105. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री — शामली
106. त्रिवेणी राम, श्री — गाजीपुर
107. दयाराम चौधरी, श्री — बस्ती
108. दल बहादुर, श्री — रायबरेली
109. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
110. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
111. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री — सन्तकबीर नगर
112. दिनेश खटिक, श्री — मेरठ
113. दिनेश चौधरी, श्री — जौनपुर

114. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
115. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
117. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
118. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
119. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
120. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
121. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
122. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
123. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
124. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
125. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
126. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
127. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
128. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
129. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
130. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
131. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
132. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
133. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
134. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
135. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
136. नाहिद हसन, श्री शामली
137. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
138. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
139. नीलकण्ठ तिवारी, डा0 वाराणसी
140. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
141. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
142. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
143. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
144. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
145. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
146. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
147. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
148. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
149. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
150. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
151. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
152. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
153. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
154. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
155. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
156. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
157. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
158. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. फागू चौहान, श्री मऊ
161. बजरंग बहादुर सिह, श्री महाराजगंज
162. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
163. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
164. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
165. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
166. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
167. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
168. बावन सिंह, श्री गोण्डा
169. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
170. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
171. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
172. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
173. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
174. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
175. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
176. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
177. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
178. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर

179. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
180. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
181. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
182. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
183. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
184. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
185. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
186. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
187. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
188. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
189. महबूब अली, श्री अमरोहा
190. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
191. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
192. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
193. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
194. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
195. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
196. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
197. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
198. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
199. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
200. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
201. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
202. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
203. मौ0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
204. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
205. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
206. योगेश वर्मा, श्री खीरी
207. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
208. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
209. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
210. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
211. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
212. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
213. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
214. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
215. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
216. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
217. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
218. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
219. रवि शर्मा, श्री झांसी
220. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
221. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
222. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
223. आर0 के वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
224. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
225. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
226. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
227. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
228. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
229. राज करन कबीर, श्री बांदा
230. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
231. राजबाला, श्रीमती रामपुर
232. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
233. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
234. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
235. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
236. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
237. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
238. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
239. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
240. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
241. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
242. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
243. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
244. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर

245. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
246. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
247. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
248. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
249. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
250. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
251. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
252. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
253. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
254. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
255. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
256. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
257. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
258. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
259. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
260. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
261. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
262. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
263. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
264. लाखन सिंह, श्री औरैया
265. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
266. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
267. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
268. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
269. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
270. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
271. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
272. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
273. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
274. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
275. विजय मिश्र, श्री भदोही
276. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
277. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
278. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
279. विनय शाक्य, श्री औरैया
280. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
281. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
282. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
283. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
284. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
285. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
286. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
287. वीरेन्द्र, श्री एटा
288. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
289. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
290. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
291. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
292. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
293. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
294. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
295. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
296. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
297. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
298. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
299. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
300. शैलेन्द्र कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
301. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
302. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
303. श्याम बिहारी लाल, डा0 बरेली
304. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
305. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
306. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
307. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
308. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
309. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
310. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
311. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
312. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
313. संजय, श्री बुलन्दशहर
314. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
315. संजय यादव, श्री बलिया

316. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
317. संजीव कुमार, श्री सोनाभद्र
318. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
319. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
320. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
321. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
322. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
323. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
324. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
325. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
326. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
327. सत्य प्रकाश अग्रवाल, ''कैलाश डेरी वाले'' श्री मेरठ
328. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
329. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
330. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
331. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
332. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
333. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
334. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
335. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
336. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
337. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
338. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
339. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
340. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
341. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
342. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
343. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
344. सुरेश कुमार, श्री शामली
345. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
346. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
347. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
348. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
349. सुरेश राही, श्री सीतापुर
350. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
351. सुशान्त कुमार सिंह, कुं0 बिजनौर
352. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
353. सुशील सिंह, कुं0 चन्दौली
354. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
355. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
356. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
357. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
358. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
359. सोहिल अख्तर अंसारी,श्री कानपुर नगर
360. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
361. सौरभ सिंह, श्री खीरी
362. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
363. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
364. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
365. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
366. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
367. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
368. हरीराम, श्री सोनभद्र
369. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
370. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह) परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (श्री स्वतंत्र देव सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11:00,–प्रश्नोत्तर

तारांकित

प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को
पांच सौ रुपया प्रतिमाह दिये जाने की जानकारी

'01–श्री संजय गर्ग–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत कितनी गरीब महिलाओं को रुपया पांच सौ प्रतिमाह समाजवादी पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत 55 लाख महिलाओं को रु0 500/– प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की। वर्तमान में योजनान्तर्गत लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

(सदस्य के सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों की रुचि इस प्रश्न में है।

श्री अध्यक्ष–

अगर मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं तो इसे बाद में ले लेंगे।

(मा0 मंत्री जी द्वारा पूरा उत्तर न पढ़े जाने पर)

जनपद आगरा में जूता उद्योग से जुड़े मजदूरों के पलायन व
जूता उद्योग को अनुरक्षित करने की मांग

'02–श्री उमाशंकर सिंह–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा से जूतों का एक्सपोर्ट करीब रु0 1500 से 1800 करोड़ का होता है और स्वदेश के लिये अलग प्रोडक्शन होता है। क्या यह सही है कि चेन्नई, दिल्ली में बड़े पैमाने पर फैक्ट्री स्थापित होने से आगरा का मजदूर चेन्नई व दिल्ली पलायन कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश को विदेशी मुद्रा की हानि से बचाने हेतु जनपद आगरा के जूता उद्योग को सुरक्षित करने की कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)–

जी हां। वर्ष 2016–17 में जनपद आगरा से लगभग रु0 3700.00 करोड़ का निर्यात किया गया। इसके अतिरिक्त घरेलू उपयोग हेतु अलग से उत्पादन होता है।

जी नहीं।

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा जनपद आगरा की फुटवियर इण्डस्ट्री के विकास एवं निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु चर्म उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टेस्टिंग एवं डिजाइनिंग की सुविधा हेतु धनराशि रु0 13.15 करोड़ की लागत से जनपद आगरा में टेस्टिंग लैब एवं डिजाइन स्टूडियो की स्थापना की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद आगरा से फुटवियर उद्योग से निर्यात को प्रोत्साहित किये जाने हेतु निम्नलिखित सहायता योजनायें भी संचालित की जा रही हैं–

1–त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता से निर्यातकों को निम्नानुसार सुविधा दी जाती है–

मेला एवं प्रदर्शनी श्रेणी के अन्तर्गत निर्यातक इकाई को स्टाल व्यय पर 60 प्रतिशत अधिकतम रु0 1.00 लाख एवं वायुयान किराये का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 0.50 लाख की सहायता वर्ष में अधिकतम 03 मेलों हेतु उपलब्ध करायी जा रही है। नमूना श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 0.50 लाख, प्रचार–प्रसार श्रेणी में व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम रु0 0.60 लाख, गुणवत्ता नियंत्रण आई0एस0ओ0/बी0आई0एस0 श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 0.75 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद आगरा की विभिन्न निर्यातक इकाइयों के विभिन्न श्रेणियों के 38 दावों के प्रति धनराशि रु0 31.72 लाख की सहायता वितरित की गयी।

2–गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल भाड़े पर अनुदान योजनान्तर्गत प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को निर्यात हेतु गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6000 प्रति 20 फिट कन्टेनर तथा रु0 12000 प्रति 40 फिट कन्टेनर की दर से सहायता उपलब्ध करायी जा रही है जिसकी प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रु0 12.00 लाख है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद आगरा की निर्यातक इकाइयों के 48 दावों के सापेक्ष रु0 66.81 लाख की सहायता वितरित की गयी।

3–वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश के ऐसे सभी निर्यातक जो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकृत हो तथा प्रदेश स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स जैसे लखनऊ तथा वाराणसी के माध्यम से अपना माल निर्यात कर रहे हो, को निर्यात किये गये माल के भाड़े में किये गये व्यय का 20 प्रतिशत अथवा रु0 50.00 प्रति कि0ग्रा0 (जो कम हो) की दर से एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु0 2.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(मा0 मंत्री जी द्वारा पूरा उत्तर न पढ़े जाने पर।)

श्री लाल जी वर्मा–

मा0 मंत्री जी, उत्तर दूसरे पेज पर भी है, पूरा उत्तर नहीं पढ़ा है।

श्री सत्यदेव पचौरी–

शेष उत्तर लिखा हुआ है, इसे पढ़ा मान लें, मा0 सदस्य जो कुछ पूछेंगे उसका उत्तर मैं दे दूँगा।

श्री उमाशंकर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर मा0 मंत्री जी से छोटे–छोटे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। चूंकि मा0 मंत्री जी का उत्तर बहुत विस्तार से है और मा0 मंत्री जी इसे पढ़ा हुआ भी मान लिये।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपकी इच्छा हो तो पूरा पढ़ दें।

श्री उमाशंकर सिंह–

मान्यवर, इधर से कोई इच्छा नहीं हुई। इधर से इच्छा जाहिर हुई तो मा0 मंत्री जी ने कहा कि इसको हम पढ़ा हुआ मान लेते हैं। विपक्ष को इसकी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि हमारे पास उत्तर है।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह दूँ कि वह पढ़ दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

अगर चाहें तो पढ़वा दें।

श्री उमाशंकर सिंह–

नहीं, नहीं, मा0 मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं, हम लोग मान लिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सदन के सामने प्रश्न का पूरा उत्तर आ जाये तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सभी मा0 सदस्य उत्तर को सुन भी लेंगे। अभी तो पूरा टाइम है, यह तो आखिर में होता है कि जब प्रश्नकाल समाप्त होने में चार–पॉच मिनट रह जाते हैं तो कहा जाता है कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मा0 मंत्री जी पूरा उत्तर पढ़ दें।

(मा0 मंत्री जी द्वारा पुनः उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया गया।)

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से छोटे–छोटे दो सवाल करना चाहता हूँ। प्रश्न के पहले भाग का मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 2016–17 में जनपद आगरा से लगभग रु0 3700–00 करोड़ का निर्यात किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2016–17 के बाद जो इधर 2017–18 चल रहा है जिसमें लगभग 9 माह बीत गये हैं तो इसका रेशियो बता दें कि इस अनुपात में इधर 9 माह में हमने कितना निर्यात किया है ? यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, प्रश्न के भाग–3 में उन्होंने उत्तर

दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टेस्टिंग एवं डिजाइनिंग की सुविधा हेतु धनराशि रु0 13.15 करोड़ की लागत से जनपद आगरा में टेस्टिंग लैब एवं डिजाइन स्टूडियो की स्थापना की जा रही है। तो इसको माननीय मंत्री जी बता दें यह कब तक पूर्ण होगी। तीसरा सवाल यह है माननीय अध्यक्ष जी कि जो इसके प्रोत्साहन के लिए वायुयान भाड़ा की बात बतायी गयी, जो उत्तर के अंतिम भाग में है, जो लगभग 2.00 लाख रुपये की सहायता अभी प्रोत्साहन के लिए दी जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसा एजेण्डा है जिससे और लोगों में उत्सुकता आये इसके लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की कोई ऐसी व्यवस्था मा0 मंत्री जी अपने कार्यकाल में रख रहे हैं। ये मेरे तीन छोटे–छोटे प्रश्न हैं।

श्री सत्यदेव पचौरी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि 9 महीने में कितना निर्यात हुआ है? जो हिसाब बनता है वह 12 महीने का बनता है। हर व्यापार में, हर जगह हिसाब पार्ट टाइम नहीं बनाया जाता है, फुल टाइम बनाया जाता है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहॉ वार्षिक व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने पूछा है कि प्रोत्साहन के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री सत्यदेव पचौरी–

जो व्यवस्था है वह बता रहा हूँ आपके मन से व्यवस्था थोड़े ही मैं बना लूँगा।

(सदन में हंसी)

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने बताया कि जो व्यवस्था बनायी जाती है वह 12 महीने में बनायी जाती है, 9 महीने में कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी के विभाग में नहीं बनायी जाती है। माननीय मंत्री जी को यह चाहिए कि वह अपने अधिकारियों पर दबाव बनायें, हर जगह मंथली रिपोर्ट आती है। जब निर्यात होता है तो ऐसी गाड़ियों और ऐसी व्यवस्था से नहीं होता है जिसका कोई रिकार्ड न हो। हम जो भी भेजते हैं वह आन रिकार्ड भेजते हैं। पूरा आफिशियल रिकार्ड होना चाहिए। माननीय मंत्री जी के पास इस प्रश्न के उत्तर में अपडेट होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने न दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया और न ही तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। जो लैब की स्थापना आप कर रहे हैं उसको आप कब तक पूर्ण करा लेंगें ? अभी तक उसका क्या प्रोग्रेस है। तीसरा जो प्रोत्साहन राशि आप 2 लाख रुपया अभी दे रहे हैं, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है क्या वर्तमान मंत्री जी इस सरकार में इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ायेंगें।

श्री सत्यदेव पचौरी–

लैब का काम प्रगति पर है। चूँकि यह लैब एसाईड योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने पहले प्रारम्भ की थी। केन्द्र सरकार ने यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी है इसलिये हम इसका काम शीघ्र ही पूरा कर लेंगें। दूसरा आपने कहा है कि जो 2 लाख तक का अनुदान है उसको बढ़ायेंगें तो यह रिवाइवल समय–समय पर होता रहता है। जैसी योजनाएं बनती है, वित्तीय बजट बनता है उसमें विचार करते हैं।

(सदस्य श्री नितिन अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब तो माननीय मंत्री जी का पूरा स्पष्ट आश्वासन आ गया। बड़ा स्पष्ट आश्वासन आ गया कि विचार कर लेंगें।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, एक प्रश्न है। आपने एसाइड (ाक्) योजना की बात करी। केन्द्र सरकार ने साइड योजना को बंद कर दिया। पहले एसाइड योजना में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिये केन्द्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को 60 प्रतिशत पैसा देती थी और 40 परसेन्ट पैसा स्टेट सरकार का होता था। बाद में केन्द्र सरकार ने इस योजना को ही बन्द कर दिया। कहा कि हम इस योजना में कोई पैसा नहीं देंगें। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने वित्तीय संसाधन से इसको चलाना चाहती है तो इस योजना को चलाये। आप हमें यह बता दीजिये पहली चीज कि जो जूता एक्सपोर्ट के प्रमोशन की बात आपने कही इसमें केन्द्र सरकार पहले कितना पैसा देती थी और जब वह पैसा बंद हो गया तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अपने बजट प्राविधान में लिया है कि यह योजना न बंद हो और वह प्रमोशन की जो स्कीम है वह वैसे ही चलती रही जो पहले से चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

केन्द्र से कितना पैसा मिला यह बता दें।

श्री सत्यदेव पचौरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह निर्यात के प्रोत्साहन के लिये केन्द्र सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी और वह उन्होंने हमको हैंड ओवर कर दी। हम उसको चला रहे हैं। आपने जो कहा है केन्द्र साइड योजना के अन्तर्गत कोई नयी योजना को पैसा नहीं दे रहा यह सत्य है। यह नई योजना नहीं है, यह पुरानी योजना है। यह बन रही है, यह निर्माणाधीन है।

श्री नितिन अग्रवाल–

अगर केन्द्र सरकार ने इसको बंद कर दिया है तो आपने अपने बजट योजना में इसको पैसा दिया।

श्री सत्यदेव पचौरी–

हम इसको अपने संसाधनों से बना रहे हैं यह हमने पहले ही कह दिया। अगर नहीं दिया होता तो कैसे बनाते।

उ0 प्र0 में किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की
योजना बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

'03–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने तथा किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त कराने के उद्देश्य से कृषि कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण उपकरणों पर सरकार की सब्सिडी देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार चिन्हित उपकरणों पर राज्य सरकार की सहमति के आधार पर सब्सिडी दिये जाने की व्यवस्था है।

विवरण संलग्न है।'

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की भलाई सोचने वाली सरकार है। हर दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और तमाम मंत्री जी किसानों की बात करते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी पॉच सवाल हैं। पहला प्रदेश में किसानों की आबादी करीब 4 से 5 करोड़ के बीच है। कितने किसानों को आप सब्सिडी दे रहे हैं ? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, कितने परसेन्ट सब्सिडी आप किसानों को दे रहे हैं, लघु सीमान्त किसानों को दे रहे हैं और अन्य जो लघु सीमान्त की कैटेगिरी में नहीं आते हैं उनको कितना परसेन्ट सब्सिडी दे रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या आप प्रदेश में जितने भी किसान हैं सभी किसानों को इस योजना से आच्छादित करने का काम करेंगें। चौथा सवाल यह है कि जो जवाब में आपने कृषि संयत्रों के बारे में लिखा है कि इन संयंत्रों पर आप सब्सिडी दे रहे हैं। जो कृषि संयंत्र इसमें शामिल नहीं हैं उनको भी इसमें शामिल करने का काम करेंगें ? पॉचवा सवाल कि जो किसान अपनी कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये जो लागत लगाता है। आपने तो अपने बजट भाषण में, संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। जो किसान अपनी कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये जो लागत लगाता है। क्या पूरी लागत को माफ करने की घोषणा यहां करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नितिन जी आपका जो मूल सवाल है वह कृषि उपकरणों से संबंधित हैं सरकार की सब्सिडी से, आपने जो तीन प्रश्न और पूछ दिए हैं वह संगत नहीं हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मूल प्रश्न तो कृषि यंत्रों के ऊपर है। इसलिए उसके बारे में जो जानकारी इन्होंने चाही है उसको मैं उपलब्ध कराता हूँ। इससे पहले जब आपकी सरकार थी तो वह सौ करोड़ रुपये का कृषि यंत्र बांटने का काम करती थी और वह भी किसानों को समय से नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार ने उस एमाउन्ट को डेढ़ गुना करके इस साल 157 करोड़ 52 लाख रुपये के कृषि यंत्र हम आपको दे रहे हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

'देखिये नत्थी 'क' 170–173 आगे पृष्ठ पर।

जो आपके कार्यकाल में बजट था उससे डेढ़ गुना हमने किया है यानि हमारी रफ्तार जिस तेजी से चल रही है निश्चित रूप से आप निश्चिन्त हो जाइए कि पॉच साल के भीतर 2022 तक किसान की आमदनी दोगुना हो जाने वाली है।

(मेजें थपथपाई गईं)

दूसरा आपने कहा कितने कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा तो इस साल हम 40,496 कृषि यंत्र पर हम उत्तर प्रदेश के किसानों को उपलब्ध करायेंगे। यह विभिन्न योजना के माध्यम से हम कराते हैं उसमें चार पॉच योजनायें हमारी हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना, नेशनल मिशन ऑन आयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा जो कुछ नोटिफाइड यंत्र हैं और राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, हम उनके पास सूची भेजते हैं और जिस पर उनकी सहमति बन जाती है जो हम उनको यहां से भेजते हैं उसके आधार पर हम कृषि यंत्रों को उत्तर प्रदेश में बांटते हैं। क्योकि अलग–अलग राज्यों की अलग परिस्थितियॉ हैं। हमारे प्रदेश से कृषि यंत्रों की जो डिमाण्ड आती है उसके अनुरूप भेजते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि 39 प्रकार के कृषि यंत्रों का वितरण यहां पर किया जा रहा है और इसलिए आप निश्चिन्त हो जाएं हम लोग बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत जो किसान पहले आएगा पहले पाएगा इस सिस्टम के अनुसार हम ऑन लाइन उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जो पहले आ जाएंगे वह पहले पाएंगे। उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं होने वाला है। (मेजे थपथपाई गईं) उत्तर प्रदेश के किसानों को हम बिना किसी भेदभाव के कृषि यंत्रों को उपलब्ध करायेंगे। दूसरा प्रश्न आपने लघु किसान, सीमान्त किसान, महिलाओं और अनुसूचित जातियों के बारे में किया था, जनजातियों के लिए कहा था उनको पचास प्रतिशत अनुदान पर यह कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं। शेष जो किसान हैं उनको 40 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

कितने किसानों ने पंजीकरण कराया है ?

श्री अध्यक्ष–

नितिन जी बैठिए, वर्मा जी पूछ लें।

श्री नितिन अग्रवाल–

मैं मूल प्रश्नकर्ता हूँ। मेरे प्रश्नों का जबाव आया नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि हमारी कम्बाइन गेहूँ काटती है, धान काटती उसके बाद प्रदूषण को रोकने के लिए जो पैरा जलाने की बात है जो बचा माल, भूसा बनाने के लिए जो मशीनें होंगी उन पर छूट देने का काम करेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जो जमीन के नीचे से कटाई कर सकते हैं उन यंत्रों पर हमने रखा है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

हम किसान लोग कम्बाइन से गेहूँ और धान काटते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा धान और गेहूँ का हिस्सा खेत में खड़ा रह जाता है। किसान उसको जला देते हैं। उसको काटने और भूसा बनाने की मशीन अलग से आती है अगर उस मशीन पर भी आप सब्सिडी देंगे तो शायद किसान

गेहूँ और धान के बचे हुए अवशेष को नहीं जलाएंगे। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या भूसा बनाने और धान की पैला से भूसा बनाने की मशीन पर आप सब्सिडी देने पर विचार करेंगे।

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मल्टी क्राप थ्रेसर पर जो थ्रेसिंग करने का काम करता है वह भी हम अनुदान पर देते हैं और वह इन कृषि यंत्रों के भीतर शामिल है।

श्री अध्यक्ष–

क्या यह वही उपकरण हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री सूर्यप्रताप शाही–

माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कम्बाइन की कम्बाइन के साथ जो भूसा बनाने वाले कृषि यंत्र हैं तो कम्बाइन के साथ रीपर और एक्स्ट्री रीपर जो जमीन की सतह से कटाई करते हैं उन कृषि यंत्रों को अनुदानित कृषि यंत्र में शामिल कर लिया गया है। कम्बाइन से इन्होंने काटा तो जो हिस्सा छूट गया उसके लिए उत्तर प्रदेश में अनिवार्य किया गया है। जो उत्तर प्रदेश के भीतर कम्बाइन चलेंगे वह रीपर और एक्स्ट्रा रीपर लगाएंगे इसकी वजह से जमीन की धरातल से उसको काटा जा सके। यह शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो भी कम्बाइन चलेंगे उनको रीपर और एक्स्ट्रा रीपर लेकर ही चलना होगा यदि नहीं चलाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। यह आप सुनिश्चित हो जाइए। इसलिए आपने जो चिन्ता व्यक्त की है कि कम्बाइन से काटने के बाद जो फसल अवशेष बच जाती है गेहूँ या धान की वह गेहूँ और धान के अवशेषों को काटने के लिए ही रीपर और एक्स्ट्रा रीपर की व्यवस्था की गई है और उसमें इसको शामिल कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो बड़ा स्पष्ट उत्तर आ गया है।

श्री सूयप्रताप शाही–

जो माननीय सदस्य थ्रेसिंग की बात कर रहे थे भूसा की बात तो मल्टी क्राप थ्रेसर यह किसानों को कृषि यंत्रों के भीतर उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री मनोज पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने अभी सदन को बताया कि पिछली सरकार की तुलना में कृषि उपकरणों की संख्या बढ़ाई गई है। हम आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 40 हजार 04 सौ उपकरणों पर छूट दिए जाने की व्यवस्था की गई है और यह सुनिश्चित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक तो यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों पर छूट दिए जाने की यह पहली बार व्यवस्था की गई है कि पिछली सरकार में भी अनुदान दिया जाता रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो माननीय मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी को अवगत भी कराना चाहते हैं और प्रश्न भी है कि क्या पिछली सरकार में 28,632 स्प्रिंकलर, 14,600 रोटावेटर, 2360 ट्रैक्टर पर अनुदान और 39 हजार सोलर पम्प पर अनुदान पिछली सरकार में दिया गया था या नहीं इनकी संख्या 48960 होती है जो आपकी संख्या से ज्यादा है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाए।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जिसे आप पढ़ रहे हैं वह मेरे पास उपलब्ध नहीं है न ही अधिकृत है। यह पूर्णतया निराधार है।

(श्री मनोज पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह तरीका ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें काफी उत्तर आ चुका है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

प्रदेश में विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए संचालित योजनायें एवं इन्हें जनजाति की तरह ही आरक्षण देने विषयक

'04–श्री सुखदेव राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विमुक्त जातियों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा किन–किन क्षेत्रों में कौन–कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार विमुक्त जातियों को सरकारी सेवाओं में प्रदेश स्तर पर जनजाति की तरह ही आरक्षण देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विमुक्त जातियों के उत्थान हेतु 09 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, 03 जनपदों में शत–प्रतिशत अनुदानित विद्यालय एवं जनपद प्रतापगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा। अतः विमुक्त जातियों को पृथक से आरक्षण अनुमन्य नहीं किया जा सकता।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन विमुक्त जातियों के सन्दर्भ में, उनके उत्थान के सन्दर्भ में मैंने प्रश्न लगाया है, एक सेकेण्ड में मैं उनके बैकग्राउण्ड में जाना चाहता हूँ। यह वह विमुक्त जातियाँ हैं जिन्होंने अंग्रेजों के समय बहुत लम्बा संघर्ष किया था और अंग्रेजों द्वारा प्रतिशोधवश इन विमुक्त जतियों को क्रिमिनल ट्राईब में रखा गया था। इनको जरायम पेशे से जोड़कर पूरे समाज को सजा दी गयी थी, लेकिन बाद में भारत सरकार में संसद में बहस हुई और एक माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूरे समाज को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने डीनोटिफाईड कर दिया। वह इसलिये, क्योंकि विमुक्त जाति जहाँ पाई जाती थी वह सम्भवतः ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। जब डीनोटिफाईड कर दिया तो उसको उन्होंने डी0टी0 कहा। डी0टी0 का मतलब है डीनोटिफाईड ट्राईब, उसी को आप हिन्दी में विमुक्त जाति कहते हैं। मान्यवर, ट्राईब शब्द का प्रयोग है। मैं साहनी केस को कहीं प्रभावित नहीं कर रहा हूँ। वह ठीक है उसको आप कह रहे हैं। अन्य प्रदेशों में आप घोषणा कर रहे हैं। 50 से ज्यादा की घोषणा जाट आंदोलन में कर दे रहे हैं, कहीं गुजरात में आप कह दे रहे हैं कि मैं बढ़ा दूँगा। यहाँ तो आप साहनी का केस पढ़ दिये कि सुखदेव राजभर चुपचाप बैठ जायेंगे। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि जब इसको डी0टी0 कहा गया अर्थात डीनोटिफाईड ट्राईब और ट्राईब की तरह ही इसको भारत सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि ऐसी जातियों का तो उत्थान करना चाहिये जिनको अंग्रेजों ने इतना तंग कर दिया कि उनको जंगलों, झीलों और पहाड़ों में भागने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे लोगों को शिक्षित करना, सेटेल्ड करना, एग्रीकल्चरल सुविधा, बैंकिंग सुविधा, आवासीय सुविधा यह सभी सुविधाएं दे दें। सन् 1965 में एक शासनादेश जारी हुआ। माननीय मंत्री जी ने आश्रम पद्धति के तीन विद्यालय खोल दिये और जहाँ संख्या नहीं है जैसे प्रतापगढ़ में खुला, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो स्पष्ट पूछ रहा हूँ कि 1965 के शासनादेश को अगर आप देखें, उसमें सीधा उल्लेख किया गया है कि यह डीनोटिफाईड किये गये। इनको हायर एजुकेशन तक निशुल्क शिक्षा भी दी जायेगी और इनको प्रायॉरिटी पर आवासीय सुविधाएं दी जायेंगी। इनको सेटेल्ड किया जायेगा जैसे लोध हैं, बंजारा हैं, राजभर हैं, यह जातियाँ कहीं न कहीं घुमक्कड़ जातियों की सूची में रख दी गयी थीं। इनको सेटेल्ड कर दिया जायेगा, इनके लिये आवास बना दिये जायेंगे और यह रहना शुरू कर देंगें। जिस जरायम पेशे से इनको जोड़ा गया था, भारत जैसे देश में वह कलह खत्म हो जाए जो अंग्रेजों द्वारा इन पर थोपी गयी थी। आज उनके लिये मैंने प्रश्न लगाया है तो तीन योजनाएं बता दी गयीं। मैं तो कह रहा हूँ कि 1965 का शासनादेश पढ़िये, जो आपके समाज कल्याण विभाग से ही जारी हुआ है और उसमें भारत सरकार की बहस के बाद निर्णय ले लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजभर जी, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा बैकग्राउण्ड पर जाऊंगा, उसके लिये मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। इसलिये इस पर मैं कोई जाति अथवा राजनैतिक आधार पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। आज जिन विमुक्त जातियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से तीन–चार जातियॉ तो निकल गयी हैं। उसमें पासी समाज भी था जो अब एस0सी0 में चला गया है। आज पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर

प्रदेश से इन जातियों का न तो एक आई0ए0एस0 है न आई0पी0एस0 है और न ही क्लास–3 की सर्विस में हैं। बहुत हुये हैं तो हमारी सरकार में सफाईकर्मी तक हो गये हैं या फोर्थ क्लास में हो गये हैं। ऐसे समाज के अपलिफ्टमेंट के लिये तो आपको घोषणा करनी चाहिये। आपको इसको कमिटेड करना चाहिये। लिखा जाता है बजटानुसार इनको वजीफा दिया जायेगा, बजटानुसार इनकी फीस दी जायेगी। आज तो आपको कमिट कर देना चाहिये। ठीक है आप साहनी केस के तर्क पर प्रतिबंधित हैं, लेकिन इनको डीनोटिफाईड ट्राईब कहा गया है, इनको आलरेडी जनजाति कहा गया है तो उस जनजाति में इनको जो 02 परसेंट की सुविधा है। आप इनको जो जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उसमें आप नीचे लिख देते हैं कि यह सरकारी सेवा में लागू नहीं होगा और सभी सेवायें इनको मिलेंगी। अन्य के जाति प्रमाण पत्र में तो आपने ऐसा नहीं लिखा, केवल डीनोटिफाईड या विमुक्त जातियों के प्रमाण पत्र में आप नीचे नोट लगा रहे हैं कि सरकारी सेवा में इसका प्रयोग नहीं होगा। इन्होंने कौन सा अपराध कर दिया है ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिसका हमनें बैकग्राउण्ड दिया है, अंग्रेजों से संघर्ष करने वाली एक बहादुर कौम जिसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राईब घोषित किया था, आज मैंने उनके लिये एक प्रश्न लगा दिया है। हम सत्ता में रहे हैं और हो सकता है हमनें न किया हो। उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं चाहिये। वह मैं नहीं कर पाया हूँ। आप लोगों ने इनका प्रयोग बम्पर तौर पर किया है। आज आप कह दें कि हम कमिटेड हैं डिस्ट्रिक्ट प्लान से लेकर स्टेट प्लान तक में इनके बच्चों को निःशुल्क हायर एजूकेशन उपलब्ध कराई जायेगी, मैं इनको आवास में प्रायरिटी दूँगा, मैं इनको जमीन के पट्टे में प्रायरिटी दूँगा, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। आज भी थाने में जाकर हिस्ट्रीशीटर की लिस्ट अगर आप पढ़े तो वहां पर 50 लोगो के नामों में से 90 परसेण्ट विमुक्त जातियों के लोगों के नाम हिस्ट्रीशीटर की लिस्ट में शामिल है। इसलिये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आप सीधे–सीधे अपना प्रश्न कर दीजिये।

श्री सुखदेव राजभर–

शाही साहब, मैं बैक ग्राउण्ड पर इसलिये गया क्योंकि यह आपकी तरफ बहुत हैं। आपको तो स्वयं ही इनके लिए खड़े हो जाना चाहिये था, लेकिन मैं उनके समर्थन के लिए खड़ा हो रहा हूँ। आपको तो खुद ही खड़ा होना चाहिये था, आपके क्षेत्र में तो बड़े अच्छे मतदाता हैं। आप कह रहे हैं कि आप प्रश्न करें तो आपसे तो केवल हम निवेदन करेंगे कि प्रश्न हम क्या करे। मैं मानवीय आधार पर निवेदन करने जा रहा हूँ उसमें सप्लीमेन्ट्री हम क्या बनाये। मैं केवल माननीय मंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या इस जाति को जिसको अंग्रेजो ने जरायमपेशा घोषित किया था। भारत की संसद ने उनको मुक्त करके उनको प्रायरिटी दिया था, इसलिये हमे इनको प्रोत्साहित करना चाहिये। क्या इनके लिए आप बजट फण्ड में व्यवस्था कराने का काम करेंगे, छात्रवृत्ति अनुदान इनके बच्चों को दिया जायेगा, आवास में प्रायरिटी दी जायेगी, कृषि आवंटन में प्रायरिटी दी जायेगी, और सस्ते दर पर लोन दिया जायेगा और जहां आप लिखते हैं कि यह सरकारी सेवा में लागू नहीं होगा तो अनुसूचित जनजाति का जो दो परसेण्ट

का आरक्षण है उसमें भी उनको शामिल करके नौकरी देने का काम किया जायेगा। इतना करिये आप अब और ज्यादा कुछ नहीं। आप मानवीय आधार पर बोलियेगा, मंत्री के आधार पर नहीं।

श्री रमापति शास्त्री–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था से बंधा हुआ हूँ। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विमुक्त जातियों के उत्थान हेतु कक्षा–1 से लेकर 12 तक कतिपय जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चालू हैं। कानपुर, फर्रूखाबाद, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोण्डा, सोनभद्र, हसनपुर, सुल्तानपुर में चालू है और इसमें शत प्रतिशत व्यवस्था की जा रही है। जहां तक आरक्षण का सवाल है इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 1992 के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। चूंकि वर्टिकल आरक्षण 50 प्रतिशत अनुमन्य किया जा चुका है। अतः विमुक्त जातियों को पृथक से आरक्षण देने की कोई समेकित योजना नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय राजभर जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत ही मानवीयता वाला प्रश्न पूछा है इन्होंने। जिनके विषय में इन्होंने प्रश्न पूछा है वह वास्तव में आज के समय में सबसे गरीब अशिक्षित जातियां हैं। मजदूरी के सिवाय इनकी जीविका का कोई साधन भी नहीं है। 80–90 प्रतिशत लोग केवल मजदूरी करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 2002 की जो विधान सभा थी उस समय विधान सभा और कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा गया था कि इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाये। पिछली विधान सभा में भी कैबिनेट ने भी पास किया था और विधान सभा से भी पास करके भेजा गया था केन्द्र सरकार को। प्रदेश सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केन्द्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि क्या इन जातियों की गरीबी, बेबसी और लाचारी को देखते हुए केन्द्र सरकार से पैरवी करके आग्रह करके संविधान में भी अगर संशोधन करना पड़े तो संशोधन करके इन विमुक्त जातियों को आरक्षण देने का काम सरकार करेगी।

श्री रमापति शास्त्री–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने बताया कि नौ जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जो संचालित हैं इसमें व्यवस्था की गई है और तीन जनपदों में समाज कल्याण विभाग द्वारा शत प्रतिशत अनुदानित तीन विद्यालय भी संचालित हैं जहां सारी सुविधायें उनको दी जा रही है। जहां तक आरक्षण का सवाल है यह जो व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक की है उससे आगे बढ़ाकर के नहीं दी जा सकती है।

श्री राम गोविंद चौधरी–

मान्यवर, मैं भी समाज कल्याण मंत्री रहा हूं। आश्रम पद्धति के जो स्कूल हैं। वह सभी जाति धर्म के गरीब बच्चों के लिए हैं न कि केवल विमुक्त जातियों के लिए हैं। मान्यवर, सभी जातियों के गरीब बच्चे चाहे वह सवर्ण जाति के गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे–बच्चियां हों। चाहे पिछड़े वर्ग की जाति के गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे-बच्चियां हों या दलित वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब

बच्चे-बच्चियों हों सबके लिए आश्रम पद्धति स्कूल हैं केवल विमुक्त जातियों के लिए नहीं हैं। मान्यवर, हमारे मा0 मंत्री जी एक वरिष्ठ मंत्री हैं। कृपया जो दो-दो प्रस्ताव इस विधान सभा से केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं जिसे कांग्रेस की सरकार ने उसको नहीं किया चूंकि आपकी तो बहुमत है। केन्द्र में भी आपकी सरकार है क्या उस प्रस्ताव को जो केन्द्र सरकार में इस विधान सभा ने पास करके भेजा है उसको संविधान में भी अगर संशोधन करना पड़े तो क्या आप अपनी केन्द्र की सरकार से पैरवी करके संविधान में भी संशोधन करा कर इन जातियों का आरक्षण लागू कराने पर विचार करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विमुक्त जातियों के लिए पहले से विद्यालय संचालित हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चूंकि नेता प्रतिपक्ष और नेता श्री सुखदेव राजभर जी ने जो बेसिक सवाल पूछा क्या यह जो विमुक्त जातियां हैं जो समाज में एकदम गौण स्थिति में हैं और अलग-थलग स्थिति में जैसे नट बिरादरी ऐसी तमाम जो जातियां हैं। इन सबके लिए क्या इसके लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करके सरकार कोई योजना लाएगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 राजभर जी ने जो दो बिंदु स्पेसिफिक पूछा था कि क्या विमुक्त जातियों को अगर मान लिया हम आरक्षण न बढ़ा पाएं फिलहाल मैं भी चाहता हूं कि पहले हम केन्द्र सरकार को भेजकर संविधान में संशोधन करके और इसको बढ़ाकर उनको देने का हम विचार करें, लेकिन जब तक न हो जाए तब तक क्या विमुक्त जातियों को शिड्यूल ट्राइब में शामिल करते हुए उनको उस आरक्षण का लाभ देने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी शिड्यूल ट्राइब में सम्मिलित करने का अधिकार तो मा0 संसद को है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप प्रस्ताव भेज दें। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम विभिन्न जिलों में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलेंगे। मान्यवर, जिन जिलों में यह जातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं उन जिलों में विशेष रूप से इसके लिए उनको शिक्षा में, पट्टा पाने में, मत्स्य पालन में उसमें शामिल करते हुए क्या सुविधा देने को विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी यह बहुत स्पष्ट प्रश्न है।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, इसमें तो हमने बता दिया है कि जो जिलों में विमुक्त जातियां पाई जाती हैं उनके लिए शत-प्रतिशत व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्माजी का प्रश्न है कि तब तक क्या और जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में योजनाएं जो हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार इन जातियों के हितों के लिए कुछ करने का प्रयास नहीं कर रही है और न कुछ देना चाहती है। मान्यवर, यह सरकार इन जातियों के हितों के लिए काम करने का प्रयास नहीं कर रही है और न देना चाहती है, इसलिए सरकार के इस अड़ियल रुख के कारण हम और हमारा दल सदन का त्याग करता है।

श्री अध्यक्ष-

अड़ियल नहीं, विनम्र रुख है, सरकार का।

(बहुजन समाजपार्टी के नेता सदस्यों सहित सदन का बहिर्गमन कर गए)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, हम बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, क्या सरकार उस पिछली सरकार के प्रस्ताव पर विचार करके उसे संसद के दोनों सदनों में लाकर इसे कानून बनाकर ऐसा करने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

इनको संसद के दोनों सदनों का अधिकार नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, इन जातियों के लिए कृषि सम्बन्धी पट्टा, शिक्षा और उनके अधिकारों को लेकर हम बार-बार मॉग कर रहे हैं क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? मान्यवर, लेकिन सरकार का जवाब सही नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है, इसलिए हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था, दो-दो बार, पिछली विधान सभा में भी और उसके पिछली विधान सभा में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2002 की भी विधान सभा में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उसने भी कैबिनेट से पास किया, विधान सभा से प्रस्ताव पास हुआ, केन्द्र को भेजा गया। पिछली विधान सभा में भी हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट से पास किया और विधान सभा से पास करा करके केन्द्र में भेजा। भारी संख्या में इस सरकार को बनाने में जो पूर्ण बहुमत जो आया है, हमको निश्चित जानकारी है कि उन जातियों के बहुमत में वोट देने से ही सरकार

पूर्ण बहुमत में आयी है तो मानवता के आधार पर मैं पूरी सरकार से प्रार्थना, निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या पुनः वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैबिनेट इसे से पास करके, विधान सभा से पास करके केन्द्र से इस बात का आग्रह करेगी कि चाहे संविधान में भी संशोधन करना पड़े तो संशोधन करके इन जातियों को आरक्षण दिए जाने पर विचार करेगी ? स्पष्ट मेरा मानना है, श्रीमन्।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको यह मालूम है कि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती और उतना बहुमत हमारे पास केन्द्र में नहीं है। यहाँ तक कि राज्य सभा में हमारे पास स्पष्ट बहुमत भी नहीं था अभी तक। जो परिस्थिति है, मान्यवर, बार-बार उस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं, जिसके लिए हम सक्षम नहीं हैं, जिसके लिए हमारी स्थिति नहीं है तो वह बात कहना, आपने तो सब्जबाग दिखाया था, आपकी नीयत तो केवल उनके वोटों पर थी कि उनका समर्थन किस प्रकार से मिले। लेकिन लोग इस छलावे में नहीं आए और छलावे में नहीं आए इसलिए उन्होंने स्पष्टवादी लोगों को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ, अनुसूचित वर्ग के साथ और दलितों के साथ पूरी सहानुभूति रखती है और हमारी यह कोशिश है कि संविधान के दायरे में हर सुविधा उनके घर तक पहुँचे, उनको जरूर मिले और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज की अन्तिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, हम झूठा छलावा देने पर विश्वास नहीं रखते और बार-बार माननीय मंत्री जी ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। अब उसी को बार-बार दूसरे तरीके से, अपने-अपने तरीके से जबर्दस्ती हाँ कहलाना चाहते हैं और जो हमारी स्थिति नहीं है, मान्यवर, उसके लिए मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव पास करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, अगर सरकार से स्पष्ट उत्तर न आए तो विपक्ष का यह काम है कि तरह-तरह से सरकार से उत्तर दिलवाने की कोशिश करे। हमारी स्पष्ट आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह माँग है कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दो-दो बार प्रस्ताव कैबिनेट से और विधान सभा से पास कराकर केन्द्र सरकार को भेजा है। आप भी अपने कैबिनेट से और इस विधान सभा से प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजें, उसे संयुक्त सेशन बुलाकर पास किया जा सकता है। जो कहते हैं कि हमारी सरकार केन्द्र में पूर्ण बहुमत में नहीं है, अगर आपकी इच्छा होगी तो संयुक्त अधिवेशन बुला करके संविधान में संशोधन करके इन जातियों के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

उनका उत्तर तो इस पर आ गया है कि जब उनका औचित्य होगा तब विचार करेंगे।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की मंशा पिछड़ों का और विमुक्त जातियों का उत्थान करने की नहीं है, उनको गरीबी में पीसने की ही है, इसलिए इनकी नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने भारत के सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति जी को आसीन करवाया, हमारे समर्थन से हुए मान्यवर, हमने प्रधानमंत्री एक ओ0बी0सी0 कैटेगरी के आदमी को बनाया और ये हमको इस बात का उपदेश दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हैं मान्यवर, उनका नाम प्रस्तावित करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, यह पूरा देश जानता है, इसलिए यह हमको क्या उपदेश देंगे।

प्रदेश के आई0टी0आई0 केन्द्रों पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की कार्य योजना की जानकारी

***05–श्री संजीव राजा–**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चलने वाले आई0टी0आई0 केन्द्रों में वहां उत्पादित होने वाले स्थानीय उत्पादों की अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल, युवा कल्याण तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)–

उत्तर प्रदेश में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0 केन्द्रों) में संचालित किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के पाठ्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0) द्वारा तैयार किये जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में विभिन्न उद्योगों एवं उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अत्याधुनिक तकनीकी/कौशलों को सम्मिलित किया जाता है। समय-समय पर भारत सरकार के स्तर से पाठ्यक्रमों को आधुनिक तकनीकी के अनुसार परिवर्धित एवं संशोधित किया जाता है।

(प्रश्नकर्ता सदस्य श्री संजीव राजा द्वारा कोई भी अनुपूरक प्रश्न न पूछे जाने पर।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य उत्तर से संतुष्ट हैं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

प्रदेश के किसानों को डीजल एवं खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी की सुविधा के सम्बन्ध में जानकारी

***06–श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को डीजल एवं खाद पर कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है और यह किसानों तक कैसे पहुंचती है ? क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे किसानों को सब्सिडी की जानकारी हो और उसका पूरा लाभ मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

सरकार द्वारा डीजल पर सब्सिडी दिये जाने की कोई योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही है, मात्र उर्वरकों पर अनुदान की योजना भारत सरकार के स्तर से क्रियान्वित है। भारत सरकार द्वारा ही उर्वरकों पर अनुदान निर्धारित कर सीधे उर्वरक कम्पनियों को दिया जाता है। उर्वरक कम्पनियों द्वारा अनुदान की धनराशि को समायोजित करते हुए अनुदानित दर पर कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। पोषक तत्व आधारित अनुदान नीति के अन्तर्गत मुख्य फास्फोटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों हेतु अनुदान की दर निम्नानुसार है-

क्र0 सं0	उर्वरक का नाम	प्रति मी0टन अनुदान की दर (रुपये में)
1	डी0ए0पी0	8937
2	एम0ओ0पी0	7437
3	सिंगल सुपर फास्फेट	2166
4	एन0पी0के0 12:32:16	8101

भारत सरकार के द्वारा यूरिया उर्वरक की अधिकतम विक्रय दर एक समान रखने हेतु अनुदान की दरें यूरिया उर्वरक संयंत्रवार अलग-अलग निर्धारित की जाती है।

जी हां। भारत सरकार की डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत प्वाइन्ट ऑफ सेल (पी0ओ0एस0) मशीन के माध्यम से क्रेता कृषकों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उर्वरकों का शत-प्रतिशत वितरण कराये जाने की योजना है। मशीन द्वारा निर्गत बिक्री मेमों के माध्यम से कृषकों को बिक्रीत उर्वरक का सही मूल्य एवं अनुदान की धनराशि की जानकारी होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मैंने डीजल एवं खाद की सब्सिडी के बारे में जानना चाहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की हितैशी बनते हुए इस बात को कह रही है कि किसानों की आय को दोगुना कर दिया जायेगा, डीजल को गरीब किसान उसी रेट पर खरीदता है, जिस रेट पर व्यापारी को मिलता है। किसानों कि भलाई के लिए जिस तरह से आज खेती करना मंहगा होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जायेगी या नहीं, अगर दी जायेगी तो कब से दी जायेगी और कितना दिया जायेगा। दूसरा इसमें खाद्य की जो सब्सिडी दी है यह सब्सिडी कारखानों को न देकर सीधे किसानों के खाते में किसानों को दी जानी चाहिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं और पूरा देश यह जानता है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऑयल कम्पनियां निर्धारित करती हैं। भारत सरकार की नीति के अनुसार उनकी आपूर्ति की जाती है और इसलिए राज्य में इस प्रकार की सब्सिडी दिये जाने की कोई योजना नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने चिन्ता व्यक्त की यह जो सब्सिडी बताई गयी है, यह आपको ध्यान होगा कि डी0ए0पी0 पर 8937 रुपये मैट्रिक टन भारत सरकार अनुदान दे रही है और अभी तक यह अनुदान कम्पनियों को प्राप्त होता था, उस अनुदान का दुरुपयोग न हो इसलिए भारत सरकार ने पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से इसके वितरण की व्यवस्था की है जिससे जो लाभार्थी किसान है उसको वहीं पर, प्वाइंट ऑफ सेल के स्थान पर ही उसको अनुदानित उर्वरक उपलब्ध हो जायेंगे और इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के किसनों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, वह जो आपने कहा उसका प्रबन्ध किया जा रहा है और वह जल्दी ही उत्तर प्रदेश में भी लागू होना है और देश में भी लागू होना है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया में क्रूड आयल का स्लम है। उसके कारण आप जानते हैं पूरी दुनिया आपस में जंग कर रही है और जिन देशों से यह क्रूड आयल निकलता है जिससे डीजल, पेट्रोल और दूसरी चीजें बनती हैं उसके दाम पूरी दुनिया में एक चौथाई से भी कम आ गये हैं। हमारे देश में क्रूड आयल किस कीमत पर आता है। तेल कम्पनियां जब उससे तेल निकालती हैं तो तैयार होने के बाद वह तेल किस कीमत पर पड़ता है और किस कीमत पर बेचा जाता है, मंत्री जी को जानकारी होगी, सदन जानना चाहेगा। मान्यवर, कीमत तो मंत्री जी को मालूम इसलिए होगी, फाइल में होगी कि किस कीमत पर तेल आता है और तैयार होकर किस कीमत पर किसान को तेल मिलता है और दूसरा यह कि जो तेल हमारे यहां तैयार होता है, उस तेल का कितना प्रतिशत सरकार देती है और कितना प्रतिशत वह तेल कम्पनियां देती हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न, इस प्रश्न से संगत नहीं है। आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, फिर काहे से है। मान्यवर, डीजल पर सब्सिडी का क्या कारण होगा ? जब किसान से सरकार का सम्बन्ध होगा, जब सरकार का सम्बन्ध उन कम्पनियों से होगा, वह चुनाव लड़ायेंगे और पैसा देंगे सरकार को तो सब्सिडी कहां से मिलेगी? सब्सिडी कैसे मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आपका मूल प्रश्न क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सब्सिडी सरकार देगी या तेल कम्पनियां देंगी। मान्यवर, कितना तेल सरकार देती है और कितना तेल कम्पनियां देती हैं, इतना तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं इसका, इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मुझे याद है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब इधर नेता भाजपा थे और उनके पहले श्री हुकुम सिंह जी थे और माननीय मौर्या जी लीडर अपोजिशन थे। इस डीजल सब्सिडी पर इधर से बहुत चर्चा भाजपा की तरफ से उठा करती थी, यह तर्क दिया जाता था कि उस समय हरियाणा सरकार किसानों के लिए डीजल पर अलग से सब्सिडी देती थी। उधर दिल्ली सरकार भी अलग से देती थी।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल नहीं कर रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही आवश्यक है, उस समय बात यह उठाई गयी कि हम जो रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं, सब्सिडी नहीं दे रहे हैं हमारे उस रेवेन्यू का कहीं और लॉस होता है। हमारे यहॉं के जो किसान हैं वे पड़ोसी राज्यों खासकर हरियाणा और दिल्ली जाकर वहॉं से डीजल लेकर आते हैं और स्टोर कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपका सवाल नहीं आया। आप 2 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह–

जिस तरह से पूर्व में भाजपा विपक्ष में होते हुए सब्सिडी की मांग करती थी कि किसानों को डीजल पर अलग से सब्सिडी दी जाए तो अब भाजपा की सरकार खुद है और आप वरिष्ठ मा0 मंत्री जी हैं तो आप उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में मात्र 10 रुपये ही सब्सिडी दे दें ताकि कुछ लगे कि हमने किसानों के लिए कुछ किया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिए न।

श्री उमाशंकर सिंह–

हम चाहते हैं कि मा0 मंत्री जी....

श्री अध्यक्ष–

चाहतें मत बताइए, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

आप सबसे वरिष्ठ मा0 मंत्री जी हैं। इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि मा0 मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए डीजल पर अलग से सब्सिडी दे दी।

श्री अध्यक्ष-

आपने अभी तक सवाल नहीं किया, हमारी पीड़ा यही है।

श्री उमाशंकर सिंह-

क्या मा0 मंत्री जी उन स्टेटों को देखते हुए जिन स्टेटों में पहले सब्सिडी दी गई है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने पर विचार करेंगे ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिस तरह सारी चीजों पर जी0एस0टी0 लागू है तो क्या यह उत्तर प्रदेश का सदन यहाँ से एक प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजेगा और उसी तरह से डीजल और पेट्रोल पर भी जी0एस0टी0 लगाने का काम सरकार करेगी जिससे कम से कम तेल का दाम नीचे आ जाए। क्या सरकार तेल पर जी0एस0टी0 लगाने का काम करेगी, क्या यह प्रस्ताव सदन से जाएगा ? क्या यह सरकार डीजल और पेट्रोल पर जी0एस0टी0 लगाने का काम करेगी ?

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, जो तेल के दाम हैं वे ऑयल कम्पनियाँ निर्धारित करती हैं। यह व्यवस्था तो आपकी ही सरकार ने बनाई है जब केन्द्र में आपकी सरकार बनी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप केन्द्र के बारे में सवाल करने लगे। आप यहाँ के मंत्री जी से पूछिए।

श्री नितिन अग्रवाल-

हर प्रदेश सरकार ऑयल पर अपना खुद टैक्स लगाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी ऑयल पर टैक्स लगा रही है। आप अगर किसानों के इतने हितैषी हैं तो क्या आप आज यहाँ पर यह घोषणा करेंगे कि जो टैक्स आप लोग उत्तर प्रदेश में ऑयल पर लगा रहे हैं, अगर किसान उसका इस्तेमाल करता है तो वह पूरा टैक्स आप माफ करेंगे जिससे किसानों को तेल के दामों में राहत मिल सके। आप यही घोषणा कर दीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, यह बात मैं बहुत साफ तौर से इनको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, हमारे योगी आदित्य नाथ जी की सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। यह हमारी ही सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के 86 लाख सीमान्त, लघु एवं गरीब किसानों जिनको आपने आर्थिक रूप से जर्जर बना दिया था, उनको 36 हजार करोड़ रुपये की राहत हमारी ही सरकार ने दी है। किसानों को डीजल का इस्तेमाल कम करना पड़े इसलिए हम प्रदेश के भीतर इस साल 20 हजार सोलर पम्प लगा रहे हैं। इसमें कोई डीजल की जरूरत नहीं होगी। इसमें कोई बिजली का बिल नहीं होगा। न बिजली की जरूरत होगी, न डीजल की जरूरत होगी। हमारी सरकार किसानों को राहत दिए जाने के लिए कृत संकल्पित है।

(कतिपय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बीच में बाधा न डालिए, देखिए ये तो आपके समय खड़े नहीं हो रहे थे। मा0 मंत्री जी तो आप वाले में नहीं खड़े हुए फिर आप लोग क्यों खड़े हैं ?

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी बस इतना ही बता दें कि सरकार तेल पर जो टैक्स लेती है तो क्या आप उसको माफ करेंगे ? आप यही घोषणा कर दीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, प्रश्न के पहले ही सन्दर्भ में मैंने आपको यह बता दिया था कि सरकार द्वारा डीजल पर सब्सिडी दिए जाने की कोई योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। जब मैंने स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया था तो इतनी सप्लीमेण्टरी की मैं समझता हूँ कि कोई जरूरत नहीं थी। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है।

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित आद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में विधायकों के द्वारा छात्रों को प्रवेश कोटा निर्धारित करने विषयक जानकारी

***07-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसदों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवंटित कोटे की भांति प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रों को प्रवेश दिलाने हेतु विधायकों का कोई कोटा निर्धारित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रवेश में मा0 विधायकों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है और न ही कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से हम तीन प्रश्न अनुपूरक के रूप में करना चाहते हैं। पहला यह कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आई0टी0आई0 कालेजों में पूरे प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं और उनमें कितने पर प्रवेश हो गया और प्रवेश होने के उपरांत कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में शेष बची हैं ? दूसरा प्रश्न है कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी आप भी अवगत है कि आई0टी0आई0 कालेजों की स्थापना इस उद्देश्य और भावना से की गयी थी कि इन कालेजों से प्रशिक्षित विभिन्न ट्रेडों के छात्रों को रोजगार से जोड़ा जायेगा और सरकार उनकी प्लेसमेंट की चिंता करेगी और इसके लिए तमाम पूर्ववर्ती सरकारों ने और इस सरकार ने भी अपने संकल्प पत्र में इस बात को दोहराया था कि इन बच्चों को हम प्लेसमेंट रोजगार दिलाने का काम करेंगे। हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि विगत दो वर्ष में

कितने बच्चे आपके आई0टी0आई0 से प्रशिक्षित हुये और कितनों को आपने रोजगार से जोड़ने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी, आपका मुख्य जोर तो इस बात पर था कि माननीय सांसदों की सिफारिश के आधार पर एडमीशन हो जाते हैं तो क्या माननीय विधायकों की सिफारिश के आधार पर भी कोई कोटा निर्धारित करेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, वह हमारा तीसरा प्रश्न है, उसको अभी हम पूछेंगे। मान्यवर, अभी तो दो प्रश्न पूछे हैं तीसरा प्रश्न पर उसके बाद आएंगे, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम तीसरा भी पूछ लेते हैं। माननीय मंत्री जी से हम यह भी जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से केन्द्र में माननीय सांसदों की अनुशंसा से हर जिले में केन्द्रीय विद्यालयों में 2 प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है (कई माननीय सदस्यों द्वारा 10 प्रवेश दिये जाने की बात कही गई) चलिए जो भी संख्या हो माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रदेश में भी माननीय विधायकों की अनुशंसा से कुछ गरीब, कमजोर, दूर–दराज और अनुसूचित समाज के उन तमाम बच्चों को, जो किन्हीं कारणों से रह जाते हैं यदि कोई विधिक अड़चन नहीं आ रही है तो क्या उनकी भी अनुशंसा से प्रवेश दिलाये जाने पर सरकार विचार करेगी।

श्री चेतन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और जहाँ तक माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है उसमें आरक्षण जरूर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एडमीशन होते हैं वह सब ऑन लाइन होते हैं इसलिए कोटा संभव नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी जो माननीय सासंदों के द्वारा अनुशंसा की जाती है मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। केन्द्रीय विद्यालयों में भी ऑनलाइन एडमीशन होते हैं और ऑनलाइन ही उसमें भी एप्लीकेशन पड़ती हैं, ऑन लाइन विचार होता है लेकिन उसमें भी व्यवस्था की गई है ये आपका राज्य का एक्ट है, इसमें हमने आपसे यही निवेदन किया और प्रश्न पूछा है कि क्या राज्य सरकार एक्ट में प्रोविजन करके विधायकों की अनुशंसा से प्रदेश में आई0टी0आई0 कालेजों में प्रवेश की व्यवस्था करेगी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ।

श्री चेतन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो उत्तर आ गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, अभी अनुपूरक का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

उनका बड़ा स्पष्ट उत्तर आ गया है कि ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, संरक्षण दीजिए इसका उत्तर दिला दीजिए यह छात्रों के हित में है प्रदेश के हित में है, कितने लोगों को अभी इन्होंने रोजगार से जोड़ा है जो कि आई0टी0आई0 प्रशिक्षित हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह न ही आपके प्रश्न में है और न ही उत्तर में है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनके पास जानकारी हो तो दे दें और यदि जानकारी न हो तो आप आदेश कर दें कि उत्तर हमको लिखित भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मा0 मंत्री जी, मा0 मनोज पाण्डेय जी जो भी प्रश्न लिखित रूप में आपको दें, उसका उत्तर आप भिजवा दीजिएगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, जो हमने अनुपूरक दिया है, उसके बारे में बाद में जानकारी भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी आप भिजवा दीजिएगा। अब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि वह भेज देंगे। यह प्रश्न तो माननीय विधायकों, सांसदों वाला था।

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अब इस समय आपकी पीठ की मदद की जरूरत आ गयी है। मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है कि जब केंद्रीय विद्यालय में माननीय सांसदों की संस्तुति पर, इन्होंने दो कहा और उधर से जितनी तेज आवाज आई कि दो नहीं दस, मतलब इधर से कम आवाज आयी, उधर से ज्यादा आयी। माननीय अध्यक्ष जी, इधर प्रतिपक्ष के इतने लोग हैं और सत्तापक्ष के इतने लोग हैं, अगर इन्होंने कह दिया है कि हमारी भी संस्तुति पर जो औद्योगिक शिक्षण संस्थान यानि आई0टी0आई0 में माननीय विधायकों की भी संस्तुति पर दस नहीं हो तो दो हो जाएं या चार हो जाएं माननीय अध्यक्ष जी, इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है वह उसको पढ़ दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कभी–कभी ऐसी आवश्यकता आ जाती है कि आपकी पीठ की मदद की जरूरत पड़ती है तो आप उसमें अपनी पीठ से भी इस बात के लिए निर्देश दे सकते हैं कि हम इस पर विचार करा सकते हैं। मान्यवर, यह समस्त विधायकों की बात है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी पहले शुरू में यह व्यवस्था थी कि माननीय विधायकगण की संस्तुति से आई0टी0आई0 में छात्रों का प्रवेश होता था बाद में इसको किन्हीं कारणों से कोई सरकार आई होगी और उसने बंद कर दिया होगा। यह जनहित की सरकार है, जनप्रतिनिधियों की इसमें बड़ी समस्या है। अभी भी लोग आते हैं कि नाम लिखवा दीजिए, हम कहते हैं कि हमको अधिकार नहीं है, वह कहते हैं कि आपको अधिकार है, नाम लिखवा दीजिए। तो जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा और सम्मान को देखते हुए जनता के हित की रक्षा के लिए गरीब छात्रों के हित की रक्षा के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सरकार को आप निर्देशित करें कि निश्चित ही जिस तरह से गर्वनमेण्ट स्कूल में या सेंट्रल स्कूल में आज भी माननीय संसद सदस्यों को यह अधिकार है कि वह दो-दो विद्यार्थियों के नाम लिखने की संस्तुति करते हैं और नाम लिख जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास सर्वोच्च अधिकार है और आप यह निर्देश दें कि सरकार इस पर विचार करें कि माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर भी आई0टी0आई0 स्कूल में छात्रों का प्रवेश कराया जा सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन यह भी शर्त रहे कि जो भी नॉमिनेशन्स हों, वह मेरिट बेस्ड हों। पूरे देश में तकरीबन साढ़े छः सौ इंजीनियरिंग कॉलेजेस दाखिले नहीं होने की वजह से बंद हो गए हैं। तो हम इन सारी चीजों को सामने रखें कि दाखिले क्यों नहीं हो रहे हैं, कॉलेजेस क्यों बंद हो गए हैं, आई0टी0आई0 इसमें जितने प्राइवेट आई0टी0आई0 हो गए हैं वहां दाखिले नहीं हो रहे हैं और सारी सीटें खाली पड़ी हैं, गवर्नमेण्ट में दाखिले किस तरह हो रहे हैं, कैसे होना चाहिए और कैसे उनका स्तर ऊँचा उठना चाहिए, दाखिले लेने के लिए लोग क्यों प्रोत्साहित होने चाहिए, इस पर भी विचार कर लें।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तीन दिन से देख रहा हूँ कि जब मेरा प्रश्न नजदीक होता है तो कुछ न कुछ व्यवधान आ ही जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आपके मोहल्ले में चर्चा बहुत हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो विचार आपके सामने आये। यह बिल्कुल सही है कि जितने भी रोजगारपरक कोर्सेज हैं उसमें इधर हाल में देखा गया है, कि प्रवेश बहुत कम हो रहे हैं। यह बिल्कुल सही है कि शिक्षा का स्तर किसी भी हालत में नीचे नहीं गिरना चाहिये। हमको एडमीशन के संबंध में जो सतर्कता और पूरा सचेत होकर प्रयास करना चाहिये कि किसी भी प्रकार से ऐसा व्यक्ति, जो उसके योग्य न हो, उसको एडमीशन केवल इस आधार पर न दिया जाय कि किसने कहा है और किसने सिफारिश की है। मान्यवर, ऐसे हिन्दुस्तान के बहुत नामी-गिरामी चर्चित इंस्टीट्यूट हैं, जैसे पिलानी का बिरला इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग का है, एक भी व्यक्ति उसमें किसी भी सिफारिश के आधार पर, चाहे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे

हुये लोग भले ही सिफारिश क्यों न करें, उसमें एक भी व्यक्ति को उसमें सिफारिश करने का अधिकार न है और न उसके आधार पर सिफारिश होती है। मान्यवर, मैं विशेष रूप से इस बात को कोड करना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश का बोर्ड हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा बोर्ड माना जाता है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के पास व्यक्ति की मेरिट दिल्ली के सेकेन्डरी बोर्ड के टॉपर व्यक्ति के बराबर रखी जाती है। उसके यदि 96 परसेंट हों और उत्तर प्रदेश बोर्ड के पास टॉपर व्यक्ति के 86 परसेंट हों तो दोनों को उसमें बराबर का दर्जा दिया जाता है। इतनी ट्रांसपेरेन्सी, इतनी एकूरेसी और प्रवेश के मामले में इतना ज्यादा सतर्कता, मैं समझता हूँ कि इसमें माननीय वरिष्ठ सदस्य, अभी हमारे आजम साहब ने जो बात कही है, मैं पूरी तरह से उस बात से इत्तिफाक करता हूँ और मैं हृदय से भी समर्थन कर रहा हूँ कि इस पार्टी ने 1991 में जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी तो ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे उनसे पूछा गया कि आप इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार वह लखनऊ से पास हुये थे तो उन्होनें कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और शिक्षा के संबंध में जो कानून बनाया गया है उसकी हम सराहना करते हैं तो मान्यवर, ज्योति बसु जी ने सराहना की थी जो राजनैतिक विचारधारा से हमसे पूरी तरह इत्तिफाक नहीं रखते थे। तो मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों को विशेष रूप से इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर किसी भी हालत में नीचे नहीं जाना चाहिये और हमको प्रवेश के मामले में और शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में भी और जैसा कि माननीय हमारे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम इस बात पर जरूर विचार करेंगे कि आखिर रोजगारपरक कोर्सेज जो हैं उनमें क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। यह हम जरूर विचार करेंगे और मैं नेता विरोधी दल के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ कि किसी भी प्रकार से सिफारिश के आधार पर एडमीशन हों। लोगों को रोजगार मिले, रोजगार का अवसर मिले, आई0टी0आई0 की संख्या बढ़े, इस प्रकार से लोगों को जो ज्यादा चलने वाले कोर्सेज हैं, उनकी सीटें बढ़ें, हम इन सारी बांतों पर विचार कर लेंगे लेकिन स्तर और गुणवत्ता के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान व्यवस्था है वह और अधिक मजबूत करने और अधिक कड़ी करने की आवश्यकता है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

मान्यवर, मैं शायद अपनी बात विद्वान संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने सही से नहीं रख सका। मेरा कहना यह है कि किन्हीं कारणों से बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स के दाखिले भी नहीं हो पाते। क्योंकि पार्लियामेंट में व्यवस्था है 10 नामिनेंशंस की। जाहिर है देश की सबसे बड़ी संस्था है। अगर उसने कोई ऐसा नियम बना रखा है और यह अधिकार सांसदों को मिला हुआ है तो जाहिर है वह अच्छा ही होगा और बहुत विचार करके वहॉ कोई बात तय होती है और हम उसी का शैडो हैं। विधानसभायें पार्लियामेंट का ही शैडो हैं। संविधान का हिस्सा हैं विधान सभायें। तो जिस तरह पार्लियामेंट में नामिनेशन की व्यवस्था है उसी तरह मेरिट बेस्ड, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि शिक्षा का स्तर नीचे नहीं होना चाहिये। मेरिट बेस्ड का मतलब होता है कि हम एक मिनिमम परसेंटेज तय कर लें, 45 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 55 प्रतिशत अगर हमारी कट-ऑफ है 80 प्रतिशत पर कि 80 प्रतिशत दाखिले हुए हैं अब किन्हीं कारणों से जैसे बच्चा बीमार था या कोई घर में गम हो गया जिसके कारण उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आ सकी

लेकिन वह मैरिटोरियस बच्चा है तो मेरिट बेस नॉमिनेशन की हमने बात की है हमने नालायक बच्चों के लिए तो खुद नहीं कहा है लेकिन बहुत से मेरिटबेस बच्चे रह जाते हैं। कट-ऑफ और इसके बीच में हम एक परसेंटेज तय कर लें, उस पर सरकार विचार कर ले।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल ठीक है।

उत्तर प्रदेश में धान के उत्पादन एवं खरीद के सम्बन्ध में जानकारी

***08-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वर्ष में धान के उत्पादन का अनुमान लगाया है ? यदि हां, तो अनुमानित उत्पादन के सापेक्ष सरकार का खरीद लक्ष्य क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में धान का अनुमानित उत्पादन तथा खरीद का लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित है-

(उत्पादन व खरीद लक्ष्य लाख मी0टन में)

प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रदेश में खरीफ, 2017 में धान के उत्पादन का अनुमान	खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा खरीफ, 2017 मौसम में तय किया गया धान का खरीद लक्ष्य
218.12	50.00

प्रश्न नहीं उठता।

(मा0 सदस्य श्री उज्ज्वल रमण सिंह के सदन में उपस्थित न होने पर)

प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु कार्य योजना विषयक

***09-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास में विनिर्माण/उद्योगों की प्रभावी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कोई अलग से कार्य योजना बनाकर लागू की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

जी हां। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री अदिति सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि मुझे एक लाइन का जवाब मिला है, इसे आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए कि क्या नीतियॉ, कितने नये उद्योग, नई इण्डस्ट्रीज किन-किन जनपदों में स्थापित किये जायेंगे, कितने रोजगार बढ़ाये जायेंगे, इण्डस्ट्री समिट जो होने वाली है फरवरी, 2018 में उसकी क्या तैयारी है और एफ0डी0आई0 के लिए क्या-क्या योजना है फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी जुलाई में ही हमने अपनी नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति औद्योगिक विकास अनुभाग के माध्यम से घोषित की है अगर मा0 सदस्य चाहेंगे तो उसकी हम कापी भिजवा देंगे वैसे यह इंटरनेट पर मौजूद है। इसमें विशेष रूप से इस बात को हाईलाइट किया गया है कि हम पूरे प्रदेश में स्टाम्प पर छूट देंगे। जो नई इण्डस्ट्री लगेगी उसमें हम स्टाम्प पर भी छूट देंगे, सब्सिडी 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए अलग-अलग कैटेगरी के लिए है। इसमें तीन कैटेगरी के उद्योग हैं लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के अलावा मेगा, मेगा प्लस और इसमें हर प्रकार से छूट देने की बात कही गई है। पिछली नीतियों में और इसमें विशेष रूप से एक बात यह है कि इसमें जो कुशल और अकुशल श्रमिक लगे होंगे उनके आधार पर भी हम उद्योगों को छूट देंगे, 70 परसेंट से लेकर 90 परसेंट तक, जो उन्होंने जी0एस0टी0 जमा किया उसमें छूट देंगे और ब्याज में तो 7 वर्ष और 10 वर्ष तक ऐसे-ऐसे प्राविधान हैं जिसमें 50 करोड़ रुपए तक की छूट है ब्याज पर, यह बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने वाली नीति है जिसे लॉन्च किया गया है। मैं समझता हूँ कि औद्योगिक माहौल बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून-व्यवस्था की स्थिति को लोग देखकर उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और 21 और 22 फरवरी को मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समीट होने जा रहा है जिसके लिए हमारे औद्योगिक विकास मंत्री आज विशेष रूप से इसी उद्देश्य से दूसरे स्टेट में गये हैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी नीति बताने के लिए और हर प्रकार से इस बात की कोशिश होगी कि हमारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आये। पहली बार उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के आधार पर, श्रमिकों की संख्या के आधार पर, मैं विशेष रूप से आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि श्रमिकों की संख्या के आधार पर उनको प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। मान्यवर, तीन श्रेणी के उद्योग हैं, मेगा, इसमें एक हजार या अधिक श्रमिकों को रोजगार, 750 या इससे अधिक श्रमिकों को रोजगार, मध्यांचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में 500 से अधिक श्रमिक, जिनको रोजगार दिया जा सकता है। इसमें उन लोगों को स्टाम्प रजिस्ट्री की जमीन खरीद में छूट है, जी0एस0टी0 को वापस करने में भी छूट है, ब्याज में भी छूट है और यहॉ तक कि बिजली में भी छूट है। हर प्रकार से इस बात की कोशिश की गयी है कि लोग यहॉ पर प्रोत्साहित हों, लोग आकर्षित हों और अपना उद्योग आकर उत्तर प्रदेश में लगायें।

***नोट**-तारांकित प्रश्न संख्या 09 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ। अब हम नियम 301 की सूचनायें लेते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है, एक मिनट सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कौन सी अव्यवस्था हो गयी ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष जी, मूल सवाल हमारे सदस्य का था, उस सवाल का जवाब तो आ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष–

उस पर विस्तार से जवाब आ गया, आप बैठें उस पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप बैठें, आप वरिष्ठ हैं। मा0 असलम राइनी जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)–

माननीय अध्यक्ष जी, अपनी जिन्दगी का पहला अवसर आज है कि मैंने कोई ग्रन्थ आज छोड़ी नहीं है कि मेरा प्रश्न आ जाए। मैं चार घण्टे डेली इसकी तैयारी करता हूँ और जब मेरा प्रश्न आने लगता है तो कोई न कोई व्यवधान आ जाता है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उसको और बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि असलम राइनी का सवाल न आये। (हंसी) माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछ लूँ।

(इसी मध्य माननीय नेता सदन, सदन में उपस्थित हुए और सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब सवालों का समय समाप्त हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इन्होंने मेरा नाम लिया है। मैंने तो इनका नाम लेकर के कहा कि आप भी पूछ लीजिए मैं जवाब दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप इनको अपने कक्ष में चाय पिला दीजिएगा।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)–

माननीय अध्यक्ष जी, चाय की गारण्टी दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

पूरी गारण्टी है, अगर न पिलायें तो मुझको आप सूचित करना, मैं भी चलूँगा आपके साथ।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)–

माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे साथ में ?

श्री अध्यक्ष–

मुख्यमंत्री जी के यहॉ अलग से चाय पिलायेंगे।

प्रदेश में कृषकों को खाद खरीदने पर पी0ओ0एस0 योजना के माध्यम से मौके पर ही दिये जाने वाले अनुदान धनराशि को कम करके खाद उपलब्ध करने के संबंध में जानकारी

***10–श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषकों को खाद खरीदने पर पी0ओ0एस0 योजना के माध्यम से मौके पर ही दिये जाने वाले अनुदान की धन राशि को कम करके खाद उपलब्ध करा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों द्वारा कृषि यन्त्र व बीज क्रय करते समय भी उक्त पी0ओ0एस0 के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट का लाभ सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

भारत सरकार के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2018 से पूरे प्रदेश में प्रत्येक उर्वरक खुदरा बिक्री केन्द्र पर स्थापित प्वाइन्ट ऑफ सेल (पी0ओ0एस0) मशीन के माध्यम से वास्तविक क्रेता/लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त उसके द्वारा क्रय की गयी मात्रा के सापेक्ष संबंधित उर्वरक कम्पनियों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उर्वरक के देय अनुदान की धनराशि अन्तरित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार कृषकों को पूर्व की भांति ही अनुदान की धनराशि समायोजित करते हुए उर्वरक उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

कृषकों को बीज व कृषि यंत्र क्रय करने पर मिलने वाला अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के बचत खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे हस्तान्तरित की जाती है।

प्रदेश में कौशल विकास को प्रोत्साहन देने हेतु चौपाल लगाकर युवाओं को जागरूक करने का कार्य योजना बनाने विषयक

***11–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार गांव में चौपाल लगाकर बेरोजगार युवाओं को जागरूक करने के लिये कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के 14 से 35 आयुवर्ग के पात्र युवाओं के लिए रोजगारपरक व्यावसायिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संचालित की

जा रही विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है, जिसमें ग्राम पंचायतों की खुली बैठक आयोजित कर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती है तथा उन्हें कौशल प्रशिक्षण हेतु स्वयं का पंजीकरण कराने हेतु प्रोत्साहित व अभिप्रेरित किया जाता है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अर्धशासकीय पत्र संख्या 59/कौ0वि0मि0/2016-17/ईएण्डसी, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को एक अभियान के रूप में ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें आयोजित कर इच्छुक युवाओं को पंजीकृत कराने के निर्देश दिये गये थे।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा जारी की गयी मोबलाइजेशन कार्य योजना दिनांक 01 मई, 2017 में भी ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों को आयोजित कर कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा पूर्व से ही अपेक्षित कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में धान क्रय केन्द्रों द्वारा धान खरीद करने के संबंध में जानकारी

***12-डॉ0 आर0के0 वर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में धान के उत्पादन का लक्ष्य कितना मीट्रिक टन था तथा उसके सापेक्ष कितना मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि उत्पादन के सापेक्ष सरकार के द्वारा तय की गई सरकारी एजेन्सियों के द्वारा प्रदेश के सभी क्रय केन्द्रों पर अब तक कुल कितना मीट्रिक टन की खरीद हो सकी है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में धान का उत्पादन लक्ष्य 226.95 लाख मी0टन (चावल 151.30 लाख मी0टन) रखा गया है। प्रथम अनुमान के अनुसार वर्ष 2017-18 में धान का उत्पादन 218.12 लाख मी0टन (चावल 145.41 लाख मी0टन) अनुमानित है।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 तक क्रय एजेन्सियों द्वारा कुल 2082622.24 मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली गयी है।

प्रदेश में बैंकों में किसानों के एक लाख रुपये के एन0वी0ए0 खातेदारों को कर्ज माफी की सुविधा देने विषयक

***13-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी बैंकों के एक लाख तक की एन0वी0ए0 खातेदारों के बन्द हो चुके खातों को पुनः जीवित कर उनके कर्ज को माफ किये

जाने की नीति बनायी गयी है जिसमें 25 प्रतिशत सहकारी बैंक तथा 75 प्रतिशत सरकार की भागीदारी होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य बैंकों में भी किसानों के एक लाख रुपये के एन0वी0ए0 खातेदारों के कर्ज माफी की सुविधा सरकार मुहैया करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोण्डा एवं देवीपाटन मण्डल में नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना लागू किये जाने विषयक

01–श्री प्रभात कुमार वर्मा–

क्या कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद समेत पूरे देवीपाटन मण्डल में नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत 2017–18 में परम्परागत कृषि विकास योजना के द्वारा जैविक खेती का कार्यक्रम बुन्देलखण्ड की भांति सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदनोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत जनपद गोण्डा का चयन करते हुए पांच कलस्टर क्रमशः मरजादपुर कृषक समूह, चन्दापुर कृषक समूह, लमती उकरहवा कृषक समूह, उमरी बेगमगंज एवं नियावां पूरे गुटौली में योजना संचालित की जा रही है।

प्रदेश में सदस्यों व अन्य अध्यासियों को आवंटित राजकीय आवास में विभिन्न अनुरक्षण संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जानकारी

02–श्री अनिल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सदस्यों व अन्य अध्यासियों को आवंटित राजकीय आवास में विभिन्न अनुरक्षण सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति अनुभाग–4 का पत्रांक एम0एल0ए0–124/32–4–17, दिनांक 27–7–17, अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड (सिविल 1/2/3 व विद्युत–2), लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो पत्र में वर्णित समस्याओं के निराकरण हेतु अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2017 में वर्णित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में पत्र के क्रमांक 1 पर अंकित आवास संख्या 23/6 मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर में किचेन मरम्मत सम्बन्धी कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

उक्त पत्र क्रमांक 2 पर अंकित बटलर पैलेस कालोनी स्थित आवास संख्या सी-41 में बाथरूम की फिटिंग का कार्य करा दिया गया है।

उक्त पत्र के क्रमांक 3 पर अंकित आवास संख्या 2/3 एवं 3/3 ट्रांजिट हास्टल डालीबाग, लखनऊ में छत पर रखी टंकियों से आवासों तक पानी सुचारु रूप से आ रहा है, जिसमें कोई व्यवधान/समस्या नहीं है।

उक्त पत्र के क्रमांक 4 पर अंकित कैबिनेटगंज कालोनी स्थित आवास संख्या सी-9 के दरवाजे बदल दिये गये हैं तथा प्लास्टर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

उक्त पत्र के क्रमांक 5 पर अंकित डायमण्ड डेरी कालोनी में 04 मंजिले ब्लाक की मरम्मत पेन्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त पत्र के क्रमांक 6 पर अंकित सी-4 दिलकुशा कालोनी, लखनऊ के छत की मरम्मत एवं लीकेज की समस्या का निराकरण करा दिया गया है।

उक्त पत्र के क्रमांक 7 पर अंकित आवास संख्या आर0एस0-3/139 टिकैतराम कालोनी के कमरों का प्लास्टर, पुताई, दरवाजों पर पेन्ट तथा कमरों/किचन खिड़कियों पर जाली लगाये जाने का कार्य करा दिया गया है।

उक्त पत्र के क्रमांक 8 पर अंकित आवास संख्या आर0एस0-2/114 टिकैतराम कालोनी में पानी की टंकी, सिंक, सीलन रोकने हेतु छत पर प्लास्टर का कार्य करा दिया गया है।

उक्त पत्र के क्रमांक 9 पर अंकित आवास संख्या आर0एस0-2/323 टिकैतराम कालोनी में पानी की टंकी लगवा दी गई है।

उक्त पत्र के क्रमांक 10 पर अंकित आवास संख्या आर0एस0-2/70 जानकीपुरम कालोनी में क्षतिग्रस्त प्लास्टर का कार्य करा दिया गया है।

उक्त पत्र के क्रमांक 11 पर अंकित आवास संख्या आर0एस0-3/163 टिकैतराम कालोनी में बाथरूम का दरवाजा बदल दिया गया है।

उक्त पत्र के क्रमांक 12 पर अंकित आवास संख्या आर0एस0-2/198 टिकैतराम कालोनी में लान को ऊंचा करने का कार्य करा दिया गया है।

उक्त पत्र के क्रमांक 13 पर अंकित आवास संख्या ए-104 लालबाग कालोनी में सभी क्षतिग्रस्त फिटिंग की मरम्मत/बदलने का कार्य, बाथरूमों के फ्लश सिस्टर्न एवं पाइप को बदलने, आवास की पुताई/पेन्ट का कार्य करा दिया गया है।

उक्त पत्र के क्रमांक 14 पर अंकित आवास संख्या यू-16/1 बादशाह नगर कालोनी में सामान्य मरम्मत के कार्य करा दिये गये हैं।

उक्त पत्र के क्रमांक 15 पर अंकित आवास संख्या ई0डी0-22 डायमण्ड डेरी कालोनी में टायलेट एवं बाथरूम का दरवाजा ठीक है, आवास के मेन गेट का दरवाजा लगवा दिया गया तथा पानी की व्यवस्था सुचारु कर दी गई है।

उक्त पत्र के क्रमांक 16 पर अंकित आवास संख्या एल0आई0जी0-26 ऐशबाग में छत बाथरूम का दरवाजा, सिंक एवं बेसिन, पानी की टंकी, बाथरूम के टूटे पाइप का कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय के अन्दर वर्ष 2017 में कमरों की मरम्मत, फाल्ससीलिंग, दीवारों में सनमाईका आदि लगाने के मद के खर्च के संबंध में जांच विषयक

03-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ के अन्दर वर्ष, 2017 में कितनी धनराशि का ठेका किन-किन ठेकेदारों को सचिवालय के कमरों की मरम्मत, फाल्ससीलिंग दीवारों में सनमाईका आदि लगाने के लिये दिया गया है, कितनी धनराशि का भुगतान हो चुका है व कितना शेष है क्या सरकार कार्य की गुणवत्ता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ के अन्दर वर्ष 2017 में जिन ठेकेदारों को सचिवालय के कमरों की मरम्मत, फाल्ससीलिंग दीवारों में सनमाईका आदि लगाने के ठेके दिये गये हैं। उसके सापेक्ष भुगतान की गई एवं अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	फर्म/ठेकेदार का नाम	ठेके की धनराशि (लाख रु0 में)	भुगतान की धनराशि (लाख रु0 में)	अवशेष धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5
1	एजाज अली एसोसिएट्स, 82 शादाव कालोनी, लखनऊ	35.78	35.78	-
2	जैन इंटरप्राइजेज, 242/108 यहियागंज, लखनऊ	30.16	30.13	0.03
3	महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, 46/2ए आम्रपाली विहार, लखनऊ	15.19	10.88	4.31
4	महेश्वरी बिल्डर्स, 52 मुरारीनगर, लखनऊ	0.78	0.78	-
5	प्रवीन कुमार, 21 मुरारीनगर, लखनऊ	32.85	32.80	0.05
6	राज एण्ड कम्पनी, सी-3479, राजाजीपुरम, लखनऊ	11.61	1.98	9.63
7	विनय कुमार अग्रवाल, 139, रवीन्द्र गार्डेन सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ	39.70	28.47	11.23
	कुल योग . .	**166.07**	**140.82**	**25.25**

जी नहीं। कार्य की गुणवत्ता सत्यापित होने के पश्चात ही फर्म/ठेकेदार को भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत न होने के कारण जांच की आवश्यकता नहीं है।

बस्ती के वि0स0 क्षेत्र रूधौली प्रताप धर्मार्थ न्यास को कार्यालय एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र दि0 31 मई, 2017 पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी

04–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रताप धर्मार्थ न्यास को कार्यालय एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0 क–6–नं0–040577 दिनांक 31–05–2017 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

मा0 सदस्य का पत्र क–6 नं0 040577, दिनांक 31 मई, 2017 अभिलेखानुसार यद्यपि प्राप्त नहीं हुआ है तथापि प्रताप धर्मार्थ न्यास को कार्यालय एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक मा0 सदस्य का पत्रांक क–6 नं0 040433, दिनांक 26 मई, 2017 कार्यालय में दिनांक 31 मई, 2017 को प्राप्त हुआ है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत न्यासों को भवन आवंटन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र, भारत न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकरण होने संबंधी अभिलेख, चार्टर्ड एकाउण्टेंट की सम्परीक्षा रिपोर्ट, शपथ–पत्र एवं पूर्ववर्ती वर्षों के क्रिया–कलाप का प्रमाण की आवश्यकता होती है। उक्त दस्तावेजों के उपलब्ध न कराये जाने के कारण आवास आवंटन का औचित्य न पाते हुए कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 26 मई, 2017 (प्राप्ति दिनांक 31 मई, 2017) को निस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में विज्ञान केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

05–श्री रवि शर्मा–

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 27 अगस्त, 2017 का पत्र जो कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में विज्ञान केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 27 अगस्त, 2017 प्राप्त हुआ है, जो बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में है।

पत्र में किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण में लिए गये निर्णय से मा0 सदस्य विधान सभा को शासन के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा सूचित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के लोघडिया (गांडिया लोहार) अर्ध-घुमंतू जाति के परिवार को स्थायी निवास/ बच्चों के लिए शिक्षा/जीविकोपार्जन के लिए रोजगार की योजना बनाने विषयक

06-श्री रवि शर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में लोघड़िया (गाड़िया लोहार) अर्ध-घुमंतु जाति जो सड़क के किनारे एक गाड़ी के अन्दर ही अपना जीवनयापन करते हैं के पास स्थायी निवास की सुविधा, न होने के कारण आवश्यक जन सुविधाओं से भी वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें स्थायी रूप से निवास की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

लोघड़िया (गाड़िया लोहार) जाति उत्तर प्रदेश में विमुक्त/घुमन्तू/अर्धघुमन्तू जाति के रूप में चिन्हित नहीं है।

समाज कल्याण विभाग में विमुक्त/घुमन्तू/अर्धघुमन्तू जातियों को स्थायी निवास उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मैं बहुत जल्दी एक मिनट में नियम 301 की सूचनायें पढ़ दूं। आज दिनॉक 21-12-2017 को नियम-301 की कुल 78 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री रवि सोनकर की जनपद बस्ती के ब्लाक कुदरहा में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध है, दूसरी सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत के देवा नदी पर बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी अन्तर्गत नहरों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों की सरकारी सेवा आवश्यक करने के सम्बन्ध में है, पॉचवी सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच में हुजूरपुर क्षेत्र में महिला राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री अमनमणि त्रिपाठी की महराजगंज मे वन क्षेत्र में कतिपय सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अगयश रामसन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा कतिपय मार्गों का निर्माण

कराये जाने सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह नागर की ग्रेटर नोएड़ा के परिक्षेत्र में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के मोहल्लों का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के सहकारी आवास समिति लिमिटेड, आगरा के सचिव को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के तहसील राम सनेही घाट में घाघरा नदी के मध्य बसे निवासियों को आवासीय पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के गागन नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के कैथी टाण्ड घाट पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूँ में नाधा, विनवर व दबकोरी को ब्लाक न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह' की जनपद बस्ती के अमौढ़ा राज्य के ध्वस्त किले का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के नई मण्डी में रामलीला मैदान एवं रेलवे रोड के नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की झाँसी के गरौठा-राठ भाग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठारहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी में सिंचाई हेतु पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विधान सभा क्षेत्र के भनवापुर ब्लाक में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग से अतिथि गृह निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त सभी सूचनायें स्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद बस्ती के ब्लाक कुदरहा में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि सोनकर-

[महोदय, लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रकरण पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 311 महादेवा, जनपद बस्ती के लालगंज, विकास खण्ड कुदरहा, अति पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है और यहां बालिकाओं के लिए कोई राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है जिससे बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना किया जाना जनहित के दृष्टिगत रखते हुए अति आवश्यक है। इस सन्दर्भ में निदेशालय के पत्रांक डिग्री प्लान/1089/2017-18, दिनांक 06 जून, 2017 के सन्दर्भ में आख्या मांगी गयी थी। विकास खण्ड कुदरहा, जनपद बस्ती मुख्यालय से लगभग 45 किमी0 दूर जानकी मार्ग से पूरब में स्थित है। उक्त विकास खण्ड

अत्यन्त पिछड़ा है एवं महाविद्यालयों की संख्या न्यूनतम होने के कारण क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु काफी कठिनाईयां हो रही है उन्हें काफी दूर तय करनी पड़ती है। संसाधन के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। अति पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित विकास खण्ड कुदरहा में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की अति आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लालगंज, ब्लाक कुदरहा, जनपद बस्ती में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की शीघ्र कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के देवानदी पर बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह गंगवार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 127 पीलीभीत में प्राचीन देवा नदी है जो कि कटान करती है। नदी के कटान से क्षेत्र के हजारों किसान भूमिहीन हो गया है।

देवा नदी के कटान को रोकने के लिए द्विनीडाम शून्य से 32 कि0मी0 तक 20 मीटर चौड़ा मिट्टी का बांध नदी के दोनों तरफ बनाकर कटाव रोका जाना जनहित में अति आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में जिला स्तर से आंकलन भी तैयार किया जा चुका है। यह योजना तकनीकी समिति से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। परन्तु कोई कार्यवाही न होने से जनमानस (किसानों) में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए देवा नदी के दोनों तरफ शून्य से 32 किलोमीटर तक 20 मीटर चौड़ा बंधा दोनों ओर बनाकर कटाव को रोके जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी अन्तर्गत नहरों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड पहाड़ी में हिनौती बांध से टेढ़ा माइनर में 4 किमी0 लीकेज है तथा हिनौती बांध के पत्थर ताल नहर में भी 3 किमी0 का लीकेज है। जिस कारण से किसानों को खेतों की सिंचाई में अत्यन्त ही असुविधा होती है। समस्या के निराकरण हेतु उक्त दोनों नहरों का मरम्मत कार्य करवाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों की सरकारी सेवा आवश्यक करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवाओं में एमबीबीएस डिग्री प्राप्त सामान्य चिकित्सकों तथा एमडी/एमएस प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्याधिक कमी है और पिछली सभी सरकारों के सारे प्रयत्नों के बावजूद यह कमी दूर नहीं हो रही है।

सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आयुष चिकित्सकों को पदस्थापित करके इस कमी को दूर करने का प्रयास जरूर कर रही है लेकिन आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, यूनानी तथा सिद्धा चिकित्सक न तो वास्तव में एलोपैथिक चिकित्सकों का दायित्व निर्वहन कर सकते हैं और न ही नागरिकों का विश्वास ही प्राप्त कर सकते हैं। फलस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरी तरह से असफल हो जायेंगे और नागरिक मजबूरन निजी चिकित्सकों तथा क्वैक्स के पास जाने के लिए बाध्य होंगे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहुत बड़ी कमी है जो आयुष विशेषज्ञों के द्वारा कत्तई दूर नहीं की जा सकती है।

देश के विभिन्न राज्यों ने चिकित्सकों की इस कमी को दूर करने के लिए 'अनिवार्य सेवा बाण्ड' का प्रयोग किया है। उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार तथा छत्तीसगढ़ आदि प्रान्तों ने यह कानूनी प्राविधान किये हैं कि राजकीय मेडिकल कालेजों से करीब-करीब निःशुल्क शिक्षा पाने वाले एमबीबीएस तथा एमडी, एमएस के छात्रों को एक निश्चित समय तक सरकारी नौकरी करनी ही पड़ती है, उसके बाद ही वे निजी प्रैक्टिस कर पाते हैं। इन राज्यों में इस प्राविधान के कारण उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों की कम प्रभावी रूप से दूर हुई है। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के मुकाबले इन राज्यों में नागरिकों को बहुत बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त हो रही हैं और इन राज्यों के स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकांक उत्तर प्रदेश के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आर्म-फोर्सेस में भी एमबीबीएस तथा एमडी, एमएस के छात्रों को अध्ययनापरान्त एक निश्चित अवधि तक सरकारी सेवा करनी होती है और न करने की स्थिति में उन्हें एक करोड़ रुपये जमा करने पड़ते हैं।

अतः उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा के स्नातक तथा स्नात्कोतर चिकित्सा का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए सरकारी सेवा आवश्यक करने के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश कार्य-प्रक्रिया नियमावली, 1958 के नियम-301 के तहत सरकार को जवाब पटल पर रखने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद बहराइच के हुजूनपुर क्षेत्र में महिला राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र 247 पयागपुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत हुजूरपुर क्षेत्र में लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है। यहां एक राजकीय महिला

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महाविद्यालय खोलने से विशेश्वरगंज, पयागपुर व हुजूरपुर क्षेत्र के लड़कियों को सुविधा प्राप्त होगी। अभी इन क्षेत्रों में लड़कियों को दूरस्थ स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। जनहित/छात्राओं के हित में हुजूरपुर में एक महिला राजकीय महाविद्यालय खोला जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए महिला राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

महराजगंज में वन क्षेत्र में कतिपय सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

[महोदय, हमारा विधान सभा वनों से आच्छादित है। हमारे विधान सभा के पूर्वी और दक्षिणी सीमा वनों से लगा हुआ है। एक तरफ सोहगीबरवा वन क्षेत्र दूसरी तरफ वन विभाग है। सोहगीबरवा वन जन्तु क्षेत्र में वन विभाग की जब से स्थापना हुई तब से आज तक सुरक्षा खांई की व्यवस्था थी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सुरक्षा खांई के अतिक्रमण एवं समाप्त हो जाने के कारण वन माफियाओं का वन क्षेत्र में वन जन्तु एवं लकड़ी की चोरी का रास्ता सुगम हो गया है और वन जन्तु कृषकों की फसल पूरी तरह से समाप्त कर दे रहे हैं। सुरक्षा खांई गहरी एवं चौड़ीकरण, सुन्दरीकरण करा दिया जाये तो ना ही वन क्षेत्र को नुकसान होगा ना ही किसानों का नुकसान होगा। वनों में संचार सुविधा बढ़ाने हेतु वनों में मार्गों का निर्माण की आवश्यकता है। अत्यन्त आवश्यक है जिससे वन विभाग की सुरक्षा कर्मी एवं सामान्य जन को यातायात में असुविधा न हो जिससे वनों के बारे में जागरूक प्रहरी, वन रक्षक, वन प्रभारियों की नजर वन सुरक्षा पर रह सके। वन कर्मियों की आधुनिक संचार सुविधाओं से जोड़ा जाये। जिससे वनों की सुरक्षा पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। वन चौकियों का सुन्दरीकरण कराया जाये। जिससे वन सुरक्षा का प्रभाव बढ़ेगा। इसी क्रम में सूरपार वन ग्राम से मोहनापुर होते हुए लक्ष्मीपुर होते हुए अचलगढ़ वन ग्राम तिकोनिया वन ग्राम, दर्रा वन ग्राम से टेड़ी घाट तक सड़क निर्माण एवं फुरसतपुर चौक से जंगल गुलहरिहा तक सड़क मार्ग एवं चौक से मनिकापुर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराया जाना वन हित, जनहित में अत्यन्त प्रभावी कदम होगा। इसे तत्काल कराया जाना अत्यन्त लोक महत्व का कार्य होगा।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामशरन वर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत नहरों एवं नदियों का जाल बिछा हुआ है। जिसके कारण विशेष रूप से वर्षात के समय में आवागमन की भारी असुविधायें होती हैं। परिणामतः लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सेतुओं के प्राकंलन लम्बित है-

1-बीसलपुर-विलसण्डा-गोला मार्ग पर गांव टेहरी के पास कटना नदी का सेतु,

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–बीसलपुर–गुलेंदा–खुदागंज मार्ग पर गांव बौनी के पास रपटुआ नदी सेतु,

3–टिकरी माफी–दियोरियाकला मार्ग पर गांव मकरन्दपुर रोशन सिंह के पास माला नदी सेतु,

4–बीसलपुर–दियोरियाकला मार्ग पर गांव ढकिया रंजीत के पास माला नदी सेतु,

5–वरखेड़ा कला–दियोरियाकला मार्ग पर गांव वुहिता के पास माला की सेतु,

6–गांव सिगरा महिपति एवं मोहम्मदपुर ता0 रामपुर अमृत के मध्य सकरिया नाला सेतु, एवं

7–लो0नि0वि0 के नगर बीसलपुर एवं नगर विलसण्डा के निरीक्षण भवनों का पुर्ननिर्माण उपरोक्त सभी के प्राकंलन शासन स्तर पर लम्बित है। जिनका निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में चर्चा सुनिश्चित की जाये तथा निर्माणार्थ कार्रवाई की जाये।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी–

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में अग्नि शमन केन्द्र का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर आये दिन आग लगने से दुर्घटनायें होती रहती हैं। मुख्यालय से लगभग 50 कि0मी0 दूर होने से क्षेत्र के लोगों समय से बचाव नहीं हो पाता है तथा आग लगने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए केराकत विधान सभा में अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना कराने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

ग्रेटर नोयडा के परिक्षेत्र में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के मोहल्लों का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह नागर–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के परिक्षेत्र में ग्रेटर नोएडा के गठन से पूर्व ग्राम छपरौला व चिप्याना के सूर्यलोक, अरूण एन्कलेव, राम विहार, रेलवे एन्कलेव, मेट्रो सिटी, मन्जू मोहल्ला, सत्यम एन्कलेव, पंचकूला, हरपाल एन्कलेव, साइलोक, पंचशील व सूरजपुर के सम्पत मोहल्ला व सूरपुर के धर्मपाल वाटिका मोहल्ले तथा ग्राम कुलेसरा आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने के बावजूद भी इन क्षेत्रों का विकास कार्य नहीं हो रहा है। यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में आने के बाद भी मूल भूत सुविधाओं से वंचित है। इस सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं शासन स्तर से भी प्रयास करने के बाद विकास न होने के कारण इस क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। जनहित में औद्योगिक क्षेत्र इन मोहल्लों का विकास कराया जाना आवश्यक है।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त क्षेत्र का विकास कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के सहकारी आवास समिति लिमिटेड, आगरा के सचिव को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जी0 एस0 धर्मेश-

[महोदय, श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार को नियम विरुद्ध 509 आर्मी बेस वर्कशाप वर्क्स सहकारी आवास समिति लि0, आगरा, उ0 प्र0 में सचिव अपर आवास आयुक्त-अपर निबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ, श्री वी0 के0 मिश्रा, सहकारी अधिकारी, आवास, उ0 प्र0 एवं विकास परिषद् कमलानगर, आगरा श्री राम सुमिरन, आवास एवं विकास परिषद् कमलानगर, आगरा श्री नीरज शर्मा एवं राजस्व निरीक्षक, तहसील किरावली, आगरा श्री शीलेन्द्र कुमार के द्वारा सचिव बनाया गया है। श्री योगेश कुमार उक्त समिति के सदस्य नहीं हैं, नियमानुसार समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। नियम विरुद्ध बनाये सचिव के खिलाफ त्वरित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नियम विरुद्ध बनाये गये सचिव को हटाये जाने व इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट में घाघरा नदी के मध्य बसे निवासियों को आवासीय पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

[महोदय, जनपद बाराबंकी, तहसील रामसनेहीघाट व सिरौली-गौसपुर अन्तर्गत गांव अतरौली, सरांयसुरजन, भौलीकोल, इटौहवा पूर्व, कोठरीगौरिया, उमरहरा, समेमरी, टिकरी, गनौली, ढेमा, असवां आशिंग, नैपुरा, बांसगांव, कमियार, बसंतपुर, परसावल आदि घाघरा नदी में बन्धे के मध्य बसे हैं। जो कि बाढ़ आते ही यह सभी गांव तबाही का शिकार हो जाते हैं। बन्धे के बाहर सरकारी जमीन उपलब्ध है। जनहित में घाघरा नदी में बन्धे के मध्य बसे इन गांवों के निवासियों को बन्धे के बाहर उपलब्ध सरकारी जमीन को आवासीय पट्टा दिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाना आवश्यक है। इसकी मांग काफी समय से की जा रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए घाघरा नदी बन्धे के मध्य बसे गांव के निवासियों को बन्धे के बाहर सरकारी जमीन को आवासीय पट्टा दिये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के गागन नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नहटौर, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम पाडली मांडू में गागन नदी पर बहुत पुराना कच्चा पुल जो कि आजादी के पहले का है। बरसात के समय क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्र के दर्जनों गांवों के निवासीगणों को नदी के दूसरे किनारे पर स्थित अपने खेतों, बाजार एवं चिकित्सकीय कार्य, बच्चों को शिक्षा हेतु जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में गागन नदी पर ग्राम पाडली मांडू में पक्के पुल का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पुल के निर्माण हेतु क्षेत्र के निवासीगणों द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है, परन्तु कोई कार्रवाई न होने से निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गागन नदी पर ग्राम पाडली मांडू में पक्के पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के कैथी टाण्डा घाट पर पीपे का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि कैथी टाण्डा घाट के पूर्वी तरफ जनपद चन्दौली एवं पश्चिमी तरफ जनपद चन्दौली स्थित है। कैथी घाट पर पर्यटन स्थल के रूप में बाबा मार्केण्डय महादेव का मन्दिर स्थित है। जहां पर लाखों दर्शनार्थी प्रति सोमवार, प्रति तेरस एवं शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने के लिए विभिन्न जनपदों से आते-जाते हैं। इस पार से उस पार जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना है। जिससे लोगों को बड़ी कठिनाई होती है एवं नाव में दुर्घटनायें भी हुआ करती है जिससे जन-धन की हानि भी होती है। जन-धन हानि को रोकने के जनहित में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैथी टाण्डा घाट पर पीपे का पुल का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कैथी टाण्डा घाट पर पीपे का पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं में नाधा बिनावर व दवथोरी को ब्लाक ना बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बदायूं में नाधा, बिनावर व दवथोरी तीन नये ब्लाक पिछली सरकार द्वारा बनाये गये थे और इनका उदघाटन भी हो गया था तथा इनके कार्यालय भी स्थापित हुए थे। परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा उक्त ब्लाकों का संचालन अभी तक नहीं किया गया है जिससे स्थानीय लोगों में

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी रोष की भावना व्याप्त है। यह लोक महत्व एवं जनहित का विषय है, जनहित में उक्त ब्लाकों का संचालन किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में पिछली सरकार द्वारा बनाये गये उक्त तीनों ब्लाकों को संचालित किये जाने हेतु तत्काल समुचित कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के अमौढ़ा राज्य के ध्वस्त किले का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अमोढ़ा राज्य के राजा जालिम सिंह तथा वीरांगता कुंअरि शहीद आजादी के लिए प्रथम युद्ध सन् 1857 में हो गये थे। अमौढ़ा राज्य के किले को अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त कर खण्डहर में तब्दील कर दिया गया था। लगभग 500 लोगों को फांसी भी दी गयी थी तथा हजारों लोग शहीद हो गये थे। उक्त अमोढ़ा के ध्वस्त किले का सौन्दर्यीकरण, शहीद स्तम्भ निर्माण व टूरिस्ट बंग्लो के निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से अमोढ़ा के किले की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु सदन में मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के नई मण्डी में रामलीला मैदान एवं रेलवे रोड के नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिलदेव अग्रवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर सदर, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत नयी मण्डी में रामलीला मैदान एवं रेलवे रोड के बीच का नाला जो कि थाने के सामने से होकर मुख्य नाले में जाता है तथा मिमलाना रोड, रामलीला टीला का नाला जो कि नदी तक जाता है को पक्का कर पाइप लाइन डलवाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनहित व लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

झांसी के गरौठा राठ भाग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के चिरगांव-गरौठा-राठ-हमीरपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 42) के गरौठा-राठ मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। धसान नदी पर वर्षों से लम्बित पड़ा पुल बनकर तैयार हो गया है किन्तु मार्ग के अभाव में इसका जनोपयोग नहीं हो पा रहा है। यह मार्ग जनपद झांसी के सुदूर क्षेत्र गरौठा को सीधे हमीरपुर जिले से जोड़ता है तथा इसकी दशा अत्यन्त जर्जर एवं ध्वस्त है जो आवागमन योग्य नहीं रह गया है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर उपरोक्त समस्या के निदान हेतु मैं सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद का विकास खण्ड नारखी डार्क जोन एरिया घोषित है। इस कारण से पिछले अनेक वर्षों से इस क्षेत्र में किसानों को नये नलकूपों की स्थापना एवं बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में खारे पानी की भी विकराल समस्या है। सिंचाई हेतु उपलब्ध हाथरस माइनर में वर्षों से पानी नहीं आता है। क्षेत्र के सिरसा नदी भी वर्षा ऋतु के अतिरिक्त सूखी पड़ी रहती है। इन सबके चलते क्षेत्र में किसानों को 4-5-6 कि0मी0 दूर से लेजम पाइप द्वारा पानी लाकर जैसे-तैसे गुजारा करना पड़ रहा है। पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण अनेक क्षेत्रों के किसान अपनी कृषि भूमि का मात्र 20.30 प्रतिशत उपयोग कृषि कार्यों में कर पा रहे हैं तथा बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो जा रही है। जल स्तर के और अधिक गिर जाने के कारण किसानों द्वारा लगाये गये डीजल पम्पिंग सेट (इंजन) भी फेल हो गये हैं।

क्षेत्र के नागरिकों एवं किसानों को इस विषम परिस्थितियों से निकालने हेतु नारखी विकास खण्ड एवं पास के अन्य समस्या ग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने हेतु जल की उपलब्धता बहुत अनिवार्यता में आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल प्रभाव से विकास खण्ड नारखी में एक विस्तृत सिंचाई तथा पेयजल योजना के निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विधान सभा क्षेत्र के भनवापुर ब्लाक में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 305 इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लाक के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई कन्या इण्टर कालेज नहीं है। यहां एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने से भनवापुर ब्लाक के गांवों की लड़कियों को सुविधा प्राप्त होगी। अभी इन क्षेत्रों के लड़कियों को दूरस्थ स्थानों पर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। जनहित/छात्राओं के हित में भनवापुर विकास खण्ड के ग्राम तरहर में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोला जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग से अतिथि गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा बांगरमऊ में 12 सूट का एक अतिथि गृह खुल जाने से मा0 मंत्रियों, सरकारी अधिकारी व अतिथियों हेतु रहने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी। यह क्षेत्र मां गंगा, भगवान शंकर, बोधेश्वर महाराज जी व एक्सप्रेस-वे से परिपूर्ण है। इस प्रकरण पर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है।

अतएव इस लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

***श्री नितिन अग्रवाल-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना स्वीकार कर लीजिए, आपने कहा था।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मेरी भी सूचना स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, कृपया बैठिये। मद संख्या 02 माननीय मुख्यमंत्री जी।

उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 †

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपराध मुक्त, अन्यायमुक्त...

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, पहले प्रस्ताव रखवा दीजिए।

***श्री योगी आदित्यनाथ-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(श्री मो0 आजम खॉं ने अपनी सीट पर बैठे हुए कहा कि आप सदस्य को धन्यवाद तो दे दीजिए।)

मैं बोलने ही जा रहा था लेकिन आपने मेरी ओर से धन्यवाद दे दिया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि इस विधेयक के प्रति आपने इतनी संवेदनशीलता दिखायी है, इसके

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। वैसे खन्ना जी आपका धन्यवाद बाद में अलग से कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने, प्रदेश के अन्दर अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, अन्याय और अत्याचारमुक्त व भयमुक्त का वातावरण बनाना किसी भी लोक कल्याणकारी संकल्प के लिये प्रतिबद्ध सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और उसी को ध्यान में रख करके पिछले 9 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाने का हर संभव प्रयास किया। हमें काफी हद तक सफलता भी मिली। प्रशासन और पुलिस के टूटे मनोबल को बहाल करने, आम जन के मन में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास का एक माहौल पैदा हो इस पर बहुत सारे प्रयास पिछले नौ महीनों के दौरान किये गये लेकिन उस सबके बावजूद यह महसूस हुआ कि प्रदेश के अंदर सक्रिय संगठित अपराध के खिलाफ मौजूदा कानून के अतिरिक्त और भी प्राविधान किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में हर व्यक्ति को जीने का पूरा अधिकार है। हर बहिन–बेटी को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अन्दर जो मकड़जाल पैदा हुआ था, जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियॉं चली थीं उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अवमूल्यन भी किया। प्रदेश के अंदर आम जन के विश्वास को भी तोड़ा है। और साथ ही साथ प्रदेश की एक बहुत खराब तस्वीर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई। इस उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय आजादी के समय देश के अंदर सर्वाधिक हुआ करती थी आज वह देश की प्रति व्यक्ति आय की आधी के आस पास आ करके रूक गई है क्योंकि प्रदेश में कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। उन स्थितियों में हम लोगों को प्रदेश में मार्च 2017 में सत्ता प्राप्त हुई थी। इस दौरान जो प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारम्भ हुए सभी पर्व और त्यौहार शॉंतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करने, बिना भेद–भाव के हर एक मत, पंथ, मजहब के जो अनुयायी हैं उन सबको अपने पर्व और त्यौहार मनाने की कानून के दायरे में पूरी छूट मिले हमारी सरकार ने इसके लिये पूरी व्यवस्था की और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे वह अयोध्या में श्रावण झूला मेला रहा हों या फिर सावन के महीने में ही प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर निकलने वाली कॉवड़ यात्रा रही हो,श्री कृष्ण जन्माष्टमी या ईदुज्जुहा रहा हो, नवरात्रि, विजयादशमी, मोहर्रम, दीपावली, छठ पूजा, चेहल्लुम, बारावफात, आदि जितने भी पर्व और त्योहार थे प्रदेश के अन्दर, शान्तिपूर्ण ढंग से मनाने का एक प्रयास हुआ। कुछ पर्व और त्योहार में कुछ छुटपुट घटनायें घटित हुईं। वहां पर आवश्यक कार्यवाही भी की गई और भविष्य के लिए वहां सर्तकता बरतने के लिए एक रोड मैप तैयार हुआ है। अभी हाल में प्रदेश के अन्दर नगर निकाय के चुनाव सम्पन्न हुए और प्रदेश के अन्दर नगर निकाय का चुनाव हुआ, लगभग साढ़े चार करोड़ की आबादी इन चुनाव में प्रभावित होती है इसलिए किसी भी अन्य चुनाव की तुलना में इस बार का नगर निकाय का चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदेश के अन्दर सम्पन्न हुआ।आम जन के स्तर पर जब देखते हैं तो वास्तव में वह शान्ति चाहता है विकास चाहता है। शासन से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, सुरक्षा की गारंटी चाहता है, कहीं न कहीं इस मोर्चे पर जो खामियॉं थीं उनको पूरा करने का प्रयास हुआ। विश्वास बहाली के लिए ही हम लोगों ने पुलिस स्तर के अधिकारियों को, चाहे वह ए0डी0जी0 स्तर के अधिकारी हों,या फिर थाने में इंस्पैक्टर या सब इंस्पैक्टर स्तर के अधिकारी

हों, इन सबको फुट पेट्रोलिंग के लिए, प्रतिदिन उनके द्वारा व्यापक पैमाने पर फुट पेट्रोलिंग हो और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम सामने आए।

एक बिगड़ी हुई व्यवस्था है तो बेहतर परिणाम आने में समय लग सकता है लेकिन उस फुट पेट्रोलिंग की चर्चायें पिछले नौ महीनों के दौरान लगभग 8 लाख 2 हजार 810 स्थानों पर प्रदेश के अन्दर फुट पेट्रोलिंग विभिन्न स्तर के अधिकारियों के द्वारा की गई और उस दौरान पुलिस के स्तर जो कार्यवाही हुई लगभग एक लाख 26 हजार 662 शरारती तत्वों को पुलिस ने हिरासत में लिया 66 हजार 151 अभियोग दर्ज भी हुए और लगभग 74 हजार 40 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस दौरान हुई। प्रदेश के अन्दर बहुत सारे स्थानों पर हम लोगों ने देखा कि इस अपराध के पीछे कुछ शरारतन साजिशें भी नजर आई थीं। आम जन पर जिस तरीके से हमले हो रहे थे पुलिस के कर्मियों के ऊपर जिस दुस्साहसिक तरीके से हमले हो रहे थे, उन सबको देखते हुए हम लोगों ने इस बात को कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के अन्दर 22 करोड़ जनता की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह सरकार का न केवल हम सबका एक राजकीय दायित्व ही नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है हमारी सरकार किसी के साथ इस मामले में भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन किसी माफिया को किसी अपराधी को सरेआम गोली चलाने की छूट किसी निरीह नागरिक, किसी व्यापारी या किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकती है। उसके परिणाम सामने आए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 800 से अधिक मुठभेड़ें हुईं पूरे प्रदेश के अन्दर दो हजार से ऊपर अपराधी मुठभेड़ में गिरफ्तार भी हुए इसमें 1445 अपराधी तो थे जिन पर पुरस्कार घोषित थे दुर्दान्त अपराधी थे 114 अपराधियों पर एन0एस0ए0की कार्यवाही भी करनी पड़ी। 139 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हुई। करोड़ों की सम्पत्तियॉ भी जब्त की गई हैं और पुलिस के साथ आमने सामने की मुठभेड़ में 25 दुर्दान्त अपराधी मारे भी गए उसका एक सकारात्मक प्रभाव न केवल प्रदेश के अन्दर आम जनमानस के विश्वास पर अपितु पूरे देश के अन्दर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट आहूत किया है 21-22 फरवरी को पूरे देश में और दुनिया में जो सकारात्मक प्रभाव है निवेश करने के लिए आज हर व्यक्ति प्रदेश के अन्दर लालायित दे रहा है। मैं इसे प्रदेश के लिए एक शुभ लक्षण मानता हूँ कि प्रदेश के भविष्य के प्रति प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी के प्रति जो एक आशा की किरण इस निवेश के माध्यम से देखने को मिल रही है मुझे लगता है कि उसकी सबसे पहली गारण्टी होती है प्रदेश में सुरक्षा की और सुरक्षा का वातावरण जो प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ हुआ है इसको और पुख्ता करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है इसीलिए आज फिर इस सदन में आई है अगर आप देखें तो अपराध की जो घटनाएं हैं वर्ष 16 की तुलना में 17 में काफी कम हुई हैं। डकैती लूट हत्या रोड होल्ड अप फिरौती अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए अपराध आगजनी की घटनाओं में 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 महीनों के दौरान इसमें काफी गिरावट आई है और इस गिरावट को और कम करने के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इस दृष्टि से पहली बार प्रदेश के अन्दर यह व्यवस्था हुई कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एफ0आई0आर काउंटर खुले यह

व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर लागू किया और पुलिस की प्रभावी कार्यवाही का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लगभग 2700 से ऊपर ऐसे अपराधी थे जिन्होंने न्यायालयों में जाकर समर्पण किया या फिर अपनी जमानतें निरस्त करवाकर वे लोग दूसरे मामलों में प्रदेश के बाहर की जेलों में भी जाकर उन्होने प्रदेश के अन्दर किसी भी प्रकार का अपराध न हो इस दृष्टि से उनका प्रदेश के बाहर भी पलायन करना प्रारम्भ हुआ है और यह स्थिति प्रदेश की दृष्टि से देखने को मिली। महोदय प्रदेश के अन्दर महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित जो मामले थे प्रदेश ने नई सरकार के गठन होने के साथ ही हम लोगों ने एण्टी रोमियो स्क्वाड का गठन करने और उसके माध्यम से जो कार्यवाही प्रारम्भ की 22 मार्च से लेकर 18 दिसम्बर तक 7 लाख 95 हजार 77 स्थानों पर 21 लाख 59 हजार 890 स्थानों पर एण्टी रोमियो स्क्वाड ने अपनी कार्रवाई की तलाशी ली और इस मामले में 1714 अभियोग पंजीकृत हुये, 3022 व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी हुई और 09,67,000 व्यक्तियों को चेतावनी देकर के छोड़ा भी गया। एक बड़ी कार्यवाही इसके माध्यम से भी प्रारम्भ हुई। इसके अलावा महिला हेल्पलाईन 1090 को और सक्रिय करके उसको और तेज किया गया, जिससे महिलाएं उनसे जुड़े हुए किसी भी अपराध को निःसंकोच और आत्मविश्वास के साथ अपनी शिकायतों को इस वूमेन पावरलाइन के साथ दर्ज भी करा सकें। 04 दिसम्बर से 10 दिसम्बर के बीच महिला सुरक्षा का एक विशेष सप्ताह भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिये मनाया गया। महिला उत्पीड़न से जुड़ी हुयी घटनाओं में पिछले वर्षों की तुलना में काफी कमी आई है और इस पर और भी कार्यवाही करते हुये इस दौरान प्रशासन ने भी निरोधात्मक कार्यवाही की। गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत, गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत एन0एस0ए0 और अन्य एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्यवाही होनी थी, इस पर पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुये इन सभी को आगे बढ़ाया तो अवैध रूप से जो तमाम स्थलों पर पुलिस की सक्रियता से 97 बन्दूकें, 88 पिस्टल, 53 रिवॉल्वर, 69 राईफल, 01 एस0एल0आर0, 23400 से भी अधिक कारतूस, 590 डेटोनेटर, 129 देशी निर्मित बन्दूकें, 11,593 पिस्टल, 477 रिवॉल्वर, 97 राईफल, 03 कार्बाइन, 207 कारतूस, 1352 बम और 144 शस्त्र जो फैक्ट्रीमेड हैं, यह सब इस दौरान पुलिस ने प्रदेश के अन्दर विभिन्न प्रकार की कार्यवाही में बरामद भी किये हैं। प्रदेश के अन्दर आतंकवाद से निपटने के लिये गठित जो सेल है ए0टी0एस0, इसकी स्ट्रैन्थनिंग के लिये हम लोगों ने कार्यवाही प्रारम्भ की है। इसमें 316 नये पद सृजित किये गये। ए0टी0एस0 के अन्तर्गत 'स्पाट' स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम, जिसकी आधुनिक-अत्याधुनिक ट्रेनिंग के साथ-साथ इन्हें जो भी आवश्यक अत्याधुनिक शस्त्र-अस्त्र उपलब्ध करवाने थे, वह उपलब्ध करवाये गये और ए0टी0एस0 ने इस दौरान अच्छा कार्य भी किया जिसमें असरवा बांग्ला टीम के एक आतंकी को मुजफ्फरनगर से और इसके 03 अन्य जो सहयोगी आतंकी थे उनको लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन से ए0टी0एस0 ने गिरफ्तार किया। इस दौरान ए0टी0एस0 ने बब्बर खालसा के दो कुख्यात आतंकियों को भी लखनऊ और उन्नाव से गिरफ्तार किया। नाभा जेल से जो 02 आतंकी भागे थे पंजाब पुलिस के सहयोग से उनको भी गिरफ्तार किया गया। सेना में गलत नाम और पते से भर्ती होने वाले एक रैकेट को भी, जिसमें 03 अभियुक्त थे, उनको भी गिरफ्तार किया। जो

बिजनौर माड्यूल है जिसमें अभियुक्त मोहम्मद अबु जैद को भी गिरफ्तार किया गया। लखनऊ से 03 ऐसे अभियुक्त जो सिम बॉक्स के माध्यम से बी0एस0एन0एल0 और अन्य एजेंसियों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे थे, उसमें भी एक बहुत बड़ा रैकेट गिरफ्तार हुआ और अन्य जो इस प्रकार के आतंकी गतिविधियों में लिप्त तत्व थे और आतंकी माड्यूल थे उनके खिलाफ भी ए0टी0एस0 ने बहुत प्रभावी कार्यवाही की है। एस0टी0एफ0 को भी प्रदेश के अंदर सुदृढ़ करने की कार्यवाही हम लोगो ने प्रारम्भ की है। एस0टी0एफ0 में 267 अतिरिक्त पदों का सृजन करने के साथ-साथ उनके कमाण्डो की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया है। इस दौरान एस0टी0एफ0 ने भी बेहतर कार्य करते हुये प्रदेश के अंदर कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है। लगभग 228 कुख्यात अपराधियों को एस0टी0एफ0 ने गिरफ्तार किया है। ईनामी अपराधी इसमें से 18 थे, दुर्दान्त अपराधी 45 थे, संगठित अपराध में सम्मिलित जो तत्व थे उनमें से 94 थे, मादक द्रवों की अवैध तस्करी से जुड़े हुये 19 लोग थे। साइबर क्राइम से जुड़े हुये अपराधी 52 थे और इस दौरान बड़ी मात्रा में मादक दृव्य जिसमें चरस है, गान्जा है, पोस्ता है जो क्रमशः दो कुन्तल उन्तालीस किलो कीमत लगभग दो करोड़ तीस लाख, 1343.7 किलोग्राम लगभग कीमत 69 लाख और 2600 किलोग्राम के लगभग कीमत एक करोड़ का पोस्ता था। एफ0टी0एफ0 ने इस दौरान अवैध शस्त्र 180, अवैध कारतूस 378, अवैध शराब 3748 पेटी बरामद की है। वाहन भी इस दौरान एस0टी0एफ0 ने बरामद किये हैं उसमें ट्रक 09, चार पहिया वाहन 13, दो पहिया वाहन 18, कैश जो बरामद और सीज किया है वह लगभग सात लाख छब्बीस हजार और ढ़ाई करोड़ रुपये जो बैंको में सीज कराये गये। दस से अधिक ऐसी घटनाये जिसमें अपराधियों द्वारा गंभीर अपराध घटित होने वाली थी, एस0टी0एफ0 की पूर्व में की गई कार्यवाही के कारण वह रूकी हैं। इस दौरान चित्रकूट मण्डल में जो तीन डकैत गिरोह सक्रिय थे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही एस0टी0एफ0 के द्वारा की गई है और प्रदेश के अन्य स्थानों में भी प्रभावी कार्यवाही करने में एस0टी0एफ0 को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हमारे पास पुलिस फोर्स में मैन पावर की बड़ी कमी है और भर्ती की विसंगतियों को देखते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाई थी। नई सरकार के आने के बाद हम लोगो ने नियमावली में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगो ने नया शपथ पत्र दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगो को भर्ती की नई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये अनुमति मिली है। सरकार ने इस पर कार्यवाही प्रारम्भ की है और मुझे बताते हुये प्रसन्नता है कि 3307 उप निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के लगभग 600 महिला, 2400 पुलिस अभ्यर्थियों के साथ 3000 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए, 210 प्लान्टून कमाण्डर पी0ए0सी0 तथा 97 फायर सर्विस अफसर, इनकी भर्ती वर्तमान में गतिमान है। इसी महीने 12 दिसम्बर को इनकी आनलाइन लिखित परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। इसी के साथ पिछली बहुत पुरानी भर्ती की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित है। फैसला रिजर्व है, अब तक हम लोगो की तीस हजार आरक्षी और बत्तीस सौ सब इन्सपेक्टर की जो भर्ती की प्रक्रिया हमारी पुनः और चालू होने वाली है और मुझे लगता है कि इस महीने में ही हम इसको आगे बढ़ा देंगे और शीघ्र ही हम लोगो का प्रयास है कि आगामी तीन वर्ष के दौरान, चार वर्ष के दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर पुलिस

विभाग में जितने भी पद खाली पड़े हुये हैं इन सबको भरते हुये प्रदेश के अंदर पुलिस के पास जो मैन पावर का अभाव है उसको हम लोग पूरा करेंगे। मान्यवर, प्रदेश में हमारे पास कांस्टेबल बल कम हैं। पुलिस स्तर के विभिन्न अधिकारियों की कमी भी है। मान्यवर, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए 25 हजार होमगार्डों की सहायता ली गयी है यानी अतिरिक्त 25 हजार होमगार्ड इस दौरान पुलिस के सहयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिये गये हैं। मान्यवर, वर्षों से जो पुलिस कर्मियों के प्रमोशन लम्बित थे तथा जो आरक्षियों के थे नागरिक पुलिस कर्मियों के लगभग पांच हजार से ऊपर के जो प्रमोशन वर्षों से लंबित पड़े थे, मान्यवर, 2387 उपनिरिक्षिक पद के और 829 नागरिक पुलिस में जो इंस्पेक्टर पद के प्रमोशन वर्षों से लंबित पड़े हुए थे जिनमें प्रमोशन ड्यू था पिछली सरकारें नहीं कर पा रही थीं हम लोगों ने उस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। मान्यवर, हम लोगों ने पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको समय पर प्रमोशन भी मिले वह पूरी दक्षता के साथ अपनी सेवाएं जनता के लिए कर सकें इस विशेष कार्य को भी आगे बढ़ाया गया है। मान्यवर, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर एस0टी0आर0एफ0 का भी गठन किया है। मान्यवर, प्रदेश के अंदर अगर कहीं कोई आपदा आती थी तो पहले पी0ए0सी0 यहां पर अच्छा काम करती थी। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि प्रदेश के अंदर लगभग 73 कंपनियां पी0ए0सी0 की समाप्त कर दी गयीं। हम लोग पुनः उसको बहाल कर रहे हैं (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) उसको समाप्त कर दिया गया था जिसको हम लोग अब बहाल करने जा रहे हैं। उस पर कार्य करने जा रहे हैं और पी0ए0सी0 के ही उन कमांडों को लेकर के हम लोगों ने एस0टी0एफ0 में भी उन लोगों को दिया है और साथ ही साथ एस0टी0आर0एफ0 उसको भी हम लोग इसके माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। और, एक अच्छा कार्य आपदा प्रबंध की दृष्टि से इस प्रदेश के अंदर चूंकि हमारा प्रदेश 22 करोड़ की आबादी का हमारा प्रदेश है जहां आपदा प्रबंधन के लिए हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं थी। मान्यवर, हमे एन0डी0आर0एफ0 की ओर देखना पड़ता था। इस वर्ष बाढ़ आई थी बाढ़ के दौरान 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। मान्यवर, एन0डी0आर0एफ0 और पी0ए0सी0 की फ्लड यूनिट ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उस दौरान चूंकि मुझे उन सभी जनपदों में जाने का अवसर मिला था तो मैंने नजदीक से भी उनके कार्य को देखा था। इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राज्य आपदा मोचन बल के रूप में एस0टी0आर0एफ0 के गठन की अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की है और इसके लिए हम लोगों ने 535 पदों का सृजन कर दिया है और यह कार्यवाही प्रारम्भ भी हो गयी है। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 40 करोड़ 96 लाख रु0 की धनराशि भी एस0टी0आर0एफ को प्रदान कर दिया है जिससे वह अपने इक्यूपमेंट आदि खरीद सकें और किसी भी आपदा में आम जन के सहयोग के लिए वह अपने आपको तैयार कर सकें। मान्यवर, पुलिस के साथ उसका मनोबल बना रहे और आम जन के साथ उसका व्यवहार सौहार्दपूर्ण हो पीपल फ्रेंडली पुलिस इस रूप में बनाने के लिए जहां कार्यवाही प्रदेश के अंदर प्रारम्भ हुई वहीं साथ-साथ उनके वर्षों से लंबित जो मामले थे प्रदेश के अंदर ड्यूटी के दौरान देश की सेवा करते हुए उ0 प्र0 के जो मूल निवासी थे ऐसे लगभग 97 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और हम लोगों ने उन सबके परिवारजनों

को सहयोग के रूप में लगभग 16 करोड़ 75 लाख रु0 का अनुदान प्रदेश सरकार की ओर से वितरित किया है। मान्यवर, प्रदेश के अंदर हमारे पुलिस के जवान जनता की सेवा करते हुए कहीं शहीद होते हैं प्रदेश की सुरक्षा में कहीं वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उसके लिए उन्हें पहले जो अनुग्रह राशि 20 लाख रु0 की मिलती थी उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 40 लाख रु0 भी किया है और उनके माता-पिता को दी जाने वाली 5 लाख रु0 की सहायता जो थी उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 10 लाख रू0 किया है। मान्यवर, पौष्टिक आहार भत्ते को भी हम लोगों ने इस दौरान बढ़ाया है। मान्यवर, पिछले 15 से 20 वर्षों में इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ था। हम लोगों ने 950/- से बढ़ाकर 1350/- पौष्टिक आहार भत्ता जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मी फोर्स में हैं उनके लिए, मुख्य आरक्षी और आरक्षियों के लिए 1000/- से बढ़ाकर 1500/- और उप निरीक्षक और निरीक्षक स्तर पर 900/- से बढ़ाकर 1200/- हम लोगों ने किया है। महोदय, फोर्स के मनोबल को बनाये रखने के लिए प्रदेश के अन्दर पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा पर जो चिह्न दिए जाते हैं, पदक जो दिए जाते थे, हम लोगों ने इसे 200 से बढ़ा करके 950 किया है, इसमें 250 रजत, 150 स्वर्ण और 75 हीरक, ये 950 की संख्या की है जिससे इस बड़े प्रदेश में जो भी जहाँ अच्छा काम करेगा, उसको हम यहाँ पर सम्मानित भी कर सकेंगे। इस दृष्टि से यह कार्य प्रारम्भ हुआ है। बहुत प्रयास हम लोगों ने इस दौरान किया है, हर स्तर पर प्रयास किया गया है। पहली बार हुआ है कि पुलिस फोर्स में, प्रशासन के कार्य में किसी प्रकार का कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं, जनता के प्रति जवाबदेही की नीति पर पुलिस फोर्स कार्य कर रही है और जहाँ भी जवाबदेही से मुकरने की बात या जबरन कहीं पर देखने को मिल रहा है, वहाँ पर प्रभावी कार्रवाई शासन के स्तर पर भी ऐसे कर्मियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ करने में कोई संकोच नहीं किया गया है और इस दृष्टि से जब प्रदेश के अन्दर की स्थितियों को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने देखा, हम सभी यहाँ पर आए है, चुन करके आये हैं, जनता ने हमें इसलिए भेजा है जिससे प्रदेश के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारण्टी यह शासन दे सके और शासन की इस जवाबदेही को तय करने के लिए ही हम लोगों ने हर स्तर पर प्रयास किया है। पूरा मंत्रि-परिषद, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सामूहिक जब प्रयास होगा तो उसके परिणाम उतने ही अच्छे और सार्थक होंगे। आज भी प्रदेश के अन्दर बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि कुछ जगह तो अपराध क्रिएट किए जा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से, उस जगह अपराधी कहीं न कहीं संरक्षण पा रहा है और बहुत सारी जगह जब उसे भय हुआ है कि अगर उसके इस दुर्दान्त कृत्य से हो सकता है, इस धरती पर उसके लिए जगह न हो तो फिर वह प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर भी हुआ है और अपराधियों के अन्दर यह भय आवश्यक है। कानून का राज प्रदेश के अन्दर हर व्यक्ति और प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में है, प्रदेश की सुरक्षा के हित में है, प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने की दृष्टि से आवश्यक है और उत्तर प्रदेश को दंगों से, अराजकता से, गुण्डागर्दी से, माफियाराज से उबारने की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने यह आवश्यकता महसूस की है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आर्गनाइज्ड क्राइम है, इसकी ऑड़ में जो भ्रष्टाचार है, उसके माध्यम से जो अवैध और अनैतिक तरीके से कमाये गए

पैसे से समाज की व्यवस्था को भंग करने, समाज के सभ्य लोगों के जीने के अधिकार को छीनने, बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की एक जो दुरभि-संधि दिखायी देती है, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम बिल 2017' यानी उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध निवारण के लिए 'उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक' इस माननीय सदन में प्रस्तुत करके, चर्चा करके उसको पारित करे और इसलिए मैं इसको चर्चा के लिए इस सदन में रख रहा हूँ। मुझे जिस दिन से यह चर्चा आयी है, कैबिनेट ने जिस दिन इस विधेयक के प्रारूप को अपनी मंजूरी दी है, बहुत सारी टिप्पणियाँ देखने को मिल रही थी, पक्ष में भी और विपक्ष में भी होता है। लोकतंत्र में सब चीजें चलेंगीं, चलनी भी चाहिए, लेकिन मैं अपने विपक्ष में बैठे हुए मित्रों से इस बारे में कहूँगा, कानून व्यवस्था पर आप सबसे अधिक वाक-आऊट करते हैं, उँगली उठाते हैं, तो फिर यू0पी0 कोका का विरोध क्यों हो रहा है। मैं आपको इस बात की गारण्टी दे सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी कानून का दुरूपयोग नहीं किया है, कभी नहीं करेगी। हम लोगों को जनता ने प्रतिशोध की भावना से यहां नहीं भेजा है, हम लोग यहां पर प्रदेश का विकास करने के लिए आये हैं, प्रदेश की आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आये हैं, बिना किसी भेद-भाव के हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह नारा दिया है, ''सबका साथ और सबका विकास'' की उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आये हैं, लेकिन जब मैं विपक्ष में बैठे हुए अपने मित्रों के इन बयानों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि ''जब सावन ही आग लगाये, तो उसको कौन बचाये।'' जिम्मेदार राजनीतिक दलों के नेता ही महोदय जब इस भूमिका में आ जायें और कहने लग जायें कि नहीं अपराधियों के खिलाफ, संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, मैं आश्वस्त करूँगा, मुझे लगता है आप में से अधिकतर लोग इसके प्राविधान को पढ़े होंगे, कोई इसका दुरूपयोग नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अन्य राज्यों में भी संगठित अपराध को रोकने के लिए कानून बने हैं या फिर उत्तर प्रदेश के अन्दर ही जो गैंगस्टर एक्ट, 1986 जो बना हुआ है, अगर आप उससे भी तुलना करेंगे तो उससे भी बेहतर यह कानून है, यह केवल अपराधी ही नहीं, संगठित अपराध में जो भी लिप्त है, उसकी कमर को तोड़ कर के रख देगा और केवल उसकी कमर न टूटने पाये, अगर इसके लिए आप उसका बचाव कर रहे हैं तो यह बहुत अफसोसजनक है और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप सब अगर सभी पूरा हाऊस मिलकर के इस विधेयक को पास करता तो बहुत अच्छा संदेश प्रदेश के अन्दर जायेगा, जनता के मन में भी जायेगा और साथ ही साथ यह विश्वास पैदा होगा पूरे प्रदेश के अन्दर कि सचमुच राजनीति के अपराधीकरण जिस पर बार-बार न्यायालय हम लोगों को टारगेट करता है, एक मैसेज जाना चाहिए कि यह हाऊस किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्यों के खिलाफ है और संगठित अपराध को हर सम्भव रोकने के लिए है। आप क्या बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने, हम लोग एक दूसरा विधेयक भी लेकर आने वाले हैं कि जितने भी राजनीतिक मुकदमें हैं जो आप लोगों के समय में हुए होंगे या इधर के समय में हुए होंगे, किसी के भी समय में हुए होंगें, उसमें ज्यादातर 107, 16 के मुकदमें हैं, जिसको लेकर के आप देखते होंगे

अक्सर कोई किसी सी0जे0एम0 कोर्ट से, किसी मा0 विधायक को, कभी किसी मंत्री को वारण्ट जारी होता है, हम लोगों ने तय किया 20 हजार ऐसे मुकदमों को हम सब समाप्त करने जा रहे हैं, यह सब राजनीतिक मामले हैं, आप जायेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पता लगा आपको पता भी नहीं आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया, मुकदमा दर्ज होने के बाद आपको पता ही नहीं, वारण्ट निकला, उसे कोई दबा देता है, अन्त में गैर जमानती वारण्ट निकलता है, पेपरों में निकलता है फलाने व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारण्ट जारी। हम लोगों ने तय किया है, हम राजनीति में कोई प्रतिशोध की भावना से नहीं आये हैं और जो यह कहना कि यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा है जिससे किसी को दबाया जा सके, यह तो अपमान है जो लोग यह कह रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों को, मुझे आश्चर्य हो रहा है, कल मैं एक सज्जन के बयान को सुन रहा था, देख रहा था, उनकी छवि कैसी है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा था यानी आप जिस बिल की मंशा स्पष्ट है, इसके माध्यम से आप लोग सदैव अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपने समर्पण और अपने पुरूषार्थ के लिए इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का हर तबके का व्यक्ति दुनिया के अन्दर सम्मान पाता है और जब इस प्रकार का विधेयक हम लोग लेकर के आते हैं तो आप लोग टारगेट करते हैं कि दलित और पिछड़ों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, यह अपमान है उन लोगों का, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पुरूषार्थ से अपना सम्मान अर्जित कर रहा है, आप लोग उसको विधेयक के दायरे में उन लोगों को कैद कर के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह लोग इस प्रकार का क्राईम करते हैं। अपराध कोई गरीब नहीं करता है, यह अपराध कोई कमजोर व्यक्ति नहीं करता है, यह अपराध वे लोग करते हैं, जो चेहरे सबके सामने पहले से तय हैं। इसलिए हम लोग इस विधेयक को आपके पास लेकर आयें हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और मैं इस बारे में आश्वस्त भी करता हूं कि इस विधेयक का दुरूपयोग करने की सम्भावना न के बराबर है फिर भी विधेयक है, हमारी सरकार किसी भी स्थिति में इसका दुरूपयोग नहीं होने देगी, न करने देगी, न की है, इन नौ महीनो में एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि राजनीति विद्वेष की भावना से किसी के खिलाफ कार्यवाही हुई है। कोई नहीं कहा सकता। कोई व्यक्ति इस बात की सिफारिश लेकर न मेरे पास आ सकता है न हमारे किसी मंत्री के पास जा सकता है, क्योंकि सरकार की कार्यपद्धति एकदम ट्रान्सपेरेन्ट है। किसी को उसमें हस्तक्षेप करने का नहीं है, हर व्यक्ति अपने कार्यों से, जब फुरसत पाये तब इस प्रकार के फिजूल कार्यों में अपना दिमाग लाये तो इसलिए मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं कि कोई भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और आखिर आप किस का विरोध करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो हमने इसमें प्राविधान कियें है, किन लोगों पर यह होगा? किस प्रकार की श्रेणी के लोग इसके दायरे में आयेंगे ? जो फिरौती के लिए किसी को अगवा कर सकें, क्या आप उसका बचाव करना चाहते हैं? किसी सरकारी अथवा केन्द्र सरकार के ठेके, स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों या सरकारी निकाय या अन्य प्राधिकरण या निजी कम्पनी, फर्म या संगठन के ठेके में बोली लगाने या हिस्सा लेने से किसी अन्य अवैध साधनों द्वारा सख्ती से या सख्त प्रदर्शन से किसी को रोकना, यह कहां गलत है कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड

ठेकेदार है, कोई माफिया, कोई अपराधी, कोई संगठित गिरोह कैसे उसको उसमें बोली लगाने से रोक सकता है। धन लेकर किसी की हत्या कर देना, क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार का विधेयक न बनें जिससे कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर किसी की हत्या करने के इस अवैध कारोबार को पिछले 12-15 वर्षो में प्रदेश के अन्दर खूब फलने-फूलने का अवसर दिया गया, उसी प्रकार से फलता-फूलता रहे ? रिक्त सरकारी या निजी भूमि या विवादित भूमि पर या भवन पर सख्तीपूर्वक जाली दस्तावेज लेकर कब्जा कर लेना, भवन बनाया कोई और है, भूमि किसी और की है किसी गरीब की है, सरकार की है और जबरदस्ती असलहों के बल पर उस पर कब्जा करना, गुण्डों के बल पर कब्जा करना। भवन या भूमि या उसके किसी भाग को उसके विधिक अध्यासियों से अवैध रूप से हटाने के आशय से क्रय करना या जाली दस्तावेज बनाना, बाजारों, फुटपाथ विक्रेताओं, मण्डियों, ठेकेदारों और अन्य व्यवसाय करने वालों से अवैध रूप से वसूली करना, क्या आप नहीं चाहते हैं ? मुझे एक बात बतायें कि पटरी व्यवसायी से ज्यादा गरीब, उससे ज्यादा दलित कौन है ? सबसे अधिक दलित तो फुटपाथों पर कार्य करने वाले व्यवसायी हैं, उनसे जो अवैध वसूली होती है, क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से उनसे वसूली होती रहे। हमारी सरकार तो उनके पुर्नवास के लिए प्रदेश के अन्दर लगभग ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, उन सबके व्यवस्थित पुर्नवास के लिए हम लोग एक नई फेरी नीति भी लेकर आयें हैं, हम लोग उनका व्यवस्थित पुर्नवास भी करेंगे लेकिन उनसे अवैध रूप से कोई वसूली करेगा तो हम उसको भी बक्शेंगे नहीं। मुझे लगता है कि एक पटरी व्यवसायी से ज्यादा दलित और उससे ज्यादा गरीब और कौन है? जितने भी पटरी व्यवसायी हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें 75 प्रतिशत दलित और अति पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं हमारी सरकार उनके लिए कार्य कर रही है और इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए भी हम लोग इस कानून को लेकर आयें हैं। अवैध खनन करना, वन्य जीवों का अवैध तस्करी करना। वन उपज का अवैध दोहन करना, मनी लॉड्रिंग से जुड़े हुए जो अपराध हैं, नकली और जाली दवा, अवैध मदिरा यानी इससे जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं, आप लोग जब विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब इस प्रकार के संगठित अपराध में लिप्त तत्वों का आप बचाव कर रहे हैं और इसलिए मैं आप सबसे यह विनम्र अपील कर रहा हूँ कि प्रदेश के हित में हम लोग इस कानून को लेकर के आए हैं, इस विधेयक को लेकर के आए हैं। प्रदेश की 22 करोड़ जनता में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त हो सके तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्राविधान किए हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें दे दी गई। कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। महोदय, कर्नाटक में भी इस प्रकार का कानून काम कर रहा है और महाराष्ट्र में भी काम कर रहा है। कर्नाटक में जो कर्नाटक कोका है उसके अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लिए डी0आई0जी0 का अनुमोदन चाहिए, विवेचना पुलिस उप अधीक्षक द्वारा होगी और चार्जशीट ए0डी0जी0 स्तर के अधिकारी द्वारा स्वीकृत होगी। मकोका में भी यही स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक व्यवस्था और अच्छी की है। हम लोगों ने कहा है कि रेंज स्तर के अधिकारी डी0आई0जी0 हों या आई0जी0 हों। वह और कमिश्नर मिल करके इन दोनों के अनुमोदन से ही फिर एफ0आई0आर0 दर्ज होगी। दूसरा विवेचना इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी

करेगा और ए0डी0जी0 स्तर का जो अधिकारी, जोन स्तर का जो अधिकारी होगा, ए0डी0जी0, आई0जी0 जोन इनके द्वारा चार्जशीट को स्वीकृति दी जाएगी उसके बाद ही यह कोर्ट में जाएगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो कानून बना हुआ है उसमें अपराध करने वाला कौन सा व्यक्ति इसके दायरे में है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 10 वर्ष के अन्दर जिन्होंने यह अपराध किया हो, उन लोगों को उसमें लिया गया है। हम लोगों ने लिखा है कि 5 वर्ष के अन्दर अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है, कोर्ट ने उसको आरोपी माना है तो उस दृष्टि से उसको हम लोग इस कानून के दायरे में ले लेंगे। हम लोगों ने इसमें एक व्यवस्था और की है कि अगर कोई सजायाफ्ता अपराधी पुनः अपराध करता है तो उसकी सजा मृत्युदण्ड या फिर न्यूनतम आजीवन कारावास होना चाहिए। इसमें हम लोग यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसमें एक अच्छी व्यवस्था दे दी गई है कि राज्य में संगठित अपराध नियंत्रण के लिए प्राधिकरण बनाए गए हैं जो एक बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें दे दी गई है। मुझे लगता है कि जनपद स्तर में महाराष्ट्र और कर्नाटक में दोनों जगह नहीं है लेकिन हम लोगों ने जनपद स्तर पर भी दिया है, राज्य स्तर पर भी दिया है और एक राज्य अपीलीय प्राधिकरण भी हम लोगों ने इसके लिए गठित करने की बात इसमें की है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एवं एक अपर पुलिस अधीक्षक तथा उस जनपद के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी की समिति, यह इसके बारे में जनपद स्तर सुनवाई करेगी। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था और अपर पुलिस महानिदेशक अपराध की एक समिति इसकी सुनवाई करेगी और जो राज्य अपीलीय प्राधिकरण होगा उसमें सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज, एक पुलिस महानिदेशक स्तर का और एक प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी इस समिति में होंगे यानी बचाव के लिए पर्याप्त माध्यम इसमें जिले स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, फिर राज्य स्तरीय प्राधिकरण के स्तर पर भी इसमें हम लोगों ने विशेष व्यवस्था कर दी है। गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। इसमें जो इसकी सुनवाई होगी वह बन्द कमरे में होगी, गवाह की पहचान गोपनीय रखने की बात है। इन सबका वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से फोटो, डिजिटल या वीडियो पिक्चर से भी अभियुक्त की शिनाख्त का प्राविधान हम लोगों ने इसके साथ किया है। न्यायिक प्रक्रिया से जैसे कोई अपराधी भाग जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं है कि इसके बाद क्या होना है हम लोगों ने कहा कि उसको फिर उसकी सजा होगी उसको हम लोग डेढ़ गुना सजा करने की व्यवस्था हम इस कानून में करने जा रहे हैं। अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बचाव भी करती है लेकिन साथ-साथ किसी भी प्रकार के संगठित अपराध के लिए हम लोग छूट नहीं दे सकते इसलिए इस कानून में इस बात का प्राविधान किया गया है। एक व्यवस्था जरूर कर दी गयी है इसमें और भी कि कोई भी ऐसा अपराधी उसको किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं प्राप्त हो सकती है जो कि यूपीकोका के दायरे में आएगा और उसकी पूरी सुरक्षा समाप्त कर दी जायेगी हर प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा वह कहीं से भी नहीं ले पाएगा लेकिन जेल में जिस प्रकार के संगठित अपराधी अक्सर होते हैं जो जेल से बाहर सांठ-गांठ करके हास्पिटलों में पड़े रहते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने इसमें व्यवस्था की है और खास

तौर पर इसमें जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना विशेष इलाज के लिए जेल सेवक द्वारा उसको बाहर नहीं ले जाया जाएगा और दूसरा यह है कि 36 घंटे से अधिक भर्ती के लिए आवश्यक होगा कि जिला मजिस्ट्रेट चिकित्सा बोर्ड का गठन करने के बाद फिर उसकी संस्तुति के आधार पर ही यह व्यवस्था हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद भी इस पर कोई आपत्ति है आप लोग अपनी बात को कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रदेश के हित में यह कानून बहुत आवश्यक है और इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि जो प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट है वर्ष 1986 का इसके दायरे में भी पहले से कानून मौजूद है लेकिन बहुत सारे ऐसे उपबन्ध थे जो उसमें नहीं थे लेकिन इसमें हम लोग करने जा रहे हैं और इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है जो अपराध के सिंडिकेट को पूरी तरह प्रदेश के अंदर ध्वस्त कर सके और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो व्यवस्था इसमें की गयी है जैसे गैंगस्टर एक्ट में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान नहीं थे जिसकी हम लोगों ने यूपीकोका में व्यवस्था की है। खासतौर पर अगर आप देखें कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो अपराधी होते हैं। गैगस्टर एक्ट में तो आप 107/16 के जो सामान्य यानि शांति भंग के लिए किसी ने धरना प्रदर्शन किया था उसी का दुरूपयोग करके पहले गुण्डा एक्ट लगा देते थे फिर उसी को गैंगस्टर में निरूद्ध कर देते थे। हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है कि यूपीकोका लगाने के लिए आवश्यक होगा कि पहले उस पर 110 की कार्यवाही हो चुकी हो यह व्यवस्था इसके अंदर आबद्ध है और दो वर्ष के भीतर उसको उस जिले से बाहर निरुद्ध किया गया हो इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। लोक अभियोजक के लिए भी गैंगस्टर एक्ट में न्यूनतम 07 वर्ष अधिवक्ता का कार्य और 07 वर्ष की संघ या राज्य के अधीन विधि के ज्ञान की अपेक्षायुक्त राजकीय सेवा उसमें थी लेकिन इसमें 10 वर्ष की व्यवस्था की गयी है। 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में वह कार्य कर चुका हो या 07 वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य अभियोजन सेवा में वह सेवा दे चुका हो। इसमें जो महत्वपूर्ण है वह ऐसे संगठित अपराध में लिप्त तत्वों की संपत्ति को जब्त करने का प्राविधान हम लोगों ने इसके अंदर रखा है। इसके साथ-साथ रिमाण्ड पर लेने के लिए यू0 पी0 गैंगस्टर एक्ट में पुलिस कस्टडी रिमाण्ड 60 दिन के दौरान उपलब्ध है लेकिन यू0 पी0 कोका में हम लोग देने जा रहे हैं कि सम्पूर्ण विवेचना के दौरान कभी भी पुलिस अब एक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त कर सकती है। इसके लिए विशेष रूप से इसमें व्यवस्था दी जा रही है जिससे समय पर और त्वरित ढंग से इन सब मामलों का निस्तारण किया जा सके। जमानत के सम्बन्ध में भी व्यवस्थाएं की गयी हैं। यू0 पी0 गैंग्स्टर में बिना अभियोजन के अवसर के जमानत नहीं दी जायेगी। यू0 पी0 कोका में अभियोजक को अवसर दिए बिना जमानत नहीं दी जायेगी यदि अभियुक्त द्वारा घटना पूर्व में जमानत पर रहते हुए की है तब तो उसको जमानत कतई नहीं दी जायेगी, इस बात का भी इसमें प्राविधान किया गया है। यू0 पी0 गैंगस्टर एक्ट में न्यूनतम कारावास 2 वर्ष है और अधिकतम 10 वर्ष है लेकिन यू0 पी0 कोका में हमने इसको थोड़ा और व्यवस्थित रूप से किया है कि कारावास या तो मृत्युदण्ड होगा या आजीवन कारावास होगा या न्यूनतम 25 लाख रूपये तक जुर्माना यदि संगठित अपराध किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। किसी अन्य संगठित अपराध के मामले में न्यूनतम 7 वर्ष कारावास एवं अधिकतम आजीवन

कारावास का दण्ड और न्यूनतम 15 लाख रूपये का अर्थदण्ड। संगठित अपराध करने का षड़यन्त्र करने वाले के लिए कम से कम 7 साल का कारावास एवं अधिकतम आजीवन कारावास का दण्ड और न्यूनतम 15 लाख रूपये के अर्थदण्ड की व्यवस्था इसमें की गयी है। संगठित अपराध करने का प्रयास करने वाले के लिए कम से कम 7 साल का कारावास, अधिकतम आजीवन कारावास या दण्ड और न्यूनतम 15 लाख रूपये के अर्थदण्ड की व्यवस्था भी इसमें है। संगठित अपराध करने वाले का समर्थन करने वाले के लिए कम से कम 7 साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास का दण्ड और न्यूनतम 15 लाख के अर्थदण्ड की इसमें व्यवस्था की गयी है। संगठित अपराध में जानबूझकर सुविधा देने वाले के लिए कम से कम 7 साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास का दण्ड और न्यूनतम 15 लाख का अर्थदण्ड भी इसमें किया गया है। संगठित अपराध के किसी सदस्य को आश्रय देने वाले या छुपाने वाले के लिए कम से कम 5 साल एवं अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 15 लाख का अर्थदण्ड भी इसमें दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध या सिंडिकेट का सदस्य मात्र होता है तो भी उसे कम से 5 साल का कारावास तो होगा ही और उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और इसके अतिरिक्त कम से कम 15 लाख रूपये तक का जुर्माना उसको देना होगा। जो कोई इस संगठित अपराध के द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित करेगा उसे 3 वर्ष का कारावास तो होगा ही, साथ ही उसे अर्थदण्ड भी देना होगा और उसकी अवैध अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने, राज्य के पक्ष में जब्त कर लेने की व्यवस्था इस कानून में होगी। धारा 25 यह भी व्यवस्था करती है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत अपराधी घोषित कर दिया गया हो वह ऐसी घोषणा के बाद अगले 30 दिन के भीतर यदि न्यायालय के अभिवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, उसे इस अपराध के लिए उसका विचारण हो रहा था उस अपराध के लिए तय दण्ड को कम से कम आधा दण्ड अधिकतम 7 वर्ष अवश्य मिलेगा भले ही वह मूल अपराध के लिए दोषमुक्त ही क्यों न कर दिया गया हो। इस अधिनियम की धारा 24(3) में यह व्यवस्था की गयी है कि इस अधिनियम के तहत कुर्क की गयी सम्पत्ति का यदि किसी भी प्रकार से अंतरण किया जाता है तो ऐसी सम्पत्ति को अंतर्निहित करने वाले ऐसे अन्तरिम सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कम से कम 3 वर्ष का कारावास होगा और उसे बढ़ाकर 5 वर्ष भी किया जा सकता है, यह इसमें एक व्यवस्था की गयी है। वैसे इसमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में अगर आप सभी सचमुच चिन्तित हैं तो प्रदेश की आवश्यकता इस प्रकार के कानून की है। इस प्रकार के कानून की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही हमारी सरकार उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017 को इस सदन में लेकर आयी है। मैं माननीय सदन से इस बारे में पुरजोर अपील करूँगा कि सचमुच अगर आप चाहते थे कि प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए, हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, अपराध को अपना व्यवसाय बनाने वाले तत्वों पर सख्ती होनी चाहिए और वह कानून की गिरफ्त में आ ही नहीं बल्कि अपराधियों के अंदर कानून का एक भय या अपराधियों को संरक्षण देने वाले तत्वों को या अपराध में क्योंकि प्रदेश की दृष्टि से आप देखें तो वोरा कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो जो नेक्सेस

प्रदेश की दृष्टि से देखने को मिला है वह बहुत खतरनाक रहा है। यहॉ अपराध, राजनेता, प्रशासन से जुड़े हुये अधिकारियों का जो नेक्सेस रहा है, एक बहुत घिनौना जो गठबंधन प्रदेश के लिये रहा है इसने पूरे प्रदेश को बहुत से क्षेत्र में पीछे किया है। इससे प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हुआ है, प्रदेश का व्यापारी पलायन किया है प्रदेश के अंदर यहॉ आम जन के सामने, जैसा मैनें पहले भी कहा कि जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वह प्रति व्यक्ति आय आजादी के समय क्या थी और आज हम कहॉ पर खड़े हैं मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस प्रकार की स्थिति है तो हम लोगों को अवश्य इस पर विचार करना चाहिये और मैं आप सबसे अपील करूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त हो सके और प्रदेश के अंदर आमजन के अंदर सुरक्षा का एक माहौल पैदा हो, इस दृष्टि से हम लोग इस विधेयक को इस सदन में लेकर आये हैं और मैं तो आप सबसे अपील करूँगा कि आप सभी इस विधेयक का समर्थन करें और इसको पास करने में अपना योगदान दें और प्रदेश के अंदर एक भयमुक्त वातावरण, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त वातावरण देने के लिये हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में अगर आप सभी सहयोगी बन सकेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता सचमुच आपको इस बात के लिये साधुवाद देगी और मुझे लगता है कि हम लोग तो देंगे ही देंगे। इस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसको सर्वानुमति से पास कराने की अपील भी इस माननीय सदन से कर रहा हूँ, धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, माननीय सम्मानित नेता सदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक लम्बा उबाऊ प्रवचन इस सदन में दिया है। कभी–कभी टी0वी0 में हम लोग साधु संतो का प्रवचन देखते हैं वह एक चौपाई कहते हैं और ऊपर की लाइन को ही परिभाषित करते–करते पहला दिन खत्म कर देते हैं और दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का, चौथे दिन चौथे का। एक तरफ यह कह रहे थे कि यह छोटा सा कानून है और प्रवचन हुआ बहुत लम्बा । श्रीमन् यह विधेयक प्रदेश के लिये, प्रदेश की जनता के लिये, प्रदेश के सभी वर्गो के लिये और यहॉ तक कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारों के लिये भी काला कानून है। यह विधेयक अघोषित इमरजेंसी लगाने वाला, जनमानस के मूल अधिकारो का हनन करने वाला काला कानून साबित होगा। इसी तरह का एक विधेयक इस सदन में पहले भी आया था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन इन्होंने दंड का, जेल का और फॉसी का प्रावधान इन्होंने किया है। 6 नवम्बर, 2007 को पारित यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनॉक 5 नवम्बर, 2007 को पारित कर विधान परिषद् में भेजा गया था, वापस आने पर पुनः 13 अगस्त, 2008 को पास किया गया था परन्तु तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने इसे मंजूरी नहीं दी। पूर्व में प्रस्तुत विधेयक को सामान्य संशोधन के साथ पुनः लाया गया है। जो संशोधन किये गये हैं उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल

देना चाहता हूँ। दण्ड अवधि एवं शुल्क बढ़ाने के लिए किये गये हैं ये संशोधन, जहाँ तीन वर्ष था वहाँ पाँच वर्ष कर दिया गया।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 नेता विरोधी दल जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है तो मैं निकलना चाहता हूँ, आपका भाषण हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी पूरा सुनेंगे, जवाब भी देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी उसका जवाब दूँगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मेरे ख्याल से, जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा भी है कि यह बहुत बड़ा कानून है और जिन लोगों के लिए आपने कहा है उनमें बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें शायद मौजूदा कानून से तसल्ली न होती हो।

श्री योगी आदित्यनाथ-

सबको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आपके रहने से सदन व्यवस्थित रहता है, आपके रहने से विपक्ष की बात सुन ली जायेगी वरना हो सकता है कि आपके न रहने से बात बहुत संजीदगी से न आये। वैसे भी जब ऐसे विधेयक आयें तो नेता सदन इसलिए मौजूद रहें कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का बोलना और नेता सदन का चला जाना, मैं समझता हूँ कि यह विपक्ष का अपमान है और आप अपमान नहीं करेंगे।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैंने कल ही इस बारे में मा0 अध्यक्ष जी से और मा0 नेता प्रतिपक्ष से इस बारे में पूछा भी था और इसीलिए मैंने अपनी बात को पहले रखा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, कल नेता सदन की बात हम लोग मान लिये थे इसीलिए तो प्रश्न ऑवर के बाद ही प्रस्तुत हो गया। अब जैसी इनकी मर्जी, इनके ऊपर है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता सदन तो आपसे पूछ करके जाना चाहते हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हम तो आपसे पूछकर के जा रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

लोकतन्त्र की परम्परा प्रक्रिया में आपका इस पर क्या विचार है।

श्री अध्यक्ष-

हमारा विचार यह है कि आप दोनों इतने वरिष्ठ हैं कि हम आप दोनों पर कभी पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

केवल जो पहला आया था, दण्ड अवधि एवं शुल्क बढ़ाने के लिए।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से यह स्वस्थ परम्परा का सबूत नहीं दिया गया है। ऐसे कानून के बारे में जो दूसरे प्रदेशों में भी बना हो।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

नहीं मान्यवर, यह नेता प्रतिपक्ष का अपमान है। नेता सदन का चला जाना पूरे विपक्ष का अपमान है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल आप अपनी बात रखें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हम लोग यह मानकर चलते हैं कि आपके चलते विपक्ष का अपमान हो यह कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर विरोध को अपमानित करने का षड़यन्त्र हमेशा रचती है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आज तो ऐसी बात नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जो मैंने पहले कहा कि जो पहले विधेयक आया था इसी सदन में, उसमें थोड़ा संशोधन इन्होंने किया है, जिस पर राज्यपाल जी ने भी दस्तखत नहीं किया था और उन्होंने उसे महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज दिया था और राष्ट्रपति जी ने उस पर दस्तखत न करके उसको वापस कर दिया था, इसमें थोड़ा सा इन्होंने संशोधन किया, पुराने विधेयक में जहाँ तीन वर्ष था वहॉ पॉच वर्ष कर दिया गया है, जहाँ पॉच वर्ष था वहॉ सात वर्ष और जहाँ सात वर्ष था वहॉ 10 वर्ष कर दिया गया है। अर्थदण्ड जहाँ 5 लाख रुपया था वहॉ 15 लाख रुपया कर दिया गया है, जहाँ 10 लाख रुपया था वहॉ 25 लाख रुपया कर दिया गया है। बाकी वही विधेयक है जो पहले आया था।

श्री अध्यक्ष-

कुछ मा0 सदस्य मा0 मंत्रीगण के पास आते हैं, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी और मा0 मंत्रीगण ध्यान से इस सभा की कार्यवाही में भाषण को सुन रहे हैं तो जब तक इस तरह की कार्यवाही चल रही है तब तक मा0 सदस्य मा0 मंत्रीगण से न मिलें तो ठीक रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

हमने तो पहले ही कहा था, आपने माना ही नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप तो हम लोगों की बात को थोड़ा सा अनसुना कर देते हैं। नेता सदन जब बोल रहे थे, अपना प्रवचन कर रहे थे, पूरा विपक्ष एक स्वर से उनकी बात को सुन रहा था। किस डर से भाग गये नेता सदन ?

श्री अध्यक्ष-

आपसे पूछकर गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

क्योंकि उनको हिम्मत नहीं थी इस काला-कानून के विषय में विपक्ष की बात सुनने की, हिम्मत नहीं थीं। नहीं तो कल यह तय हुआ था कि कि उनको जाना है तो प्रश्न प्रहर के बाद ले लिया जाए, एक स्वर से पूरा विपक्ष उसको मान गया। तो इस पर वाद-विवाद हो जाता, वोटिंग हो जाती, उसके बाद चले जाते, इसीलिए तो सवेरे लिया गया। लेकिन डर, भय, मन के अंदर का चोर, इसलिए उठकर चले गये, हम लोगों के कहने के बावजूद कि केवल मेरे भाषण तक रह जाइये। यह परम्परा है सदन के अंदर नेता सदन बोलें तो नेता विपक्ष मौजूद रहें, नेता विपक्ष भाषण दें तो नेता सदन मौजूद रहें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन की परम्परा रही कि बजट के ऊपर जब भाषण हुए हैं तब तो यह परम्परा रही है, इसके अलावा यह कभी परम्परा नहीं रही है। आप कार्यवाही उठाकर देख लें। कभी परम्परा नहीं रही कि अगर नेता विपक्ष बोलें तो हर समय नेता सदन यहॉं मौजूद रहें। आप देख लें और यह कहना, जिस प्रकार से नेता विरोधी दल, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि किस भाषा का प्रयोग सदन में किया जाय, यह जरूर सोचना चाहिए। यह कहना कि नेता सदन के पास हिम्मत नहीं है, ठीक नहीं है, आप कार्यवाही देख लें, दो घण्टे तक परसों, अनुपूरक बजट के ऊपर नेता सदन बोले हैं 1 घण्टा 40 मिनट और दो घण्टा 05 मिनट बोले हैं नेता विरोधी दल और मान्यवर, एकटक बैठकर पूरी तरह से उनको सुना है। यह परम्परा थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है, आप आसन ग्रहण करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वह कम से कम संसदीय और शिष्ट भाषा जरूर हो। यह हम आपसे आग्रह करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह कानून एक अघोषित इमरजेंसी है, संसदीय कार्यमंत्री जी को बात पलटने की आदत है।

(श्री मो0 आजम खॉ ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि नेता सदन का बैठना उनकी जिम्मेदारी है, न बैठना बुरी बात है। कोई अहसान नहीं कर दिया, यह लोकतंत्र का तकाजा है।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय आजम खॉ साहब नेता विपक्ष को बोलने दीजिए। विधेयकों पर ऐसी परिपाटी नहीं है, मा0 नेता विरोधी दल को बोलने दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं इन्हीं की बात कह रहा हूँ श्रीमन्, जब यह विधेयक इसी सदन में आया था तो यही जो इस समय संसदीय कार्यमंत्री हैं इन्होंने क्या भाषण दिया था, वह मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास भाषण की कापी है। 'यह कानून एक अघोषित इमरजेंसी के रूप में हमारे बीच आया है।'

श्री अध्यक्ष–

आप अपने असली हथियार नहीं निकालते, अब निकाले हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, नेता मा0 हुकुम सिंह जी थे। इन्होंने यह कहा था कि 'यह कानून एक अघोषित इमरजेंसी के रूप में हमारे बीच आया है, यह हमारे फण्डामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। इस कानून में ऐसी बहुत सी धारायें हैं जिसके लिए संविधान इस बात की इज़ाजत नहीं देता कि उनको कानून में रखा जाए, कोई भी अगर हाईकोर्ट में उसको लेकर के खड़ा हो जायेगा तो अल्ट्रा-वॉयलेट घोषित हो जायेगा। इससे सूचना का अधिकार प्रतिबंधित है। यह कानून पुलिस की जेब भरने वाला कानून है, जेब ऑटोमेटिक भर जायेगी।' यह कथन मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी का है जो 05 नवम्बर, 2007 को विधान सभा में कहा था। इसी कानून के आने पर।

(कुछ सदस्यों के अपने आसन पर बैठे-बैठे बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहिये, बिल्कुल न बोलिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

दूसरा इन्हीं के दल के एक नेता माननीय हुकुम सिंह जी, जो इस समय सांसद हैं उन्होंने क्या कहा था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो इस सदन का सदस्य नहीं हैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

वह कार्यवाही से उद्धरण दे रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह कथन जो है सुरेश कुमार खन्ना जी का है जो हमने पढ़ा माननीय अध्यक्ष जी यह 5 नवम्बर, 2007 को विधान सभा में कहा था और इन्हीं के दल के एक नेता थे यहॉ मौजूद, वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के मित्र भी हैं, माननीय हुकुम सिंह जी उन्होंने क्या कहा था? उत्तर प्रदेश में प्रचलित जितने भी कानून हैं, अपराध से संबंधित लगभग सभी को संशोधित करके लाया गया यह विधेयक है। चाहे एविडेंस एक्ट हो, सी0आर0पी0सी0 हो या इंडियन पैनेल कोड हो। फिर माननीय हुकुम सिंह जी ने क्या कहा था। कई चीजें इसमें ऐसी आई हैं जो स्वतः विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के प्रति कन्ट्राडिक्ट्री स्वंय ही हैं। फिर क्या कहा था। इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति की आजादी सुरक्षित नहीं है। इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति की आजादी सुरक्षित नहीं है चाहे विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो। इस कानून के ले आने के बाद कोई भी चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति हो, इस कानून से सुरक्षित नहीं है। इस कानून में उसको फंसाया जा सकता है। लम्बा-चौड़ा भाषण है। यह तो अभी उतना था इन्होंने उसमें और क्या जोड़ दिया श्रीमन्। माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा था यह विधेयक उत्तर प्रदेश में प्रचलित जितने भी कानून अपराध से संबंधित हैं उन सबको संशोधित करने का विधेयक है। चाहे वह एविडेंस हो, सी0आर0पी0सी0 हो या इंडियन पैनल कोड हो। इसमें किसी राजनीतिक आदमी की आजादी सुरक्षित नहीं है। चाहे विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो। इस कानून का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ नहीं होगा बल्कि प्रतिपक्ष के लोगों का गला दबाने के लिये राजनैतिक लोगों को दबाने के लिये होगा। उनका शोषण करने के लिये यह कानून लाया गया है। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेताओं का बयान है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

2007 से लेकर अब तक बहुत परिस्थितियॉ बदल गई हैं। आपने प्रदेश को पॉच साल में कहॉ पहुँचा दिया। यह 5 साल के कार्य की वजह से लाया गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अब इसमें अधिक इन्होंने क्या कर दिया कि यह इमरजेंसी का है। इमरजेंसी में पत्रकारिता पर, समाचार पत्र पर और समाचार एजेंसियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। कई बड़े बड़े इस देश के पत्रकार, बड़े-बड़े पत्रकार जेलों में डाल दिये गये थे। कुलदीप नैययर आदि। अब इसमें देखिये 2/1(2) में किसी सूचना को किसी विधिक प्राधिकार के बिना देना या प्रकाशित करना जिसे संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता सम्भावित हो और संगठित अपराध सिंडीकेट से प्राप्त किसी दस्तावेज या सामग्री को आगे भेजना उसका प्रकाशन या वितरण। श्रीमन्, इसके माध्यम से हमारे प्रिन्ट मीडिया चैनल के पत्रकार बराबर किन्ही न किन्हीं घटनाओं को समाज के सामने, सरकार के सामने लाते हैं। सरकार के भी खिलाफ लाते हैं, विपक्ष में भी अगर किसी का आचरण वैसा हो तो उसका भी लाते हैं। हर तरह की सूचनाओं का विश्लेषण

प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से होता है। वह तब प्रकाशित करेंगें या दिखायेंगें जब पुलिस अधिकारी उनको अनुमति देगा। मान्यवर, लोकतंत्र का जो चौथा स्तम्भ है। विधायिका को तो इन्होंने डराने, धमकाने, अपमानित करने का षडयंत्र रचा ही लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को भी इन्होंने भयभीत करने का काम किया है। अगर इनके मन का समाचार पत्र में नहीं छपा, चैनलों में इनके मन के अनुसार नहीं दिखाया तो उनको भी गलत आरोप दिखाकर सात वर्ष, दस वर्ष, पन्द्रह वर्ष जेल काटनी पड़ेगी और अर्थदण्ड भी उनको देना पड़ेगा वह कानून जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके माध्यम से हमारी मीडिया पर भी प्रतिबन्ध लगेगा, तमाम टी0वी0 चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें और प्रदेश की जनता को समाज में घटित घटनाओं की जानकारी दी जाती है। उन प्रकाशित घटनाओं पर सरकार भी संज्ञान लेती है कभी-कभी हमारे न्यायालयों को भी जनहित में सीधा संज्ञान लेना होता है मीडिया जनता के दुख दर्द को, सरकार की कमियों को प्रकाशित प्रसारित कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करती है। प्रजातंत्र में मीडिया अह्म संसाधन है हमारी और भारत की आजादी में भी मीडिया की अह्म भूमिका रही। ऐसे में उन्हें प्रतिबन्धित करना उन पर अंकुश लगाना उनकी पृथक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। अब कोई भी घटना प्रकाशित प्रसारित करने के पूर्व अनुमति लेनी होगी यही इमरजेंसी में भी था। श्रीमन् इस विधेयक में पुलिस प्रशासन को सारे अधिकार दिए हुए हैं अब मीडिया के भाई पत्रकार भाई हमारे जाएंगे कि आप हमको यह समाचार प्रसारित करने की अनुमति दें। तो 16(4) में दिया गया है कि-राज्य संगठित अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी शिकायत की प्राप्ति पर स्वप्रेरणा से शिकायत की जॉच स्वंय कर सकता है या पुलिस महानिदेशक को उचित कार्यवाही के लिए निर्दिष्ट कर सकता है इसमें संविदा, पट्टा या करार भी सम्मिलित है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत से ऐसे लाखों परिवार हैं जो चालीस वर्ष, पचास वर्ष पहले, किसी आदमी ने पूछा हम कहां बसे, हमारा घर नहीं है, तो कहा गया जाओ वहां जाकर बस जाओ, गॉव के गॉव बस गये हैं, वह जमीन अभी जमींदारों के नाम से ही है उनके नाम से नहीं है और बसे हैं पचासों साल से, इस कानून से बेदखल किया जाएगा, अगर वह बेदखल नहीं होते हैं तो उनको जेल काटना पड़ेगा, यह गरीबों की सरकार है। संविदा, पट्टा, करार के तमाम मामले ऐसे होते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं। किसी गरीब ने कर्जा लिया 6 माह में उसे अदा करना है कोई गरीब आदमी है परिस्थितियॉ ऐसी नहीं रहीं कि वह 6 महीने में जमा कर दें। वह भी जेल काटने का और दंडशुल्क देने का अधिकारी होगा। इस कानून के दायरे में वह आ जाएगा। दंडशुल्क देने के बाद भी वह मुक्त नहीं हो सकता है। कर्ज देने वाले करार के अनुरूप कर्ज मॉगेगा, ऋणी व्यक्ति कर्ज न देने की नीयत से अदेय आर्थिक प्राप्ति हेतु दबाव बनाकर शेष कार्यों में फंसा देगा। 3(1) के अनुसार। (4) में क्या है, इसमें है कि निजी भूमि या विवादित भूमि या भवन पर शक्ति पूर्वक या जाली दस्तावेजों के द्वारा कब्जा करना, यह स्वंय में विरोधाभासी है, निजी भूमि जिसका वह स्वयं मालिक है जाली दस्तावेज बनाकर कब्जा करने का प्रयास क्यों करेगा। यदि कोई अपना भवन किसी को निगरानी के लिए देकर चला जाता है कहीं और वह जाली दस्तावेज बनाकर काबिज हो जाता है, मान लीजिए हम कहीं जाएं और किसी को रख दें दो साल के लिए हमारे मकान की रखवाली करना इसमें रहना और जब वह लौटकर आवे और कहे हम मकान में रहेंगे अब तुम जाओ तो वह काविज व्यक्ति तुरन्त कोर्ट जाएगा। वह मालिक के आने पर उसे भगा देगा कहेगा

कि यह हमारा है तुम्हारा है ही नहीं। इस कानून के तहत अपराध कायम कराकर वह स्वयं मालिक बन जाएगा। चूँकि कागजात असली है या नकली इसका निर्णय तो कोर्ट में होगा। तब तक मालिक बेदखल इस कानून में यह भी व्यवस्था है इसमें आ रहा है। विधिक अध्यासी किसे कहेंगे भवन में रह रहा किराएदार जो मकान खाली न कर कोर्ट जाता है विधिक अध्यासी मानकर मुकदमा चलता है किराएदारी के तमाम अधिकार दे दिए गए हैं। इसलिए भवन स्वामी द्वारा भवन खाली कराने पर इस कानून का दोषी बनकर मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा भोगेगा। यह प्राविधान है इस कानून में जो माननीय मुख्यमंत्री और नेता सदन ने गरीब के रूप में फुटपाथों पर लिया है 6 में व्यवस्था क्या है बाजारों, फुटपाथ विक्रेताओं, मण्डी ठेकेदारों और व्यवसाय करने वालों से अवैध रूप से सुरक्षा धन संग्रह करना। जो अभी मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे इस एक्ट में प्राविधान किया गया है श्रीमन् सुरक्षा धन का तात्पर्य क्या है अभ्यर्थी कौन सा धन ले रहा है इसकी पुष्टि कैसे होगी । तमाम बड़े दुकानदार छोटे दुकानदारों को उधार पर सामान देते हैं वसूली के समय तू-तू, मैं-मैं झगड़ा भी हो जाता है। सब सदन के सदस्य जानते हैं कपड़ा के व्यापारी हों, सोने का व्यापारी हो, गल्ला का व्यापारी हो, छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से सामान उधार ले आते हैं वसूली की एक प्रक्रिया है लोग वसूलने जाते हैं जब वसूलने जाएगा तो तू-तू, मैं-मैं हो जाता है तो उसको भी कानून का दोषी बनाकर जेल और अर्थदण्ड में उसको फंसा दिया जाएगा। यह कैसा तुगलकी कानून है (सात) शक्ति का प्रयोग या शक्ति के प्रयोग की धमकी या अन्य अवैध साधनों द्वारा अवैध खनन कार्य में लिप्त होना या वन उपज का अवैध दोहन करना या वन्य जीवन में व्यापार करना यह सबसे बड़ा खतरनाक है। एक दिन कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी आपकी अध्यक्षता में जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होती है वह बैठक हो रही थी उसमें भी मैंने इस सवाल को उठाया था जो पुलिस को आप अधिकार देंगे तो वह तो अपने अनुसार कार्य करेगी अगर कोई किसान एक ट्राली मिट्टी अपने ही खेत से निकालकर अपने दरवाजे पर ले आ रहा है तो अवैध खनन के दायरे में है अगर कोई किसान अपना ही पेड़ काटकर अपने घर ला रहा है तो अवैध वन का दोहन हो गया अध्यक्ष जी, इन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, चालीस-पचास वर्ष पहले जब साबुन सोडा इतना नहीं था घर आज भी लोग मिट्टी से गोबर से लीपते हैं और निजी ताल पोखरे या किसी के खेत से निकाला जाता है, अगर वह लेकर आए रास्ते में पुलिस पकड़ ले जैसे उस विधेयक के बिन्दु 7 के सम्बंध में तत्कालीन भाजपा विधायक श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने कहा था कि पुलिस तो माल मांगेगी माल नहीं दोगे तो जेल चलो, किसान बरबाद, न अपना पेड़ काट सकता है न अपना पलानी पेड़ लगा सकता है, न अपने खेत से मिट्टी निकाल सकता है, न अपने खेत से एक ट्राली बालू निकाल सकता है। यह सारा अधिकार पुलिस को देकर किसान को भी प्रताड़ित करने उनको जेल भेजने अर्थदण्ड देने का प्राविधान इस एक्ट में किया गया है। जो दसवां प्राविधान है नकली/जाली दवाओं या अवैध मदिरा का विक्रय करना या निर्माण करना या निर्माण में सहायता करना जो लोग नकली दारू और असली दारू बनाते हैं। मान लीजिये कोई किसान है, वह बाजार में गुड़ लेकर बैठा है उसका अपने घर का गुड़ है। कोई आदमी उससे गुड़ खरीद कर ले गया तो अब वह किसान जो गुड़ बेच रहा है वह क्या जानता है कि उसका गुड़ वह किस उपयोग में लायेगा। उसका शरबत बनाकर पियेगा या गुड़ खायेगा। वह गुड़ को ले जाकर अगर उसका उपयोग नकली दारू बनाने में करता है

और पुलिस नकली शराब बनाने वाले को पकड़ती है तो वह पूछेगी कि तुम गुड़ कहाँ से लाए, फलानॉ किसान से? तो किसान पकड़ा जायेगा और वह किसान भी सजा का अधिकारी होगा और दण्ड का अधिकारी होगा। ऐसा काला कानून कि किसान चाहे बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, अपने खेत-खलिहान में 24 घण्टे, 18 घण्टे मेहनत से काम करता है, उसको भी इस एक्ट में बख्शा नहीं गया है। 6(क) यदि पहले आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तो दूसरे अपराध के लिये मृत्यु दण्ड दिया जायेगा या आजीवन कारावास और न्यूनतम पच्चीस लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। किसी छोटे अपराध में मान लीजिये कोई सजायाफ्ता है और सजा काटने के बाद वह घर आ गया। उसके विरोधी ने षडयंत्र करके उस पर आरोप लगा दिया और पुलिस उसको दुबारा पकड़ करके किसी केस में उसको दण्डित करती है तो उसके लिये मृत्यु दण्ड का प्राविधान है। माननीय अध्यक्ष जी, समाज और जनता के बीच राम राज्य की कल्पना प्रचारित करके बहुमत प्राप्त करने वाली यह सरकार मृत्यु दण्ड क्यों प्रदान करती है जबकि पूरी दुनिया में मृत्यु दण्ड समाप्त किये जाने को लेकर एक आंदोलन चल रहा है कि मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया जाये। दुनिया में तमाम मानवाधिकार संगठन तथा नेता इस आंदोलन को चला रहे हैं कि मृत्यु दण्ड को समाप्त कर दिया जाये और राम राज्य वाली यह सरकार, एक महामंडलेश्वर, सन्त वाली यह सरकार मृत्यु दण्ड का प्राविधान कर रही है। 24(1) में है जो माननीय नेता सदन पढ़ रहे थे कि जिला मजिस्ट्रेट के मात्र विश्वास पर किसी व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है, चाहे ऐसे अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया हो या नहीं लिया गया हो। कलेक्टर जिसको चाहेगा उसकी सम्पत्ति जब्त कर सकता है। आज हम विरोध पक्ष की राजनीति करते हैं, किसी के कहने से हमारी सम्पत्ति जब्त हो जाए और कल यह विरोध में आ गए तो किसी के कहने से इनकी सम्पत्ति जब्त हो जाए, मजिस्ट्रेट को इतना अधिकार दे दिया। मान्यवर, 22(1) बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आरोपित व्यक्ति को यह जानने का अधिकार नहीं रहेगा कि किस व्यक्ति ने उसके विरुद्ध शिकायत भेजी है। जिस व्यक्ति ने शिकायत भेजी है वह व्यक्ति कौन है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपित होता है तो उसको यह नहीं बताया जायेगा कि उसके विरुद्ध किसने शिकायत की है। शिकायत है भी कि नहीं या फिर कोई फर्जी शिकायत है। हमारी सम्मानित पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी कह देंगे कि आपके विरुद्ध शिकायत है। हमारे बहुत से माननीय सदस्य बैठे हैं। पुलिस के अन्याय, अधिकारियों के अन्याय के खिलाफ हमारे ही जिले के कर्मठ विधायक, उनको बर्दाश्त नहीं होता, लड़ाई लड़ने लगते हैं। अगर कोई पुलिस वाला घूस लेता है, किसी को मारता है, गिरफ्तार करता है तो पहले वह पैरवी करते हैं और अगर पैरवी नहीं सुनता है तो वह लड़ भी जाते हैं तो क्या वह जेल में रहेंगे ? विधायक जेल में ही रहेंगे। चौकन्ना हो जाईये, क्योंकि इस कानून में यह व्यवस्था है। कोई पुलिस वाला कितना ही अत्याचार करे। वह कितनी ही बड़ी घूस वसूल ले, कितना ही वह गरीब को मारे, अगर कोई जनप्रतिनिधि जाकर उससे झगड़ा करता है कि तुमने गलत काम क्यों किया है तो वह संरक्षण देने के नाम पर कि यह विधायक या फिर यह मंत्री अपराधी को संरक्षण दे रहा था। उसी कानून में उसको भी जेल, दण्ड और जुर्माना झेलना पड़ेगा। यह कैसा काला कानून है। माननीय नेता सदन कह रहे थे कि किसी पर गलत कार्यवाही नहीं होगी, हम बहुत अच्छे तरीके से इसे लागू करेंगे उस विषय पर मैं आगे आऊँगा। पहले इस विषय को स्पष्ट कर दूँ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

पुलिस पर भी तो वही कानून लागू होगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

यह कहां पर लिखा है कि पुलिस पर भी लागू होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अगर सत्ता बदल गई और झगड़ा करोगे तो आप पर तो सबसे पहले लागू होगा। आपने तो जिले से लेकर विधान सभा तक झगड़ा किया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मेरे खिलाफ क्या-क्या नहीं किया गया ? फिर भी मैं खड़ा हूँ आप लोगो की दुआ से।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, 27 के अनुसार यदि किसी कारण से बीमारी के कारण या किसी कार्यवश देश या प्रदेश के बाहर होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से सूचना न मिल पाने के कारण कोई मुल्जिम उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसको दस वर्ष के कारावास की सजा है। यह गैर जमानती है, इसमें जमानत भी नहीं होगी। 34-क(2) में क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है जब जनता के बीच भ्रमण के समय या मोटर काफिले में या अन्यथा रूप से निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ नहीं ले जायेगा। श्रीमन्, यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबको सुरक्षा मिली हुई है। हम किसी शादी-ब्याह में जाते हैं। इस समय नया प्रचलन शुरू हुआ है जितने लोगो की शादी है वह सब विधायक के यहां पर न्योता भेज देते हैं। हम जायेंगे उसमें हर तरह के लोग आते हैं। अगर पहले से मौजूद दो-चार बन्दूक वालों के बीच विधायक जी किसी प्रकार से पहुंच जाये और उनकी कोई फोटो खींच ले और दिखला दे कि साहब यह विधायक जी, यह मंत्री जी या एम0पी0 साहब या इस पार्टी के अध्यक्ष, इस पार्टी के महामंत्री साहब गिरोहबन्द लोगो के साथ हैं, तो विधायक जी तो गये जेल और होगी दस वर्ष की सजा। हमारी तो मजबूरी है कि हम चुनाव लड़ते हैं, हम सार्वजनिक सभाओं में जाते हैं। जहां पूजा होती है, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जहां ब्याह होते हैं, शादी होती है, हर तरह के लोग उसमें आते हैं। हमको पहले से तो पता है नहीं कि वहां पर कितने बन्दूक वाले बैठे हैं। हम घर से जा रहे हैं तो हमें क्या पता कि जिस घर में शादी हो रही है वहां पांच बन्दूक वाले बैठे हैं। विधायक जी गये कोई फोटो खींच लिया और पुलिस जी को दिखला दिया, तो पुलिस जी विधायक जी को जेल जी में डाल देंगे। 24(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी तय करेगा कि दोषारोपित व्यक्ति विधिक सलाहकार की मदद ले सकता है या नहीं। जब विधिक सलाहकार की मदद लेना सभी का कानूनी अधिकार होता है तो इसको डालने की क्या जरूरत है। अब पुलिस तय करेगी, पहले तो स्वतंत्रता थी कि कोई भी न्यायालय में विधिक सलाह लेने के लिए फ्री था, लेकिन अब पुलिस यह तय करेगी कि कौन विधिक सलाह लेगा और कौन नहीं लेगा। अगर कोई भी मुल्जिम है अगर वह विधिक सलाह लेना चाहे तो पुलिस जी की मर्जी पर है, वह चाहेंगे तो मिलेगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं पुलिस जी शब्द का उपयोग डरकर कर रहा हूँ। 36 में यह है कि यदि किसी से जाने-अनजाने में इस अधिनियम की

नियमों/उपबंधों का उल्लंघन हो जाता है तो उसे तीन वर्ष की सजा या एक लाख जुर्माना हो सकता है। मान्यवर, कितना बढ़िया कानून है। हो जाता है अनजाने में क्योंकि हर आदमी तो पढ़ा-लिखा है नहीं। तीन वर्ष की जेल काटो नहीं तो 10 लाख रु0 का जुर्माना दो। श्रीमन् हमारे आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी में तमाम ऐसे कानून हैं और इस विधियेक के कानून आपस में विरोधाभासी साबित होंगे। मान्यवर, हम चाहते हैं कि अपराधियों पर कार्यवाही हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए परन्तु हमारे संविधान की मूल मंशा है कि एक भी निरापराध को सजा न मिले। अपराधी सजा से बच जाए उसे सजा देने में देर क्यों न हो जाए कोई भी कानून ऐसा होना चाहिए कि वह अपराधी को तो दंड दे सके परंतु निरापराध व्यक्ति को दंड न दिया जा सके। न्यायालय का भी यही न्याय है। मान्यवर, मैं मा0 नेता सदन से, मा0 संसदीय कार्यमंत्री से, सरकार के सभी मंत्रीगण से, सत्ता पक्ष के सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा भस्मासुर न पैदा करें जो बाद में स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो। श्रीमन्, किसी भी दल की सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती है। आज आपकी सरकार है कल दूसरे की हो जाएगी। कल विपक्ष में होंगे और किसी की सरकार दूसरे की होगी। प्रजातंत्र में राजतंत्र की भावना से कार्य करना उचित नहीं है। यह प्रजातंत्र है। आप राजतंत्र कायम करना चाहते हैं। रामराज की कामना को लेकर के आई यह सरकार राजतंत्र में विश्वास करने लगी है। मान्यवर, यह कानून जन विरोधी, प्रजातंत्र का हत्यारा और इतिहास का काला कानून साबित न हो सके इसलिए आवश्यक है कि हम सभी दल के सदस्यों को मिलाकर एक प्रवर समिति बना ली जाए जो विशेषज्ञों से भी विचार कर राय लेकर के अपनी एक रिपोर्ट सदन में रखे। मान्यवर, यह हम लोगों के जीवन-मरण का मामला है, इसीलिए मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है और मा0 नेता सदन यह विश्वास दिला दें कि हम दुरूपयोग नहीं करेंगे हम लोग तो यही चाहते हैं क्योंकि न तो नेता सदन पुलिस अधिकारी है और न ही हम पुलिस अधिकारी हैं। श्रीमन्, इन अधिनियमों को, कानून को लागू करना तो पुलिस और मजिस्ट्रेट के ऊपर है। मान्यवर, इसी सदन में गुंडा कानून आया था और सबसे पहले किस पर लागू हुआ? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का छात्रसंघ का पदाधिकारी छात्र नेता इस कानून से घबड़ाया हुआ है और यह पहले से ही छात्रसंघ की राजनीति को पंगू करके रखा है। राजनीति विषाक्त वातावरण में चली जा रही है। यह कानून सबसे पहले छात्रसंघ के नेताओं पर लागू होगा। मान्यवर, गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ सबसे पहले छात्रसंघ के नेताओं पर लागू हुआ। श्रीमन्, अभी काशी विश्वविद्यालय में एक घटना घटी है अगर यह लागू होता तो सारे छात्र-छात्राओं पर यह कानून लागू हो जाता। वह एक-एक साल, दो-दो साल, तीन-तीन साल, पांच-पांच साल, दस-दस साल जेल में रहते, वह क्यों इतना निर्दयी हो गये हैं। मान्यवर, 302 है, 395 है, 396 है, गुंडा ऐक्ट है, गैंगस्टर ऐक्ट है, आई0पी0सी0 की तमाम धाराएं हैं इससे आपको संतोष नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो क्या कह रहे थे कि अपराधी डर के मारे इस प्रदेश को छोड़ करके भाग गये हैं और बकिया जेल में हैं तो जब अपराधी भाग गये हैं, बकिया जेल में हैं, इनकाउण्टर में आपने सभी अपराधियों को मार दिया तो फिर किसके लिए कानून ला रहे हैं ? राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए, पक्ष-विहीन राजनीति करने और एक-छत्र हिन्दुस्तान में राज करने के लिए, एक-छत्र ? जब सारे जेल में हैं क्रिमिनल, अपनी जमानत तुड़वा-तुड़वा कर जेल में चले गए, हजारों को

आपने मुठभेड़ में मार दिया, बाकी बचे प्रदेश छोड़कर भाग गए, खुद इसी सदन में माननीय नेता सदन जी ने कहा, यह कार्यवाही में है। इतने सख्त कानून में आपने उनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर यह कानून किसके लिए है? फिर यह कानून किसके लिए है ?

(सत्तापक्ष के किसी सदस्य के कुछ बोलने पर)

शान्त रहें, यह बहुत गूढ़ मामला बा, बाबू, तनिक बइठा। किसके लिए है यह कानून ? आप ही कल भाषण देते थे कि निकम्मी सरकार को उखाड़ फेकेंगे, निकम्मी सरकार को उखाड़ो। बिजली का रेट आप बढ़ाये हैं, विपक्ष कहेगा कि बिजली का रेट मत दो बढ़ा हुआ, आप कहेंगे कि सरकार के प्रति बगावत है, उस नेता को जेल, फॉसी। अगर हम भाषण दे रहे हैं, कोई भी माननीय नेता भाषण दे रहा है, सरकार के विरोध में बोल रहा है तो सरकार के प्रति बगावत, जेल, फॉसी, अर्थ-दण्ड। यही लोकतंत्र की सरकार है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यही रामराज्य की सरकार है ? तुलसी जी का रामायण पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, कहीं इस तरह के कानून उसमें हैं ? आपको देखने को मिला है ? किससे प्रभावित हो करके आप इस कानून को ले आए ? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने स्वयं विरोधाभासी बयान इसी सदन में और माननीय नेता सदन ने दिया है और कहा है कि सारे अपराधी जेल में हैं, मुठभेड़ में मार दिए गए हैं या जो बचे थे, वह प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, लिखित में है, कार्यवाही में है। आखिर यह कानून किसके लिए, यह सवाल मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी, आप इस सदन के सर्वेसर्वा हैं, आप हम लोगों के संरक्षक हैं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं-नहीं, अभी मैं बैठा नहीं हूँ, अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र को मिटाने का कुचक्र है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सीता हरण में जिन लोगों ने सहयोग दिया, आपने वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया, रामचरित मानस का जिक्र किया, उन सब को मृत्युदण्ड मिला, सीताहरण में जिन लोगों ने सहयोग दिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अब तो सीता जी को बचायें। उस समय ऐसा कोई कानून था? संसदीय कार्य मंत्री जी बतायें। सीता हरण करने वाले से सीधे युद्ध हुआ था, जेल नहीं गया था, अर्थ-दण्ड नहीं दिया था, सीधे चला था तीर, धनुष, गदा, सोने की लंका जला दी गयी थी और उसमें जेल में भेजने और दण्ड देने का प्राविधान नहीं था। श्रीमन्, यही कहा जाता है सदन में कि यह जो कानून ला रहे हैं, जनता के हित में है, अपराधियों के लिए है। श्रीमन्, आप इमरजेंसी में जेल गए थे कि नहीं गए थे ?

श्री अध्यक्ष-

आपको मालूम है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन् आप इमरजेन्सी में जेल गये थे कि नहीं गये थे।

श्री अध्यक्ष-

आपको मालूम है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप गये थे, हम भी गये थे, रमापति शास्त्री जी नहीं है, वह भी गये थे, आर0एस0एस0 के 90 प्रतिशत लोग गये थे, भाजपा के लोग गये थे, समाजवादी पार्टी के शतप्रतिशत लोग गये थे। श्रीमन् उसमें क्या था ? एक से एक बड़े नेता जो जेल में डाले गये थे, उन पर क्या आरोप थे, 90 प्रतिशत एक ही तरह के आरोप थे, क्या आरोप थे, यह थाना फूंकने का प्रयास कर रहे थे, यह बिजली का खम्भा उखाड़ रहे थे, यह रेलवे की पटरी उखाड़ कर भाग रहे थे, केवल यही आरोप डीआईआर और मीसा लगा दिया गया सभी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। इनकी मंशा है इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस से अधिक दिन राज करने की, इसलिए यह चाहते हैं कि हमारा कोई विपक्ष, हमारा कोई विरोधी न रहे। श्रीमन् पोटा आया, किस गुण्डा पर लगा नहीं लगा, यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसी सम्मानित सदन के सदस्य राजा भइया पर पोटा लगा, एम0एल0ए0 थे, किसी गुण्डा पर नहीं लगा, राजा भइया जो लगातार जीतते हैं चुनाव, उन्हीं पर पोटा लगा। तो यह किसके लिए कानून आप ला रहे हैं, गुण्डा ऐक्ट तमाम पोलिटिकल लोगों पर लगा हुआ है, मा0 अध्यक्ष जी एकदम घनघोर इमरजेन्सी लागू हो गई है, लिखित न हो और जितने कानून आये उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को उसमें गिरफ्त में नहीं लिया गया था, उस इमरजेन्सी के जमाने में लिया गया था, केन्द्र की सरकार ने वह निर्णय लिया था और उत्तर प्रदेश के इतिहास में, इस सदन के इतिहास में ऐसा काला कानून कभी नहीं आया श्रीमन् जिसमें लोकतंत्र के दो स्तम्भ को ही कुचलने का प्रयास हुआ, विधायिका और पत्रकारिता। गारण्टी तो हम भी दे देंगे, सब लोग दे देते हैं, लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं, मैंने आपका भाषण पढ़ कर सुनाया है, क्यों मति भ्रष्ट हो गई है इतना बहुमत पाकर के, जिसकी यह बात कर रहे हैं श्रीमन् यह सारी शक्ति अर्जित करना चाहते हैं। यही तो रावण ने किया था, वायु को कब्जा में, अग्नि को कब्जा में, कुबेर को कब्जा में, विश्वामित्र का पुष्पक विमान अपने कब्जा में, सबको कब्जा में कर लिया था, विद्वान भी था, कर्मकाण्ड का सबसे बड़ा विद्वान भी था, लेकिन अहम था, वयम् रक्षामः मेरा धर्म स्वीकार कर लो, जिस पर भी आक्रमण करता था,

(मा0 मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अपनी सीट पर बैठे-बैठे कुछ टिप्पणी करने पर)

आप साथी हैं, पुरानी बातों को मत खोदिये, वो बातें विधान सभा में आ चुकी हैं। हम लोग मित्र भी हैं, आप भी बी0एच0यू0 में छात्र नेता थे, हम भी छात्र नेता थे, हम लोग आया-जाया करते थे, मित्र हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहिये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक से एक छात्र नेताओं पर केस लगे हैं, गुण्डा ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट लगा है, शाही जी आप पर भी लगा है, ध्रुव सिंह चौहान पर भी लगा है, जो विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष थे, एक से एक छात्र नेता आज देश की राजनीति को संभाल रहा है और इन सभी कानूनों की सजा भी भोगा हुआ है, जितने भी उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, हम सब अध्यक्ष थे, ध्रुव सिंह चौहान काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे और छात्र नेता बैठे होंगे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के हमारे मित्र छात्र नेता हैं। पूछिये कितनी बार गुण्डा एक्ट में जेल गये हैं, क्यों ऐसा कानून आप ला रहे हैं, क्यों प्रदेश को आप जेल बनाना चाहते हैं ? सभी लोगों को एक ही बार जेल में भेज दीजिए, बस पूरे प्रदेश को चारो तरफ से फोर्स से घिरवाकर जेल बना दीजिए और राज करिये, कौन आपको रोक रहा है, काहे आप अत्याचार करेंगे, विरोधियों पर कर ही रहे हैं, किसान को कर ही रहे हैं, दलित पर कर ही रहे हैं, पिछड़ों पर कर ही रहे हैं, किसको आपने छोड़ा है तो माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार ऐसा करे कि जो उत्तर प्रदेश का बार्डर है, चारों तरफ पी0ए0सी0 भर्ती कर ही रहे हैं, दुनिया भर की फोर्स लगा दे कि कोई अपने घर से न निकले, और आप खूब जमकर राज करिये, रामा हो रामा करिये। सब को घर में कैद कर दीजिए, यही तो आपका यह कानून है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी हमको हंसी आती है, यही आपका आसन है। कांग्रेस की जब सरकार थी, माननीय वासुदेव सिंह जी आसन पर विराजमान थे सरकार उर्दू का एक बिल ले आना चाहती थी। क्या कहा था उस समय के अध्यक्ष माननीय वासुदेव सिंह जी ने उस कुर्सी से, कार्यवाही में होगा कि मैं शेरनी का दूध पिया हूं, और मैं अपने रहते इस विधेयक को पुटअप नहीं होने दूंगा और पुटअप नहीं हुआ, यह शक्ति है इस आसन की। एक बार यादवेन्द्र सिंह जी विराजमान थे आसन पर, उपाध्यक्ष थे मैने ही एक सवाल उठाया था, कार्यवाही में है श्रीमन, अधिक नहीं कहूंगा वह स्वर्गवासी हो गये, इस बार उन्होनें हमारा समर्थन भी किया था उन्हीं के खिलाफ मैं ले आया था, बहस हुई थी और इसी आसन से माननीय उपाध्यक्ष जी जो इस आसन पर विराजमान थे उन्होंने व्यवस्था दी थी कि हमको इसमें जरा भी संशय नहीं है कि मंत्री ने अपने पद का दुरूपयोग नहीं किया। श्रीमन यह आसन लोकसभा के बाद सबसे बड़ा आसन है और मैं मानता हूं कि आप जैसे विद्वान, आप जैसे नेता, आप जैसे राजनेता, जो हमारे लिए पहले इस शीर्ष आसन पर बैठे हुए हैं जिनको आप सुशोभित कर रहे हैं, हमको यह विश्वास था कि आप इस काला कानून को विधेयक को इस सदन में रखने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अब तो हो गया, प्रस्तुत हो गया चूक हो गयी, अन्जाने में हो गयी। अध्यक्ष जी जब राम जी समुद्र किनारे पहुंच गये, सीता जी की खोज में जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी जिक्र कर रहे थे, समुद्र कौन फांदेगा कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कौन महावीर जी को याद दिलाया था कि तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं। जब याद आया तो हनुमान जी ने छलांग मारी और पहुंच गये लंका। महाभारत में भी एक सभा हुई थी श्रीमन। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस सभा में द्रौपदी के पक्ष में सब महसूस तो कर रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, आज लोकतंत्र रूपी द्रौपदी का चीरहरण आपके सामने इस सदन में होने जा रहा है इसलिए आप लोकतंत्र की लाज को बचाईये। लोकतंत्र की मर्यादा आपके हाथ में है। ऐसी कोई शक्ति, नियम,

कोई प्राविधान आप जरूर निकालिए, सरकार से तो हम लोगों को आशा नहीं है। ये तो इस कानून तहत हमको, पूरे देश के विरोधी लोगों को बन्द करेंगे और 2019 में एक छत्र चुनाव कराना चाहते हैं बिना विपक्ष के। इसलिए श्रीमन् जो लोकतंत्र का हरण हो रहा है, लोकतंत्र के चीर का हरण हो रहा है। इससे अपार शक्ति पुलिस को दी जा रही है, मजिस्ट्रेट को दी जा रही है। कम से कम हमको विश्वास है अध्यक्ष जी कि आप जैसे महान संविधान के ज्ञाता और विद्वान, इस सर्वोच्च आसन पर बैठ करके लोकतंत्र का चीर हरण आप नहीं देख सकते इसलिए इस काले कानून को वापस करवाइए। हर आदमी जो पहलवान होता है, जाता है लड़ने तो सोचता है कि हम तो सबसे बड़े पहलवान हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता लेकिन वह भी पटखनी खा जाता है अखाड़े में। हम 77 में इनसे बहुत अधिक बहुमत में आए हुए थे। श्रीमती इन्दिरा गाँधी लोकसभा में 371 सीटों के साथ आई हुई थीं लेकिन ये लोकतंत्र है इसमें किसी का एक छत्र राज कभी भी चलने वाला नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी मैं गुजारिश करूँगा कि मा0 नेता सदन से जो हमारी सनातन परम्परा के अगुवा भी हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश में राम राज की बात करते हैं, राम राज लाने की परिकल्पना भी करते हैं तो इसलिए इस काले कानून को वापस लें। अगर वापस नहीं लेते हैं तो आप इसको पास न होने दें। मैं अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब मा0 लालजी वर्मा जी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं सबसे पहले मा0 नेता प्रतिपक्ष का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूँ और जिन बातों को इन्होंने इसमें रखने का काम किया है, मैं उनको दोहरा कर आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने विधेयक के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखने का काम किया। मान्यवर, मा0 नेता सदन ने अपने भाषण में इस बात को कहा कि हमने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया है और 2016 के मुकाबले कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। मान्यवर, हमारी जो जानकारी है इसमें निश्चित रूप से सुधार नहीं हुआ है। इसका जो सबसे कारण है कि जो हमारे कानून वर्तमान में अपराध को रोकने के लिए हैं, अपराधों को नियंत्रित करने के लिए हैं, वे पर्याप्त हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैंने पिछले दिनों भी इस बात को कहा था कि 1948 में संविधान सभा में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे न हों तो उससे जनहित न होगा और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता है। मान्यवर, निश्चित रूप से अगर इच्छा शक्ति है तो जो कानून हैं उन कानूनों के माध्यम से ही हम संगठित अपराध को भी रोक सकते हैं। अपराधियों पर नियंत्रण करने का काम कर सकते हैं। लेकिन जब संकीर्ण राजनैतिक विचार के आधार पर हम कार्यवाही करते हैं, पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं तो हमारी कितनी भी इच्छाशक्ति हो अपराधियों को रोकने का काम हम नहीं कर सकते। मान्यवर, माननीय नेता सदन ने इस बात

का जिक्र किया कि कानून का राज हो यदि निश्चित रूप से कानून का राज चाहते हैं तो कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति सत्तापक्ष का है या विपक्ष का है किसी भी राजनैतिक पार्टी का है अगर वह अपराध करता है तो उसके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। आज निश्चित रूप से ये सरकार राजनीति द्वेष और जातिगत साम्प्रदायिक पक्षपात के आधार पर काम कर रही है और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे प्रदेश में हिन्दी को उर्दू के बाद दूसरी राजभाषा हमने स्वीकार करने का काम किया लेकिन अलीगढ़ में हमारे एक पार्षद ने जब उर्दू में शपथ ले ली तो उसको साम्प्रदायिकता भड़काने के आरोप में जेल भेजने का काम किया गया। इस आधार पर इस सरकार की नीयत में खोट है यह इस बात से परिलक्षित होता है और निश्चित रूप से अगर यह कानून बना तो उसका निश्चित रूप से इस प्रदेश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन के लिए इसका इस्तेमाल करने का काम किया जाएगा। माननीय नेता सदन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हम राजनैतिक विद्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति को इस कानून का किसी सही आदमी के खिलाफ प्रयोग करने की अनुमति देने का काम नहीं करेंगे मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को कहा कि कानून का अमल करने का काम किसी नेता का नहीं होता, मुख्यमंत्री का नहीं होता है, और मंत्री का नहीं होता, हम जिन लोगों को अधिकार देते हैं वह लोग इस पर काम करते हैं और हम इस तरह से मकड़जाल में जकड़े हैं कि अगर नीचे से रिपोर्ट आ जाती है कि अमुक व्यक्ति अपराधी है, पुलिस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी किसी भी भावना से उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके अत्याचार, अन्याय पर यदि कोई विरोध करता है, उसके रिश्वत मॉगने पर कोई विरोध करता है अथवा कोई उसके गलत कारनामों को उजागर करने का काम करता है अखबारों के माध्यम से तो उसके खिलाफ वह रिपोर्ट आ जाएगी। उस रिपोर्ट को एस0पी0 भी मान लेगा, डी0आई0जी0 भी मान लेगा, आई0जी0 भी मान लेगा। हम और आप जैसे व्यक्ति कितना भी उस पर अपनी वकालत करते रहें, उसको मानने का काम नहीं होता है। मान्यवर, आए दिन हम लोग इस सदन में तमाम बातों को उठाते हैं लेकिन जो नीचे से रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट को ही असली रिपोर्ट माना जाता है। मान्यवर, इसमें खनन पर भी व्यवस्था दी गयी है। खनन मिट्टी का भी होता है। मैंने एक दिन माननीय नेता सदन के सामने इस बात का जिक्र किया कि मेरे क्षेत्र में एक किसान व्यक्ति ने घर के सामने से पटाई के लिए अपने खेत से मिट्टी निकाली। एस0ओ0 उसको पकड़कर ले गया। हमसे उसने कहा हमने एस0पी0 के संज्ञान में लाने का काम किया। उस व्यक्ति को तो छोड़ दिया लेकिन 7000/- रुपये अलग से ले लिया गया। अगर वह न देता तो उसको खनन के अपराध में जेल जाना पड़ता तो निश्चित रूप से यदि इस तरह का भ्रष्टाचार है, इस तरह का पुलिस का राज है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बड़े पैमाने पर पुलिस थानों में और विभिन्न तहसीलों में रिश्वतखोरी बढ़ी है। खुले आम थानों में रिश्वतखोरी बढ़ी है। आपके संज्ञान में भी होगा मान्यवर, सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी भुक्तभोगी हैं और माननीय नेता सदन ने विस्तार से इस बात को कहा कि 800 से अधिक मुठभेड़ हुई। हमारे इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमने 94 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के कार्य में राजनैतिक हस्तक्षेप को बंद करने का काम किया। अपराधी का संरक्षण पा रहा है तो

अपराधी क्या विपक्ष से संरक्षण पायेगा ? अपराधी अगर संरक्षण पा रहा है तो वह सत्तापक्ष के द्वारा ही पायेगा, वह विपक्ष के द्वारा संरक्षण नहीं पायेगा। मान्यवर, निश्चित रूप से अगर यह सब कुछ कर डाला है तो आज इस कानून की जरूरत क्यों है ? बिना इस कानून के यह सब कार्यवाही पूरी की गयी है। आज समाज में लोग वर्णों और जातियों में बंटे हुए हैं। मान्यवर, हम सब लोग कहते हैं कि हम जातिवाद को मिटाना चाहते हैं लेकिन कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो कर कहें कि हम जातिवादी नहीं हैं ? अगर वह जातिवादी नहीं है तो अपने बेटे-बेटी की शादी अपनी जाति में क्यों करता है ? हर व्यक्ति उससे आकंठ डूबा हुआ है और उसी के कारण हर जाति के लोग अपने समाज में उस व्यक्ति को, जो इस तरह से लोगों को डराने-धमकाने का काम करता है, वह उसको वीर मानने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। अगर वास्तव में हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो इस देश में समतामूलक समाज बनाना पड़ेगा और जब देश में समतामूलक समाज होगा तो संगठित अपराधी अपने-आप समाप्त हो जाएंगे ऐसा मेरा मानना है लेकिन हम इस बात को करना नहीं चाहते हैं। हम पक्षपात करते हैं। एक व्यक्ति अपराध करेगा यदि वह सत्तापक्ष का हिमायती है तो हम उसका हर तरह से सहयोग करते हैं यदि विपक्ष का है तो उसको इस कानून के द्वारा जेल में पहुंचाने का काम किया जायेगा, न भी करता हो तब भी पहुंचाने का काम किया जायेगा, पुलिस का विरोध करता है तो भी पहुंचाने का काम किया जायेगा। निश्चित रूप से जो यह कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र में हम इसकी इजाजत देने का काम नहीं करते हैं। मान्यवर, मुझे याद है कि जब हम लोग इस तरह का एक बिल लाए थे, इससे हल्का बिल था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिसको पढ़कर अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सुनाया है, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी उस समय मुख्य सचेतक थे उन्होंने जोर-शोर से उस मुद्दे को उठाकर उसे काला कानून बताने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के उपनेता ने भी उसको काला कानून बनाने का काम किया, उसमें और कठोरतम कार्यवाही का और अधिक समावेश करते हुए उस बिल को आज लाने का काम किया गया है। मान्यवर, यदि यह कानून पहले बुरा था तो आज अच्छा कैसे हो गया ? निश्चित रूप से माननीय नेता सदन ने कहा कि अगर आप इसके पक्ष में नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप अपराधियों को संरक्षण देना चाहते थे, तो क्या आप उस समय अपराधियों को संरक्षण देना चाहते थे ? तो क्या आप अपराधियों को उस समय बचाने के लिए वकालत कर रहे थे ? निश्चित तौर पर हम सब लोग चाहते हैं और हमारे जैसे लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि इस देश और प्रदेश में अपराधियों का पूरी तरह से सफाया हो। राजनीतिक अपराधीकरण पूरी तरह से बंद हो लेकिन मान्यवर, इस कानून से बंद होने वाला नहीं है, उसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए, उसके लिए पक्षपात रहित आपका आचरण होना चाहिए, जब आप इसके आधार पर कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारे पहले से कानून विद्यमान हैं उसी के आधार पर कार्यवाही हो जायेगी। मान्यवर, हम इस बात को कह रहे हैं कि सामाजिक मूल्यों का उन्मूलन हुआ तो क्या आज सामाजिक मूल्यों का अवमूलन नहीं हो रहा है ?

(इस समय 02 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए।)

निश्चित रूप से गरीब का हमें जो दर्द है, जो पिछड़ों का दर्द है, अनुसूचित जाति का दर्द है, अल्पसंख्यकों के लिए दर्द है, निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति को बढ़ते हुए बहुत से लोग नहीं देखना चाहते हैं। जितने भी कानून हैं, चाहे जिस तरह के कानून हैं, चाहे टेरेरिस्ट एक्ट है, कोई भी एक्ट है सबसे ज्यादा वह गरीब पर ही थोपा जाता है। उसकी सबसे ज्यादा सजा गरीब ही पाता है। किसी बड़े आदमी के ऊपर उस कानून का इस्तेमाल करने की हिम्मत पुलिस के कर्मचारियों को नहीं हो पाती है। मैनें देखा है कि बड़े से बड़े लोगों की लोग तारीफ करते हैं वह चाहे कितना भी बड़ा अपराध करता हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी गरीब आदमी होगा, पिछड़ा होगा, अनुसूचित जाति के लोग होंगे, अल्पसंख्यक होंगे इसलिये मान्यवर, मैं इस कानून का विरोध करता हूँ माननीय नेता सदन ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में यह कानून कार्य कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री शायद जवाब देंगे, उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या कर्नाटक में अपराध बंद हो गया, क्या कर्नाटक में संगठित अपराध नहीं है, क्या कर्नाटक में खनन् नहीं हो रहा है। वहाँ तो इतना बड़ा खनन हो रहा है, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपया खनन् माफिया लोग अपनी बेटी की शादी में खर्च कर लेते हैं। तो अगर बंद हो गया होता तो यह काम न होता। मैं पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में क्या अपराध बंद हो गया, महाराष्ट्र में तो संगठित अपराध इतने चरम सीमा पर है, इंटरनेशनल अपराधी वहाँ पर हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ पर यह कानून लागू है वहाँ पर निश्चित रूप से कार्यवाही नहीं हुयी। इसलिये मान्यवर, मैं इस बात को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस एक खंड को पढ़ा था जो 34(2) है कि कोई भी व्यक्ति जिसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी है, जनता के बीच में भ्रमण के समय मोटर काफिले में या अन्यथा रूप से निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ नहीं ले चलेगा। मान्यवर, हमारे सभी प्रतिनिधि लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से इस कानून के तहत आयेंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो जायेगी। इसलिये मान्यवर, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अपराध रूकना चाहिये और निश्चित रूप से रुकना चाहिये। हर व्यक्ति को स्वतंत्र होकर विचरण करने की, बात रखने की, अपने काम करने की इजाजत होनी चाहिये लेकिन उसके लिये हमें इच्छाशक्ति की जरूरत है। आज जिस तरह से राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहा है, जिस तरह से अधिकारियों का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हुआ है, मान्यवर, शायद ही इस तरह की स्थिति कभी हुयी हो। मान्यवर, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज पूरी तरह से राजनीतिकरण हुआ है। इसलिये हम चाहते हैं कि आप अगर अपराध को रोकना चाहते हैं तो अपराधी चाहे जहाँ किसी का भी समर्थन हो उसके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिये और उसको जेल में जाना चाहिये। उसके लिये इस कानून की जरूरत नहीं है मान्यवर, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब 2007 में आई थी तो कानून पास हुआ था लेकिन लागू नहीं हो पाया था, उसके बावजूद भी हमारी इच्छाशक्ति थी, उस इच्छा शक्ति के बदौलत ही 2009, 2010, 2011 में उत्तर प्रदेश, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आकंड़ों के अनुसार अपराध दर में 34वें नम्बर पर था, केवल एक स्टेट नागालैण्ड था जहाँ अपराध की दर यहाँ से और कम था। बाकी 33 राज्यों में यहाँ से ज्यादा अपराध था। हमने एक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम किया तो निश्चित रूप से अपराधियों के

खिलाफ कार्यवाही हुयी और इसलिये मैं मानता हूँ कि इस कानून का दुरुपयोग किया जायेगा और निश्चित रूप से दुरुपयोग करने की मंशा इस सरकार की है जिससे इस प्रदेश के जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वह अपनी बात को ठीक से न रख सकें, वह भयभीत रहें और उनको ही भयभीत करने के लिये यह कानून लाया जा रहा है। इसलिये मैं इसका पुरजोर विरोध करते हुये माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करते हुये इस विधेयक का विरोध करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अधिष्ठाता जी, नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा द्वारा उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2017 के विरोध में जो अपने पक्ष को रखा गया, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। महोदय, आखिर दस सालों में ऐसा कौन सा बदलाव आ गया जो सरकार को इस तरह का आपत्तिजनक कानून लाने की कवायद करनी पड़ी। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो इसी तरह का काला कानून लाने का काम इसी सदन में किया गया था और उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार थी, यहाँ से प्रस्ताव होकर यह कानून तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के यहाँ गया और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अस्वीकार नहीं किया बल्कि इसको वापस ले लिया गया था और उसकी डेट भी मैं बता दूँ 04 सितम्बर, 2008 को वापस ले लिया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, यह कानून द्वेष की दृष्टि से लाया गया कानून है। यह सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नारों को लेकर के आई थी मुझे नहीं लगता कि जनता को दिखाये गये सपने को पूरा कर पाने में यह सरकार सक्षम हो रही है। इन्होंने लोक संकल्प पत्र में इतने लुभावने वादे कर दिये कि वह वादा जब जनसमस्या के रूप में कोई संगठन या आंगनबाड़ी हो, रोजगार सेवक हो, मदरसा शिक्षक हो, किसान हो, मजदूर हो या कोई राजनीति संगठन हो, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने विधान सभा के सामने आता है तो बजाय उसके अधिकार पर विचार करने के उसे लाठी और डण्डों से पीटकर उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है। धीरे–धीरे नौजवानों के अधिकार को लेकर काफी जनाक्रोश रहा और वह भी धीरे–धीरे पूरे प्रदेश में आक्रोश का रूप ले रहा है तो यह सरकार कुचक्र करते हुए इस तरह के काले कानून को लाकर इस लोकतन्त्र के इस गरिमामय, जो विरोध की राजनीति है, विपक्ष की राजनीति है उसको संज्ञान में लेते हुए राजनीतिक दलों को, किसानों को, समाजसेवी संगठनों को और खासकर पत्रकारों और लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के दमन के लिए यह कानून लाने का काम किया गया है। महोदय, कानून की मंशा अपराध को मिटाने और अपराधियों को सुधार की दिशा में आगे ले जाने की हमेशा से रही है। जब भारतीय संविधान बना तो सी0आर0पी0सी0, आई0पी0सी0 में इतनी ढेर सारी धाराओं का उल्लेख है, तो उन धाराओं से

ही हम कानून की दिशा और दशा को सुधार सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी गुण्डा ऐक्ट, गैंगेस्टर और एन0एस0ए0 जैसे प्रभावी कानून बने और लगातार इन कानूनों का दुरूपयोग सदैव होता रहा है। महोदय, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब मैं छात्रसंघ का अध्यक्ष था और जब मैं छात्रों की समस्याओं को लेकर सड़क पर संघर्ष किया था तो मेरे ऊपर भी गुण्डा ऐक्ट जैसी कार्रवाई हुई थी। मैं समझता हूँ कि अगर शायद यह कानून लागू होगा तो 110 में निरुद्ध होने वाले हम जैसे लोग भी इस यूपीकोका के शिकार होंगे और मुझे नहीं लगता कि चाहे इधर बैठने वाले विपक्ष के मा0 सदस्य हों या उधर बैठने वाले सत्तापक्ष के मा0 सदस्य हों, हम लोग जनता की समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरते हैं, संघर्ष करते हैं। अगर संघर्ष की स्थिति आयेगी तो ये लोग भी उस प्रताड़ना से कहीं अलग नहीं रह पायेंगे। हमारे साथी को कुछ जानने की उत्सुकता रही है। मैं जरूर बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय पड़रौना और कटकुईयाँ चीनी मिल के किसानों की समस्या को लेकर (दोनों चीनी मिलों को चलाने के लिए आन्दोलन हुआ था) बिना कुछ किये मेरे घर से मुझे उठाया गया और 17 दिन गोरखपुर जेल में मैं बंद रहा। उस समय नेता प्रतिपक्ष श्री शिवपाल यादव जी थे, उस समय जेल में समाजवादी पार्टी के लोग भी गये थे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय जिन्दा थे उस समय वह भी जेल में आये थे। तो यह दमन की राजनीति करने का काम शुरू से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँ कि इस कानून में सबसे भयावह पहलू यह है कि 39 धाराओं वाले इस कानून में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि जो अगर इस कानून का दुरूपयोग करेगा उन अधिकारियों के खिलाफ दण्ड का क्या प्राविधान होगा ? अक्सर ही कानून का दुरूपयोग गैंगेस्टर में हुआ है जब वो लोग अदालतों से बरी किये जाते हैं तो वो अधिकारी जो लगाये हुए होते हैं वह तो चले जाते हैं लेकिन उन लोगों का क्या जो कई-कई सालों तक जेल में रहे। क्या आदरणीय राजा भैय्या के सम्मान को वापस लाया जा सकता है जो पोटा के तहत जेल में रहे। महोदय, ये कानून इसी दृष्टिगत बनाया गया है कि कहीं न कहीं विपक्ष के उन नेताओं का जो सरकार के खिलाफ आन्दोलित हों उन्हें दबाने का प्रयास किया जाए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान विश्व के सबसे प्रगतिशील और मानव अधिकारों के संरक्षण के अनुकूल है। हम सभी लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। शासन प्रशासन जब काम करता है तो स्वभाविक रूप से कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं और इस प्रकार के नाराज लोग सड़कों पर आते हैं, आन्दोलित होते हैं। कहीं यह कानून उन्हीं लोगों पर संगठित अपराध के रूप में न लग जाय, ऐसा अंदेशा हम सब लोगों को दिखायी देता है। इसी कानून के अंतर्गत संगठित अपराध को रोकने की बात की जा रही है उसके कारण को पैराग्राफ-2 में कहा गया है। 'विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करने वालों के लिए है।' मान्यवर, अगर हम सरकार के खिलाफ असंतुष्ट होंगे, किसान असंतुष्ट होगा, मजदूर असंतुष्ट होगा, पत्रकार उनके खिलाफ लिखेगा, टी0वी0 चैनल उनके खिलाफ दिखायेगा तो क्या यह कानून उनके ऊपर भी लागू हो जायेगा ? क्या यह लोकतंत्र के हनन की प्रक्रिया नहीं है ? महोदय, अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है कि 'विद्यमान विधिक ढाँचा अर्थात दांडिक प्रक्रिया विधि एवं न्याय, निर्णय प्रणाली, संगठित अपराध के खतरे के निवारण और नियंत्रण के लिए वस्तुतः अपर्याप्त पाये गये हैं।' इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और न्यायिक प्रणाली को कमजोर मानना। महोदय, जो लोग

भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रहे हैं वह लोग आखिर इस तरह के कानून को थोपकर क्या साबित करना चाहते हैं ? इसका सीधा मतलब है कि भारतीय दण्ड संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और न्यायिक प्रणाली को कमजोर मानना। यदि इतने कमजोर हैं तो इस सरकार को केन्द्र से पत्र लिखकर इसमें संशोधन की मॉग करनी चाहिए। पहले तो हमें मौजूदा ढॉचे में बदलाव करने की जरूरत थी। यदि वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो मौजूदा ढॉचों में बदलाव के बाद भी समस्याओं का कारगर हल नहीं निकलता, इस तरह के कानून को नहीं लाया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर गुण्डा एक्ट, रासुका जैसे कानून का कितना दुरुपयोग किया जाता है यह सदन के इस पक्ष और उस पक्ष के लोग भलीभॉति जानते हैं।

(इस समय 02 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जिन लोगों पर 107, 116, 151 या दो तीन मुकदमें होते हैं पुलिस अक्सर बीट लिखकर उन पर गुन्डा एक्ट की कार्यवाही करती है। अक्सर महोदय, जब समीक्षा बैठक होती है। मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक लेते हैं या प्रमुख सचिव गृह जब भी समीक्षा बैठक लेते हैं और अपराध को नियंत्रण की बात की जाती है जल्दी जल्दी पुलिस रजिस्टर नं0-8 निकालती है। 151 में जिसका नाम हो या किसी नेता की पैरवी चली गई हो उसके ऊपर दो बीड लिखकर उसके ऊपर 110 और गुन्डा एक्ट की कार्यवाही कर दी जाती है महोदय। महोदय, भोले भाले लोग अगर आप भी आन्दोलनों में रहे होंगें महोदय, अक्सर यह देखा जाता है कि चुनाव के समय लोगों पर छोटी-मोटी धाराओं 107, 116 और 151 जैसी धाराओं में निरूद्ध करने का एक नोटिस भेजा जाता है और वह आने वाले समय में उसके ऊपर भी दो बिड लिखकर इस तरह के कानून को लागू करने की मंशा ऐसा लगता है कि सरकार की है। सरकार द्वारा प्रचारित किया जाता है कि इसका इस्तेमाल खनन माफिया और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ किया जायेगा। पुलिस के उत्पीड़न के चरित्र को देखते हुए इसकी कोई गारन्टी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू-

एक पन्ना और पढ़ दूँ।

श्री अध्यक्ष-

एक पन्ना कि एक मिनट।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

बस पॉच मिनट। मान्यवर, इस कानून की धारा 20 में आप गौर से देखिये। निविदा से संबंधित कार्यों से जुड़ा है महोदय। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस तरह के प्राविधान के लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आपने तो ई-टेंडरिंग की व्यवस्था की है। अब ई-टेंडरिंग में कौन जायेगा? किसी को धमकाने, किसी का किसी तरह से वो करने। तो महोदय, पूर्व में इस तरह के कार्यों को सम्पादित करने के लिये नियमावली बनाई गई होगी कि यदि कोई धोखा-धड़ी करता है उसके ऊपर दंड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जाती रही है। काली सूची में उसका नाम डाल दिया जाता रहा है। इस तरह के नियम कानून के विशेष प्राविधान समझ से

परे हैं। इस कानून की धारा 34 की उपधारा में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है जनता के बीच में भ्रमण के समय मोटर काफिले अर्थात् निजी सुरक्षा गार्ड की तरफ नहीं चलेगा। महोदय, अब मंत्रीगण लोग भी यहाँ शपथ ले लें कि आज के बाद गाड़ी से अकेले चलेंगें कहीं शादी ब्याह में, 10-5 गाड़ी लगाकर नहीं चलेंगें। यह कानून आपके ऊपर भी लागू होगा। और अगर हम विधायक हैं चले गये कहीं किसी शादी ब्याह किसी समारोह में और अगर लोग हमारे साथ इकट्ठा हो गये तो हमारे ऊपर भी इस तरह के कानून को लागू कर दिये जाने की बात की जायेगी। उसकी उपधारा 3 में पुलिस सुरक्षा को तत्काल वापस लेने की बात कही गई है। सरकार के माननीय मंत्री, सदस्य इस सदन में बैठे हैं और इस तरह के काफिले पर इनके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। यदि इस कानून में राज्य पुलिस को असीमित अधिकार देता है किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है महोदय। महोदय, आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसका बयान पुलिस लेती है और जब पुलिस उसका बयान लेती है कोर्ट में जब जाता है वह व्यक्ति तो कोर्ट में न्यायालय के समक्ष जब तक वह बयान नहीं देता उसको माना नहीं जाता है। लेकिन इस कानून में पुलिस चाहे किसी को मारपीट कर कुछ भी लिखवा ले और अक्सर यह होता है मान्यवर, कि जब उसका बयान कोर्ट में पेश किया जाता है पुलिस मारपीट कर उसका बयान लिखकर कोर्ट में पेश करती है। और उसके बाद इस तरह के कानून का सदैव उल्लंघन करती है। आपने 400 से अधिक इनकाउन्टर की बात की, आपने कहा कि सारे अपराधी जेल में बंद हैं, आपने कहा अपराधी भाग चुके हैं तो महोदय, आपको ऐसे कानून लाने की कौन सी जरूरत पड़ गई। महोदय, टाडा जैसे कानून बने और टाडा में महोदय दो लोग कई सालों तक जेल में रहे और बाद में वह जेल से छूट कर आये और न्यायालय ने उनको बरी कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, मैं प्वाइंट टू प्वाइंट आ रहा हूँ। बस दो मिनट और। महोदय दो साल तक लगातार पेपरों में, टी0वी0 पर बहुत चलता रहा। आखिर उनका मान-सम्मान कहाँ से वापस आयेगा। महोदय, मैं दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा। महोदय, मुख्य मंत्री जी संयोग से यहां नहीं है एक बार की बात है कि इन्होंने पिपराइच थाने में थानेदार को फोन कर दिया और उस थानेदार ने इनसे उल्टे-सीधे अलफाज में बात भी किया। यह माननीय सांसद थे, उसके बाद उसी पिपराईच के थानेदार ने, नेता सदन उस समय सांसद थे,उनके ऊपर उस थानेदार ने मुकदमा लिख दिया, पूरा अमला-जमला पिपराइच थाने को घेर लिया मान्यवर, जगह-जगह आन्दोलन होने लगे कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर मुझे लगता है यह कानून होता तो सबसे पहले नेता सदन पर लगा होता। महोदय, आप भी पुलिस के खिलाफ बहुत लड़ते हैं, आप भी पुलिस के खिलाफ बहुत मुकदमा लिखाते हैं महोदय सावधान हो जाइएगा। पुलिस को इतना असीमित पावर दिया जाना कहीं न कहीं न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करना है। आम आदमी की आजादी की अभिव्यक्ति को छीनना है, भारत के संविधान पर, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। आई0पी0सी0 पर, सी0आर0पी0सी0 पर सरकार को भरोसा नहीं है

इसलिए यह काला कानून, किसानों की आवाज को दबाने के लिए मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए, नौजवानों की आवाज को दबाने के लिए, नेताओं की आवाज को दबाने के लिए, पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए नेताओं के आन्दोलन से घबड़ाई हुई सरकार, यह सरकार जन विरोधी है इसलिए मैं इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हुए, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इसे प्रवर समिति में जाने की बात पर बल देते हुए मै अपनी बात पर बल देता हूँ।

[2:45] उ0 प्र0 संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर चर्चा (क्रमागत)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017.....

श्री अध्यक्ष–

भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी दलों के माननीय सदस्य पॉच-पॉच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। दो सत्ता पक्ष के लेंगे एक इधर के लेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

नेता विरोधी दल ने जो उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 के विषय में कही हैं अगर इसका धारा 16(1) धारा 17(1) धारा 18(1) तीनों को पढ़ लिया होता तो शायद यह कहने का आपको मौका न मिलता। धारा 16 में, अपराध नियंत्रण के लिए एक प्राधिकरण गठित किया गया है और यह अपराध प्राधिकरण राज्य स्तर पर होगा जिला स्तर पर होगा और यदि इन दोनों से भी किसी को दिक्कत होती है तो एक अपीलीय प्राधिकरण गठित किया गया है जिला स्तर पर जो 17 (1) अपराध नियंत्रण प्राधिकरण गठित किया गया है उसमें जिला मजिस्ट्रेट उसके अध्यक्ष होंगे एस0पी0 द्वारा चयनित और एक वरिष्ठ लोक अभियोजक इसके सदस्य होंगे उसमें विचार करेंगे। उसके बाद एक प्रदेश स्तर पर अपराध नियंत्रण प्राधिकरण गठित किया गया है उसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव गृह होंगे। अपर पुलिस निदेशक कानून व्यवस्था और राज्य सरकार के द्वारा विशेष सचिव स्तर का अधिकारी उसमें सदस्य होगा इसी प्रकार से धारा 18(1) के अंतर्गत अपील प्राधिकरण गठित किया गया है जिसमें सेवा निवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय अध्यक्ष होंगे इसके। राज्य सरकार द्वारा शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से कोई अधिकारी और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी, अपराध प्राधिकरण जो गठित किया गया है इसके संबंध में इन तीनों में जिले में जो भी यह अपराध नियंत्रण प्राधिकरण गठित है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट एस0पी या उसके द्वारा नामित वरिष्ठ लोक अभियोजक होंगे इस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है और इससे कोई संतुष्ट नहीं है तो इस आदेश के विरुद्ध 16-1 में जो एक आदेश दिया गया है उसके विरुद्ध 30 दिन के अन्दर वह व्यक्ति जो इससे संतुष्ट नहीं है 18-1 के अन्तर्गत अपील कर सकता है। और 18-1 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं और प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी हैं उसमें अपील करके उससे संतुष्ट हुआ जा सकता है। कहने का उद्देश्य यह है कि जो संगठित अपराध के लिए विधेयक लाया गया है और जिसमें नेता विरोधी दल को तथा अन्य सभी दलों को इस पर शंका है कि इसका दुरुपोग होगा तो दुरुपयोग का इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है इस अपराध के अन्दर जो भी

एफ0आई0आर लाज होगी डी0आई0जी0 कमिश्नर स्तर के अधिकारियों से उसकी स्वीकृति ली जाएगी उसके बाद जिला स्तर पर प्राधिकरण स्तर पर और अपीलीय न्यायालय इतने इसमें कानून बनाए गए हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है प्रदेश सरकार इसमें किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं कर सकती न इसका दुरुपयोग होगा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं कानून व्यवस्था के बारे में मेरे सामने बैठे सभी विरोधी दलों के नेता कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात करते हैं लेकिन कानून व्यवस्था को जब ठीक करने की स्थिति आती है उसके लिए जब कानून बनाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। यह दो तरह की बातें नहीं चलनी चाहिए। इस प्रदेश में 22 करोड़ लोग उनकी सुरक्षा देने का काम सरकार का है वह ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकें यह काम सरकार का है फिर नेता विरोधी दलों को इसमें क्या दिक्कत है जहाँ पर सरकार कानून व्यवस्था ठीक कर रही हो जहाँ 22 करोड़ लोगों को सम्मान देने की बात हो कानून व्यवस्था ठीक करने की बात हो रोज इसी पर भाषण देते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हो जब सरकार कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कानून बनाती है उसका यह विरोध करते हैं। यह नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो। सरकार को बदनाम करने की नीयत से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं आज यह कानून माननीय योगी जी द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लाया गया है यह सदन में पारित होना चाहिए क्योंकि प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के भलाई के लिए उनका जीवन स्तर ठीक करने के लिए कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए गुण्डे बदमाश उत्तर प्रदेश की सड़कों पर न घूम सकें उत्तर प्रदेश के गुण्डा अपराधी तत्व उत्तर प्रदेश की सड़कों पर न घूम सकें इनको ठीक करने के लिए यह कानून हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश की व्यवस्था ठीक करने के लिए लाए हैं मैं इस पर बल देते हुए और यह कहते हुए कि यह कानून पास होना चाहिए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

जी अब मनीष जी पॉच मिनट में अपनी बात रखें।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी आपने कृपापूर्वक मुझे इस प्रदेश की आपराधिक गतिविधियों की जड़ पर प्रहार करने जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर बल देने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय नेता सदन के द्वारा संगठित अपराध के नियंत्रण के लिए जो यह यूपीकोका बिल को लाया गया है उस समय उन्होंने इस पर विस्तार से बिन्दु सहित अपना पक्ष रखा और उसके जवाब में हमारे माननीय विरोधी दल के नेताओं द्वारा जो बातें रखी गईं। तो मैं सोच रहा था कि इस तार्किक बहस में इस महत्वपूर्ण विधेयक में कुछ ऐसे बिन्दु छूटे होंगे, जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिये थी, लेकिन बहुत ही सतही ढंग से इसके ऊपर बात करी गयी। मेरे से लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं ने जब अपनी बात रखी तो बार-बार इस बात को बोला है कि किसान अपने खेत में से मिट्टी लेगा तो उसके ऊपर खनन का केस लग जायेगा, किसान अपना पेड़ काटेगा तो उसके ऊपर अवैध वन कटान का केस लग जायेगा। कोई दुकानदार या कोई व्यापारी लेन-देन में समय सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर

यूपीकोका लग जायेगा और सीधे-सीधे आरोप लगा दिये थे कि यह तो छात्र नेताओं के ऊपर लगने जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पिछले 09 महीने में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा राजनैतिक विद्वेष की कोई कार्यवाही हुयी है ?

(समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बीच में कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। बीच में बाधा मत डालिये अन्यथा उनका बोलने का समय बढ़ जायेगा।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विरोधी दल के साथियों का सम्मान करता हूँ। मैं कोई पुराने मामलों की बात तो नहीं कहता, जिसमें मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। लगभग 07 केस मेरे ऊपर भी राजनैतिक आंदोलन के हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है और न विपक्ष के पास स्पेसिफिक देने के लिये था। यह बोलना कि पत्रकारों के लिये यह यूपीकोका बना है, छोटी-मोटी शराब खींचने वालों के लिये यह यूपीकोका बना है, यह विषय को हल्का करने का प्रयास है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग कौन नहीं जानते कि नामचीन अपराधी बरसों-बरस अपने क्षेत्र में आतंक फैलाते हैं, ताकत के साथ और रूतबे के साथ घूमते हैं। हथियारबंद काफिलों के सामने लोगों की निगाहें झुकती हैं, उनके ऊपर केस नहीं लगते। बरसों-बरस उनके कहानी-किस्से छपते हैं, लेकिन उनका आतंक और दबदबा कायम रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, वह संगठित अपराध है। किसी भूलचूक से कानून-उल्लंघन का मामला संगठित अपराध नहीं है। आज जब अपराधी इतना चतुर हो चुका है कि उसने सिंडीकेट का निर्माण कर लिया है और अपने पीछे पैसा देने वालों की ताकत खड़ी कर ली है। अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आधार पर, मनी लाण्ड्रिंग के आधार पर, ड्रग माफिया के आधार पर नक्सलियों के साथ, आतंकवादियों के साथ हथियार के लेनदेन के काम करे गये हैं, ऐसे संगठित अपराध को विरोधी दल द्वारा सामान्य जनजीवन में किसी राजनीतिक जामे में नहीं पहनाया जाना चाहिये। इस सदन में बैठे हम साथी ऐसे कामों में नहीं है, लेकिन उनके लिये यह संगठित अपराध का कानून है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो हमनें अनुमति चाही है। अभी तो हमनें शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष-

जब आपमें शुरू करने की ताकत है तो समाप्त भी कर दीजिये।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, संगठित अपराध नियंत्रण का उद्देश्य शायद यह था कि ऐसे शातिर अपराधी जो कोर्ट में अपने विरुद्ध चार्ज फ्रेम भी नहीं होने देते, सुनवाई भी नहीं शुरू होने देते, बरसों-बरस हाजिर नहीं होते, उनके लिये इस संगठित अपराध कानून में नियम है। अगर वह भगोड़े घोषित होंगे तो उनकी अनुपस्थिति में भी चार्ज फ्रेम किया जायेगा और ट्रायल शुरू होगा। माननीय अध्यक्ष जी, अपराध-दर-अपराध करने वाले, अपने इलाके में, अपने हलके में दबदबे के साथ इस बात के लिये मशहूर कि जो इनके खिलाफ आवाज उठायेगा वह जिन्दा नहीं रहेगा। लगातार ऐसे काम करने वालों के लिये यह यूपीकोका है कि एक बार, दो बार अगर आप लगातार इस तरीके के अपराध करेंगे तो आपके खिलाफ उम्रकैद और उससे बड़ी सजाएं होंगी। राजनैतिक आन्दोलनकारियों के लिये यह यूपीकोका नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और विपक्ष के साथियों की इस बात से अपने को सम्बद्ध करता हूँ कि सरकार हमेशा अदलती-बदलती रहती है। राजनीतिक आंदोलनकारियों के प्रति दुर्भावना से यह कानून नहीं लाया गया है। इस कानून का एक और महत्वपूर्ण बिन्दु मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह सिण्डीकेट सीधे-सीधे अपराध करने वालों के पीछे और तरीकों से भी बैठा होता है। पीछे पैसे की भी आवाज लगाता है, पीछे पैरोकारी की भी आवाज लगाता है और जब वह जमानत पर छूटते हैं तो उनको संरक्षण देकर पुर्नस्थापित करने का भी काम करता है। ऐसे अपराधी और सिण्डीकेट के सदस्यों की अपराध द्वारा अर्जित जो सम्पत्ति है उसको जब्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करने का जो कानून लाया गया है इस पर विरोधियों को और विपक्षी दलों को ऐतराज नहीं होना चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अब आखिरी बात कहकर आप समाप्त करिये।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की स्थिति पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों को, छात्रों को, या छोटे-मोटे व्यापारियों को जोड़कर दर्शाने से इस कानून की गंभीरता को कम दर्शाने का काम किया गया है। एक छोटा सा, हल्का फुल्का उदाहरण देता हूँ। दो मित्र थे, एक मित्र से बात में उसने कहा कि मैं अपने एक रिश्तेदार के यहां जा रहा हूँ। तो बोले कि जिस रास्ते से जा रहे हो वहां तो एक जंगल पड़ता है। तो बोले कि नहीं मेरे पास सुरक्षा के लिए बन्दूक है। तो बोले कि बन्दूक तो है लेकिन अगर वह सामने शेर आ गया तो, तो बोले कि मैं बन्दूक का इस्तेमाल कर दूँगा। तो बोले कि अगर आपकी बन्दूक ने काम नहीं किया तो बोले कि बन्दूक को लाठी की तरह इस्तेमाल कर लूंगा, तो बोले कि अगर वह टूट गई तो बोले फिर तो कुछ भी रास्ता नहीं बचेगा मैं उस बन्दूक को छोड़कर भागकर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। फिर बोले कि अगर शेर पेड़ पर चढ़ गया तो, तो बोले कि किनारे बहने वाली नदी में कूद जाऊँगा, तो बोले कि अगर शेर नदी में कूद गया तो दोस्त बोला कि पहले दोस्त यह बताओ कि तुम मेरी तरफ हो या शेर की तरफ। तो मैं विपक्ष से यह पूछना चाहता हूँ कि इस अधिनियम और इस कानून के वह पक्ष में खड़े हैं या बिल्कुल इस बात को तय ही किया हुआ है कि हमे इस कानून का विरोध करना है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि

बताया कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्राविधान हैं जिससे इनका दुरूपयोग रोका जा सकता है। यहां तक कि गैंगस्टर की बात हुई, गैंगस्टर में यह जरूर रहा करता था कि कोई सामान्य सा मामला अगर कोई पहले से है तो एक और मामला चढ़ा दो तो उस पर गैंगस्टर लागू कर दो। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी बात को सुधार दो। लेकिन यूपीकोका के कानून में यह ग्रैविटी है कि कोई अदालत में इसके चार्ज फ्रेम हो संज्ञान में लिया हो और उसके बाद यूपीकोका के अंतर्गत दोबारा कोई गंभीर अपराध हो तो उसके बाद उसको इस पर लागू किया जा सकता है और उसके लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर अपीलीय प्राधिकरण है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपीलीय प्राधिकरण हैं। इसलिये मैं विपक्ष के अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वह इस बात की बिल्कुल चिंता न करे। यह कानून किसी प्रकार के दुरुपयोग के लिए नहीं अपितु समाज के संगठित अपराधों की कमर तोड़ने के लिए लाया गया है। मैं इस कानून पर बल देते हुए विपक्ष के साथियो से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वह भी हमारा साथ दे। धन्यवाद।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बोलने का अवसर दिया और नेता प्रतिपक्ष माननीय चौधरी साहब की भावनाओं तथा उनके वक्तव्य से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। हमारा प्रयास रहेगा कि समय के विषय में आपको टोकना न पड़े और जो अभी तक नेताओ ने अपनी बात कही है उसमें से कोई बात मैं दोहराऊँ नहीं। जो प्रमुख कमियां श्रीमन् इसमें नजर आती हैं उसमें पहली यह है कि इस कानून को न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं। मान्यवर, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार हम सभी को है और होना भी चाहिए और वहां पर सभी को न्याय भी मिलता है। इस प्रकरण को सत्तापक्ष और विपक्ष के रूप में न देखा जाए कि विधेयक प्रस्तुत हुआ है तो हमको विरोध ही करना है। मैं इसलिए बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, (छः) में है कि बाजारों, फुटपाथ विक्रेताओं, मण्डियों, ठेकेदारों और व्यवसाय करने वालों से अवैध रूप से सुरक्षा धन का संग्रह करना, इस सदन में सभी लोग जमीन से उठकर के ऊपर आये हैं जनता की राजनीति करते हैं। अपने-अपने ऊपर हाथ रखकर यह बता दीजिए कि पटरी दुकानदारों से वसूली कौन करता है ? टैक्सी अड्डों से वसूली किसकी होती है ? और यह किसी एक नगर एक कस्बे की बात नहीं है। पूरे प्रदेश की बात है। क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी ? क्या उनके ऊपर यह कोका लग सकता है ? इसका कोई प्राविधान इसमें नहीं है। श्रीमन्, अगर जनसामान्य के ऊपर लग सकता है तो यह कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन यह गलत होने जा रहा है इसके दुष्परिणाम आज नहीं तो कल आपके सामने आएंगे। कुछ साल पहले बड़े जोर-शोर से प्रचार करके पोटा लाया गया क्योंकि हमारे स्वयं के ऊपर, हमारे पिता जी के ऊपर और एम0एल0सी अक्षय प्रताप सिंह जी के ऊपर लगाया गया है। मान्यवर, इस पर ज्यादा न बोलते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि संसद के सम्वेत सदन बुलाये गये थे राज्य सभा और लोक सभा एक साथ बैठी थी और वहां पर पोटा एक्ट समाप्त हुआ और रिपील हुआ। मान्यवर, मा0 मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए काफी साल बीत चुका है अगर इतनी उपयोगिता समझते तो पोटा जैसा कोई और एक्ट वह ला सकते थे कि जो स्थितियां उस समय नहीं सुधरीं वह इससे सुधर जायें।

मान्यवर, जनसामान्य में सुरक्षा की भावना पैदा करना यह सरकारों का दायित्व है। सरकार चाहे आपकी हो, सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो हर नेता चिंतित होता है, हर सरकार चिंतित होती है कि कैसे हमारे प्रदेश के नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करें और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आपको यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष इस समय किसी अपराधी का बचाव कर रहा है या उनके संरक्षण के लिए बोल रहा है। मान्यवर, मा0 असीजा जी बड़े वरिष्ठ और बड़े ही सीनियर सदस्य हैं अभी उन्होंने कहा कि जो छोटी-मोटी शराब चुवाएंगे उनके ऊपर यह नहीं लगेगा और जो छोटा-मोटा अपराध करेंगे उनके ऊपर नहीं लगेगा। उसको संगठित अपराध नहीं माना जाएगा तो क्या इसका इसमें कोई उल्लेख है कि जो कभी कभार शराब चुवाएं, अपने घर में कुटीर उद्योग की तरह कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा यह आपको तय नहीं करना है। आप जैसा विवेक उस दरोगा का नहीं होगा जो लगा देगा। हम आपको तो बहुत बुद्धजीवी मानते हैं। आप विवेकवान पुरुष हैं। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि पूरे उ0प्र0 के थानों के सारे इंस्पेक्टर मा0 असीजा जी के बौद्धिक स्तर के हों। महाराष्ट्र और कर्नाटक में है तो जैसा कि मा0 वर्मा जी ने कहा है आप वहां का परिणाम देख लीजिए। संगठित अपराध के लिए तो मुम्बई और महाराष्ट्र यह सारे अपराधियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं उसमें क्या फर्क पड़ा ? मान्यवर, आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी में पर्याप्त धारायें हैं। आज जितना चाहे वह जमीन पर अवैध कब्जा हो, चाहे हत्या हो, चाहे धन उगाही हो, धमकी देना हो पर्याप्त धारायें हैं अगर सरकार की इच्छाशक्ति है तो उसमें अपराधी को दण्ड दिया जा सकता है। उसका मनोबल तोड़ा जा सकता है। उसको ध्वस्त किया जा सकता है। श्रीमन्, सरकारें आती-जाती रहती हैं। मा0 नेता सदन, आदरणीय योगी जी और उनका पूरा मंत्रीमण्डल आज चलिए हम मान लेते हैं कि इस सरकार के सारे मंत्री ईमानदार हैं और हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से कोई यह कहने का साहस भी न करता, लेकिन क्या आपके नीचे काम करने वाले अधिकारी ईमानदार हैं ? क्या नीचे पैसा नहीं लिया जा रहा है? आप कहेंगे कि नहीं लिया जा रहा है लेकिन असलियत क्या है, उससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। माननीय चौधरी साहब ने इतने विस्तार से कह दिया, इसलिए हमारा प्रयास यही है कि अपनी बात को संक्षेप में रखकर उनकी बात न दोहरायें और खनन एक बहुचर्चित विषय रहा है। बालू खनन और अपने घर के ऑगन के खनन में जमीन-आसमान का अन्तर होता है और हमारे क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण हैं, श्रीमन्, कि अगर शौचालय का गड्ढा भी जे0सी0बी0 से खुदवाया जा रहा है तो उस जे0सी0बी0 को, उसके मालिक को और जो उस गड्ढे को खुदवा रहा है, उनको थाने पर ले जाया गया है, बैठाया गया है, 15 हजार रूपये, 20 हजार रूपये देने पर वह छूटते हैं। वह बालू माफिया नहीं हैं, वह खनन माफिया नहीं हैं। लेकिन खेद की बात है कि जैसा असीजा जी का विवेक है, वैसा विवेक हमारे थानेदारों में नहीं है, नहीं तो इन दिक्कतों का सामना हम लोगों को न करना पड़ता। श्रीमन्, एक प्रस्ताव हमारा अवश्य है, बहुत से सदस्य इस विधेयक की गहराई को, इसके दुष्परिणाम को और आगे आने वाले समय में यह किस तरह चर्चा का केन्द्र होगा, इसको समझ रहे हैं। विधेयक प्रस्तुत हो गया है, वापस नहीं किया जा सकता, सरकार वापस लेगी नहीं, अनुरोध है कि इसमें गुप्त मतदान करा दिया जाए। सभी माननीय सदस्य अपने विवेक से इस पर मतदान करें, इसमें श्रीमन्, कोई गलत नहीं

है। चलिए, न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा, न्यायालय में अपील की नहीं जा सकती, दरोगा जी या इन्सपेक्टर साहब उन्होंने कह दिया, अब जैसे असीजा साहब ने एक कहानी सुनायी थी, अपनी एक छोटी सी कहानी सुना कर मैं भी यह बात समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार साहब शहर में भगदड़ मच गयी और शहर की तरफ से जितने जानवर आ रहे थे, सब भागे चले आ रहे थे। शहर में भगदड़ मची सब जानवर कूद-कूद कर जंगल में भागने लगे तो जंगल वाले जानवरों ने पूछा कि साहब क्या हुआ, क्या हुआ ? एक ऊँट भागा हुआ चला आ रहा था, उसने कहा कि बड़ी आफत है, पुलिस पीछे पड़ गयी है और जितनी भी बिल्लियाँ हैं, सब का इनकाउण्टर हो रहा है और सब के ऊपर एन0एस0ए0 लगाया जा रहा है और यूपीकोका लगाया जा रहा है। (हँसी) कहा कि ऐसा है ? कहा कि हाँ, तो तुम क्यों भाग रहे हो, तुम तो ऊँट हो, कहा कि वह तो हम भी जानते हैं लेकिन यह यू0पी0 की पुलिस है, एक साल तो लग जायेगा बताने में कि मैं बिल्ली नहीं हूँ, ऊँट हूँ। तो श्रीमन्, जो सलाहकार समिति बनी है, अभी मा0 सिरोही साहब कह रहे थे, हमारे साथ मंत्रि-मण्डल में भी रहे हैं, इन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव, गृह उस समिति में रहेंगे और कौन-कौन वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, रिटायर्ड डी0जी0पी0 और रिटायर्ड जस्टिस रहेंगे और अगर आपको लगता है कि यह कार्रवाई आपके ऊपर सही नहीं हुई है तो आप उनके सामने अपील कर सकते हैं, श्रीमन्, उस अपील को सुनने की मियाद क्या है, कोई समय-सीमा है ? अपील तो चलिए हमने यहाँ से कर दी। किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, दरोगा जी ने यूपीकोका लगा दिया, ठोंक दिया और सही बात कही वर्मा जी ने कि नीचे से जो फाइल चल जाती है, उसकी भाषा वही चलती है, ऊपर तक यह सब जानते हैं। अब वह अपील कर रहा है, उस सलाहकार समिति में या जो भी उस समिति का नाम है तो उतने दिन तो वह आदमी कहाँ है ? जेल में है। 6 महीने, साल भर, डेढ़ साल इसका तो कहीं उल्लेख है नहीं, यह तो समिति के ऊपर है कि कब सुनती है और सुनने के बाद अगर श्रीमन्, उसने तय किया कि ठीक है, यूपीकोका लायक यह मामला नहीं पाया गया, यह शराब बनाता तो जरूर है, लेकिन कभी-कभी बनाता है, कुटीर उद्योग के रूप में बनाता है, जैसा कि आपने कहा, इसलिए उसके ऊपर नहीं लगेगा तो वह जो साल, डेढ़ साल, दो साल उसने जेल में गुजारे हैं, श्रीमन्, जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उस अधिकारी का क्या होगा? तो पहली बार तो इसमें एक संशोधन यह कर लिया जाए कि सलाहकार समिति या जो डिसाइडिंग कमेटी जो आपकी है, जो भी आप उसको नाम देते हैं, उसको समयबद्ध कर दीजिए, 10 दिन, 15 दिन, दूसरा इसका भी उल्लेख कर दीजिए कि संगठित अपराध क्या है, संगठित अपराध क्या नहीं है? यह जब अगर आप इन्सपेक्टर के विवेक पर छोड़ देंगे तो उसको सारे अपराध, संगठित अपराध ही लगेंगे। अधिकांश लोग हैं, श्रीमन्, आप भी जेल हो आये हैं, हम लोग कई मुकदमें झेले बैठे हैं। आज जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए गर्व होता है, श्रीमन् मन में कोई अपराध बोध नहीं होता है, भले ही मुकदमा लग जाय, भले जेल जाना पड़े, लेकिन यह जनहित की लड़ाई है, इसको लड़ने में कभी हम लोगों को कोई न तो भय लगा है न अपराध बोघ है न कभी कोई चिन्ता रही है, लेकिन आप अपने इन्स्पेक्टर को एक ऐसी तलवार दे दे रहे हैं या यह कहा जाय कि बन्दर के हाथ में उस्तरा थमाया जा रहा है, आप पूरा उसके विवेक पर छोड़े दे रहे हैं कि तुम यह तय करो कि यह संगठित है या असंगठित है, तो उसको आप यह जो बेपनाह ताकत दिये दे रहे हैं। इसको प्रवर समिति में श्रीमन् जाना आवश्यक है,

सभी दलीय नेताओं को बुला लिया जाय और इस पर जब भी निर्णय हो श्रीमन् गुप्त मतदान के माध्यम से ही होना चाहिए यही निवेदन है, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम दो-तीन बार लिया है, मैं बस एक लाईन में अपनी बात कहना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

वह आपके दोस्त हैं, इसलिए लिया है।

श्री मनीष असीजा-

मैं अन्यथा वाद-विवाद में नहीं जाऊँगा। मैं मा0 वरिष्ठ सदस्य की इस बात पर अपनी बात रखता हूँ कि यह कोई दरोगा के हाथ में नहीं रहेगा, कमिश्नर और डी0आई0जी0 के संयुक्त अनुमोदन से तो इसकी एफ0आई0आर0 होगी और ए0डी0जी0, आई0जी0 जोन की स्वीकृति से चार्ज शीट लगेगी। मा0 अध्यक्ष जी, अब अगर किसी विषय को हल्का करना है तो फिर हम कमिश्नर और डी0आई0जी0 और आई0जी0 इनका किसी का भी मामला नहीं रखेंगे फिर मा0 वरिष्ठ सदस्य ने जो कहा कि कोई भी दरोगा कर देगा तो यह मामला इतना लाइट नहीं है। इसको इतना लाइट न लिया जाय, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक सुझाव है, यह विधेयक लाया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा और मा0 नेता सदन ने बहुत विस्तार से इसके विभिन्न आयाम को बताने का काम किया और अभी उत्तर भाषण भी मा0 मंत्री जी देंगे, तो इसलिए मान्यवर अब सत्ता पक्ष के नहीं, विपक्ष के लोगों की इस पर राय आ जाय जिससे उसका जवाब आ जाय।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आई0ओ0 कौन होगा, क्या डी0आई0जी0 विवेचक होंगे, विवेचक तो वही इन्स्पेक्टर होंगे।

श्री मनीष असीजा-

विवेचक होंगे, लेकिन विवेचक की विवेचना के बाद अभियोजक पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों को अपनी बात रखने का इसमें प्राविधान है।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

इसमें अपनी बात रखने का अधिकार मुल्जिम को नहीं दिया गया है कि वह न्यायालय में अपनी बात रख सके, न्यायालय में जाने तक का अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री मनीष असीजा-

मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इसमें न्यायालय में जाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें।

विधायी एवं न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (डा0 नीलकण्ठ तिवारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है, मैं इसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद सभी चीजों की प्रवृत्ति बदली है, अपराध की प्रवृत्ति बदली है। हमारे आदरणीय चौधरी साहब हैं, याद होगा, पहले बलिया में, देवरिया में, गोरखपुर में नकबकसी होती थी, मिट्टी की दीवालें होती थीं, नकब कर दिया जाता था, चोरी कर ली जाती थी, चोर का पता नहीं चलता था, यदि पता चला तो लाठी, भाला, बरछा, फरसा यह हथियार हुआ करते थे और हर घर में यह रखा जाता था, अब उससे निजात पाना चाहिए तो बलिया, देवरिया में जो मकान बनने लगे, पैसा कमाने के बाद जब कुछ लोंगों ने मकान बनाये नौकरी पेशा लोगों ने तो वह मकान चार फुट तक छड़ लगाकर बनाये जाते थे दीवार में याद होगा आपको, वह इसलिए बनाये जाते थे कि नकबकश जब उसको काटेगा तो आवाज करेगा तो सोते हुए लोग जग जायेंगे और उसको पकड़ लेंगे। यह अपराध होता था, लेकिन चौधरी साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहूंगा कि यह अपराध वह व्यक्ति करता था जिसको जरूरत हुआ करती थी। आगे जब आप यह अपराध की प्रवित्त बदलती है तो इसके लिए 380 का प्रोविजन, 457 का प्रोविजन आई0पी0सी0 में किया गया और कहा गया कि 380 लग जायेगा, 3 साल की सजा हो जायेगी, 457 लग जायेगा 7 साल की सजा हो जायेगी, यह व्यवस्था थी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आदरणीय चौधरी साहब से प्रार्थनापूर्वक निवेदन करूंगा कि उत्तरोत्तर में जब अपराध की प्रवृत्ति बदलती गयी तो धीरे–धीरे आई0पी0सी0 की धाराओं में भी सुधार हुए और कुछ एडीशनल एक्ट भी बनाये गये, जैसे कि मिलावट के लिए धारा 272 थी।

श्री अध्यक्ष–

आप विधेयक पर बोलिये।

डा0 नीलकंठ तिवारी–

जी मान्यवर, उसी पर जा रहा हूं। वह जब 272 में मिलावट के लिए था तो कम महीने की सजा था। उसको इसी सदन ने पूरे भारत में नहीं है, उत्तर प्रदेश ने 272 को आजीवन कारावास में तबदील किया और आजीवन कारावास किया गया। अभी चौधरी जी ने भावावेश में कह दिया कि जब छात्र जीवन में थे आदरणीय डी0 मजूमदार जी या अन्य लोग आदरणीय दुर्गा सिंह चौहान साहब तो उस समय एक्ट लगते थे, उस समय गैंगस्टर एक्ट नहीं था न ही गुण्डा एक्ट तो लगने का सवाल ही नहीं। उसके बाद गुण्डा एक्ट आया फिर गैंगस्टर एक्ट आया। गुण्डा एक्ट की बाते हो रही हैं कि लॉ इज इक्जिसटिंग तो यू0पी0 कोका क्यों? इनका यह कहना है कि जब विधि है तो इसकी जरूरत क्यों ? मैं बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं जब यह गुण्डा एक्ट हुआ तो गुण्डा एक्ट एक सिंगल और हैविचुअल रिपीटेड क्राइम करने वाले एक व्यक्ति के लिए जब गैंगस्टर जायेंगे दैट इज फार ए गैंग।

श्री अध्यक्ष-

आप इक्जिसटिंग पर बोल रहे हैं, प्रपोस्ड पर नहीं बोल रहे हैं।

डा0 नीलकंठ तिवारी-

मान्यवर, उसी पर बोल रहे हैं, हमको लगता है कि आदरणीय चौधरी साहब भी हमको अनुमति दे दें। आगे जब देखेंगे तो गैंगस्टर बनता है तो गैंग की परिभाषा आती है, गैंग में पांच लोग दो लोग तीन लोग आते हैं और एक ही साथ अपराध करते हैं तो उस अपराध करने वाले टीम को गैंग कहा जाता है, सिंडीकेट नहीं कहा जाता है। सिंडीकेट इज अनादर थिंग, सिंडीकेट कुछ अलग चीज है। समझने की जरूरत पड़ेगी, उसी सिंडीकेट के लिए यह एक्ट ले आया गया है। आप जानिये तो जो गैंग में थे, गैंग में यदि तीन आदमी थे तो तीनों आदमी एक्टिव पार्टिसिपेन्ट थे अपराध के और जो सिंडीकेट हुआ, सिंडीकेट में कोई घर पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि जाओ उससे 5 लाख रूपया मांग ले आओ तो एक्टिव पार्टिसिपेन्ट तो बेचारा उसका सर्वेन्ट है जो जाकर 5 लाख मांगता है लेकिन मेन हीरो जो सिंडीकेट का है, जो घर पर बैठा है और घर पर बैठ कर 5 लाख रूपये की डिमाण्ड करता है और एक व्यापारी जो खून पसीने की कमाई कमाता है वह कमाने के बाद खून के आसूं रोता है। हम उस व्यक्ति को जो अच्छा-अच्छा कपड़ा पहनकर बड़े-बड़े अट्टारियों पर बैठा रहता है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। दिस एक्ट इज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन हू इज द डायरेक्टर आफ द आफेन्स। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति दो मिनट चाहिए। मैंने आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैने अनुमति लिया है, मेरी पार्टी ने मुझे 10-15 मिनट का समय दिया है। मुझे बोलने दिया जाये। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर बोल सकते हैं। मुझे अनुमति प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष-

सब लोग 5-5 मिनट बोलें।

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने एक-आध सदस्यों का समय ले लूँगा। आप अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप एक मिनट बैठे जाएँ। मा0 राजभर जी, कुछ कह रहे हैं।

श्री सुखेदव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 तिवारी जी बड़े विद्वान हैं, यहाँ की भाषा तो हिन्दी है लेकिन इंगलिश बोलते हैं तब भी स्वीकार है लेकिन उन्होंने अभी बोलते-बोलते बोला, उससे हमको कष्ट हुआ कि यह हमारी पीठ का क्या अपमान हो रहा है, इन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझको 15 मिनट का समय दिया है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि यहाँ आपका निर्देश चलेगा या किसी पार्टी का निर्देश चलेगा।

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं क्षमा मांग लेता हूँ, सदन से क्षमा मांगता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर-

इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने 15 मिनट दिया है।

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

क्षमा मांग ली मैंने। मैंने क्षमा मांग ली है।

श्री अध्यक्ष-

हमने उनकी बात को सुना ही नहीं।

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा कि कानून यह उस डायरेक्टर के लिए है। आपकी अनुमति से निवेदन करूँगा कि जमीन खाली पड़ी है। चूँकि व्यवहार में मैं क्रिमिनल की वकालत करता था तो एक-एक चीज जानता हूँ। जमीन खाली पड़ी है लड़का अपने पिता को लेकर अमेरिका चला गया। वहाँ पर बड़ी नौकरी में है, काम करता है। एक भू माफिया, बड़ा भू माफिया, बहुत बड़ा व्यक्ति जो बम्बई में बैठा हुआ है या लखनऊ में बैठा हुआ है। जमीन गोरखपुर में है, देवरिया में है, बलिया में है। वह जमीन देखता है, यह जो कम्प्यूटरीकरण हुआ है न रजिस्ट्री ऑफिस का, यह 1980 के बाद हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

ऐक्ट के प्राविधानों पर कुछ बताइए, कब बताएँगे ?

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

अध्यक्ष जी, अभी बता रहा हूँ। यह कानून क्यों बना, क्या जरूरत है, इसी पर आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह व्यक्ति करता क्या है जो सफेद कॉलर वाला बड़ा आदमी है। वह करता क्या है जो रजिस्ट्री ऑफिस का डॉक्यूमेण्ट है, उसने उस डॉक्यूमेण्ट को मैनिपुलेट कर दिया और अपने किसी कारिन्दे को ले जाकर के उसका नाम, उसके बाप के नाम से उस जमीन का 65 में म्यूटेशन करा दिया, रजिस्ट्री करा दिया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

मान्यवर, बस दो मिनट। और उसके बाद में वह नाम जब म्यूटेट करा देता है तो म्यूटेट कराने के बाद ये जो बड़े सेठ साहब हैं वह उससे अपने नाम कराते हैं और करा करके मल्टी स्टोरी बनाते हैं तो उस निर्देशक और डायरेक्टर के लिए यह कानून बनाया गया है। अध्यक्ष जी, एक निवेदन और करूँगा। चूँकि हमारे नेता प्रतिपक्ष बलिया के हैं और बलिया में एक कवि हुआ करते थे। उन्होंने एक कविता कही थी, भोजपुरी कविता थी। हम लोग समझ जाएँगे। उन्होंने कहा था कि

खम्भा त हिली जऊलें, थूरल न जाई,
अ दुश्मन दहाड़ी जऊलें, थूरल न जाई
और पलई का पांगल पलकबै करी
जऊले ऊ जड़ से तूरल न जाई।

तो उसे जड़ से तोड़ने के लिए यह कानून ले आया गया है। एक चीज जान लीजिए कि आज के वातावरण में, आज की परिस्थिति में कोई भी कानून युगानुकूल, देशानुकूल होता है। आज का युग और आज के देश के अनुसार यह कानून अत्यन्त आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

श्री विजय मिश्र जी, नेता, निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल। आपको बोलना है। आप 5 मिनट बोलिए।

श्री विजय मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन पीछे से एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि कौन सा दल है तो इस बारी दल का नाम याद करके आया हूँ। निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता सदन ने जो यू0पी0कोका बिल सदन में पेश किया है। हम उस पर बल देते हैं। हम उससे सहमत हैं और हमारा बहुत शॉर्ट में और संक्षिप्त निवेदन है।

(एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि इससे आप पकड़े जाएँगे।)

श्री विजय मिश्र-

हम बाद में पकड़े जाएँगे, पहले आपका नम्बर आएगा। पकड़ने के समय हमारा नम्बर बाद में आएगा। (सदन में हँसी) मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो इनकी बात का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप किसी की बात का जवाब न दीजिए, हमसे बात करिए।

श्री विजय मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, हम बोलते कहाँ हैं अब आपकी अनुमति है तो आप सब की मा0 सदस्य की तरफ से एक-एक मिनट बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप आज सब की तरफ से बोल दीजिए।

श्री विजय मिश्र-

सपा सदस्य ने अभी कहा कि आपका नंबर UPCDCA आयेगा अब वह समय चला गया। अभी जिस दल में आप सदस्य हैं अभी भाई लालजी वर्मा ने कहा था कल-परसो में एक इनके साथी का जो हमसे ज्ञानपुर में चुनाव लड़े थे राजेश यादव उनकी हत्या हो गई थी।

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर नहीं बोल रहे हैं। मा0 विजय जी आपसे हमारा अनुरोध है कि आप विधेयक पर बोलें।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, उसी पर बोल रहा हूँ, हत्या कैसे हुई कैसे नहीं हुई। सपा के पार्टी अध्यक्ष का भदोही में फोन गया इनके नेता के आफिस का फोन गया। चार जिले के यादव इलाहाबाद में

जुट गए कि विजय मिश्रा को नामजद कर दें। मान्यवर, 6 बजे एफ0आई0आर0 हुई, 10 बजे मृतक की पत्नी की प्रेस कान्फ्रेस हुई माननीय खन्ना साहब और जितने यहाँ हैं आप लोगों ने देखा 4 बजे इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेस करवा दी कि विजय मिश्रा ने हत्या करवा दी, क्योंकि बालू का खनन में हमारे पति भी टेण्डर डालना चाहते थे। हमारी पत्नी रोने लगी कि फिर वही हाल हमने कहा कि महाराज योगी जी की सरकार है सपा, बसपा की सरकार नहीं है अब अधिकारी ईमानदार हैं। क्या परिणाम हुआ बताइये आपका तमाम उस जगह कैप्टन मारे गए फौज के, शहीद हुए तब आपके नेता का फोन नहीं गया। तमाम जिला महासचिव की मृत्यु हुई लेकिन वह लोग सपा के थे यादव थे इसलिए आपके अध्यक्ष जी का फोन नहीं गया लेकिन राजेश यादव बसपा के थे हमें फंसाना था इसलिए ये फोन गया।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर नहीं बोल रहे।

श्री विजय मिश्र-

इस विधेयक का हम समर्थन और प्रबल समर्थन करते हैं और उससे यह सपा और बसपा के लोग भयभीत न हो। इसमें हम इतना संशोधन चाहते हैं कि यदि सारे पॉवर दरोगा को आप दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी आप इस पीठ पर बैठे मा0 अध्यक्ष जी आप से विद्वान एवं योग्य शायद ही कोई हो। वो दरोगा जो लिख देगा कमिश्नर तक वही लिख देंगे। अभी जब बसपा की सरकार थी थाना उराई में एक दारू वाला पकड़ा गया उसने दरोगा ने अपने बयान में लिख दिया कि विजय मिश्रा हमारी मदद करते थे और हम केन्द्रीय कारागार नैनी में हैं तो कल दरोगा क्या-क्या लिख दे या तो सी0आर0पी0सी0 में जैसा कि तिवारी जी अभी बोल रहे थे 182 में है कि यदि वह गलत बयान करता है, गलत फँसाता है तो जो सजा यूपीकोका लगने वाले पर है वही सजा डी0एम0, कमिश्नर हो या आई0जी0 हो या डी0आई0जी उसको भी 182 के तहत सजा मिले। इतना ही हमारा संशोधन हमारा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है मिश्रा जी, बहुत अच्छा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन रखा है और प्रवर समिति को दिये जाने का जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह कानून अच्छा या बुरा तो तब साबित होगा जब यह लागू होगा। पूरे विश्व में जितने भी बड़े तानाशाह हुए वह इससे भी बड़े कानून लेकर आए। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है। वहाँ तीन बड़े तानाशाह हुए और जब मिलिट्री कूप हुआ उसके बाद उन्होंने चुनाव कराया उनमें आयूब खाँ, जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ, ये सिर्फ मिलिट्री के तानाशाह नहीं रहे (सत्तापक्ष की तरफ से टोका-टाकी)। माननीय अध्यक्ष जी जब इन्होंने चुनाव कराया तो इन्हें 96 प्रतिशत और 98 प्रतिशत वोट मिला इन तानाशाहों को लेकिन उस देश का भी जो अंजाम हुआ और इन लोगों को जो भी अन्याय हुआ, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा भी कई तानाशाह हुए दुनिया में सद्दाम हुसैन, गद्दाफी हिटलर आदि।

श्री अध्यक्ष-

ऐक्ट पर आ जाइए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी मान्यवर, मैं वहीं आ रहा हूँ, यह लोग भी और अगर मैं हिटलर के बारे में भी कहूँ तो हिटलर तानाशाह बाद में हुए पहले पार्लियामेण्ट में उनकी नाजी पार्टी का भारी बहुमत हुआ। ऐसे सारे कानून दुनिया में लाए गए ऐसा नहीं है कि यह उत्तर प्रदेश कोई अनोखा है लेकिन जब भी कोई गलत कानून आया है वह लागू जरूर हुआ लेकिन देश को, प्रदेश को, और गरीब कमजोर लोगों को उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। हमारे कांग्रेस के साथी है, वह बुरा नहीं मानेंगे, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी और जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आप भी उसके भुक्तभोगी हैं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या चार्जेज उन पर लगे थे, थाना फूँक आए। जमाते इस्लामी के 95 साल के अध्यक्ष के बारे में यह रिपोर्ट थी कि गर्ल्स कॉलेज में लड़की का दुपट्टा खींच रहे थे। यह कानून था ? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का महामंत्री था और हमारे यहां यूनिवर्सिटी का यह नियम है कि किसी राजनैतिक दल का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं अराजनैतिक था, एल0एल0एम0 फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था और एल0एल0बी0 में मेरे 76 प्रतिशत मार्क्स थे, इमरजेंसी में गिरफ्तार हुआ और जेल चला गया। मेरा इरादा यह था कि वहां बच्चों को पढ़ाता लेकिन आप जैसे लोग मिले और राजनीति के रास्ते पर आना पड़ा। मान्यवर, उस कानून का कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ यह कांग्रेस अच्छी तरह जानती है और अभी हमारे सदस्य साथी राजा भईया ने कहा कि अगर कोई कानून देश के लिए होना चाहिए था और होता, उसकी जरूरत होती तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूरी ताकत के साथ है वह कानून बना सकती थी। आखिर कौन-से हालात हैं उत्तर प्रदेश में और कौन-सी इस बात की जरूरत है ? मुख्यमंत्री जी ने कहा तो यह है कि बहुत अच्छे-अच्छे काम हुए, अच्छी कार्यवाहियों का जिक्र किया, उपलब्धियां बतायी, एस0टी0एफ0 के कारनामे बताए और यह कहा कि सारा बुरा निजाम जो पिछले लोग छोड़ कर गए थे हमने उसे दुरूस्त कर दिया है। प्यार-मोहब्बत करने वालों को प्यार-मोहब्बत के रास्ते से रोमियो स्क्वाड बनाकर अलग कर दिया और बाद में यह कहा गया कि हमने इस कानून के दुरूपयोग को रोक दिया, लव-जेहाद रोक दिया लेकिन लव-जेहाद अगर मैं कहूँगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया सब शांत रहिए, लव-जेहाद विषय नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्योंकि वह लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा। आपका सिर शर्म से झुक जायेगा अगर मैं आपके बड़े-बड़े नेताओं के नाम लूँगा और फिर आपसे पूछूंगा कि लव जेहाद का मतलब क्या होता है। आप लव जेहाद का जवाब नहीं दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप उनका जवाब न दीजिए, आप लोग बैठिए। माननीय आजम खां आप विषय पर आइए। आप लोग शांत रहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बात लव जेहाद की नहीं है बात है नफरतों की।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

हमने उनसे आग्रह किया है कि विषय पर बोलें। आप सब लोग खड़े हो जाते हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत हो जाइए। माननीय आजम खां आप बोलिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अंग्रेजी शासन में भगत सिंह, शहीद भगत सिंह क्यों कहलाए, इसलिए कहलाए कि अदालत में आवाज का बम फोड़ा गया था।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलने नहीं दे रहे हैं और आपको कोई बोलने न दे। वह प्रतिपक्ष में हैं और आप सत्ता पक्ष में हैं। हम आपसे बाद में मार्गदर्शन ले लेंगे। पहले इनको बोल लेने दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बम फोड़ा गया आवाज का। लेकिन गलत कानून का और गलत फैसले का सहारा लेकर भगत सिंह को फॉसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। मान्यवर, इतिहास और यह सदन यह भी याद करे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मूल विषय से भटक रहे हैं। माननीय राम गोविन्द जी तय यह हुआ था कि दलों के जो नेता है उनका समय तय हुआ था और बाकी सबका समय तय हुआ था। आप सीनियर आदमी हैं तो दो-तीन मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं बैठ जाता हूँ

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको बैठा नहीं रहा हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

नहीं मान्यवर, बस धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

हमारे आपके सबके बीच में तय यह हुआ था।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी किये जाने पर व्यवधान।)

आप आज न बोलें तो बड़ी कृपा रहेगी कल सवेरे से कोई और बात हो जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

नहीं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ मैनें इधर कहा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलेंगे।

(श्री सुखदेव राजभर जी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप बोल लीजिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हम बस दो मिनट बोलेंगे। विधेयक पर बहुत सी बाते आ गयी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के संदर्भ में नेता सदन ने विचार रखे और माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने विचार रख चुके हैं और जो संशोधन प्रस्ताव है मैं उस पर बल भी दे रहा हूँ अभी राजा भइया ने जो शंका व्यक्त की, मैं भी उसी को कह रहा हूँ कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, इस विधेयक को पढ़ने के बाद पूरा आभास हो गया कि विधायिका और न्यायपालिका को विश्वास में नहीं लिया गया है और पत्रकारिता पर तो हमला हुआ है। अभी माननीय उच्च न्यायालय कोई निर्देश देते हैं या संविधान में कुछ संशोधन होता है तो उसका परीक्षण माननीय उच्च न्यायालय करता है, तो समकक्ष किया था। डी0आई0जी0, आई0जी0 या कमिश्नर साहब आदेश दिये एफ0आई0आर0 का और दरोगा इन्वेस्टीगेशन करेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप किसी जुडीशियरी से, मुसिंफ से कराइये। आज जो विवेचना आप करा रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, आखिर में अब आपकी कृपा से हम लोग सदन में कैसे बैठें। उस बार इन्हीं कारणों से पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया था आखिर में यह सदन कैसे चले। हमसे जितना सहयोग आप चाहते हैं हम लोग उतना सहयोग देते हैं। कोई भी विपक्ष का सदस्य जब बोलने खड़ा होता है तो टोका-टाकी शुरू हो जाती है। माननीय सदस्य भी वहॉं सुशोभित कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

और किसी को भी टोक देना, कहीं से भी बैठ के टोक देना, यह विपक्ष के लिये बड़े दुख की बात है। एक हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे उनको भी बोलने नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, आखिर कितना हम लोगों को आप अपमानित करना चाहते हैं। कितना हम लोग अपमानित होंगे इस सदन में। यह कई-कई बार संसदीय कार्य मंत्री रहे, नेता विरोधी दल रहे, उनको भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं। एक हमारे वरिष्ठ, जो उस आसन पर भी विराजमान रहे हैं पॉच बरस, उनको भी टोका-टाकी। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि इसी तरह हमारी आवाज दबाने की बात हो रही है, यही कानून तो आ रहा है। अध्यक्ष जी, आप हम लोगों से कितना सहयोग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उधर से जो टोका-टाकी हुयी, वह गलत थी। बिल्कुल गलत थी और आप लोग शांत रहें।

श्री सुखदेव राजभर-

इस विधेयक में कार्यपालिका के अधिकारियों को चाहे प्राधिकरण बना दें चाहे न्यायालय बना दें सब उन्हीं को बनाया गया है और इतनी छूट उनको दी गयी है कि माननीय सेशन जज या डिस्ट्रक्ट जज भी अगर कहीं गडबड़ी कर जाता है तो हाईकोर्ट स्ट्रक्चर पास कर देती है। या मा0 उच्च न्यायालय का कोई जज कहीं पर कोई गड़बड़ी कर गया तो उसके खिलाफ चीफ जस्टिस स्ट्रक्चर पास करती है या तो संसद महाभियोग लगा देती है। यहॉ पर देखें ये कुछ भी कर डालें, जो प्राधिकरण बना है और शब्द प्रयोग किये हैं सद्भावना पूर्वक गुडफेथ में, सद्भावना की परिभाषा तो कभी हो ही नहीं पायेगी। अगर कोई इस तरह का देखें मान्यवर, इसमें 35 में देख लें, राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संगठित अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण के अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो अधिनियम में या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या ऐसे नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किया गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। न कोई अभियोजन होगा, मा0 उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ अभियोजन हो सकता है पार्लियामेंट के अन्दर अगर वह गड़बड़ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हो सकता है लेकिन जो कार्यपालिका के हमारे अधिकारी हैं इनके ऊपर पूरा न्याय जाकर के टिकेगा, उनको निरंकुश रखा गया है तो दुरुपयोग तो होगा ही। जहाँ आप सद्भावना शब्द का दुरुपयोग किये हैं वहॉ तो दुरुपयोग का संकेत मिल गया और डी0आई0जी0, कमिश्नर साहब एफ0आई0आर0 के लिए परीक्षण करके रिपोर्ट दें और आप तफ्तीश करा रहे हैं नायब दारोगा से, उनके निर्देशों की वह विवेचना करेगा, दम है दारोगा के। फर्जी आरोप या कोई चार्ज लग गया कि यह संगठित अपराध या गिरोह है यह तो पहले भी व्यवस्था थी अगर 302 में तीन मुल्जिम, चार मुल्जिम हो गये तो दफा-34 लग गई, कॉमन इन्टेंशन का प्रावधान है तब भी संगठित अपराध बनाने की कोशिश की गई आई0पी0सी0 में कि ये संगठित अपराध किये हैं। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी मा0 मुख्यमंत्री जी बनारस में बहुत बड़ा हवन किये थे, गये होंगे हमारे बनारस के साथी और बहुत अच्छा अखबारों में छपा कि मा0 मुख्यमंत्री जी एक हवन करा रहे हैं कि प्रदेश में शान्ति

और अमन-चैन बना रहे। संसदीय कार्यमंत्री जी, हवन से नहीं हनक से सरकार चलती है, यह हनक सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की थी, हवन नहीं था। जिनको मुख्यमंत्री जी पॉच बार बोल चुके हैं कि गुण्डे या तो प्रदेश के बाहर चले जाएं या तो अन्दर रहें, अन्दर रहेंगे तो जेल में भेजूँगा लेकिन एक भी नहीं गये हैं। 11 हजार अपराधियों को न जाति के आधार पर और न धर्म के आधार पर थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जेल के शिकंजों में बन्द किया था हमारी मुख्यमंत्री जी ने और कोई चूँ नहीं बोलता था, 12 बजे रात तक बेटियॉ घर आ जाती थीं गार्जियन को मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उन्हें पता था कि बेटी सुरक्षित आ जायेगी और आपने उस बेटी के लिए पास्को बनाया। अभी तत्काल बना दिये हैं, ऐक्ट बनाने से क्या होगा, आज कितना अपराध है, पॉच साल, छः साल, आठ साल की बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनकी रोजाना लाशें लटकाई जा रही हैं, आपका पास्को कहॉ चला गया, उसने कुछ काम किया। ऐक्ट तो बहुत हैं इससे बड़े हैं, अपराधियों को रोकने के साथ-साथ सामाजिक अपराध को रोकने के लिए डावरी ऐक्ट तो आप बनाये हैं कि दहेज हत्या उन्मूलन अधिनियम बना है और रोज पॉच लड़कियों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर के जलाया जा रहा है मोटरसाइकिल के लिए। आर्म्स ऐक्ट बना है इस देश में अभी पूरी जॉच कर लें तो कम से कम हजारों ए0के0 47 मिलेंगी जो इंडिया में नहीं बनती हैं। कहॉ चला गया आर्म्स ऐक्ट, जैसा वर्मा जी ने कहा कि गरीब के बेटे का चालान करना है तो थाने में पचासों कट्टे रखे हुए हैं और उसको सील करके आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत चालान कर दिया जायेगा। वहॉ सीधा दुरुपयोग हो रहा है लेकिन ए0के0 47 कौन लेकर के घूम रहा है। आप सीमा को लिखें कि सीमा पर इसका परीक्षण किया जाय, आतंकवादी घुस रहे हैं आज हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर, उत्तर प्रदेश के अन्दर ए0के0 47 दो हजार, चार हजार होगा। कहॉ आपका ऐक्ट प्रभावी हुआ, कहॉ पास्को ऐक्ट प्रभावी हुआ, ठीक है आप रोकें हम तो पक्षधर हैं लेकिन जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक सुन्दर से सुन्दर आप कानून बना दें, सुधार नहीं होगा। आपने इसमें प्राधिकरण को बनाया है, पूरी ज्यूडिशियरी को आपने किनारे कर दिया, कभी दारोगा फर्जी एफ0आई0आर0 लगाता था तो न्यायालय परीक्षण करता था और यहॉ तक न्यायालय ने किया है कि अगर दारोगा ने फाइनल रिपोर्ट किया है और न्यायालय को सही मालूम पड़ा तो उसने मुल्जिम को तलब कर लिया है लेकिन आपका प्राधिकरण नहीं तलब करेगा। अगर दारोगा ने मेरे ऊपर फर्जी चार्जशीट लगा दिया है तो उस प्राधिकरण को दम नहीं है कि वह उस चार्जशीट को फाइनल रिपोर्ट में बदल दे। आप न्यायालय को एकदम इग्नोर कर दिये, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसके दुरुपयोग के पूरे लक्ष्य हैं। आप डी.आई.जी. को बैठावें, कमिश्नर को बैठावें, दरोगा को बैठावें, प्राधिकरण बनावें, विशेष अदालत बनावें, सब केवल कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता दर किनारे हो गयी। पत्रकारिता थोड़ा न्यूज छाप देती है कि यहॉ पर यह अन्याय हो गया, खबरें छपी हैं। या तो इमरजेंसी में था कि हमारे पत्रकार भाई या ऐसे लोग छोटे-छोटे हैण्ड-बिल छापे थे तो उनकी उंगलियॉ कटवायी गयी थी। आज फिर उनकी उंगलियॉ काटने की तैयारी हो रही है। कुछ स्वतन्त्रता तो करिये। मैं गारण्टी के साथ कहता हूँ, मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया, ई-टी0वी0 का कमाल, अपराध का पर्दाफाश। वह खबर देता है और कहता है कि मैंने फ्लैश किया है, घटना को दिखाया है तब पुलिस एक्टिव हुई है। अब वह किसी अपराध पर एक्टिव न करे, अपने समाचारों को न छापें। इसलिए मेरा

कहना है कि पूरा का पूरा दुरुपयोग होगा। आप देखे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल इसमें गरीबों का जो कहा जा रहा है एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं। आपका भू-माफिया एक्ट बना है, भू-माफियाओं की सूची बनाने के लिए लेखपालों को निर्देश दिया है उनको भी इस एक्ट में रोकने का प्रयास हो रहा है। लेखपाल गॉव में बस्ता लेकर घूमा, भू-माफिया किसको बनाया, घुरहू को, क्या कर दिया भीठा पर मड़ई रख लिये, फिर निरहू को बना दिया, इन्होंने क्या किया आबादी की जमीन पर इन्होंने एक मड़ई रख लिया। जो बड़ी-बड़ी महलें खड़ी किये हैं वह भू-माफिया की सूची में नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष जी, पता करा लें, सर्वे करा लें। हाहाकार मचा हुआ है, एक गरीब आदमी ग्राम समाज की आबादी में मड़ई रख लिया, गलती कर दिया आज जाईये गॉव में, हमारी तरफ तो हाहाकार मचा हुआ है। आज इस गॉव में पच्चीस नोटिस कि तुम भू-माफिया हो तुमने एक मड़ई रख लिया है, तुम्हारा घर गिराया जायेगा। इसलिए भू-माफिया एक्ट का प्रयोग गरीबों के प्रति होगा ही, यह गारण्टी है। एक्ट को प्रभावी करने के लिए कुछ हनक पैदा करिये जो एक्ट हैं वो बहुत सफीसियेंट हैं। हमारा आई0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0 या इवीडेंस एक्ट को थोड़ा मजबूत कर दें और यह फॉसी की सजा, एक बार वह सजा पा गया तो दोबारा कोई ट्रॉयल करने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज के लिए आप फॉसी दे दे रहे हैं। आज मानवाधिकार बहुत सर्तक है वह कहता है कि इसको रोको मानवीय आधार पर, इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हवन और पूजापाठ से काम नहीं चलेगा। पूजापाठ करिये मैं उसका पक्षधर हूँ, खूब करिये, जमकर करिये, लेकिन आज न आपका पास्को सफल हुआ, न एण्टी रोमियो सफल हुआ, न आपका कुछ सफल हुआ। जितने भी आप ट्रॉयल किये हैं और यह असफल होगा और निश्चित है कि देख लीजिएगा जिस दिन से लागू होगा, जिस पर शंका व्यक्त किया गया है, कोई शंका न करे। आप तो ऐसा कह रहे हैं एक आदमी एक दरवाजे पर संवेदना व्यक्त करने गया, एक हमारे सेना का जवान उसके कनपटी पर गोली लग गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री सुखदेव राजभर-

वह मर गया, इन्हीं की तरह संवेदना व्यक्त करने उसके दरवाजे पर एक आदमी पहुँचा कि भाई क्या हुआ? पता चला कि बार्डर पर दुश्मनों ने गोली मार दिया। पूछे कहॉ गोली लगी थी, कहा कनपटी में। संवेदना क्या व्यक्त कर रहे हैं इन्हीं की तरह एक्ट बनाये थे कि चलिये भगवान कम से कम अच्छा किये कम से कम ऑख तो बच गयी जबकि वह बेचारा मर गया था और कह रहे थे कम से कम अंखिया तो बेचारे की बच गयी। कुल कर डाले और कह रहे हैं कि नहीं अंखिया तो बची है कम से कम आप लोग जेल में जांय या जहाँ मन चाहे तहॉ चले जांय। ऐसी संवेदना मत व्यक्त करने आईये। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। और इसको वापस ले लें काहे गुस्सा कर रहे हैं। राजा भैइया की बात मैं मानता हूँ कि न्यायपालिका और विधायिका को जो इस एक्ट में अपमानित किया गया है मैं उसका कट्टर विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर लगभग 4 घण्टे की चर्चा हो गयी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो हम लोग शुरू से आशंका व्यक्त कर रहे हैं इस कानून के दुरुपयोग होने का, उसका तो सदन में ही एकदम साफ दिखायी दिया। हमने शुरू में ही कहा था कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए सरकार यह विधेयक ला रही है। ऐसे ही अल्पसंख्यक भय में जी रहे हैं इस सरकार के खौफ से। इस प्रदेश या देश के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सदन के कई बार के सदस्य, नेता विरोधी दल, संसदीय कार्यमंत्री, सबसे सीनियर आपकी आज्ञा के अनुसार अपनी बात कह रहे थे और उनको यहाँ नहीं बोलने दिया गया। इसी तरह से यह कानून का दुरुपयोग विरोधियों पर होगा। अल्पसंख्यकों पर मुसलमानों पर इसलिये होगा कि भय के वातावरण में वह वोटर वोट देने के लिये वह पोलिंग बूथ तक न जायं। इसलिये यह साजिश रची जा रही है कि इस प्रदेश का मुसलमान इतने भयभीत कर दिये जायं कि पोलिंग बूथ तक वोट देने जाने की हिम्मत न कर सकें। जब एक वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा हो सकता है तो एक जनरल वोटर के साथ क्या नहीं हो सकता है। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल पास करायेंगें बहुमत में। इनका इरादा नहीं है इसको वापस करने का। इसलिये पत्रकारों को जेल में बंद करने का जो कानून हो, जो विरोधियों को बंद करने का हो, जो सदन में आवाज बंद करने का कानून हो, ऐसा काला कानून हम पास नहीं होने देना चाहते। इस काले कानून के विरोध में हम और हमारा दल आज के लिये सदन का बहिष्कार करता है।

(नेता विरोधी दल अपने दल सहित सदन का बर्हिगमन कर गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मान्यवर, यह अपने आप में साम्प्रदायिकता फैलाने वाली भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का न तो ऐसा कोई इरादा है न उसने ऐसा कोई काम किया है। इन्होंने अपनी बात कही है तो बात सुननी भी चाहिए। कर्नाटक में चल रहा है यह।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, यह इस तरह का कानून लाकर विरोधियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, यह कैसे बोल रहे हैं कर्नाटक में इनकी सरकार है। वहाँ इससे ज्यादा सख्त प्राविजन्स हैं। वहाँ यह कानून लागू है। जहाँ इनकी सरकार चल रही है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, हम सरकार के इस कानून के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(कॉग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन का बर्हिगमन कर गये।)

(सदस्य श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, उत्तर तो आ जाय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर तो माननीय नेता सदन ने दे दिया और उन्होंने विस्तार से पहले ही पूरा उत्तर दे दिया। मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। उसको समावेश करके दे दें। मैं यह कहना चाहता हूँ आज ही।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आप पूरा समय बोल चुके हैं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अलीगढ़ में हमारे एक पार्षद ने उर्दू में शपथ लिया उसको जेल में डाल दिया। आज जातिगत और राजनीतिक द्वेष की भावना से तमाम अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। अल्पसंख्यकों को डाला जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह आरोप बिल्कुल गलत है। यह राजनीति से प्रेरित है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा–

इस कानून की मंशा लोगों को डराने धमकाने की है। मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता बसपा अपने दल सहित सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात जो पत्रकारों से संबंधित कही गई। मान्यवर, बिल आपके सामने है। आपके पास भी है और सारे सदस्यों को यह बिल मिला हुआ है। इस बिल के पेज नं0–2 पर देख लें मान्यवर, इसकी भाषा देख लें। गलत तरीके से इन्टरप्रिट करना राजनीति को कम्युनलाइज करना और केवल जाति के आधार के ऊपर उसको गलत तरीके से परिभाषित करना यह इन दोनों पार्टियों का मूलभूत अधिकार बन गया है मान्यवर। यह गलत तरीके से व्याख्या करना। मान्यवर, आज कर्नाटक में और तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में इससे ज्यादा सख्त कानून है। मैं उसको बताना चाहता हूँ मान्यवर। कम से कम कार्यवाही में इनकी बात आई तो हमारी बात भी जरूर आना चाहिए। मान्यवर, यह देख लें पेज नं0–2 नवीं लाइन है मैंने इसलिए कहा कि ऐसे कन्फ्यूजन होगा, बिल का पेज नं0–2 है जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ किसी सूचना को किसी विधि प्राधिकार के बिना, देना या प्रकाशित करना जिससे संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता सम्भावित हो, मान्यवर, आज की परिस्थिति में पूरा हिन्दुस्तान आतंकवाद की गतिविधियों से प्रभावित है यहां रोज यह खतरा मिलता है अक्सर एलर्ट किया जाता है कि आज पूरे प्रदेश को एलर्ट किया गया इस आधार पर एलर्ट किया गया है कि कहीं आई0एस0आई0 की घटना हो रही है कहीं जैशे मोहम्मद की घटना हो रही है कहीं कश्मीर के दूसरे आतंकवादियों ने किसी स्थान पर, किसी भीड़ भरे स्थान पर घटना कर दी तो उसके लिए पूरे प्रदेश को एलर्ट किया जाता है तो आज की परिस्थिति में प्रेस पर कोई सेंसरशिप लगाने नहीं जा रहे हैं लेकिन ऐसी कोई चीज जो आतंकवादियों को महिमामंडित करती हो या संगठित अपराधियों को महिमामंडित करती हो या उनके किसी कृत्य से उनका उत्साहवर्धन होता हो, या

उनको किसी प्रकार से प्रोत्साहन मिलता हो, केवल उसी प्रकार के प्रकाशन को हमने परमीशन लेकर बोलने की बात कही है।किसी घटना की रिपोर्टिंग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया इन्होंने गलत तरीके से उसको कहा, गलत तरीके से उसकी व्याख्या की, पूरे एक्ट को मान्यवर, गलत तरीके से इण्टरप्रिट किया गया उसकी व्याख्या गलत की गई क्योंकि चश्मा तो गलत चढ़ा है आज की परिस्थिति में गैंगस्टर एक्ट में जो प्राविधान थे वर्तमान एक्ट में 38 प्राविधान ऐसे हैं जो गैंगस्टर एक्ट में नहीं थे जो गुण्डा एक्ट में नहीं थे। इसलिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी और जितनी भी शंकायें इन्होंने व्यक्त की हम सारी शंकाओं का जवाब पूरी तैयारी के साथ देने में सक्षम हैं। आपने जो-जो बातें कहीं कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, पहले आप यह देखें यह कानून किसके ऊपर लागू हो सकता है किसके ऊपर एफ0आई0आर0 हो सकती है यह बात सदन में साफ हो जानी चाहिए। जिसके ऊपर कम से कम दो अपराध हों दो कांगनीजेबिल अपराधों में सक्षम न्यायालय ने पुलिस की चार्जशीट के ऊपर कांगनीजेन्स लेकर चार्ज फ्रेम किया हो उसके बाद तीसरी घटना में, ऐसा संगठित अपराधी अगर तीसरी बार अगर किसी प्रकार का अपराध करता हो, आपराधिक कार्य करता हो तभी इसके तहत उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखाई जा सकती है। यह उसकी पात्रता है मान्यवर, अब लिखाने से पहले क्या करना पड़ेगा, लिखाने से पहले परमीशन लेनी पड़ेगी मंडलायुक्त से और आई0जी0 से, आई0जी0 और मंडलायुक्त की ज्वाइन्ट कमेटी जब उस पर विवेचना कर लेगी तब उसके बाद उसको एफ0आई0आर0 लिखाने की परमीशन देगी। यह इसलिए किया गया ताकि किसी भी प्रकार से, यह केवल अपराध को रोकने के लिए है, अपराधियों के लिए है, किसी शरीफ आदमी को न तो इसमें फंसाया जाना है न किसी शरीफ आदमी के ऊपर यह लगने वाला है न किसी शरीफ आदमी को इसके तहत परेशान करने की आशंका या संभावना है। इस समय डी0आई0जी0 का पद नहीं है तो आई0जी0 का है तो संयुक्त अनुमोदन से एफ0आई0आर0 होगी अगर पॉच साल के अन्दर वह व्यक्ति अगर किसी न किसी रूप में सक्रिय है और उसके ऊपर दो मामलों में चार्ज फ्रेम हुआ है सक्षम न्यायालय में उसके बाद तीसरे अपराध के लिए जब तक आई0जी0 और कमिश्नर की परमीशन नहीं होगी तब तक उसके ऊपर अपराध इन्ट्रोड्यूज नहीं हो सकता है। एफ0आई0आर0 लॉज नहीं हो सकती है यह इसकी अर्हता है। मान्यवर, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है मकोका लगा, इन दोनों प्रान्तों में अगर दस साल में किसी समय भी अगर दो केस हुए उसके ऊपर तो एफ0आई0आर0 लिखाई जा सकती है हमने उसको घटाकर पॉच साल कर दिया है। 10 साल तो बहुत बड़ा पीरिएड हो गया अब बात आती है अभी हमारे नेता विरोधी दल ने यह पढ़ा था कि पॉच नवम्बर 2007 को मैंने वहॉ बैठकर ऐसा कुछ कहा था। मान्यवर, मैंने कहा था यह बिल्कुल सही है और हमने उसकी कम्परेटिव स्टडी भी करवाई एक कम्परेटिव चार्ट भी बनवाया कि 2007 में जो प्रावीजन थे वह कैसे थे और हम जो लाए हैं इस कानून के तहत उनमें प्रावीजन कैसे हैं। मैं पूछता चाहता हूँ पिछले पॉच सालों में हर साल दो-दो सौ तीन-तीन सौ स्थानों पर पुलिस पीटी गई इनके जमाने में ऐसा कोई थाना चौकी, पुलिस दफ्तर में यहॉ तक कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इनकी वजह से पुलिस पिटी। जिसको अपराध के नियंत्रण का जिम्मा है जिसको अपराध रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बहुत से लोगों ने इनके जमाने में नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकार्ड मैंने परसों ही पढ़कर सुनाया था मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि 2016 में उत्तर प्रदेश

महिलाओं की सुरक्षा में और मर्डर के मामलों में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर था और मर्डर में सबसे आगे था 2016 में। उस समय किसकी सरकार थी लेकिन हर प्रकार से हमारा यह कोई इरादा नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से राजनैतिक लोगों पर या राजनैतिक उद्देश्य से इसका प्रयोग करें या इसका दुरुपयोग करते हुए राजनैतिक लोगों पर आरोपित करें जो बिल्कुल विशुद्ध अपराधी हैं जो हैबीचुअल अफेंडर हैं किसी न किसी रूप में उनकी अपराधिक गतिविधियाँ अपने घरों से बैठकर अपने प्रतिष्ठानों से बैठकर गैंग लीडर बनकर करते हैं उन लोगों के लिए यह कानून बनाया गया है। अभी तो यह यहाँ से पास होने के बाद इसमें कई सेक्सन ऐसे हैं जो हमको भारत सरकार भेजना पड़ेगा। जहाँ तक आपने उठाया कि संविधान के विपरीत है कानून के विपरीत है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है अभी हमारे कई मित्रों से इसको गलत तरीके से इन्टरप्रेट किया मैंने इसको पूरा पढ़ा है इसमें न कहीं पर संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है न किसी कानून की अवहेलना हुई है न ही किसी ऐसी व्यक्ति की जो कानून सम्मत व्यक्ति की स्वतंत्रता को करटेल किया गया है। अपराधियों को रोकना अपराधियों को नियंत्रण करना अपराधियों की गतिविधियों के ऊपर लगाम लगाना यह सरकार की पहली जिम्मेदारी है किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अमन चैन कायम करे और अमन चैन कायम करने के लिए यह सरकार यह समझती है कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान बिल है यूपीकोका जिसका नाम उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक इसके किसी भी धारा में न तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और न ही किसी प्रकार से किसी वर्ग विशेष का उल्लंघन है। न ही पत्रकारों की स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप किया गया है।न ही उनको कहीं करटेल किया गया है मेरा यह सबमीशन है क्योंकि वह तो चले गए मैं तो सोचता था कि जिस-जिस बिन्दु पर वह चाहेंगे उसका जवाब देंगे लेकिन आखिर में जिस भाषा का प्रयोग किया गया ताकि एक वर्ग विशेष वोट डालने न जा पाए दूसरे उठे उन्होंने दलितों पिछड़ों की बात कही उनको स्पष्टीकरण तो मांगना नहीं था जवाब उन्हें सुनना नहीं था इस बात को लेकर बहिष्कार करना था वह बहिष्कार करके चले गए। मेरा यह सबमिशन है आपसे कि इसमें संगठित अपराध सिंडीकेट कौन है सेक्सन तीन में पूरी इसकी परिभाषा दी गई है कि कौन कौन संगठित अपराधी है कौन-कौन लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। मैंने जितनी भी प्रीकासन्स बताईं जिसको हाईलाइट किया जा सकता है। उनको खासतौर से जो परमानेंट तरीके से किसी न किसी रूप में कानून से बचते रहे उनके खिलाफ यह कानून है जो उनके हौसले को पस्त करने वाला उनकी गतिविधियों को दबाने वाला हर प्रकार से उनको दंडित करके इस प्रदेश में अमन चैन कायम रखने के लिए यह कानून लाया गया है दो तीन बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि अभी तक किसी भी कानून में गवाहों को इतनी बड़ी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। जो इसमें की गयी है। गवाह शिनाख्त करने से घबराते थे इसलिये इसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि गवाह तो मुल्जिम को देख सकता है, गवाह आरोपी को देख सकता है, लेकिन मुल्जिम जिस साईड में बैठा होगा उस साईड का शीशा ऐसा होगा कि मुल्जिम गवाह को पहचान नहीं सकता, गवाह का चेहरा नहीं पहचान सकता। गवाहों को सुरक्षा देने की बात इसमें विशेष रूप से कही गयी है। साथ ही इसमें बन्द कमरे में विचारण करने के ऊपर भी जोर दिया गया है। इसमें वीडियो रिकार्डिंग और डिजिटल रिकार्डिंग भी की जा सकती है। इसका परीक्षण करने के लिये भी इसमें एक अपील की व्यवस्था भी है

कि अगर कोई व्यक्ति उससे असंतुष्ट हो कि उसके ऊपर यूपीकोका क्यों लगाया गया तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो इस बात की स्क्रूटनी करेगी कि वास्तव इसके ऊपर यूपीकोका लगाया जाना सही है अथवा गलत है। माननीय न्यायालयों में भी बहुत लम्बे समय 10-10 साल, 15-15 साल अगर कोई मुल्जिम भगोड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर 10-10 साल तक केवल केस पेण्डिंग रहता है तो इसके लिये इसमें पॉच एडजॉर्नमेंट की व्यवस्था की गयी है। बहुत से एडजॉर्नमेंट केवल इसलिये लिये जाते हैं कि केवल मामला खिंचता रहे और किसी न किसी रूप में वह आगे बढ़ता रहे। डिलेइंग टेक्टिक्स के आधार पर एडजॉर्नमेंट लिये जाते हैं। इसलिये पॉच एडजॉर्नमेंट अनुमन्य किये गये हैं ताकि अपराधी इससे बच न सके। साथ ही एक बात मैं विशेष रूप से कहूँगा कि अभी तक ऐसा होता था कि अपराधी कहीं इस्केप कर गया तो उसकी फाईल अलग कर दी जाती थी। एक मुकदमें में अगर चार मुल्जिम हैं और अगर एक अपराधी इस्केप कर गया तो तीन लोगों का ट्रायल हो जायेगा और एक की फाईल अलग करके वह न्यायालय में पेण्डिंग रहेगी। अब उसकी गैरहाजिरी में भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि उसकी गैरहाजिरी में भी उसको सुना जा सकेगा, उसका ट्रायल हो सकेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी। इसका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है कि हम अपराधियों पर लगाम लगाना चाहते हैं, अपराधियों को दण्डित करना चाहते हैं और अपराधी जो गैंग लीडर बनकर पीछे से जो वार करते हैं और किसी न किसी रूप में पूरी शासन व्यवस्था को, पूरे समाज को किसी न किसी रूप में हताहत करते हैं, उनके अमन-चैन में खलल पैदा करते हैं या उनको संविधान सम्मत जिन्दगी, कानून सम्मत जिन्दगी जीने में अगर किसी प्रकार का अवरोध पैदा करते हैं, तो केवल उन्हीं की गतिविधियों को रोकने के लिये, उनको दण्डित करने के लिये उनके खिलाफ यह कानून लाया गया है। किसी शरीफ आदमी को परेशान करने की, किसी सही आदमी को परेशान करने की इसकी न कोई ऐसी मंशा है और न ही ऐसी कोई नियत है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसमें आगे की कार्यवाही निर्धारित करें।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप पूछ लीजिये।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, जैसा कि अभी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि इसको एक ऐसा रूप ऐसी दिशा दी जा रही है, इसको भेदभाव की भावना से देखा जा रहा है कि यह दलितों पर लागू होगा, यह मुसलमानों पर लागू होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अपराधी का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती। यह पूरा सदन गवाह है कि अभी तीन दिन पहले मुझे अपने प्राण की रक्षा की बात इस सदन के वेल में आकर कहनी पड़ी तब मुझे मौका मिला। यह सदन गवाह है कि अभी तीन दिन पहले मुझे अपने प्राणों की रक्षा की बात इस सदन में वेल में आकर कहनी पड़ी थी तब मुझे मौका मिला। अगर धर्म और जाति की बात होती तो मुझे उससे खतरा नहीं होता क्योंकि हमारे ही धर्म और हमारी ही जाति के लोग

होते, तो अपराधी का कभी कोई धर्म और जाति नहीं होता। अगर उसे चार रूपया मिलेगा, तो वह अपने धर्म और अपने जाति के व्यक्ति को महत्व देगा। यह सदन को गुमराह करने का काम किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं इतना ही स्पष्टीकरण पूछना चाहूँगा कि आज से पहले गुण्डा एक्ट और गैंगेस्टर एक्ट जैसी धारायें अपराधियों के ऊपर लगाई गई हैं, बार-बार लगाई गई हैं और उसको अगर ठीक ढंग से क्रियान्वित किया जाता तो ऐसे किसी एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यह बहुत खुशी का अवसर है कि आज यूपीकोका जैसा एक्ट लाया गया है कि जिससे गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी कोई भी ऐसी घटना क्रियान्वित न करने पाये जिससे हमारे प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को कोई असुविधा हो। मैं इन्डीपेन्डेन्ट विधायक होकर बस और बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतर एक्ट आया है जिसको कि इस सदन में गुमराह करके चार लोगो द्वारा सदन के सामने खराब रूप में दिखाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग सदन के माध्यम से यह दिखाना चाहता कि वह आज भी दूसरे नम्बर की पार्टी हैं। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-39 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017

संगठित अपराध की रोकथाम और नियंत्रण और उनका मुकाबला करने के लिए और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित करे।

परिभाषा

2-(1) इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''दुष्प्रेरण'' का तात्पर्य है जो इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में समनुदेशित है और इसमें वैयाकरणिक विभेदों और सजातीय पदों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(एक) किसी व्यक्ति को संसूचित करना या उसके साथ सहयोजन करना जो किसी अवैध कार्य में वास्तविक जानकारी के साथ सहायता करता है या ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति संगठित अपराध सिंडीकेट का सदस्य है या किसी प्रकार से सहायता करने में लगा है ;

(दो) किसी सूचना को किसी विधिक प्राधिकार के बिना, देना या प्रकाशित करना जिससे संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता सम्भावित हो और संगठित अपराध सिंडीकेट से प्राप्त किसी दस्तावेज या सामग्री को आगे भेजना या उसका प्रकाशन या वितरण ; और

(तीन) संगठित अपराध सिंडीकेट को कोई सहायता प्रदान करना, चाहे वित्तीय या अन्य प्रकार की हो ;

(ख) ''संहिता'' का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 से है ;

(ग) ''कन्ट्रोल्ड डिलीवरी'' का तात्पर्य किसी अपराध के अन्वेषण और अपराध के करने में लिप्त व्यक्तियों की पहचान की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी की जानकारी और उसके पर्यवेक्षण के अधीन एक या अधिक राज्यों की सीमा के बाहर, से या में अवैध या संदेहास्पद पारेषण को भेजने की अनुमति देने की तकनीक से है ;

(घ) ''अवैध क्रिया-कलाप की अनवरता'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा निषिद्ध क्रिया-कलाप से है, जो तीन वर्ष या अधिक के कारावास के साथ दण्डनीय संज्ञेय अपराध है, जिसे संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में चाहे अकेले या संयुक्त रूप से किया गया हो या ऐसी सिंडीकेट के निमित्त जिसके सम्बन्ध में एक से अधिक आरोप-पत्र पांच वर्ष की पूववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं और न्यायालय ने ऐसे अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचित कर दिये हैं ;

(ङ) ''जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 के अधीन गठित प्राधिकरण से है ;

(च) ''उच्च न्यायालय'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है ;

(छ) ''संरक्षण धन'' का तात्पर्य दबाव के अधीन या धमकी के अधीन या व्यक्ति के व्यवसाय या जीवन या अंग को खतरे में डालने के लिए भुगतान किये गये प्रतिफल से है ;

(ज) ''राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 16 के अधीन गठित राज्य संगठित अपराध प्राधिकरण से है ;

(झ) ''विशेष न्यायालय'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन गठित विशेष न्यायालय से है ;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए समनुदेशित हैं।

संगठित अपराध और संगठित अपराध सिण्डीकेट

3-(1) ''संगठित अपराध'' का तात्पर्य-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से, या तो संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में या ऐसी सिंडीकेट के निमित्त, हिंसा का प्रयोग करके या हिंसा, अभित्रास, दबाव की धमकी या उत्कोच, प्रलोभन या लालच के साधन द्वारा या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या अदेय आर्थिक प्राप्ति या स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अन्य लाभ या बगावत को बढ़ावा देने के लिए अन्य अवैध साधनों से किसी अवैध क्रिया-कलाप को जारी रखना;

(ख) आतंक फैलाने या बलपूर्वक या हिंसा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विस्फोटकों या अग्नि या आग्नेयास्त्र या अन्य हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके जीवन या सम्पत्ति को नष्ट करना या राष्ट्र विरोधी या विध्वंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होना या सरकार या अन्य लोक प्राधिकारी को मृत्यु या बर्बादी की धमकी देकर फिरौती के लिए बाध्य करना।

और इसमें निम्नलिखित गतिविधियां भी हैं, अर्थात्-

(एक) फिरौती के लिए किसी को अगवा करना या अपहरण करना;

(दो) किसी सरकारी, जिसमें केन्द्र सरकार भी है, ठेके में या स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या सहकारी निकाय या अन्य प्राधिकरण या निजी कम्पनी, फर्म या संगठन के ठेके में बोली लगाने से या हिस्सा लेने से किसी अन्य अवैध साधनों द्वारा शक्ति से या शक्ति प्रदर्शन से किसी को रोकना;

(तीन) धन लेकर किसी व्यक्ति को जान से मारना या मरवाना;

(चार) रिक्त सरकारी या निजी भूमि या विवादित भूमि या भवन पर शक्ति पूर्वक या जाली दस्तावेजों के द्वारा कब्जा करना;

(पांच) भवनों या भूमि या उसके किसी भाग को उसके विधिक अध्यासियों से अवैध रूप से हटाने के आशय से क्रय करना या जाली दस्तावेज बनाना;

(छः) बाजारों, फुटपाथ बिक्रेताओं, मण्डियों, ठेकेदारों और व्यवसाय करने वालों से अवैध रूप से सुरक्षा धन का संग्रह करना;

(सात) शक्ति का प्रयोग या शक्ति के प्रयोग की धमकी या अन्य अवैध साधनों द्वारा अवैध खनन कार्य में लिप्त होना या वन उपज का अवैध दोहन करना या वन्य जीवन में व्यापार करना;

(आठ) मनी लान्ड्रिंग का अपराध करना जैसा कि प्रीवेन्सन आफ मनी लान्ड्रिंग ऐक्ट, 2002 (अधिनियम संख्या 15 सन्, 2003) में परिभाषित है;

(नौ) मानव दुर्व्यापार में लिप्त होना;

(दस) नकली/जाली दवाओं या अवैध मदिरा का विक्रय करना या निर्माण करना या निर्माण में सहायता करना;

(ग्यारह) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में यथापरिभाषित स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अनैतिक दुर्व्यापार में लिप्त होना;

(2) ''संगठित अपराध सिंडीकेट'' का तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियों के समूह से है जो या तो अकेले या सामूहिक रूप से सिंडीकेट या गिरोह के रूप में कार्य करते हुए संगठित अपराध के क्रिया-कलाप में लिप्त होते हैं; और जिनके विरुद्ध एक से अधिक आरोप-पत्र पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान सक्षम न्यायालय में दाखिल किये गये हैं और न्याायलय ने उनके सम्बन्ध में आरोप निर्मित कर दिये हैं।

संगठित अपराध के लिए दण्ड

4-(1) जो कोई संगठित अपराध करता है, वह

(क) यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित होगा और पच्चीस लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, उतनी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पन्द्रह लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(2) जो कोई संगठित अपराध के करने का या संगठित अपराध का भूमिकात्मक कोई कार्य करने का षड़यंत्र करता है या करने का प्रयास करता है या समर्थन करता है, दुष्प्रेरित करता है या जानबूझ कर सुविधा देता है, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पन्द्रह लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(3) जो कोई संगठित अपराध सिंडीकेट के किसी सदस्य को आश्रय देता है या गुप्त रखता या आश्रय देने या गुप्त रखने का प्रयास करता है,

वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पन्द्रह लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(4) कोई व्यक्ति जो कोई संगठित अपराध सिंडीकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पन्द्रह लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(5) जो कोई संगठित अपराध के करने से प्राप्त या अर्जित किसी संपत्ति को रखता है या जिसका अर्जन संगठित अपराध सिंडीकेट निधि के माध्यम से किया गया है, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पांच लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के निमित्त अगणनीय संपत्ति रखने पर दण्ड

5-(1) यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के निमित्त चल या अचल सम्पत्ति पर कब्जा रखता है या किसी समय कब्जा रहा है जिसका वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित होगा जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष हो सकती है और एक लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के अधीन रहते हुए, अर्थदण्ड का भी दायी होगा और ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन कुर्की और समपहृत किये जाने योग्य होगी;

(2) ऐसी कोई सम्पत्ति, जो इस अधिनियम के अधीन या लम्बित अन्वेषण या विचारण के अधीन कुर्की के अन्तर्गत हो, किसी भी रीति से अंतरित नहीं की जायेगी और इस अधिनियम के प्रयोजन को विफल करने के आशय से हित अन्तरित या अर्जित करने वाला व्यक्ति ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जो पांच वर्ष तक हो सकता है तथा ऐसा कोई संव्यवहार अकृत एवं शून्य हो जायेगा।

पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए संवृद्ध दण्ड

6-जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा दिया गया हो और उसके अधीन किसी अपराध के लिए बाद में सिद्ध दोष ठहराया जाय तो निम्न प्रकार दण्डित किया जायेगा-

(क) यदि पहले आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तो दूसरे अपराध के लिए मृत्यु दण्ड दिया जायेगा या आजीवन कारावास और न्यूनतम पच्चीस लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा;

(ख) यदि पहले पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किन्तु दस वर्ष से कम के कारावास के लिए दण्डित किया गया है तो आजीवन कारावास के लिए दण्डित किया जायेगा और पच्चीस लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के अधीन अर्थदण्ड का भी दायी होगा;

(ग) यदि पहले पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए दण्डित किया गया है तो कारावास की ऐसी अवधि से दण्डित किया जायेगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकती है और वह पन्द्रह लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के अधीन रहते हुए, अर्थदण्ड का भी भागी होगा;

अर्थदण्ड भुगतान न किये जाने की दशा में कारावास

7-ऐसा दोष सिद्ध व्यक्ति जो अर्थदण्ड से दण्डित हुआ हो तथा जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अर्थदण्ड देने में विफल हो, उसे अर्थदण्ड देने के व्यतिक्रम स्वरूप प्रत्येक एक लाख रुपये पर एक माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा, किन्तु उक्त कारावास अधिकतम दो वर्ष हो सकता है :

परन्तु अर्थदण्ड की राशि एक लाख रुपये से कम होने पर कारावास की अवधि अर्थदण्ड के समानुपातिक होगी।

8-(1) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे वाद या वादों के वर्ग या समूह के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु राज्य सरकार के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से, राज्य उच्च न्यायालय एक या अधिक सत्र न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कर सकती है।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो उसे उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा;

(3) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जायेगी जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी। उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए बहुत से अपर सत्र न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है;

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय का न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व सत्र न्यायधीश या अपर सत्र न्यायाधीश न हो;

(5) जहां किसी विशेष न्यायालय में किसी अपर सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश समय-समय पर सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा विशेष न्यायालय के कार्य का विवरण स्वयं अपने और अपर सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीशों के बीच करने के लिए और अपनी अनुपस्थिति या किसी अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में तात्कालिक कार्य के निपटारे के लिए भी व्यवस्था कर सकता है।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता

9–संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध पर विचारण यथास्थिति, केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे अपराध के विचारण के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

अन्य अपराधों के सम्बन्ध में विशेष न्यायालय की शक्ति

10–(1) जब इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी अन्य अपराध पर, जिसका अभियुक्त पर उसी विचारण में आरोप लगाया जा सकता है, विचारण कर सकता है, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से सम्बद्ध हो;

(2) यदि, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के दौरान यह पाया जाये कि अभियुक्त ने इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहरा सकता है और उसके दण्ड के लिए यथास्थिति, इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है।

लोक अभियोजक

11–(1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है;

परन्तु राज्य सरकार किसी मामले या मामलों के समूह के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है।

(2) कोई व्यक्ति लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य न किया हो या वह कम से कम सात वर्ष तक उत्तर प्रदेश अभियोजन सेवा का सदस्य न रहा हो;

(3) इस धारा के अधीन, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा 2 के खण्ड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जायेगा और संहिता के उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां

12–(1) विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान, विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किये बिना उन तथ्यों, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, की पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति पर ले सकता है।

(2) विशेष न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संयुक्त या संसर्गित होने का अनुमान है, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है कि वह उस अपराध के और उससे संयुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में चाहे वह उसके कारित में मुख्य कर्ता रहा हो या दुष्प्रेरक, अपने ज्ञान से सभी परिस्थितियों को पूर्व और सही रूप में प्रकट करे और इस प्रकार प्रदान की गयी कोई क्षमा संहिता की धारा 308 के प्रयोजनार्थ, संहिता की धारा 307 के अधीन प्रदान की गयी समझी जायेगी।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए, सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण जहां तक हो सके सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में प्रदान की गयी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, मानो वह सत्र न्यायालय हो।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण को प्राथमिकता दिया जाना

13-(1) उत्तर प्रदेश के किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय न हो) अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को प्राथमिकता दी जायेगी और उसे ऐसे अन्य मामले के विचारण के अधिमान में पहले समाप्त किया जायेगा।

(2) विशेष न्यायालय अन्वेषण, पहचान या विचारण को सुगम बनाने के लिए अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रिमाण्ड हेतु या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष उसको प्रस्तुत करने या हाजिर करने के लिए उचित प्रक्रिया जारी करेगा और कारागार प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा में अभियुक्त हो, तदनुसार अनुपालन करेगा।

नियमित न्यायालयों को मामले अन्तरित करने की शक्ति

14-जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्, विशेष न्यायालय की यह राय हो कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, वहां वह इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए मामले को किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरित करेगा जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता है और वह न्यायालय जिसे मामला अन्तरित किया जाय, अपराध के विचारण के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा मानो उसने अपराध का संज्ञान किया हो।

विशेष न्यायालय के निर्णय आदि के विरुद्ध अपील

15-(1) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश, जो अन्तर्वर्ती आदेश न हो, के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जायेगी।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील निर्णय, दण्डादेश या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण

16-(1) राज्य सरकार एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे-

(क) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। अध्यक्ष

(ख) अपर पुलिस महानिदेशक, (कानून व्यवस्था), उत्तर प्रदेश। सदस्य

(ग) अपर पुलिस महानिदेशक, (अपराध), उत्तर प्रदेश। सदस्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो राज्य सरकार (न्याय विभाग) के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न का हो। सदस्य

(2) राज्य सरकार विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से अनिम्न स्तर के किसी अधिकारी को राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण के सचिव के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगी, जो प्राधिकरण के सभी आदेशों और विनिश्चयों को अधिप्रमाणित करेगा।

(3) राज्य सरकार राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण के समुचित कार्य संचालन के लिए आवश्यक अन्य कर्मचारीवर्ग की व्यवस्था करेगी।

(4) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या संगठित अपराध गतिविधियों या संगठित अपराध सिंडीकेट से संबंधित किसी शिकायत की प्राप्ति पर जिसमें सरकारी विभागों, सरकारी प्राधिकरणों, सहकारी समितियों, निगमों, बोर्डों, कम्पनियों, समितियों, संघों या स्थानीय निकायों द्वारा संविदा, पट्टा या करार से संबंधित ऐसे कार्य या गतिविधियां भी सम्मिलित हैं जिनमें संगठित अपराध सिंडीकेट की संलिप्तता या कदाचार संदिग्ध हो, शिकायत की जांच स्वयं कर सकता है या पुलिस महानिदेशक को उचित कार्यवाही के लिए निर्दिष्ट कर सकता है और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मंगा सकता है और उचित आदेश पारित कर सकता है।

(5) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को संगठित अपराध क्रिया-कलापों के निवारण और नियंत्रण के कार्य को समन्वित करने के लिए, किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी उपक्रम, सरकारी निगम या स्थानीय निकाय आदि या किसी अन्य व्यक्ति से आवश्यक सूचना की मांग करने की शक्ति प्राप्त होगी और प्रत्येक ऐसा अधिकारी, निकाय, उपक्रम, निगम या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा :

परन्तु कोई पुलिस अधिकारी या विशेष अधिकारी या कोई विशेष कार्य बल, ऐसे कारणों से जो राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को लिखित रूप में, संसूचित किये जायेंगे, उक्त सूचना को रोक सकता है, यदि ऐसे कार्य के प्रकटीकरण या किसी विशेष समय पर प्रकटीकरण का कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है :

परन्तु यह और कि यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि सूचना को रोक रखना या इसे तत्समय रोक रखना उचित है अथवा नहीं है तो राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(6) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना को प्रकट करने से विधि अनुसार अस्वीकार कर सकता है।

(7) पूर्वगामी उपधारा के उपबंध के अध्यधीन, राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण ऐसी पुलिस या अन्य अधिकारियों या प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन कोई मामला रजिस्ट्रीकृत करने और उसकी जांच करने या इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के निदेश सहित ऐसे निदेश दे सकता है जैसाकि वह संगठित अपराध या संगठित अपराध सिंडीकेट क्रिया-कलापों के समुचित रोकथाम या नियंत्रण के प्रयोजनार्थ उचित समझे और समस्त पुलिस और अन्य अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(8) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकारी के पास जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति होगी और जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण, राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों का अनुसरण करने के लिए बाध्य होगी।

(9) (एक) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत की प्राप्ति पर सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, सरकारी उपक्रमों या सरकारी कम्पनियों द्वारा संविदा, पट्टा या करार को निरस्त करने के लिए आवंटन, निरस्तीकरण या अस्वीकृति के आदेश की समीक्षा कर सकता है, जहां संगठित अपराध सिंडीकेट की अन्तर्ग्रस्तता या कदाचार अभिकथित हो या उसका संदेह हो और संविदा, पट्टा या करार को निरस्त करने वाले आदेश सहित ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसाकि उचित समझा जाय।

(दो) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण ऐसा अनन्तिम आदेश पारित कर सकता है जैसाकि मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाय।

(तीन) इस धारा के अधीन शिकायत, संबंधित प्राधिकारी के आदेश के दिनांक के तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से, ऐसे प्रारूप में और ऐसी फीस के साथ दाखिल की जायेगी जैसाकि विहित किया जाय :

परन्तु राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण लिखित रूप में पर्याप्त कारण अभिलिखित करते हुए उक्त तीस दिन की अवधि के पश्चात् शिकायत स्वीकार कर सकता है।

(चार) जहां राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई संविदा किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया गया है जो संगठित अपराध सिंडीकेट का सदस्य है तो वह उस संविदा के संबंध में किसी भुगतान को रोकने का आदेश दे सकता है।

(10) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसी विहित की जाय।

जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण

17-(1) प्रत्येक जिला में, एक जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे-

(एक) जिला मजिस्ट्रेट	-	अध्यक्ष
(दो) जिला पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(तीन) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अपर पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(चार) वरिष्ठ लोक अभियोजक	-	सदस्य

(पांच) जिला मजिस्ट्रेट, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न होगा, को जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण के सचिव के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा, जो प्राधिकरण के समस्त आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण करेगा, और ऐसे अन्य कर्मचारीवर्ग की भी व्यवस्था करेगा जैसाकि उचित समझा जाय।

(2) जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण, संगठित अपराध या संगठित अपराध सिंडीकेट से सम्बन्धित किसी मामले की जांच कर सकता है और अपनी रिपोर्ट राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है और राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण धारा 16 के अधीन समुचित कार्यवाही करेगा या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट भेज सकता है।

(3) जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण के पास ऐसी अन्य शक्तियां और उत्तरदायित्व होंगे जैसाकि विहित किया जाय।

धारा 16 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील

18-(1) राज्य सरकार एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे राज्य संगठित अपराध नियंत्रण अपीलीय प्राधिकरण कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश	-	अध्यक्ष
(दो) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी	-	सदस्य

(तीन) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी - सदस्य

(2) अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अर्हतायें एवं नियुक्ति की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(3) राज्य सरकार उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को अपीलीय प्राधिकरण का सचिव नामनिर्दिष्ट करेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे अन्य कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था करेगी जैसाकि अपीलीय प्राधिकरण के समुचित रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो।

(5) धारा 16 के अधीन पारित किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण से ऐसी रीति, ऐसे प्रपत्र और ऐसी फीस के साथ जैसाकि विहित किया जाय, अपील कर सकता है :

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से तीस दिन की अवधि के पश्चात् किन्तु साठ दिन के अपश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है।

(6) अपीलीय प्राधिकरण के पास ऐसे अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी जैसाकि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण और राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को शिकायतें

19-(1) संविदाओं, पट्टा या करार या किसी अन्य मामले के संबंध में शिकायतें, जहां संगठित अपराध या संगठित अपराध सिंडीकेट की अन्तर्ग्रस्तता और कदाचार संदेहास्पद हो, यथास्थिति जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण के सचिव या राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को लिखित रूप से की जा सकती है।

(2) शिकायत में निम्नलिखित विवरण होंगे :-

(एक) ई-मेल पता और फैक्स/टेलीफोन नम्बर यदि कोई हो, सहित शिकायतकर्ता का नाम और पता ;

(दो) उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, का समस्त संभव विवरण और पता सहित विवरण ;

(तीन) तथ्य, जो संविदा को प्रदान करने या अभिकथित संगठित अपराध क्रियाकलाप में संगठित अपराध सिंडीकेट की अन्तर्ग्रस्तता को इंगित करते हों;

(चार) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायं।

निविदा आदि से संबंधित अन्य विशेष उपबन्ध

20-(1) एक लाख या उससे अधिक मूल्य की विवरण सहित समस्त निविदा सूचनायें, राज्य सरकार या यथास्थिति सम्बन्धित स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम, कम्पनी या निगम के कार्यालयों या सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से रखी जायेंगी।

(2) यथास्थिति, निविदा आमंत्रित करने वाले व्यक्ति या कार्यालय की वेबसाइट में दिये गये पते पर निविदा दस्तावेज, इस संबंध में विभिन्न विभागों/कार्यालयों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले दिनांक से आन लाइन भरे और प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, सभी निविदाओं या बोलियों के साथ, अन्य आवश्यक दस्तावेजों में, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र ;

(ख) संबंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र ;

(ग) निविदाकर्ता का शपथ-पत्र जिसमें अन्य विवरण के साथ निम्नलिखित होंगे-

(एक) निविदाकर्ता के यथास्थिति, निदेशकों, साझेदार, प्रतिनिधि का नाम और अन्य विवरण ;

(दो) उप खण्ड (एक) में उल्लिखित व्यक्ति के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत आपराधिक मामलों का विवरण और उनका प्रक्रम ;

(घ) ऐसा अन्य प्रमाण-पत्र या दस्तावेज जिसे विहित किया जाय; परन्तु चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित से अपेक्षा नहीं की जायेगी :-

(एक) उपस्करों जिनकी आपूर्ति की जानी है, के रजिस्टर्ड विनिर्माता;

(दो) ऐसे अन्य स्थान अधिष्ठान जिन्हें विहित किया जाये; (तीन) ऊपर (एक) और (दो) के प्राधिकृत व्यवहारी।

(4) मिथ्या या असत्य सत्यापन करने वाले या मिथ्या प्रमाण-पत्र जारी करने वाले किसी व्यक्ति को संगठित अपराध कार्य या संगठित अपराध सिंडीकेट क्रियाकलाप को दुष्प्रेरित करने वाला समझा जायेगा और वह तदनुसार दण्ड का भागी होगा।

(5) संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्यों की लिप्तता के अज्ञान में दिये गये किसी संविदा, पट्टा, करार या किसी अन्य लिखित को संबंधित अधिकारी/विभाग या प्राधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए यह समझा जायेगा कि संविदा, पट्टा या अनुबन्ध आदि में ऐसा एक खण्ड है :

परन्तु यह कि संविदा, पट्टा या करार आदि से संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर दिये बिना उसे निरस्त नहीं किया जायेगा।

(6) संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्यों की लिप्तता के आधार पर सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, सरकारी उपक्रम या सरकारी कम्पनियों द्वारा संविदाओं, पट्टा या अनुबन्ध आदि को निरस्त करने से मना करने का आदेश धारा 16 के अधीन राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पुनरावलोकन के अध्यधीन होगा।

(7) काली सूची में दर्ज संविदाकारों के नामों को संबंधित विभागों की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा और राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों और उनके कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(8) संविदाकारों की केन्द्रीय अधिसूची और वित्तीय साख का अनुरक्षण इलेक्ट्रानिक रूप में किया जायेगा और उसका प्रदर्शन सम्बन्धित सरकारी विभागों, लोक कम्पनियों या सरकारी निकायों और स्थानीय निकायों की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जायेगा।

संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्यों की सूची पुलिस थाने में रखी जाय

21–संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्यों की सूची अनुरक्षित की जायेगी और सम्बन्धित पुलिस थाने में और पुलिस विभाग की वेबसाइट में प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी। पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम के क्रियान्वयन के हित में समुचित कार्यवाही के लिए ऐसी सूची को अन्य सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध करा सकते हैं।

साक्ष्य के विशेष नियम

22–(1) संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों या इससे जुड़े हुए अपराधों के लिए विचारण और दण्ड के प्रयोजन हेतु इस तथ्य को सम्प्रमाणक मूल्य के रूप में विचार कर सकता है कि अभियुक्त–

(क) संहिता की धारा 110 के अधीन किसी पूर्व अवसर पर आबद्ध था,

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाहर किया गया था और बाहर किये जाने के आदेश की समाप्ति के पश्चात् कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है ;

(ग) निरोधात्मक निरोध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रोका गया था ; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में किसी पूर्व अवसर पर अभियोजित किया गया था।

(2) जहां यह सिद्ध हो जाय कि संगठित अपराध में लिप्त कोई व्यक्ति या उसके निमित्त कोई व्यक्ति चल या अचल सम्पत्ति कब्जे में रखता है या किसी समय उसके कब्जे में रही है जिसका वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता तो विशेष न्यायालय, जब तक उसके विपरीत सिद्ध न हो जाय, यह मान लेगा कि ऐसी सम्पत्ति या आर्थिक संसाधन संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में या संगठित अपराध के माध्यम से उसके क्रियाकलापों द्वारा अर्जित या प्राप्त की गई है।

(3) जहां यह सिद्ध हो जाय कि किसी अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया है तो विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि यह फिरौती या मानव दुर्व्यापार के लिए था।

साक्षी का संरक्षण

23-(1) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के हाते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही कैमरे में की सकती है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा चाहे।

(2) विशेष न्यायालय अपने समक्ष किसी कार्यवाही में साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से साक्षी का परिचय और पता गोपनीय रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो वह उचित समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों, जिन्हें विशेष न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकता है, के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :-

(क) अपने आदेशों या निर्णयों में या मामले के किसी अभिलेख में जो जनता की पहुंच में हो, साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख न करना ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों का परिचय और पता प्रकट न हो जाय, कोई निदेश जारी करना ;

(ग) यह कि यह आदेश देना लोक हित में है कि ऐसे किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित समस्त या किसी कार्यवाही को किसी भी रीति से प्रकाशित नहीं किया जायेगा ;

(घ) साक्षी द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की सांकेतिक पहचान, यदि अपेक्षित हो, इस प्रकार की जायेगी कि साक्षीगण सांकेतिक पहचान परेड हेतु प्रस्तुत किये गये व्यक्तियों को देख सकते हैं किन्तु अभियुक्त व्यक्ति साक्षियों को नहीं पहचान सकते हैं ;

(ङ) यदि अभियुक्त, संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन कार्यवाही के पश्चात् भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और उसे पहचान हेतु साक्षीगण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि फोटोग्राफ या डिजिटल या वीडियो चित्रों के आधार पर पहचान की जा सकती है।

(4) ऐसे व्यक्ति, जो संगठित अपराध सिंडीकेट या उसके सदस्य के संबंध में सूचना देता है, से किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या उसकी पहचान नहीं बतायी जायेगी यदि वह ऐसी इच्छा व्यक्त करे ;

(5) जो कोई उपधारा (3) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

सम्पत्ति की कुर्की

24-(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति की कब्जाधीन चल या अचल सम्पत्ति, इस अधिनियम के अधीन विचारणीय कोई अपराध किये जाने के फलस्वरूप अर्जित की गयी है तो वह ऐसे सम्पत्ति की कुर्की के लिए आदेश दे सकता है, चाहे ऐसे अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया हो या नहीं लिया गया हो।

(2) संहिता के उपबंध ऐसी प्रत्येक कुर्की के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन कुर्क की गयी किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और उक्त प्रशासक के पास ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उस पर नियंत्रण रखने की शक्तियां होंगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के समुचित और प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता उपलब्ध करा सकता है।

(5) जहां इस धारा के अधीन कोई सम्पत्ति कुर्क की जाय वहां उसका दावेदार, ऐसी कुर्की की जानकारी होने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अभ्यावेदन कर सकता है, जिसमें उन परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाया जायेगा जिनके कारण उसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गयी थी।

(6) यदि जिला मजिस्ट्रेट का, उपधारा (1) के अधीन किये गये दावे की वास्तविकता के सम्बन्ध में, समाधान हो जाता है तो वह तुरन्त कुर्की से उस सम्पत्ति को अवमुक्त कर देगा और तदोपरान्त ऐसी सम्पत्ति दावेदार को सौंप दी जायेगी।

न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप की जांच

25-(1) जहां अभ्यावेदन धारा 24 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है या जिला मजिस्ट्रेट धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन उक्त सम्पत्ति को अवमुक्त नहीं करता है वहां उसे उक्त मामला अपनी रिपोर्ट के साथ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को संदर्भित करना होगा।

(2) जहां जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति कुर्क करने से अस्वीकार कर दिया हो या धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन किसी सम्पत्ति को अवमुक्त करने के लिए आदेश दिया हो वहां राज्य सरकार या ऐसी अस्वीकृति या अवमुक्ति से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायालय को इस बात की जांच किये जाने हेतु आवेदन कर सकता है कि क्या उक्त सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय कोई अपराध करके या उसके किये जाने के फलस्वरूप अर्जित की गयी थी। ऐसा न्यायालय यदि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो वह ऐसी सम्पत्ति को कुर्क किये जाने का आदेश दे सकता है।

(3) (क) उपधारा (1) के अधीन संदर्भ या उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त किये जाने पर न्यायालय जांच हेतु कोई दिनांक नियत करेगा और तत्सम्बन्ध में यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति को या धारा 24 के अधीन अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को, राज्य सरकार को और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसका हित उक्त मामले में अन्तग्रस्ति हुआ प्रतीत हो, को नोटिस देगा ;

(ख) इस प्रकार नियत दिनांक या किसी अनुवर्ती दिनांक जब जांच स्थगित की जाय, को न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करके उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा तथा ऐसा अग्रतर साक्ष्य भी ग्रहण करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे, और इस बात का विनिश्चय करेगा कि क्या उक्त सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय कोई अपराध किये जाने के फलस्वरूप किसी दावेदार द्वारा अर्जित की गयी थी और धारा 26 के अधीन ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और आवश्यक हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन जांच के प्रयोजनार्थ न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद का विचारण करने के दौरान निम्नलिखित मामले में सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन करना और उसे प्रवर्तित करना और शपथ के आधार पर उसकी जांच करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज करना और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों के आधार पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख और उसकी प्रति अधियाचित करना ;

(ङ) साक्ष्यों या दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करना ;

(च) व्यतिक्रम होने पर किसी निर्देश को खारिज करना या उस पर एकपक्षीय विनिश्चय करना ;

(छ) व्यतिक्रम के लिए खारिज आदेश को अपास्त करना या इस पर एकपक्षीय विनिश्चय करना।

(5) इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार, कि प्रश्नगत सम्पत्ति या उसका कोई भाग इस अधिनियम के अधीन विचारणीय कोई अपराध किये जाने के फलस्वरूप किसी दावेदार द्वारा अर्जित नहीं किया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी सम्पत्ति का दावा करने वाले व्यक्ति पर आधारित होगा।

जांच के पश्चात् आदेश

26–यदि इस प्रकार जांच किये जाने पर न्यायालय यह पाता है कि उक्त सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय कोई अपराध किये जाने के फलस्वरूप अर्जित नहीं की गयी थी तो वह उस व्यक्ति, जिसके कब्जे से सम्पत्ति कुर्क की गयी थी, की सम्पत्ति को अवमुक्त किये जाने का आदेश देगा। किसी अन्य मामले में न्यायालय ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह राज्य के पक्ष में सम्पत्ति की कुर्की एवं अधिहरण द्वारा अथवा उक्त सम्पत्ति पर कब्जा के लिए हकदार व्यक्ति को प्रदान करके या अन्यथा द्वारा निस्तारण करने के लिए उचित समझे।

न्याय के प्रक्रम में बचना

27–ऐसे किसी व्यक्ति, जो संहिता के अधीन उद्घोषित अपराधी घोषित किये जाने के पश्चात् न्यायालय या अन्वेषण अधिकारी के समक्ष तीस दिन के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है, को ऐसे अपराध, जिसके लिए वह अभियुक्त है, हेतु उपबंधित अधिकतम दण्ड के न्यूनतम आधे दण्ड, जो दस वर्ष तक हो सकता है, से इस तथ्य के बावजूद दण्डित किया जायेगा कि विचारण के पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध से दोष मुक्त कर दिया जाता है।

संहिता की कतिपय उपबंधों का उपान्तरित रूप से लागू किया जाना

28–(1) संहिता या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संहित की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायेगा और उस खण्ड में यथा पारभाषित ''संज्ञेय मामला'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध से अंतर्वलित मामले के संबंध में संहिता की धारा 167 इस उपांतर के अध्यधीन लागू होगी कि उपधारा (2) में ''पन्द्रह दिन'' ''साठ दिन'' और ''नब्बे दिन'' जहां कहीं भी वे आयें हों के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः ''साठ दिन'' ''छह मास'' और ''एक वर्ष'' के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

(3) पुलिस अभिरक्षा में रिमाण्ड,-

(क) जहां पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त को भेजने के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया हो वहां पुलिस अभिरक्षा में ऐसे निरोध को किसी एक मामले में एक बार पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए और कुल मिलाकर अधिकतम साठ दिनों के लिए न्यायालय प्राधिकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि इस प्रकार की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की स्वीकृति अन्वेषण के प्रक्रम के दौरान किसी भी समय दी जा सकती है ;

(ख) पुलिस अभिरक्षा में इस प्रकार से निरोध परिप्रश्न, किसी सारवान सामग्री की बरामदगी या किसी अन्य अभियुक्त या अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले संभावित प्रकटीकरणों का अभियुक्त से सामना कराने के प्रयोजनों या अन्वेषण के किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ;

(ग) यदि पुलिस किसी अभियुक्त की अभिरक्षा के लिए इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत करती है कि उसका पुलिस की अभिरक्षा में किसी अन्य व्यक्ति से या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ परिप्रश्न किया जा सकता है, तो न्यायालय, जब तक कि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसकी यह राय न हो कि इस प्रकार का रिमाण्ड की स्वीकृति प्रदान करेगी ;

(घ) अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में संदिग्ध हो या अभियुक्त हो या जो उसकी राय में अन्वेषण में साक्षी के रूप में या अन्यथा रूप से सहायता दे सकता हो, को सम्मन जारी कर सकता है।

(4) संहिता की धारा 438 की कोई बात, जिसमें किसी व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अपराध के लिए दण्डनीय अभियोग पर गिरफ्तारी अंतर्ग्रस्त हो, से संबंधित मामले में लागू नहीं होगी।

(5) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हैं, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि, -

(क) लोक अभियोजक को इस प्रकार छोड़े जाने के आवेदन के विरोध का कोई अवसर नहीं दिया गया हो ; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय को यह समाधान हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि वह ऐसे अपराध का दोषी है और यह कि जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की संभावना नहीं है।

(6) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को जमानत स्वीकृत नहीं की जायेगी, यदि वह प्रश्नगत अपराध के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन पहले से किसी अपराध में जमानत पर था।

(7) जमानत स्वीकृत करने की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट परिसीमायें संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जमानत स्वीकृत करने की परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।

(8) किसी व्यक्ति को अभ्यारोपण पूर्व या विचारण पूर्व परिप्रश्न के लिए न्यायिक अभिरक्षा से अपनी अभिरक्षा में लेने वाला कोई पुलिस अधिकारी ऐसी अभिरक्षा में लेने के कारण और पुलिस अभिरक्षा में लेने में विलम्ब, यदि कोई हो, को भी स्पष्ट करते हुए लिखित कथन दाखिल करेगा।

(9) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि अभियुक्तों में से एक या अधिक व्यक्ति विचारण की अवधि के किसी भाग में या पूरे समय अनुपस्थित रहता है/रहते हैं तो इस प्रकार की अनुपस्थिति की, जब तक कि यह अपरिहार्य न साबित हो जाय, साक्ष्य को अभिलिखित करने या विचारण की अन्य कार्यवाही में अड़चन डालने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि कोई या सभी अभियुक्त संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के पश्चात् भी फरार रहता है/रहते हैं तो पूरा विचारण उनकी अनुपस्थिति में पूरा किया जा सकेगा और निर्णय सुनाया जा सकेगा।

(10) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होगी और न्यायालय किसी स्थगन की अनुमति नहीं देगी सिवाय तब जब यह अपरिहार्य आधार, जिसे यदि नहीं माना जाता है तो यह न्याय की हत्या होगी; पर हो :

परन्तु यह कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष प्रत्येक को विचारण की पूरी अवधि में पांच बार के स्थगन से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(11) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन किसी संगठित अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण कर रहा हो या जो राज्य की संगठित अपराध नियंत्रण इकाई को प्रभारी हो, यह विधिसम्मत होगा कि किसी अपराध के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने या किसी अपराध के अन्वेषण और अपराध करने में लगे व्यक्तियों की पहचान की दृष्टि से संहिता की धारा 2 में यथा परिभाषित ''कन्ट्रोल्ड डिलीवरी'' की तकनीक अपनायें :

परन्तु यह कि ''कन्ट्रोल्ड डिलीवरी'' संचालित करने के लिए पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करेगा :

परन्तु यह और कि कोई पुलिस अधिकारी प्रथम परन्तुक में यथा निर्दिष्ट अभिव्यक्त अनुज्ञा के अधीन ''कन्ट्रोल्ड डिलीवरी'' संचालित करने के किसी विधिक या सिविल कार्यवाही के लिए दायी नहीं होगा।

(12) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम क अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

अभियुक्त या संदिग्धों का साक्षत्कार लेना

29-(1) साक्षत्कार, जिसका आशय अन्वेषण अधिकारी और उसकी टीम तथा अभियुक्त व्यक्ति या संदिग्ध के बीच बातचीत से है, को श्रृव्य-दृश्य प्रणाली में अंकित किया जा सकेगा।

(2) पुलिस अधीक्षक यह अवधारित करेगा कि उपधारा (1) में यथा उपबंधित अभियुक्त या संदिग्ध से साक्षत्कार क्या उसके विधिक सलाहकार की उपस्थिति में किया जा सकता है।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन संदिग्ध या अभियुक्त का साक्षत्कार करने का विनिश्चय किया जाता है तो अभियुक्त या संदिग्ध को, अन्वेषण अधिकारी के समक्ष बयान देने और या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहने से पूर्व ऐसे साक्षात्कार की सूचना दी जायेगी और चौबीस घण्टे का समय दिया जायेगा।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन साक्षात्कार रिकार्ड किया जा रहा हो तो अभियुक्त या संदिग्ध को परिशिष्ट में (1) पर दी गयी चेतावनी दी जायेगी।

(5) जब अभियुक्त से किसी विशेष स्थान पर उसकी उपस्थिति या उसके पास कतिपय सामग्री पाये जाने या उसके किसी विशिष्ट आचरण के बारे में प्रश्न पूछा जाय तो परिशिष्ट (2) पर दी गयी विशेष चेतावनी दी जायेगी।

(6) बातचीत के अंकन की एक प्रतिलिपि बनायी जायेगी और वह प्रणाली, जिस पर बातचीत अंकित की गयी है, मूलरूप में सील कर दी जायेगी और उस पर अन्वेषण अधिकारी, यथास्थिति अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति और उसके विधिक सलाहकार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे तत्काल न्यायालय को भेज दिया जायेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन मूल से बनायी गयी बातचीत की प्रतिलिपि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण और न्यायालय के समक्ष अभिलेख के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयोजन से उपयोग में लायी जायेगी।

(8) न्यायालय, स्वप्रेरणा से या यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख की अंतर्वस्तु बचाव पक्ष द्वारा विवादित कर दी जाय तो सील को तोड़ सकता है और बचाव पक्ष या अभियोजन पक्ष द्वारा किये गये प्राख्यान के मिलान के उद्देश्य से दोनों पक्षों की उपस्थिति में देख या सुन सकता है।

(9) यदि अभियुक्त या संदिग्ध साक्षात्कार के समय किसी विद्यमान तथ्य को जानबूझकर छिपाता है तो न्यायालय यह मान लेगा कि या तो ऐसा तथ्य या परिस्थिति थी ही नहीं या यदि यह थी तो बचाव में अग्राह्य होंगी।

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य का प्रकटीकरण

30-(1) अन्वेषण समाप्त होने तथा आरोप-पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर, न्यायालय संहिता की धारा 207 के अधीन यथा उपबंधित सुसंगत अभिलेखों की प्रतियां अभियुक्त को प्रदान करेगा।

(2) अभियुक्त ऐसे अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने के चौदह दिवस के भीतर गवाहों की सूची व अन्य साक्ष्यों सहित, इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि किस साक्षी या अन्य साक्ष्य से वह क्या साबित करना चाहता है, के साथ अपना बयान जो वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहे, न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(3) अभियोजन पक्ष को ऐसे बयान, गवाहों के बयान, उनकी सूची तथा अभिलेखों की प्रतियां, जो उपधारा (2) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हो, प्रदान की जायेगी।

(4) अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा प्रदान किये गये प्रकटीकरणों के आलोक में अभियुक्त की पुनः अन्वेषण कर सकता है या समालाप कर सकता है और न्यायालय में विवेचना का निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(5) अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों की प्रतियां अभियुक्त को प्रदान की जायेंगी।

(6) अभियुक्त उपधारा (5) के अधीन प्रतियां प्राप्त करने के चौदह दिवस के भीतर उपधारा (2) में यथापद्रत्त द्वितीयक प्रकटीकरण प्रस्तुत करेगा।

(7) अभियोजन पक्ष को ऐसे द्वितीयक प्रकटीकरण की प्रतियां प्रदान की जायेंगी, जिसके पश्चात् वह ऐसा अन्वेषण कर सकेगा जैसा कि आवश्यक समझा जाय।

(8) जब अभियोजन पक्ष या अभियुक्त, कोई अग्रेतर प्रकटीकरण या स्वीकरण करने से इन्कार करता है या उसमें विफल रहता है, तब न्यायालय अपराध के विचारण के लिए कार्यवाही करेगा।

धारा 4 के अधीन अपराधों के संबंध में उपधारणा

31-(1) धारा 4 के अधीन दण्डनीय संगठित अपराध के लिए किसी अभियोजन में यदि यह सिद्ध हो जाय,-

(क) कि अवैध हथियार और अन्य सामग्री, जिसमें दस्तावेज और कागज सम्मिलित हैं, अभियुक्त से प्राप्त हुये थे और यह विश्वास करने का कारण है कि दस्तावेज और कागजों सहित ऐसे अवैध हथियार और अन्य सामग्री ऐसा अपराध किये जाने में प्रयुक्त हुए थे, या

(ख) किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य से सिद्ध हो जाये कि अभियुक्त की अंगुलियों के निशान अपराध के स्थान पर पाये गये थे या कोई ऐसी वस्तुयें पायी गयी थी जिनमें ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त अवैध हथियार और अन्य सामग्री तथा दस्तावेज या कागज और प्रयुक्त वाहन सम्मिलित है, तो-

जब तक कि प्रतिकूल न सिद्ध हो जाये विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन यथा परिभाषित संगठित अपराध के करने के अभियोजन में यदि यह सिद्ध हो जाये कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति की कोई आर्थिक सहायता की थी जो संगठित अपराध का अभियुक्त या युक्तियुक्त पूर्वक उसमें संदिग्ध हो तो यदि वित्तीय सहायता का दस्तावेजी प्रमाण उपस्थित हो तो जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त उपधारा के अधीन यथा परिभाषित अपराध किया है।

किसी अपराध का संज्ञान और उसका अन्वेषण

32-(1) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, -

(क) इस अधिनियम के अधीन संगठित अपराध के कारित होने की कोई सूचना मण्डलीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र वाली समिति के पूर्वानुमोदन के बिना किसी पुलिस अधिकारी अभिलिखित नहीं की जायेगी जो उसके प्रस्ताव की प्राप्ति से सात दिन की अधिकतम अवधि के भीतर अपना अनुमोदन या निरस्तीकरण देगी और ऐसा करने के लिए अपने कारणों का उल्लेख करेगी :

परन्तु यह कि ऐसे मामलों में, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दिया गया हो, ऐसा अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा।

(2) पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

जेल में निरुद्ध संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्यों के उपचार के लिए विशेष उपबन्ध

33-इस अधिनियम के अधीन जेल में निरुद्ध किसी व्यक्ति को,-

(एक) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की लिखित में दी गयी संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय किसी विशेष उपचार के लिए जेल से बाहर नहीं ले जाया जायेगा।

(दो) यदि निरुद्ध व्यक्ति को छत्तीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए चिकित्सालय में रखे जाने की अपेक्षा होती है तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और सरकारी चिकित्सालय में कार्यरत संबंधित विशेषज्ञ से समाविष्ट चिकित्सा बोर्ड की राय प्राप्त की जायेगी।

(तीन) किसी मुलाकाती से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी सिवाय जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के और जहां ऐसी अनुमति दी जाती है तो मुलाकातियों की संख्या एक सप्ताह में दो से अधिक नहीं होगी।

पुलिस सुरक्षा शस्त्र लेकर चलने आदि के संबंध में विशेष उपबंध

34-(1) राज्य सरकार, संगठित अपराध सिंडीकेट के किसी सदस्य को पुलिस सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी है, जनता के बीच में भ्रमण के समय मोटर काफिले में या अन्यथा रूप से निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ नहीं ले चलेगा।

(3) उपधारा (2) का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति की पुलिस सुरक्षा तत्काल वापस ले ली जायेगी और उसका शस्त्र लाइसेंस, यदि कोई हो, निरस्त करने योग्य हो जायेगा।

(4) कोई व्यक्ति, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया हो, तीन या अधिक सशस्त्र व्यक्तियों के समूह में किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर ऐसे शस्त्रों के साथ नहीं जायेगा या शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए मोटर काफिले के साथ नहीं जायेगा या विचरण करेगा या धरना देगा जहां निविदा या बोली या ऐसी अन्य गतिविधि होनी हो या हो रही हो।

(5) उपधारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन दण्डनीय होगा और उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने योग्य हो जायेगा।

(6) इस धारा के किसी उल्लंघन के संबंध में कोई पुलिस अधिकारी शस्त्रों को जब्त कर सकता है।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

35–राज्य सरकार या राज्य सरकार के राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण के किसी अधिकारी के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या ऐसे नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया हो, या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित अपराध के लिए दण्ड

36–किसी भी व्यक्ति को जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है जिनके लिए इस अधिनियम में कोई विशिष्ट दण्ड नहीं दिया गया है, कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस धारा के उपबंध, सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये कार्यों के संबंध में किसी लोक सेवक पर लागू नहीं होंगे।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

37–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्ट रूप से और पूववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या कोई मामले हो सकते हैं, अर्थात् :–

(क) धारा 16 की उपधारा (9) के खण्ड (तीन) के अधीन शिकायत का प्रपत्र ;

(ख) धारा 16 की उपधारा (9) के खण्ड (तीन) के अधीन देय शुल्क ;

(ग) धारा 16 की उपधारा (9) के खण्ड (तीन) के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की रीति ;

(घ) शिकायत का निस्तारण करने में राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (9) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध की गयी अपील का विनिश्चय करने में राज्य संगठित अपराध नियंत्रण अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निस्तारित करने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन अपील करने का प्रपत्र ;

(छ) धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन देय शुल्क ;

(ज) धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन अपील प्रस्तुत करने की रीति ;

(झ) अन्य कोई मामला जो अपेक्षित हो, विहित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम को उसे बनाये जाने के यथाशीघ्र बाद, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की ऐसी अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र, दो सत्र या उससे अधिक लगातार सत्रों की हो सकती है, रखा जायेगा और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उक्त नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम न बनाया जाये और उक्त विनिश्चय को गजट में अधिसूचित कर दें तो उक्त नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, यथास्थिति, प्रभावी या निष्प्रभावी हो जायेगा किन्तु ऐसे उपान्तर या निष्प्रभावीकरण का उक्त नियम के अधीन पहले से कृत किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुलिस महानिदेशक की विनियम बनाने की शक्ति

38-पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की रोकथाम, पता लगाने, अन्वेषण करने और समुचित अभियोजन के प्रयोजन से राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मानक संचालन प्रक्रियाओं या संगठित अपराध सिंडीकेट की गतिविधियों के लिए विनियम बना सकता है।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

39-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि में, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों चाहे वे उपान्तरों, परिवर्धनों या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई, जो इस उपधारा में निर्दिष्ट है, विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

परिशिष्ट

चेतावनी (धारा 29 देखिये)

टिप्पणी–ये सावधानियां/चेतावनियां अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में दी जायेगी।

(1)

आप कुछ कहने के लिए बाध्य नहीं हैं, किन्तु इससे आपके बचाव पक्ष को हानि हो सकती है, यदि आप उन तथ्यों का उल्लेख नहीं करते हैं जिन पर आप बाद में न्यायालय में निर्भर करेंगे। जो भी कुछ आप कहते हैं, उसे साक्ष्य के रूप में लिया जायेगा।

(2)

(क) हम अन्वेषण कर रहे हैं ..... (संदिग्ध व्यक्ति को उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में, अपराध जिसका अन्वेषण किया जा रहा है, सूचित करें।)

(ख) अब मैं आपसे ..... (ऐसे तथ्य या परिस्थिति जिन्हें सहायता के लिए अभियुक्त से कहा जा रहा हो उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में जो उसके लिए सहायक होनी चाहिए को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं।)

(ग) मुझे विश्वास है कि तथ्य या परिस्थिति, यथास्थिति, ऐसे अपराध में आपके सम्मिलित होने या उसके लिप्त होने के कारण से है (जैसी उसकी भूमिका रही हो।)

(घ) आप कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं हैं किन्तु यदि ऐसे तथ्य, जिसके बारे में आपसे प्रश्न किया जा रहा है, का विवरण देने में आप विफल रहते हैं या इनकार करते हैं तो न्यायालय समुचित अनुमान लगा सकती है।

(ङ) साक्षात्कार का अंकन किया जा रहा है और यदि मामले को विचारण के लिए जाया जाता है तो इसे साक्ष्य में दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-39 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-751/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(01)-2017, दिनांक 21 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-751/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (01)-2017, दिनांक 21 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-834/ग्यारह-9(15)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (05)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-834/ग्यारह-9(15)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (05)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-838/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(08)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-838/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(08)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

†छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-845/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (12)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-845/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (12)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-846/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (13)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-846/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (13)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-848/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (15)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-848/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(15)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-849/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (16)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-849/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (16)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-851/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (18)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-851/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (18)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-854/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (21)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-854/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (21)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-856/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (23)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-856/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (23)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-857/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (24)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-857/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (24)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-865/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (26)-2017, दिनांक 02 जुलाई, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-865/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (26)-2017, दिनांक 02 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-927/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश (27)-2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-927/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश (27)-2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-928/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश (28)-2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-928/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश (28)-2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-929/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश (29)-2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-929/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश (29)-2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1014/ग्यारह-9 (52)- 17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(31)-2017, दिनांक 21 जुलाई, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1014/ग्यारह-9 (52)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(31)-2017, दिनांक 21 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1016/ग्यारह-9(53)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(33)-2017, दिनांक 21 जुलाई, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1016/ग्यारह-9(53)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(33)-2017, दिनांक 21 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1110/ग्यारह-9(47)/17-उ0 प्र0 अधि0-2017-आदेश(36)-2017, दिनांक 11 अगस्त, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1110/ग्यारह-9(47)/17-उ0 प्र0 अधि0-2017-आदेश(36)-2017, दिनांक 11 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

†छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1158/ग्यारह-9(52)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(38)-2017, दिनांक 18 अगस्त, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1158/ग्यारह-9(52)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(38)-2017, दिनांक 18 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1404/ग्यारह-9(109)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(46)-2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1404/ग्यारह-9(109)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(46)-2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1413/ग्यारह-9(114)-12-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(47)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1413/ग्यारह-9(114)-12-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(47)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1415/ग्यारह-9(15)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(49)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1415/ग्यारह-9(15)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(49)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

†छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1424/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(52)-2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1424/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(52)-2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1439/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(55)-2017, दिनांक 5 अक्टूबर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1439/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(55)-2017, दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1531/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(62)-2017, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1531/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(62)-2017, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1679/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(77)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1679/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(77)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

†छापी नहीं गयी।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2012-2013†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2012-2013 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2013-2014†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से 31-वित्त मंत्री, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2013-2014 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 138वां (एक सौ अड़तीसवां) प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 138वां (एक सौ अड़तीसवां) प्रतिवेदन जो पंचायती राज, राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा एवं शिक्षा विभागों के वर्ष 1988 से 2015 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित हैं को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 139वां (एक सौ उन्नतालीसवां) प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 139वां (एक सौ उन्नतालीसवां) प्रतिवेदन जो नगर विकास, ऊर्जा तथा ग्राम विकास विभागों के वर्ष 2000 से 2015 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित हैं को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

---

†छापा नहीं गया।

जनपद बहराइच से भिनगा, तुलसीपुर मार्ग 04 लेन के निर्माण में हुई धांधली की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू दूबे व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से मैं जनपद बहराइच से भिनगा, तुलसीपुर मार्ग 04 लेन के निर्माण में हुई धांधली की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू दूबे व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक भियांव के ग्राम पंचायत निमटिनी के अन्तर्गत दक्षिण डड़वा नहर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मोहित प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक भियांव के ग्राम पंचायत निमटिनी के अन्तर्गत दक्षिण डड़वा नहर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मोहित प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत पन्थीपुर के अन्तर्गत मोहद्दीपुर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री नीतू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत पन्थीपुर के अन्तर्गत मोहद्दीपुर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री नीतू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत जीवत के अन्तर्गत खुर्मल्लीपुर से सकरा ऐन्दलपुर को जोड़ने के लिए ऐन्दलपुर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री भागीरथी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत जीवत के अन्तर्गत खुर्मल्लीपुर से सकरा ऐन्दलपुर को जोड़ने के लिए ऐन्दलपुर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री भागीरथी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

†छापा नहीं गया।

जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत सिपाह के अन्तर्गत रामपुरकला दुधई से नगपुर कस्बे को जोड़ने के लिए पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री दयाराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत सिपाह के अन्तर्गत रामपुरकला दुधई से नगपुर कस्बे को जोड़ने के लिए पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री दयाराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग पर ग्राम विरसिंहपुर के आगे गर्रा नदी में वर्ष 2011-12 में आयी भीषण बाढ़ से सड़क कटकर एक बड़े तालाब का रूप ले लेने के कारण वहां पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग पर ग्राम विरसिंहपुर के आगे गर्रा नदी में वर्ष 2011-12 में आयी भीषण बाढ़ से सड़क कटकर एक बड़े तालाब का रूप ले लेने के कारण वहां पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर-बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर ग्राम निगोही में स्थित कैमुआ नाला पर बने पुराने जर्जर, सकरा पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर-बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर ग्राम निगोही में स्थित कैमुआ नाला पर बने पुराने जर्जर, सकरा पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षे0 भगवन्तनगर के अन्तर्गत बक्सर में अवस्थित चन्द्रिका देवी मंदिर तथा रायबरेली-फतेहपुर-कानपुर की सीमा पर स्थित सेनानी राजा राव राम बक्श सिंह से जुड़े स्थलों, पार्कों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षे0 भगवन्तनगर के अन्तर्गत बक्सर में अवस्थित चन्द्रिका देवी मंदिर तथा रायबरेली-फतेहपुर-कानपुर की सीमा पर स्थित सेनानी राजा राव राम बक्श सिंह से जुड़े स्थलों, पार्कों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

†छापा नहीं गया।

जनपद उन्नाव के वि0 स0 क्षे0 भगवन्तनगर के अन्तर्गत बीघापुर में 100 शैय्याओं वाले अस्पताल की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के वि0 स0 क्षे0 भगवन्तनगर के अन्तर्गत बीघापुर में 100 शैय्याओं वाले अस्पताल की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद कुशीनगर के दुदही धोबीघटवा से अमवा खास क्षेत्र में राजकीय इंटरमीडिएट कालेज स्थपित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधानसभा, जनपद कुशीनगर के दुदही धोबीघटवा से अमवा खास क्षेत्र में राजकीय इंटरमीडिएट कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत स्थित मौरांवा-पुरवा ब्रांच से जनपद रायबरेली के अन्तर्गत हरचन्द्रपुर क्षेत्र में पानी ना आने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राकेश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के अन्तर्गत स्थित मौरांवा-पुरवा ब्रांच से जनपद रायबरेली के अन्तर्गत हरचन्द्रपुर क्षेत्र में पानी ना आने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना देता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 से 22 दिसम्बर, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की है :-

1-दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदें 12.20 बजे अपराह्न ली जायं।

2-दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 एवं उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदें ली जायं।

---

†छापी नहीं गयी।

3–तद्नुसार दिनांक 21 दिसम्बर से 22 दिसम्बर, 2017 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

दिसम्बर, 2017

21 गुरुवार **12.20 बजे अपराह्न**

1–उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 पर विचार एवं उनका पारण।

2–अन्य कार्य, यदि कोई हो।

22 शुक्रवार 1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण।

(1) उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017

(2) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017

(3) उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017

(4) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017

(5) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

2–असरकारी दिवस (आधा दिन)।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

[4:55] उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

नोट–†दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017†

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या 52 ले लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नहीं, अभी एक मद संख्या 51(क) और है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

नोट-†दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब कार्य स्थगन लेना है? आप लोग अभी थके नहीं हैं।

[4:58] कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21.12.2017 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएँ चयनित की गईं। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

क्रम संख्या 1 की सूचना से सम्बन्धित मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं। क्रम संख्या-2 पर श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर, श्री राम अचल राजभर, श्री उमाशंकर सिंह, श्री रितेश पाण्डेय की सूचना है जो उ0प्र0 में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए राजमार्गों के किनारों पर पार्किंग एवं विभिन्न यातायात के चिह्नों को न लगवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसमें मा0 रितेश पाण्डेय जी बोल लें। वर्मा जी आप तो थक गए होंगे।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मेरी दूसरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आपका इसमें नाम है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनकी एक सूचना और है। दोनों ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, दो सूचनाएँ कहाँ ली जाती हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

तो मा0 रितेश पाण्डेय का दूसरी सूचना में ले लीजिए। मा0 उमाशंकर सिंह का इस सूचना में ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इसके बाद तो मा0 अजय कुमार 'लल्लू' की सूचना लेंगे न।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 उमाशंकर सिंह की सूचना ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग वाली सूचना किसकी है?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यही तो इनकी सूचना है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, यही तो मेरी सूचना है जो आपने पढ़ी।

श्री अध्यक्ष-

तो इसमें केवल मा0 उमाशंकर जी बोल लें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, चूँकि मुझे लगता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आपको धन्यवाद। इस सदन में हम लोग कितने ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे महत्वपूर्ण कोई और विषय हो सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, चूँकि अगर गृह विभाग या परिवहन विभाग का आंकड़ा निकाला जाए तो अधिकतम दुर्घटनाओं की जो सूचनाएँ हैं। वे यही प्राप्त होती हैं कि कोई कामर्शियल वाहन ट्रक हो या बस हो या जो भी कोई हैवी गाड़ी हो। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और उसमें कोई वाहन आगे या पीछे से मार करके एक्सीडेण्ट कर देता है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी तक तमाम कानून बने हैं लेकिन इस तरह का कहीं भी कोई कानून नहीं है। चाहे वे नेशनल हाई वे हों या उत्तर प्रदेश के स्टेट हाई वे हों। मा0 अध्यक्ष जी, जो भी व्यस्ततम सड़कें हैं। उन पर चाहे ट्रक चलाने वाला हो, चाहे बस चलाने वाला हो या जो भी कामर्शियल वेहिकिल्स हैं उनके मन में कहीं कोई डर नहीं है। वे जहाँ चाहते हैं वहाँ मनमाने तरीके से गाड़ी की पार्किंग कर देते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं या तो ढाबे पर खाना खाने चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा कहना है कि इसके लिए कानून बनाया जाए। जगह-जगह पर पार्किंग बनाया जाए पार्किंग के अलावा यदि कोई गाड़ी खड़ी करता है इधर-उधर पार्क करता है तो उनपर दण्ड लगाया जाए उन पर कार्यवाही हो। हम उनको बाध्य करें और यदि इसके बाद भी कोई दुर्घटना होती है तो हम यह चाहेंगे कि कम से कम उनके लिए सरकार की तरफ से एक मुआवजे की राशि तय की जाए या उसमें तमाम तरह से लोग होते हैं, यदि कोई भाड़े की ही गाड़ी जा रही हो उस भाड़े की गाड़ी में सवार 10 यात्रियों हो तो उसमें 10 लोगों में से मान लीजिए कि 5 लोग मरते हैं 5 लोग घायल होते हैं उन घायलों के पास इतनी समर्थ नहीं होती है कि वह अपना इलाज करायें। उनके इलाज की भी अभी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं बनायी गई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। आप इसको समझ सकते होंगे कि यह कितना संवेदनशील विषय है। मान्यवर, सबसे अधिक मौत का आंकड़ा देखा जाए तो ट्रामा न होने से ही होती है। माननीय अध्यक्ष जी यह इतना लम्बा और विस्तृत विषय है कि हम चाहते हैं इस पर सदन में दो घण्टे की चर्चा करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप इनके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे, इनको बोलने दीजिए।

माध्यमिक शिक्षा उप मुख्यमंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा नियम 56 में उठाया गया विषय महत्वपूर्ण है इससे मैं इंकार नहीं करता लेकिन लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिस विषय की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ऐसी कोई व्यवस्था पूर्व से निर्धारित नहीं है कि हम राजमार्गों के किनारे पार्किंग की व्यवस्था करें। यह व्यवस्था विशेष तौर से नगर क्षेत्रों में नगर निगम के माध्यम से की जाती है लेकिन जो हमारा मार्गों की दूरी को चिन्हित करने का काम अभी कल भी मैंने इस विषय को बताया था कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जो राजमार्ग हैं उनका चौड़ीकरण किया जायेगा। बड़ी संख्या में जो वाहन मार्गों से जाते हैं वह निश्चित तौर से कहीं रूकना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था तो अलग प्रकार से होगी लेकिन अभी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है बाकी जो नगर क्षेत्र हैं उन नगर क्षेत्रों के अंदर नगर निगम के स्थानीय निकाय के माध्यम से व्यवस्था की जाती है और जहाँ दुघर्टना होती है ट्रामा सेन्टर में पहुँचाने की व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्ग आदि में है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज प्रदेश की मृत्युदर में सबसे अधिक भाग दुर्घटना और ट्रामा से रिलेटेड है। मान्यवर, दुर्घटना के कारण मृत्युदर सबसे अधिक है। इस बात को देखते हुए जो माननीय उमा शंकर जी कहा है कि इसका समुचित प्रबंध होना चाहिए कि जब सड़क बने तो उसके साथ ही पार्किंग के लिए चौड़ीकरण करके व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

पार्किंग बनने से क्या दुर्घटनाएँ कम होंगी ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, गाड़ियाँ यदि पार्किंग में पार्क होगी उससे जो लोग रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं उससे दुर्घटनाएँ होती हैं यदि इस तरह की पार्किंग की व्यवस्था हो तो मान्यवर, इस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी दूसरा परिवहन के नियमों को पालन कराना सुनिश्चित हो तीसरा उनको मुआवजा की व्यवस्था की जाए लोग वहीं बिलखते रहते हैं, उनके इलाज का इंतजाम नहीं हो पाता, इलाज के लिए पैसा नहीं रहता कोई जान नहीं पाता है कि कहाँ के हैं। अतः इसके लिए पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर आप एक दिन चर्चा स्वीकृत कर लें इस सत्र में न सही अगले सत्र में हो जाएगी लेकिन इस पर चर्चा हो जाएगी तो इसका समुचित उपाय सरकार करेगी ऐसा मेरा निवेदन है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि ये आपने कृपापूर्वक सुनने की इजाजत दे दी वैसे यह तीन विभागों से संबंधित है एक परिवहन, गृह से और लोक निर्माण से संबंधित है। मान्यवर, ये तो

बहुत योग्य सदस्य हैं, बहुत पुराने सदस्य हैं, बात बड़े कायदे से रखते हैं लेकिन आप जरा नोटिस देख लें। यह तीन के बजाय चार विभागों से तीन आपने बताये और चौथा एक संसदीय कार्य विभाग से भी इसका संबंध है। मान्यवर, आप यह देखिए कि एक घटना सुनिश्चित हो तो उस सुनिश्चित घटना के बारे में नियम 56 में सूचना दी जा सकती है। मान्यवर, आपने कृपापूर्वक अलाउ किया हमने उसका जवाब दिलवा दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि अब उसका जवाब देने के बाद एक नई बात और एक नई बात आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

एक बार और जवाब दे दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

टैक्निकली यह सूचना निरस्त होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि.....

श्री अध्यक्ष-

टैक्निकली आपकी बात सही है लेकिन आप कुछ कह रहे थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं केवल यही कह रहा हूँ कि आपकी बात का संज्ञान ले लिया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसको देख लेंगे लेकिन उसके ऊपर चर्चा तो संभव इसलिए नहीं क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी तीन-तीन विभागों की सूचना एक साथ दी है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सड़कों पर दुर्घटना एक काज है और उसके बारे में आया है। चूंकि वह लोक महत्व का है और आप स्वयं इस बात का विचार करें कि प्रदेश में आज सबसे अधिक मृत्यु दर ट्रामा से है, एक्सीडेंट से है उस पर रोकथाम के उपाय आप करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपकी बात का संज्ञान शासन ने ले लिया है और इसके सम्बन्ध में जो व्यवस्था संभव है, वह कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब तो यह पूरा हो गया, आश्वासन भी आ गया, मैं नियम-56 की यह सूचना अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में आया हूँ जो रोजगार से सम्बन्धित है। लगभग यह प्रदेश 22 करोड़ जनमानस का है और 5 करोड़ नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। यह सरकार जब आयी थी तो इसने रोजगार के वायदे किए थे, लोक संकल्प-पत्र पर इन्होंने 5 साल में 70 लाख रोजगार देने का वायदा भी किया था और एक साल में 14 लाख रोजगार देने का वायदा किया था। महोदय, 9 महीने की यह सरकार है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आज तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। लिखित सारी टंकण परीक्षा, 4 लाख अभ्यर्थी, साक्षात्कार उत्तीर्ण हैं उनकी नियुक्ति

नहीं हो पायी। ग्राम्य विकास अधिकारी के पद का विज्ञापन 18.01.2016 को जारी हुआ और उसका परिणाम 20.09.2016 को आ गया लेकिन आज तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई। कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन 10.02.2016 को हुआ और 16.05.2016 को इनका रिजल्ट आ गया लेकिन आज तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पायी। कनिष्ठ सहायक लेखाकार विज्ञापन 16.07.2016 को आया और 18.10.2016 को परिणाम आ गया, आज तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पायी। कनिष्ठ सहायक पद अप्रैल 2016 में आया और 21.10.2016 को परिणाम घोषित हो गया और आज तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पायी। सफल अभ्यर्थी साक्षात्कार 19 दिसम्बर, 2016 और 17 अप्रैल 2017 तक होना था किंतु आज तक नहीं हो पाया। महोदय, यही नहीं सहायक लेखाकार ग्राम्य विकास अधिकारियों का भी साक्षात्कार हो गया लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पायी। इसी के साथ-साथ उर्दू अनुवादकों के 112 पद सृजित हुए। एक लाख आवेदकों ने 28 अगस्त 2016 को लिखित परीक्षा दी लेकिन सरकार द्वारा अघोषित रोक लगा दी गयी। महोदय, कई पदों के विज्ञापन के बावजूद परिणाम आज तक घोषित नहीं हुए हैं। वार्षिक परीक्षा कार्यक्रमों का अनुपालन बंद है, प्रदेश में गतिमान लगभग 75 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी जो विभिन्न विभागों के अधीन एक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, इनको आज तक नियुक्ति नहीं दी जा पायी है। मान्यवर, 32 हजार 22 बी0पी0एड0 उत्तीर्ण फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भी परीक्षा हो चुकी है लेकिन यह हवाला दिया गया कि कोर्ट में याचिका दायर है लेकिन कोर्ट ने भी उस याचिका को निरस्त कर दिया है अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका विषय आ गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें। लगभग 4 हजार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, लगभग 25 सौ उच्चतर शिक्षा आयोग की, लगभग 5 हजार शिक्षकों की माध्यमिक शिक्षा आयोग की, लगभग 4 हजार उर्दू टीचर्स की, लगभग 11500 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, 138 होमगार्डो की और इतना ही नहीं 72,825 अभ्यर्थी जिसमें 29500 गणित विज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट बी0टी0सी0 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिक्त पदों को आज तक नहीं भरा जा सका है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें, आपका पूरा विषय तो आ गया ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ यही नहीं इनकी अदम पैरवी के नाते शिक्षामित्रों की भर्ती भी नहीं हो सकी। महोदय, रोजगारसेवक, होमगार्ड, चौकीदार आंगनबाड़ी सहायिका, आशा बहुयें, एनम और मदरसा शिक्षक रोज आन्दोलित हैं। वर्ष 2015 में चपरासी का वांट निकला और उसमें 23 लाख आवेदन आये। उसमें पांचवी पास के 53,426, बारहवीं पास के 20 लाख और साढ़े 7 लाख, इसमें विज्ञान, वाणिज्य और कला के उत्तीर्ण

स्नातक, स्नातकोत्तर और इंजीनियर और एम0बी0ए0 भी थे और 255 उम्मीदवार पी0एच0डी0 के थे। महोदय, मैं बेरोजगारी का आलम बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। आपका पूरे से ज्यादा विषय आ गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

बहुत गंभीर विषय है। मैं बस खत्म कर रहा हूँ बेरोजगारी से जुड़ा मामला है और नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मामला है। विगत दिनों इनके केन्द्रीय श्रम मंत्री ने माना है कि स्वंय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 5.8 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 6.5 प्रतिशत बेरोजगारी है...

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। अब आप आसन ग्रहण करिये। अब इनका जवाब सुन तो लीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

और मुख्यमंत्री जी रोजगार देने का वायदा करते रहे। रोजगार के नाम पर इस सरकार ने ठगने और छलने का काम किया। इसलिये इस अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कम की, जॉच की बात ज्यादा की और तमाम उद्धरण गिनाये। यह जांच, वह जांच, वह जांच। मान्यवर, सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित जो हमारे सेवायोजन कार्यालय हैं उनके माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का क्रम जारी है। मान्यवर, हमारा सेवायोजन विभाग का बेवसाइट है, जिस पर नियोजक का भी पंजीकरण होता है और साथ ही साथ हमारे बेरोजगार नौजवानों का भी पंजीकरण होता है। नियोजक के द्वारा विज्ञापित पदों के अनुरूप हम बेरोजगार नौजवानों को आमंत्रित करते हैं और बाकायदे कभी रोजगार मेले के माध्यम से, कभी साक्षात्कार के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम करते हैं। रही बात, मान्यवर, 7-8 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुये हैं। इतने कम समय में सेवायोजन विभाग ने लगभग 27 हजार लोगों को अब तक सेवायोजित करने का काम किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहॉ यूपीकोका की बात कर रहे थे तो उन्होंने कई हजार पदों का विवरण दिया और बताया कि यह पद हम भर्ती करने जा रहे हैं। इसके पहले भी मान्यवर, कई विज्ञापन निकल चुके हैं जिसमें भर्तियां गतिमान हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यह हमारी घोषणा है, हमारा संकल्प है कि हम 5 साल के अंदर 75 लाख नौजवानों को सेवा से जोड़ेगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी लाखों-लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का सिलसिला जारी है और मान्यवर, जो आपकी चिन्ता है, आपको चिन्ता करनी ही नहीं चाहिए अगर यह चिन्ता भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी करती तो बात समझ में आती क्योंकि ये तीनों मिलाकर के मुश्किल से आठ-दस साल केन्द्र में रहे होंगे और आठ-दस साल ही प्रदेश में रहे होंगे लेकिन आप तो 42 साल तक प्रदेश और केन्द्र दोनों जगह सत्ता में रहे हैं।

बेरोजगार नौजवानों की फौज तो आपने तैयार की है, हम तो उन्हें समायोजित करने की व्यवस्था कर रहे हैं और हमारी सरकार इसके लिए कृतसंकल्पित है, हम बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष -

नियम 56 की यह सूचना अग्राह्य है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

हमारी बात को भी सुन लिया जाये। रोजगार का संकल्प इन्होंने लिया, लोक संकल्प पत्र में ये लाये, इनके मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में जाकर यह कहते हैं कि हमने 6 महीने में 6 लाख नौकरी दे दी और यहाँ पर 6 लाख नौकरी देने के बजाय इन्होंने 6 लाख नौकरी छीन ली। शिक्षामित्रों को लाठियों से पीटा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को लाठियों से पीटा।

(सदस्य श्री रितेश पाण्डेय, श्री अमनमणि त्रिपाठी एवं
श्री अजय कुमार 'लल्लू' के एकसाथ बोलने पर)

(सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' का माइक ऑफ कर दिया गया उसके बाद भी
सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा लगातार बोलते रहने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना अग्राह्य हो चुकी है। अगली मा0 रितेश पाण्डेय की सूचना है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवक्ताओं की कमी। इस पर हमने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है। इसी तरह से अमन मणि त्रिपाठी की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यह सरकार बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दे रही है इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूँ।

(तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गई।)

श्री रितेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों चिल्ला रहे हैं आपके चिल्लाने का क्या कारण है।

श्री रितेश पाण्डेय-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रवक्ताओं की जो कमी है उससे जो सामाजिक अन्तर पैदा किया जा रहा है, कॉलेजों को बरबाद किया जा रहा है, इस विषय में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, शिक्षा पूरी तरह से चौपट होती जा रही है क्योंकि अभी तक जितने हमारे कॉलेजेज हैं उनमें जितनी नियुक्तियाँ

होनी चाहिए उतनी नहीं हैं। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा गया है कि 40 से 50 प्रतिशत पद प्रवक्ताओं के रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष-

यही विषय आपका है इसे मैंने सरकार को सन्दर्भित कर दिया है।

श्री रितेश पाण्डेय-

खासतौर से मैं फैजाबाद के साकेत विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा कि 145 पद सृजित हैं जिसमें से 85 पद भरे हुए हैं और 60 पद अभी भी रिक्त हैं, मैं इस पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ, सरकार आवश्यक कार्रवाई करे।

श्री अध्यक्ष-

दोनों सदस्य युवा हैं और हमसे जबर्दस्ती करते हैं हम बुजुर्ग पड़ते हैं तो डर जाते हैं।

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, एक मिनट मैं भी लूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपसे बोलने के लिए तो कहा भी नहीं, आप भी जबर्दस्ती कर रहे हो चलते-चलाते। आपकी समस्या है जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवा में सिंचाई हेतु चेकडैम बनाना। आपने चेकडैम बनाने की बात कही है तो यही एक लाइन में कह दीजिए। रितेश पाण्डेय की नियम 56 की सूचना अग्राह्य की गई और सरकार को कार्यवाही के लिए निर्देशित पहले की जा चुकी है।

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा विधान सभा क्षेत्र नौतनवा जो आठ नदियों से घिरा हुआ है, एक तरफ जंगल है और एक तरफ ये सारी नदियां हैं। गोरखपुर के बाढ़ का आलम सबने देखा है, यह सारा पानी हमारे विधान सभा क्षेत्र से हो करके आया। जब पानी बह जाता है तो मान्यवर, उसके बाद सूखा पड़ जाता है तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि चेकडैम बना करके उस पानी को रिचार्ज करने की व्यवस्था की जाय, जो भी तालाब हमारे विधान सभा क्षेत्र में हैं उसमें बारहों माह पानी रह सके जिससे सिंचाई सुनिश्चित हो सके और किसानों को फसल उगाने के लिए ज्यादा पानी दे सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस विषय में सरकार का ध्यान पहले ही आकर्षित कर चुका हूँ, फिर से आकर्षित किये देता हूँ, नियम 56 की यह सूचना अग्राह्य हुई।

श्री अध्यक्ष-

नियम 51 के अन्तर्गत आज...

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले भी यह परम्परा रही है कि जिन लोगों की सूचना पर वक्तव्य आये और अगर वह इस सदन में उपस्थित नहीं हुए तो वह ली नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष–

आज भी नहीं लेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, ऐसी कभी परम्परा नहीं रही है, यह ज्यादती कर रहे हैं, कभी नहीं रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

कभी नहीं रही, आपको जानकारी नहीं है? आप जानकारी कर लीजिए पिछले पाँच साल में क्या हुआ ? जो पिछली विधान सभा में सदस्य थे उनसे पूछ लीजिए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पिछली बार मैं था नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

पहले परम्परा रही है तो आप उसे काटिये मत। मैंने यह कहा कि पिछले 05 साल की परम्परा रही है। आप उसे काट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

पहले भी जब मैं इस सदन में पहली बार आया था।

श्री लालजी वर्मा–

मैं पिछले पाँच साल का नहीं जानता लेकिन पहले कभी नहीं रही। 2012 से पहले तक सबका लिया गया है चाहे कोई रहे या न रहे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य सदन में मौजूद रहते हैं उनका एजेण्डे में नाम लिखा है कि आज उनका वक्तव्य होगा और वह यहॉ से इस्केप करते हैं तो यह सदन आखिरकार नियम और परम्पराओं से चलता है। एजेण्डे में छपा है कि आपका इस नम्बर पर आयेगा और वह सदस्य यहॉ पर हैं नहीं, उनका नाम पुकारा जाता है तो उनका लेने का कोई औचित्य भी नहीं है। जो सदस्य मौके पर मौजूद नहीं हैं हम केवल उनकी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा आप दोनों के विवाद में हम स्टे देते हैं और हम अपने ढंग से किये लेते हैं।

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष–

मेरा खुद नहीं लिया गया, मैं इसी आदरणीय सदन का सदस्य रहा हूँ और मेरा नियम 51 नहीं लिया गया, मैं बाहर पानी पीने चला गया, कैंसिल हो गया। जैसे आज कई माननीय सदस्यों की याचिकायें लगी थीं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, किसी मा0 सदस्य की याचिका लगी है और वह उपस्थित नहीं हैं तो वह तो दूसरे दिन लगेंगे। नियम 51 में पिछले पॉच सालों का मैं नहीं जानता हूँ लेकिन उसके पहले अगर सदस्य नहीं भी हैं...

श्री अध्यक्ष–

उसके पहले लोग इस तरह से गैर हाजिर भी नहीं होते थे।

श्री लालजी वर्मा–

तो भी ले लिया जाता था। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि गैर हाजिर नहीं होते थे, गैर हाजिर होते थे। नियम 51 के समय अधिकांश लोग गैर हाजिर होते थे।

श्री अध्यक्ष–

चाय पीने, भोजन करने जाना अलग बात है लेकिन जानबूझकर गैर हाजिर होना यह अलग बात है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियम 51 के समय अधिकांश लोग गैर हाजिर होते थे और कृपापूर्वक आप ले लेते थे। दो दिन का सदन है, मैं चाहूँगा कि कृपापूर्वक आप उदार होकर सबकी सूचना ले लीजिए इससे जनहित ही होगा कोई ऐसा नहीं है कि जनहित का काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उदार होकर कर लेंगें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका और संसदीय कार्यमंत्री जी का प्रकरण अलग है। आपने कहा कि जो नियम 51 के वक्तव्य होते हैं जो सदस्य हैं उनका तो पढ़ा जायेगा, जो नहीं हैं उनका नहीं पढ़ा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी का यह कहना है कि जो गैर हाजिर हैं उनकी भी सूचना ली जाए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नहीं मान्यवर, अभी तक यही होता रहा, जो पिछले पॉच साल में होता रहा है उसमें यह हुआ है कि जो सदस्य रहते थे, नाम पुकारा जाता था उनका लिया जाता था, नाम पुकारा जाता था नहीं रहते थे तो उनका नहीं लिया जाता था। यह व्यवस्था थी।

श्री अध्यक्ष–

मुझे समझ में नहीं आया कि मा0 मौर्या जी ने वर्मा जी से क्या कह दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैंने यह कहा कि इसके पहले 05 साल जो सरकार थी उसमें यह व्यवस्था थी, पीठ से यही निर्देश था कि जो मा0 सदस्य सदन में मौजूद हैं नाम पुकारा जाता था, जो होते थे उनका लिया जाता था और जो नहीं होते थे उनका नहीं लिया जाता था। कुल मिलाकर पीठ का विवेक है, मान्यवर, जैसा आप निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी कोई भी सूचना, सामान्यतः नियम 301 की सूचना जो ध्यानाकर्षण की होती है, नियम 51 में वक्तव्य की माँग की जाती है। अपेक्षा की जाती है कि वह मा0 सदस्य खड़े होकरके उसको पढ़ेंगे। नियम 301 में पहले हम लोग पढ़ा करते थे, फिर सदन का समय बचाने के लिए हम लोग सूचनायें ज्यादा लेने लगे, जैसे आज भी मैंने सूचनायें सामान्य दिनों की तरह नहीं ली, ज्यादा ली। ज्यादा सूचनायें लेने लगे तो पढ़वाने की दिक्कत आयी तो हम लोग पढ़वाते नहीं हैं, नाम पुकार देते हैं। अगर हम यह कह दें कि अच्छा आज हम पढ़वायेंगे। परिपाटी तो यही है कि ध्यानाकर्षण में जो सूचना है उसको आप पहले पढ़िये, अगर हैं नहीं तो कैसे पढ़ेंगे ? इन्हीं सब बातों के बीच में कहीं सत्य छिपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूँ। उस समय उपस्थित रहना अनिवार्य है। मौर्या जी के कहने से माने हमारे कहने से नहीं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, नियम 301 में नियम 51 में नहीं।

श्री अध्यक्ष–

वह तो सबमें पढ़ना पड़ेगा।

[5:25] नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21.12.2017 को नियम–51 के अन्तर्गत 94 सूचनाएँ प्राप्त हुई। पहली सूचना माननीय श्री मो0 अबदुल्ला आजम खॉ माननीय श्री मो0 आजम खॉ की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौआ अन्तर्गत कोसी नदी पर बने पुल के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना पर माननीय सदस्य डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी उपस्थित नहीं थे। तीसरी सूचना पर माननीय सदस्य डा0अवधेश सिंह उपस्थित नहीं थे। चौथी सूचना पर माननीय सदस्य श्री सतीश चन्द्र शर्मा उपस्थित नहीं थे। पॉचवीं सूचना माननीय सदस्य श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा भू–उपयोग नियमावली के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बॉगरमऊ में माँ

गंगा के नानामऊ घाट को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री अभिजीत सिंह सांगा उपस्थित नहीं थे। आठवीं सूचना पर माननीय सदस्या श्रीमती वन्दना सिंह उपस्थित नहीं थीं। नवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) उपस्थित नहीं थे। दसवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री नितिन अग्रवाल उपस्थित नहीं थे। ग्यारहवीं सूचना माननीय सदस्या श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में विकास खण्ड-लालगंज एवं संग्रामगढ़ को डार्क जोन घोषित होने से पेयजल एवं सिंचाई की समस्याओं के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की लखनऊ विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता किये जाने के संबंध में है, यह भी ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना माननीय सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू की अगस्त सितम्बर में कतिपय जनपदों में आई बाढ़ के कारण हुई क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौदहवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री अजय सिंह उपस्थित नहीं थे। पन्द्रहवीं सूचना माननीय सदस्य श्री रवि सोनकर की जनपद बस्ती के कतिपय के जर्जर मार्गों/पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सोलहवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह अनुपस्थित थे।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बतायें, आपका क्या है ?

डा0 अवधेश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं डा0 अवधेश सिंह हूँ। मेरी भी सूचना थी, मैं जरा बाहर चला गया था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप आ गये, आपकी टिक कर ली है।

सत्रहवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री अनुराग सिंह अनुपस्थित थे। अटठारहवीं सूचना पर माननीय सदस्या श्रीमती विमला सिंह सोलंकी अनुपस्थित थीं। उन्नीसवीं सूचना माननीय सदस्य श्री राजीव तरारा की जनपद अपरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में निर्माणाधीन तटबन्ध को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बीसवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री विनोद सरोज अनुपस्थित थे। इक्कीसवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री प्रेम सागर पटेल अनुपस्थित थे। अब यह जो निरस्त हुई उनके नीचे जिनकी सूचनाएं हैं जो अस्वीकार हुई उनमें से..

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह था कि आज और कल सबकी ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

कल सबकी ले ली जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आज भी ले लीजिये। मेरा भी था ले लीजिये। उमाशंकर जी का भी ले लीजिये। जितनी निरस्त हुई हैं उतनी ले लीजिये। मान्यवर, मेरा भी है महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई थीं उसका जो क्रम तैयार हुआ था उसमें से जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनमें से श्री रत्नाकर मिश्र, श्री राम प्रताप वर्मा, श्री महेन्द्रपाल सिंह, श्री उमेश मलिक, श्री लाल जी वर्मा, श्री मनीष असीजा,

(कई सदस्यों के यह कहने पर कि हमारी सूचना ले लीजये।)

श्री अध्यक्ष–

अभी देख लेते हैं।

श्री गिर्राज सिंह धर्मेश–

मान्यवर, 301 में एक सूचना मेरी भी थी।

श्री अध्यक्ष–

वह तो दोपहर में हो गया। श्री राम अचल राजभर, श्री रितेश पाण्डेय, श्री उमाशंकर सिंह, श्री प्रमोद उटवाल, श्री दलवीर सिंह, श्री श्याम सुन्दर शर्मा की।

श्री गिर्राज सिंह धर्मेश–

मान्यवर, मेरी भी 301 की सूचना ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

यह 51 चल रहा है। जो माननीय सदस्य न दे पाए हों कल दे दीजिएगा। सब स्वीकृत हो जाएगा।अब आप प्रसन्न मन बैठिए। सभी नियमों में दे दीजिए।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् द्वारा जनपद शाहजहांपुर एवं सेवरही में वर्ष 1999 में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् द्वारा जनपद-शाहजहॉपुर एवं सेवरही में वर्ष 1993 ओर 1999 में कुछ कार्मिकों...

एक मा0 सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(गन्ना विकास चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश राणा-

[का उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् विनिमित कर दिया गया किन्तु वर्ष 1999 में नियुक्त किसी भी कार्मिक का विनियमितीकरण नहीं किया गया। वर्ष 1999 में नियुक्त किये गये कार्मिकों का विनियमितीकरण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बाद भी विनियमितीकरण नहीं किया गया। वर्ष 1999 में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण न होने से उनमें आक्रोश की भावना व्याप्त हो रही है। प्रश्नगत विषय पर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर एवं सेवरही में वर्ष 1999 में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना पर विधान सभा सचिवालय, पटल कार्यालय के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा, प्रश्नगत विषय पर दिनांक 21-12-2017 **वक्तव्य** को निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के शाहजहांपुर तथा जनपद कुशीनगर में सेवरही स्थित शोध संस्थान केन्द्र पर वर्ष 1993 से एवं वर्ष 1999 से पूर्व में दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये कतिपय कर्मियों तथा कुशल/अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे कर्मियों का विनियमितीकरण किये जाने की कार्यवाही क्रमशः वर्ष 1993 तथा 1999 में की गयी थी। वर्ष 1993 में जनपद कुशीनगर स्थित सेवरही केन्द्र पर दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे 04 कर्मियों का विनियमितीकरण मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शोध परिषद् की गवर्निंग बाडी में प्रस्ताव रखकर एवं पारित किये गये प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2016 में किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के शाहजहांपुर तथा जनपद कुशीनगर में सेवरही स्थित शोध संस्थान केन्द्रों पर दैनिक वेतन पर कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत रहे (कुल 39) कर्मियों, जिनमें से 11 कुशल श्रमिक समूह ''ग'' (तृतीय श्रेणी) के विभिन्न पदों पर तथा 28 अकुशल श्रमिक समूह ''घ'' (चतुर्थ श्रेणी) के विभिन्न पदों पर दैनिक वेतन के आधार पर परिषद् स्तर से नियुक्त किये गये थे, का विनियमितीकरण तत्कालीन सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/अध्यक्ष, गवर्निंग बाडी, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के अनुमोदनोपरान्त, प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् के आदेश दिनांक 01-11-1999 द्वारा किये गये थे। विनियमितीकरण के सम्बन्ध में उक्त कार्यवाही परिषद् के विभिन्न संस्थानों/केन्द्रों पर कार्यरत दैनिक कुशल/अकुशल श्रमिकों के विनियमितीकरण हेतु गठित विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति तथा तद्क्रम में अध्यक्ष, गवर्निंग बाडी, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुक्रम में, गन्ना शोध परिषद् के स्तर से की गयी थी। कालान्तर में तत्कालीन प्रभारी निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के प्रस्ताव के सन्दर्भ में, कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त यह परामर्श दिया गया कि गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा 12 समूह ''ग'' दैनिक वेतन कर्मचारियों का किया गया विनियमितीकरण, विनियमितीकरण नियमावली, 1998 के अनुसार नहीं है। अग्रेतर यह स्पष्ट किया गया कि समूह ''घ'' दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं

उठता, क्योंकि ऐसी कोई नियमावली या आदेश जारी नहीं हुए हैं। कार्मिक विभाग के उक्त परामर्शानुसार प्रश्नगत विनियमितीकरण कर्मचारियों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराने के निर्देश अध्यक्ष, गवर्निंग बाडी के रूप में तत्कालीन सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा निदेशक, गन्ना शोध परिषद् को दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर ने अपने आदेश दिनांक 14 मार्च, 2000 द्वारा विनियमितीकरण किये जाने सम्बन्धी निर्गत अपने दोनों आदेशों दिनांकित 01 नवम्बर, 1999 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया।

प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के उक्त निरस्तीकरण आदेश दिनांक 14 मार्च, 2000 के विरुद्ध विनियमित हुए कार्मिकों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रमशः रिट याचिका संख्या 16902/2000 ओम प्रकाश सिंह व 07 अन्य बनाम प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर, रिट याचिका संख्या 15473/2000 ओम प्रकाश बनाम प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर योजित की गयी, जिसमें पारित अन्तरिम आदेश दिनांकित 21 अप्रैल, 2000, 19 अप्रैल, 2000 एवं 10 अप्रैल, 2000 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 14 मार्च, 2000 को स्टे कर दिया गया। उक्त याचिकायें समूह ''ग'' के पदों पर विनियमित हो चुके कर्मियों के द्वारा प्रभारी निदेशक के उक्त आदेश दिनांक 14 मार्च, 2000 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रमशः रिट याचिका संख्या 15369/2000 प्रेमपाल व 24 अन्य बनाम प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर, रिट याचिका संख्या 18836/2000 संजीव कुमार व 01 अन्य बनाम प्रभारी निदेशक, गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर तथा रिट याचिका संख्या 16556/2000 रामू प्रसाद बनाम प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर योजित कर स्थगन आदेश दिनांकित 04 अप्रैल, 2000, 22 अप्रैल, 2000 एवं 20 अप्रैल, 2000 प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर उक्त 28 समूह ''घ'' के पद पर विनियमित कर्मी परिषद् में कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्तानुसार योजित की गयी विभिन्न रिट याचिकाओं में से रिट याचिका संख्या 16902/2000 एवं रिट याचिका संख्या 15369/2000 को संयुक्त रूप से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय/आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2003 द्वारा निर्णीत किया गया तथा उक्त दोनों याचिकाओं को याचीगणों के पक्ष में स्वीकार करते हुए, सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान किये बिना ही प्रभारी निदेशक के आदेश दिनांक 14 मार्च, 2000 को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के विरुद्ध परिषद् द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपील संख्या 381(डी)/2003 दाखिल की गयी, किन्तु उक्त अपील को मा0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय/आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 द्वारा खारिज कर दिया गया।

प्रश्नगत मामले में लम्बी अवधि से कार्य कर रहे उक्त (विनियमित) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तथा उनके द्वारा योजित किये गये विभिन्न वादों के निस्तारण के दृष्टिगत परिषद् स्तर पर वर्ष 2014 में परिषदीय अधिवक्ता के परामर्श तथा इस सम्बन्ध में विचार कर संस्तुति देने हेतु परिषद् द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति दिनांक 09 जनवरी, 2014 के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों से आवश्यक शपथ-पत्र प्राप्त कर उनको परिषदीय सेवा नियमों का

पालन करते हुए उनके धारित पद पर नियमित करने तथा उसके उपरान्त मा0 न्यायालय में चल रहे वादों को समाप्त कराये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव, गन्ना शोध परिषद् की गवर्निंग बाडी में दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया। गवर्निंग बाडी के द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रस्ताव को शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

प्रश्नगत मामले में आवश्यक सूचना आदि प्राप्त किया गया तथा शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत दैनिक वेतन भोगी कुशल/अकुशल श्रमिक के रूप में समूह ''ग'' एवं समूह ''घ'' के पदों के सापेक्ष, आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किये जाने का निर्णय गन्ना शोध परिषद् के स्तर से लिया गया तथा इन कर्मियों का विनियमितीकरण किये जाने की कार्यवाही, प्रभारी निदेशक, गन्ना शोध परिषद् के स्तर से अध्यक्ष, गवर्निंग बाडी, गन्ना शोध परिषद् के अनुमोदन से किया गया था। परिषद् के कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। चूंकि विनियमितीकरण को निरस्त किये जाने सम्बन्धी तत्कालीन प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 14 मार्च, 2000 को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2003 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध गन्ना शोध परिषद् द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी विशेष अपील संख्या 381(डी)/2003 भी दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को निरस्त कर दी गयी है।

अतः अब मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन किया जाना ही एकमात्र विधिक विकल्प उपलब्ध है। वर्णित स्थिति में वर्ष 1999 में किये गये विनियमितीकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के आलोक में, प्रस्ताव गन्ना शोध परिषद् की गवर्निंग बाडी में पुनः प्रस्तुत करके परिषदीय सेवा नियमों के अन्तर्गत विनियमितीकरण की औपचारिक कार्यवाही पूर्ण करायी जाये। इस आशय के निर्देश शासन स्तर से प्रभारी निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर को दे दिये गये हैं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में द्वारिकेश शुगर मिल को जाने वाले वाहनों को ओवरलोडिंग रोके जाने के सम्बन्ध में डा0 श्याम बिहारी लाल द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122–फरीदपुर, जनपद बरेली में स्थिति द्वारिकेश शुगर मिल के क्रय केन्द्रों....

श्री लालजी वर्मा–

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(वक्तव्य गन्ना विकास चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेश राणा-

[से गन्ना की ढुलाई ट्रालों से कराई जाती है, जिससे 350 कुन्तल से लेकर 400 कुन्तल गन्ना लादा जाता है। उक्त ट्राले ओवरलोडिंग की चरम स्थिति को पार करते हुए क्षेत्र की सड़कों को मटियामेट कर देते हैं तथा जगह-जगह पर जाम लगा देते हैं। सरकारी नियम के अनुसार 150 कुन्तल से ज्यादा वजन ले जाने पर रोक है। उक्त ट्राले किसानों की बजाय ट्रान्सपोर्टरस के हैं। जनहित में उक्त ट्रालों पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना पर विधान सभा सचिवालय, पटल कार्यालय के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रश्नगत विषय पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को **वक्तव्य** निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि चीनी मिलों द्वारा वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों एवं मिल गेट पर गन्ने की खरीद की जाती है। प्रकरण के सम्बन्ध में उप चीनी आयुक्त, बरेली व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली से सूचना प्राप्त करते हुए, गन्ना आयुक्त के स्तर से प्राप्त हुई आख्या के अनुसार जनपद बरेली के फरीदपुर में संचालित द्वारिकेश चीनी मिल पर गन्ने की खरीद गन्ना क्रय केन्द्रों एवं मिल गेट पर की जा रही है। गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना कृषकों द्वारा अपने गन्ने की आपूर्ति बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से की जाती है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना ट्रान्सपोर्टरों के माध्यम से गन्ना क्रय केन्द्रों से मिल गेट तक गन्ने का परिवहन कराया जाता है। मिल गेट पर गन्ना क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गन्ने को ट्रक के माध्यम से तथा गन्ना कृषकों द्वारा सीधे मिल गेट पर अपनी बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से भी गन्ना आपूर्ति की जाती है। उल्लेखनीय है कि वाहनों के ओवरलोडिंग का अनुश्रवण तथा उल्लंघन के मामलों में मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्यवाही करने का अधिकार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को प्राप्त है। प्रश्नगत चीनी मिल में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली द्वारा अवगत कराया गया है कि माह नवम्बर, 2017 में बरेली-फरीदपुर मार्ग पर 04 ट्रैक्टर ट्रालियों का ओवरहाईट शुगरकेन ले जाते हुए चालान किया गया है। इसके अतिरिक्त ओवरहाईट शुगरकेन ओवरलोडिंग के अन्य प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं।]

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठां/सातवां वेतन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वित्त मंत्री का वक्तव्य का स्थगित

श्री अध्यक्ष-

मद 56 संख्या स्थगित है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में संचालित अवैध दुग्ध डेरियों को नगर निगम सीमा से बाहर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ..

श्री लालजी वर्मा-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(वक्तव्य गन्ना विकास चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 4216(एम0बी0)/1997 पशुपालक कल्याण समिति व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 27 मई, 1999 के अनुपालन में नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित दूध डेरियों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा विकसित कैटिल कालोनियों मे नगर निगम सीमा के बाहर विस्थापित किया गया था। तदोपरान्त तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ-पत्र दाखिल किया गया कि समस्त दूध डेरियों को नगर निगम सीमा के बाहर विस्थापित किया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 मई, 2000 को आदेश पारित किये गये कि दूध डेरियां पुर्नस्थापित होने की स्थिति में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। इस हेतु पुलिस अधिकारियों से पत्रों के माध्यम से समन्वय भी स्थापित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय में पुनः योजित रिट याचिका सं0 7151(एम0बी0)/2012 में अध्यक्ष, आल इण्डिया घोषी एसोशिएशन बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा याचीगण के पत्र दिनांक 08 मई, 2012 से संलग्न शासनादेश दिनांक 24 जून, 1998 के अनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश दिये गये।

मा0 उच्च न्यायालय के उपरिसंदर्भित आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2013 के अनुपालन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन में सम्पन्न बैठक में आवास आयुक्त, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ तथा प्रदेश अध्यक्ष, आल इण्डिया घोषी एसोशिएशन द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आवास विकास परिषद् एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवशेष भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में पशुपालकों की पात्रता का चयन/चिन्हीकरण की कार्यवाही में नगर निगम की सहायता से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करेंगे। बैठक में उपस्थित आल इण्डिया घोषी एसोशिएशन के पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में आश्वस्त किया गया। पशुपालकों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु आवास एवं विकास परिषद् एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अवैध रूप से पुर्नस्थापित दूध डेरियों को हटाने हेतु माह जुलाई, 2017 से अब तक 54 डेरियों को हटाया गया एवं पशुपालकों से जुर्माने के रूप में कुल धनराशि रु0 38.52 लाख वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया गया।]

जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां के कतिपय राजस्व ग्रामों को आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 58 स्थगित है।

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत शहर के बीचों बीच बहने वाले नाले को पक्का कराकर दोनों तरफ सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को दी गई सूचना पर, नियम 51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 59 स्थगित है।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार स्थित इसौर नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बाढ़ नियंत्रण एवं महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

श्रीमन् अवगत कराना है कि हमारी..

श्री लालजी वर्मा-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(बाढ़ नियंत्रण एवं महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्रीमती स्वाती सिंह-

[वि0 स0 क्षेत्र ऊंचाहार जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर से जाने वाली इसौर नाला पूरी तरीके से सिल्ट भर जाने के कारण जल निकासी न होने के कारण विकास खण्ड जगतपुर, विकास खण्ड गौरा के ग्रामसभा भीख, हेवतहा नेवढ़िया, धर्मदासपुर, सान्हू कुआं, बेनीकामा, बेहीखोर, मेल्खा साहब, अलवालपुर, सुल्तानपुर जनौली, कितूली आदि 3 दर्जन से अधिक गांव के किसानों की हजारों एकड़ जमीन सीपेज से प्रभावित है कई बार प्रयास करने के बाद भी आज तक उक्त इसौर नाले की सफाई नहीं हो पायी है जिससे किसान भुखमरी के कगार पर है। अतः किसानों की समस्या दृष्टिगत रखते हुए उक्त नाले की सफाई अविलम्ब कराया जाये।''

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–मुख्य अभियन्ता (मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य निम्नवत् है :-

जनपद रायबरेली, विकास खण्ड राही, जगतपुर, गौरा एवं डलमऊ में इसौर नाला स्थित है। इस नाले की कुल लम्बाई 47.000 किमी0 तथा शीर्ष पर क्षमता 15.08 क्यूसेक (532.02 क्यूसेक) है। यह नाला ग्राम धुरवारा (विकास खण्ड डलमऊ) से निकलकर सई नदी में गिरता है। इस नाले के हेड (किमी0 0.000) से किमी0 12.000 तक का भाग तीव्र प्राकृतिक ढाल से युक्त है। उ0 प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में इस नाले के किमी0 12.000 से किमी0 47.000 तक पुनरोद्धार का कार्य किया गया था, जिसके उपरान्त इस नाले से प्रभावित क्षेत्र को जलमग्नता से राहत मिली थी।

वर्तमान में मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित किसी भी गांव में इसौर नाले के कारण जलप्लावन होने तथा इस कारण कृषि नष्ट होने की स्थिति नहीं है। ड्रेन ठीक कार्य कर रही है।]

जनपद श्रावस्ती स्थित सीताद्वार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम फेरन द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग..

श्री लालजी वर्मा–

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[में किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की कोई नीति प्रख्यापित नहीं है। इसलिए जनपद श्रावस्ती में सीताद्वार के निकट स्थित झील को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाना सम्भव नहीं है। जहां तक प्रश्नगत स्थल के पर्यटन विकास का प्रश्न है, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभागीय बजट में योजना मद में सीमित वित्तीय व्यवस्था/पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने की दशा में सम्बन्धित स्थल की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदस्यों के भाषण के दौरान टोका-टाकी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

एक निवेदन करना है कि सदन में कई बार ऐसा होता है कि कोई सदस्य बोल रहे होते हैं तो उनसे बैठे-बैठे टोका-टाकी होती है तो उससे ध्यानाकर्षण में बाधा होती है तो कोई भी बोल रहे हों, पहली बार जीतकर आए हों,आठवीं बार जीतकर आए हों यह मुद्दा महत्वपूर्ण नही है वरिष्ठों का मुद्दा होता है लेकिन आपस में टोका-टाकी न करें कोई मा0 सदस्य बोल रहे हों तो बोलने दीजिए बैठे-बैठे टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए।

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक की कार्यवाही स्थगित हो गई।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 ई0

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर।)

प्रदेश में कृषि विभाग की कृषि यन्त्रीकरण की विभिन्न योजनाओं (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना) अन्तर्गत कृषि यन्त्रों/उपकरणों पर अनुदान की व्यवस्था है, जो कि निम्नवत् है :-

कृषि विभाग द्वारा कृषि यन्त्रीकरण योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2017-18 में देय अनुदान का पैटर्न

क्र0 सं0	घटक/कृषि यंत्र का प्रकार	अधिकतम अनुदान प्रति परियोजना रु0 में (जो कि अधिकतम 10 लाख तक होगी)	अधिकतम अनुदान का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	घटक संख्या 6 फार्म मशीनरी बैंक	800000	80	**नोट**–फार्म मशीनरी बैंक अन्तर्गत समूह को अनुदान देय है तथा कस्टम हायरिंग सेंटर अन्तर्गत कृषक अथवा समूह दोनों प्रकार के लाभार्थी अनुदान का लाभ ले सकते हैं।
2	घटक संख्या 4 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना	400000	40	

क्र0 सं0	घटक/कृषि यंत्र का प्रकार	एस0सी0/एस0टी0 लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषक हेतु अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी प्रति यंत्र रु0 में	अधिकतम अनुदान का प्रतिशत	अन्य कृषक हेतु अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी प्रति यंत्र रु0 में	अन्य कृषक लाभार्थी हेतु अधिकतम में अनुदान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
3	**घटक संख्या 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान**				
अ	**मानव चालित कृषि यंत्र**				
1	चैफ कटर	2500	50	2000	40
2	हैण्ड विनोईंग फेन	1500	50	1200	40
3	ग्राउण्ड नट पॉड स्ट्रीपर	1500	50	1200	40
4	हस्तचालित स्प्रेयर	600	50	500	40

1	2	3	4	5	6
ब	**शक्ति चालित कृषि यंत्र**				
1	पावर टिलर 8 एच0पी0 से ऊपर	75000	50	60000	40
2	पावर आपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर 12 से 16 ली0	3800	50	3000	40
3	सीड ड्रिल/जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल 20 से 35 बीएचपी	19000	50	15000	40
4	इकोफ्रेन्डली लाइट ट्रेप	1400	50	1100	40
5	हैप्पी सीडर 20 से 35 बीएचपी	44000	50	35000	40
रिवर्सबेल प्लाऊ–					
6	मैकेनिकल प्लाऊ 20 से 35 बीएचपी	19000	50	15000	40
7	हाइड्रोलिकल प्लाऊ 20 से 35 बीएचपी	44000	50	35000	40
रोटा वेटर–					
8	20 से 35 बीएचपी	44000	50	35000	40
9	20 बीएचपी से कम	35000	50	28000	40
10	थ्रेशर/मल्टीक्राप थ्रेशर 20 से 35 बीएचपी	25000	50	20000	40
11	पोटैटो डिगर 20 से 35 बीएचपी	19000	50	15000	40
12	पोटैटो प्लाण्टर 20 से 35 बीएचपी	19000	50	15000	40
13	पोस्ट होल डिगर 20 से 35 बीएचपी	15000	50	12000	40
14	प्लास्टिक मल्च लेइन्ग मशीन	35000	50	28000	40
15	शुगर केन कटर प्लान्टर 20 से 35 बीएचपी	19000	50	15000	40
16	राइस स्ट्राचापर 20 से 35 बीएचपी	19000	50	15000	40

1	2	3	4	5	6
17	पावर चेफ कटर 20 से 35 बीएचपी	25000	50	20000	40
18	हैरो/कल्टीवेटर 20 से 35 बीएचपी	19000	50	15000	40
19	स्ट्रारीपर 20 से 35 बीएचपी	63000	50	50000	40
20	लेजरलैण्ड लेवलर 20 से 35 बीएचपी	63000	50	50000	40
रीपर–					
21	20 बीएचपी से कम	15000	50	12000	40
22	20 बीएचपी से 35 बीएचपी तक	25000	50	20000	40
स	**सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र**				
1	ट्री प्रुनर्स	125000	50	100000	40
2	फ्रूट हार्वेस्टर	125000	50	100000	40
3	फ्रूट ग्रेडर्स	125000	50	100000	40
4	रीपर कम बाइण्डर	125000	50	100000	40
5	राइस ट्रान्सप्लान्टर 4 रो से अधिक	200000	40	200000	40
6	सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रान्सप्लान्टर	75000			
7	रीपर	63000	50	50000	40

बी0जी0आर0ई0आई0/एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत देय अनुदान पैटर्न

1	लेजर लैण्ड लेवलर (समूह के लिए)	150000
2	पैडी थ्रेसर/मल्टी क्राप थ्रेसर	40000
3	पावर वीडर	15000
4	चिजलर	8000
5	ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	10000
6	हैप्पी सीडर	35000
7	पावर टीलर	40000

8	पम्पसेट	10000
9	राइस स्ट्राचॉपर/रैक/बेलर/रेज्ड बेड प्लान्टर	15000
10	स्प्रींकलर सेट	10000
11	मोबाइल रेंन गन	15000
12	जी0 आई0 बखारी	1500
13	वाटर केयरिंग पाइप (50 रु0 प्रति मीटर)	15000
14	कोनोवीडर	600
15	ड्रम सीडर	1500

प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा संचालित सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सेट वितरण तथा प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल जल संकट विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सेट वितरण की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुमन्य अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जल के समुचित प्रयोग हेतु प्रेरित करना तथा कम जल से अधिकाधिक क्षेत्र की सिंचाई करते हुए सिंचन क्षमता में वृद्धि करते हुए सिंचाई की लागत में कमी लाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना। वर्ष 2017-18 में बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 11115 स्प्रिंकलर सेट तथा प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डो में 3720 थे स्प्रिंकलर सेट वितरित किये जाने हैं। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी को प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर चयन किया जायेगा। शासनादेश सं0 543/12-3-2017-100(61)/12 टीसी, दिनांक 26 मई, 2017 में दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए पारदर्शी ऑनलाईन लाभार्थियों का चयन एवं अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। एक लाभार्थी कृषक को 07 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ पुनः अनुमन्य होगा।

इमपैनल्ड निर्माताओं (पंजीकृत) की सूची में से किसी भी निर्माता से उपकरण की खरीद के लिये लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होंगे। कृषक के खेत में इन्स्टालेशन एवं प्रदर्शन होने का फील्ड सत्यापन उप कृषि निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। स्थलीय सत्यापन के उपरान्त कृषक को स्प्रिंकलर सेट, एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं पम्प सेट के लिए अनुदान की धनराशि कृषक के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

पी0एस0यू0पी0-100 विधान सभा (186)-14-09-2018-631 प्रतियां ।